दश माला, खंड 22, अंक 10

गुरुवार, 14 मार्च, 2002
23 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 10, गुरुवार, 14 मार्च, 2002/23 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
सेना भर्ती केन्द्र लखनऊ में हुई कई युवकों की मृत्यु के बारे में	1-10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 162 से 164	10-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180	34-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 1696 से 1925	54-377
सभा पटल पर रखे गए पत्र	377-380
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौदहवां और एक सौ पन्द्रहवां प्रतिवेदन	380
याचिका समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	381
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	381-384

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

गुरुवार, 14 मार्च, 2002/23 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सेना भर्ती केन्द्र लखनऊ में हुई कई युवकों की मृत्यु के बारे में

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को बुलाइये, बयान दिलवाइये।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल आरम्भ करते हैं। आज की पुनरीक्षित कार्य सूची के अनुसार, प्रधान मंत्री मध्याह्न 12 बजे वक्तव्य देंगे। प्रधान मंत्री इस समय समय राज्य सभा में हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, लखनऊ में फौज की भर्ती हो रही थी, सीवर लाइन के धंस जाने के कारण 50 के करीब लड़के मर गये हैं।. . .*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मुलायम सिंह जी, आप हमें भी बोलने का मौका दें।. . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम भी तो बोल ही रहे हैं।. . . *(व्यवधान)* आप बैठ जाइये।. . .*(व्यवधान)* आप हमें बैठने के लिए कैसे कह सकते हैं।. . .*(व्यवधान)* आप हमें कहने वाले कौन होते हैं, . . .*(व्यवधान)* आप बैइ जाइये।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि, यदि एक विशेष मामले के तौर पर सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उन्हें प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद अनुमति दी जानी चाहिए. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी-अभी हमें सूचना मिली है, लखनऊ में 50 लड़के, सीवर लाइन के धंसने से मर गये हैं।. . .*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते रहो. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप मुझे दो मिनट सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें बताया गया है कि लखनऊ में सेना की भर्ती के समय सीवर लाइन धंस जाने के कारण 10 लड़के मौके पर ही मर गये और उसके बाद अस्पताल में जाकर काफी संख्या में लड़के और मर गये हैं। लड़कों ने गुस्से में आकर ऐसा भी काम किया है जिससे सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ है और लखनऊ की सड़कों पर आग लगाई है। सीवर लाइन धंस गयी। इसको किस एजेन्सी द्वारा बनवाया गया, कौन ठेकेदार था। इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार है चाहे नगर विकास मंत्री हो या कोई इंजीनियर हो या ठेकेदार हो उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, आप यह मामला शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं, कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : प्रश्न काल में इनको क्या आपत्ति है।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, कृपया अपने सदस्यों से अपना-अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रधान मंत्री आ रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्रधान मंत्री जी राज्य सभा में हैं, वे अभी यहां नहीं आ सकते हैं। वे 12 बजे स्टेटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। मुलायम सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री आ रहे हैं और वे एक वक्तव्य देंगे। कार्यसूची में आप देख सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री आ रहे हैं और वे अपना वक्तव्य मध्याह्न 12 बजे देंगे। कृपया सभा के कार्य-संचालन में मुझे सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप खड़े होंगे तो हमें बैठना पड़ेगा। आप कृपा करके बैठे रहिए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर के बाद प्रधान मंत्री आ रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक गंभीर मामला है। उन्हें कुछ कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह मामला शून्य काल में ले सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 50 जवान मर गए।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री मध्याह्न 12 बजे वक्तव्य देने के लिए आएंगे। वे राज्य सभा में हैं। वें राज्य सभा और यहां दोनों जगह एक ही समय किस प्रकार उपस्थित हो सकते हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 161 श्री अवतार सिंह भडाना।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भडाना, आप केवल अपने प्रश्न संख्या का उल्लेख कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक रक्षा मंत्री आरोपों से बरी नहीं हो जाते, तब तक उनसे कोई क्वश्चन पूछा नहीं जाएगा।. . .*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : राज्य सभा में आपकी पार्टी के सदस्यों ने क्वश्चन पूछा है।. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लोक सभा में नहीं होगा।. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : वे माननीय सदस्यों को उनके प्रश्न पूछने के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं?. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक अब आप मंत्री हैं।

श्री वैको : माननीय प्रधानमंत्री राज्य सभा में हैं. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है। जिस सवाल पर उधर से उत्तेजना हो रही है, कल से उस पर उत्तेजना है। अगर प्रधान मंत्री पहले ही बयान दे देंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी।. . .*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मुझे सभा को चलाने दीजिए। मैं सभा का संचालन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : इस तरह से पूरा क्वश्चन ऑवर डिस्टर्ब होगा, उस तरह 15 मिनट, आधे घंटे में ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर क्वश्चन आवर पूरे समय के लिए स्थगित हो, हाउस स्थगित हो तो ठीक है। यदि हम लोगों को यह शोभा देता है तो यही कराइए। . . .*(व्यवधान)* अब आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप शोर मचाएंगे तो आपसे ज्यादा वे शोर मचा सकते हैं। वह मचाइए। इससे और शोर बढ़ेगा। आप भी यही चाहते हैं तो इसी का कम्पीटिशन होने दीजिए। दूसरा, मुलायम सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि सेना की भर्ती के समय 50 लड़के सीवर के गिर जाने से मर गए। . . .*(व्यवधान)* सेना की भर्ती में नौजवान लड़के थे। वे वहां आन्दोलन कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं। अगर और आग लगेगी तब संसद में सवाल उठेगा या पहले उठेगा? यह फैसला आप कीजिए और सरकार को कहिए कि इसे सम्मान का सवाल नहीं बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी, मैंने पहले ही कहा है कि प्रधान मंत्री राज्य सभा में हैं। क्वश्चन आवर के बाद उन्हें स्टेटमैंट भी देना है।

वे आयेंगे, मैंने उन्हें यह बताया। बाकी जो दूसरा मैटर है, उन्होंने उठाया है, वह क्वश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर होगा, उसमें होगा। वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं। आप क्वश्चन ऑवर चलने दीजिये, उसके बाद उठा सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : गुस्सा क्यों नहीं होगा?

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वे सारी सूचना एकत्र करके प्रश्नकाल के बाद दे दें लेकिन प्रधानमंत्री जी. . .*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ में सेना में भर्ती के लिये आये हुये लोगों में से 50 लोग मारे गये, प्रधानमंत्री आयें और स्टेटमेंट दें. . .*(व्यवधान)* इससे गंभीर सवाल और क्या हो सकता है कि 50 लोग मर जायें। वे देश की सेवा करने के लिये आये थे।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप मुझे मेरा वाक्य तक पूरा नहीं करने देते। यही समस्या है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं प्रश्न काल आरंभ करता हूं।

प्रश्न 161 श्री अवतार सिंह भडाना।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना : जी नहीं. . .*(व्यवधान)*

(प्रश्न संख्या 161 माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 162

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए। इस तरह व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कैमरा बंद कर दीजिए।

(व्यवधान)

उपोध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह अति हो रही है। कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए। मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैं आपसे मुझे मदद करने के लिए कह रहा हूं। आप अपने सदस्यों से अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुलायम सिंह यादव से मुझे मदद करने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को यहां बुला लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर के बाद आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(इस समय डा० रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(इस समय डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गिरधारी लाल जी आप अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया मेरी मदद करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनसे अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने आपके निर्देश पर अपने सदस्यों को वेल से वापस बुला लिया था।. . .*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.18 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या आप प्रधान मंत्री जी को बुला रहे हैं। आप प्रधान मंत्री जी को बुलाइये।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी अपर हाउस में हैं, मैंने आपसे कहा कि प्रधान मंत्री जी आ जायेंगे, उनका स्टेटमैन्ट भी है, वह क्वश्चन ऑवर के बाद आयेंगे। आप उनका स्टेटमैन्ट सुन सकते हैं . . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : बयान तो कल भी था।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह आज की लिस्ट में है, आप देखिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कल कानून मंत्री को खड़ा कर दिया था।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कानून मंत्री ने कल वक्तव्य देने के लिए नोटिस दिया था। मगर हाउस में ऐसा वातावरण होने की वजह से यह वक्तव्य नहीं दे सके। प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य आज की लिस्ट में है, आप देखियेगा। भार्गव जी आप बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है. . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप रक्षा मंत्री को बोलने दीजिए . . .*(व्यवधान)* उन्हें राज्य सभा में बोलने दिया, क्या यहां नहीं बोलने

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देंगे, यह क्या तरीका है। उन्हें राज्य सभा में बोलने दिया गया, यहां नहीं बोलने देंगे।. . .*. . .हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री जी लखनऊ में सीवर लाइन में हुई लड़कों की मौत की घटना के संबंध में बयान दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रधान मंत्री आएंगे और इस मामले पर वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : कोई तो सरकार की ओर से बयान दे, रक्षा मंत्री दें नहीं तो कोई और मंत्री दे। आपने राज्य सभा में रक्षा मंत्री को बोलने दिया, क्या अब यहां नहीं बोलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां भी बोलेंगे। अब भार्गव जी आप सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, प्रश्न काल के बाद बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश में किसी एक घटना का उल्लेख किया है, . . .*(व्यवधान)* मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मराठी भाषी हूं, हिन्दी अच्छी आती नहीं है। कम से कम उन्होंने जो कहा है उसमें थोड़ा बहुत या कम कितनी भी सच्चाई हो तो बात बहुत गंभीर है लेकिन इस क्षण रक्षा मंत्री या सरकार के पास उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम जानकारी लेकर आज सदन उठने से पहले रक्षा मंत्री सदन में इसके बारे में जानकारी देंगे और तब कोई बातचीत करनी हो तो कर सकते हैं। तुरंत प्रश्नों का जवाब कैसे दें अगर हमारे पास जानकारी नहीं है।. . .*(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रिकार्ड पर आ जाए कि जब चाहे मुलायम सिंह जी अपने सदस्यों को वैल में भेज देते हैं और जब चाहे वापस बुला लेते हैं, यह सदन कैसे चल रहा है?. . .*(व्यवधान)* जब चाहे इशारा करके भेज देते हैं और जब चाहे इशारा करके वापस बुला लेते हैं, . .* यह तो कोई तरीका नहीं है।. . .*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जब यह मामला सुलझ गया है। आप उन्हें और उकसाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० मल्होत्रा, यह आपके उकसाए जाने का ही परिणाम है। यह मामला सुलझ गया था। श्री महाजन ने उत्तर भी दे दिया था परंतु आपने फिर से यह बात शुरू कर दी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो ये मामला फिर से उठ गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। हमारे लोग वैल में आए और आपने कहा कि इन्हें वापस बुलाएं तो मैंने वापस बुला लिया।. . .*(व्यवधान)* आप भविष्य के लिए भी बता दें मल्होत्रा जी को।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पत्र सूचना ब्यूरो के कार्यालयों का बंद किया जाना

+

***162. श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में राज्य-वार पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के कितने कार्यालय चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने गीता कृष्णन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर पत्र सूचना ब्यूरो के कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य-वार पत्र सूचना ब्यूरो के कितने और कौन-कौन से कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव था; और

(ङ) पत्र सूचना ब्यूरो के कार्यालय खोलने/बंद करने या इनका पुनर्गठन करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नई दिल्ली स्थित पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय के अलावा समस्त देश में पत्र सूचना कार्यालय के 42 कार्यालय हैं। विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) से (ङ) पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों का पुनर्गठन, एक सतत् प्रक्रिया होती है जिसमें स्टॉफ की तैनाती को युक्तिसंगत बनाना, कुछ कार्यालयों को बन्द करना और नए बनाए गए राज्यों में नए कार्यालय स्थापित करना शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालयों की स्थापना के बारे में संगठन द्वारा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों आदि से संबंधित सूचना को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने की सुगमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।

अनुबंध

पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों की राज्य-वार संख्या

राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम

अंडमान एवं निकोबार (संघ शासित)

1. पोर्ट ब्लेयर

आन्ध्र प्रदेश

2. हैदराबाद

3. विजयवाड़ा

असम

4. गुवाहाटी

बिहार

5. पटना

चण्डीगढ़ (संघ शासित)

6. चण्डीगढ़

छत्तीसगढ़

7. रायपुर

गोवा

8. पणजी

गुजरात

9. अहमदाबाद

10. राजकोट

हिमाचल प्रदेश

11. शिमला

जम्मू एवं कश्मीर

12. जम्मू

13. श्रीनगर

कर्नाटक

14. बंगलौर

केरल

15. तिरुअंनतपुरम

16. कोच्चि

17. कोजिकोड

मध्य प्रदेश

18. भोपाल

19. इन्दौर

महाराष्ट्र

20. मुम्बई

21. नागपुर

22. नान्देड़

23. पुणे

मणिपुर

24. इम्फाल

मेघालय

25. शिलांग

मिजोरम

26. एजवाल

नागालैण्ड

27. कोहिमा

उड़ीसा

28. भुवनेश्वर

29. कटक

पंजाब

30. जालन्धर

राजस्थान

31. जयपुर

32. कोटा

33. जोधपुर

सिक्किम

34. गंगटोक

तमिलनाडु

35. चेन्नई

36. मदुरै

त्रिपुरा

37. अगरतला

उत्तर प्रदेश

38. लखनऊ

39. वाराणसी

40. कानपुर

उत्तरांचल

41. देहरादून

पश्चिम बंगाल

42. कोलकाता

उपर्युक्त के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय और एक सूचना केन्द्र दिल्ली में स्थित हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि गीताकृष्णन समिति की सिफारिशें क्या हैं, किनको क्रियान्वित किया गया और इनको क्रियान्वित करने के कारण क्या परिणाम निकले हैं। दूसरा सवाल यह है कि कौन-कौन से कार्यालय बंद कर दिये गये और किन कारणों से इन कार्यालयों को बंद किया गया?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, गीताकृष्णन समिति ने पी. आई.बी. के संबंध में यह अनुशंसा की थी कि राज्य की राजधानियों के दफ्तर रखकर बाकी सारे कार्यालय बंद कर दिए जाएं। हमने अपने यहां समीक्षा की और पाया कि 16 दफ्तर राज्य की राजधानियों के अलावा चल रहे थे, लेकिन हमारे लिए 16 के 16 दफ्तर बंद करना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं होता, लेकिन उनकी अनुशंसा को भी मानना था, इसलिए राज्यवार समीक्षा करके हमने 5 कार्यालय बंद करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें कटक, कोटा, नांदेड़, मदुरै और कोजीकोड, ये पांच कार्यालय आते हैं जिनका प्रस्ताव हमने भेजा है कि आपकी पूरी अनुशंसा मानने में हम समर्थ नहीं हैं, लेकिन ये पांच कार्यालय बंद करने का प्रस्ताव हमने दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : टीवी प्रसारण शुरू कर दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक तो टीवी नहीं चल रहा है, मेरे साथियों को शिकायत हो रही है, उनकी फोटो नहीं आ रही है, उसको चालू कर दें।

महोदय, मेरा प्रश्न है कि इन कार्यालयों को पुनः चालू करेंगे या नहीं यह बताएं। दूसरा, नए कार्यालय खोलने के बारे में आप

क्या विचार कर रहे हैं और यदि विचार कर रहे हैं तो कहां-कहां ये कार्यालय खोले जाएंगे, इस संबंध में बताएं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, जब मैंने कहा कि पांच कार्यालयों को बंद करने का प्रस्ताव दिया है, तो फिर पुनः चालू करने का सवाल नहीं है। क्योंकि पूरी समीक्षा करने के बाद 16 में से केवल पांच कार्यालय हमने ऐसे पाए जिनको हमने कहा कि बंद कर देंगे। जहां तक नए खोलने का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि गीताकृष्णन समिति की सिफारिशें थीं कि राज्य की राजधानियों में दफ्तर खोले जाएं। हमारे यहां तीन नवगठित राज्य आए हैं जिनमें से दो में – देहरादून और रायपुर में हम खोल चुके हैं। अभी झारखंड की राजधानी रांची में और खोलना है तथा ईटानगर अभी बचा हुआ है जहां दफ्तर नहीं है। इसलिए चार नए कार्यालय खोलने की बात की थी जिसमें से दो खुल चुके हैं तथा ईटानगर और रांची में और खुलेगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, इस प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर यह दर्शाता है कि सरकार अति सामान्य मामलों के प्रश्नों पर भी उत्तर देने से कतराती है। यह प्रश्न विशेषकर गीताकृष्णन समिति अर्थात् व्यय सुधार समिति की सिफारिशों से संबंधित है जबकि उत्तर में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार का पूरा जोर मंत्री महोदया के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कतिपय कार्यालयों को बंद करने के लिए ही है। जबकि दूसरी जगहों पर बहुत सा अनावश्यक व्यय किया जाता है। क्या यही समिति की सिफारिश थी और क्या सरकार इसी का पालन कर रही है? मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जहां सरकार उनके मंत्रालय के अंतर्गत कतिपय इकाइयों को बंद करने पर तुली हुई है उस बाबत वे क्या कर रहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं अपने माननीय सदस्य को यह कहूं कि हो सकता है कि लिखित जवाब में वे सारी चीजें नहीं आईं, लेकिन मौखिक रूप से जो उन्होंने पूछा, सारे सदन के सामने वह पूरा उत्तर मैंने दिया है। उन्होंने पूछा कि गीताकृष्णन समिति की अनुशंसा क्या थी, यह भी बताया, उसको हमने कितना माना, यह भी बताया, क्यों माना यह भी बताया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का संकोच माननीय सदस्य को इस बारे में रहा होगा।

श्री पवन कुमार बंसल : क्यों माना, आपने यह नहीं बताया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्यों माना, यह उन्होंने पूछा ही नहीं। . . .*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अब पूछ लेता हूं. *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सांसद का यह सवाल है कि वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को कम करने के मामले में सारे मेरे ही यूनिट बन्द करने की बात है, तो मैं किसी रिफार्म्स के बारे में, जो एक आयोग बना है, उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बहुत सीधी जानकारी माननीय सांसद को भी होगी कि उन्होंने हमारी सारी यूनिट्स को बन्द करने की अनुशंसा की थी, हमने उसको नहीं माना है। हम यह मानते हैं कि हमारे अंडर में चलने वाली मीडिया इकाइयों की क्या उपयोगिता है और इसलिए बिन्दुवार एक-एक इकाई की उपयोगिता बताते हुए, उनमें से हम कितनी कम कर सकते हैं, यह बताते हुए, ए.आर.सी. की रिकमेंडेशन पर हमने अपना जवाब दिया है और मुझे लगता है कि वह जवाब वित्त मंत्रालय द्वारा मान लिया गया है। इसलिए हम कोई भी मीडिया इकाइयां बन्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको राइट साइजिंग करने के लिए, उनके स्टाफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइजेशन करने के लिए हम गीता कृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप जो कुछ कर सकते थे, वह हमने किया है और उसके लिए हमने उनसे कहा है। हमने क्या रैशनलाइज किया है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो वह संसद और सदन के सामने रख दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, वे पूछना नहीं चाहते हैं, मैं उनकी ओर से पूछना चाहता हूं। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.एस. गढ़वी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैडम कोटा का दफ्तर बन्द नहीं किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन माननीय सदस्य पूछें तो सही। श्री रघुवीर सिंह कौशल जी तो पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री पी०एस० गढ़वी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पी.आई.बी. के जो आफिस हैं, वे केवल दो जगह हैं, एक अहमदाबाद में और दूसरा राजकोट में। गुजरात का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और कच्छ बार्डर का एरिया है। जब कच्छ में इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो पी. आई.बी. के आदमी राजकोट और अहमदाबाद से जाते हैं जिस पर सरकार का काफी खर्च होता है। इसलिए कच्छ में पी.आई.बी. का आफिस खोलने की कई जगह मांग हुई है। इसलिए क्या मंत्री महोदय कच्छ में पी.आई.बी. का एक कार्यालय खोलने पर विचार करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले सवाल के जवाब में यह बताया था कि गीता कृष्णन समिति की सिफारिशात के अनुसार हम राज्य की राजधानी के अलावा कहीं भी दूसरी जगह दफ्तर नहीं रख सकते और जैसी समिति ने अनुशंसा की है, यदि मैं उसे मानूं तो राजकोट का दफ्तर भी बन्द करना पड़ेगा, लेकिन हमने उसे बन्द नहीं किया है और जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि गुजरात में पहले ही दो स्थानों पर ये दफ्तर चल रहे हैं पहला अहमदाबाद में और दूसरा राजकोट में, इसलिए इस समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे लिए गुजरात में और दफ्तर खोलना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी. आई.बी. कार्यालय राज्यों की विशालता पर आधारित है और स्थान की महत्ता के आधार पर कार्यालय का बटवारा किया गया था। कई छोटे राज्यों में चार या पांच कार्यालय हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की विशालता को देखते हुए, यह मांग की गई है कि विशाखापत्तनम की महत्ता को देखते हुए, वहां एक कार्यालय होना चाहिए। एक प्रतिनिधिक कार्यालय वहां पहले काम कर रहा था उसे हटा दिया गया और बाद में यह वादा किया गया कि वहां एक कार्यालय खोला जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पाया गया कि विशाखापत्तनम में कार्यालय खोलना व्यावहारिक है और साथ ही इसकी महत्ता और राज्य की विशालता को देखते हुए एक पी.आई.बी. कार्यालय की शीघ्र स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, मुझे बार-बार अपना जवाब दोहराना पड़ रहा है। वास्टनेस ऑफ दी एरिया, इम्पोर्टेंट्स ऑफ दी सेंटर और सर्कुलेशन ऑफ पेपर जैसी सारी चीजें पहले थीं लेकिन जब गीता कृष्णन समिति आई और उसने यह तय कर दिया कि केवल राजधानी में दफ्तर रखिए और बाकी कहीं नहीं रखिए तो राजधानी के बाद उन 16 दफ्तरों में से पांच दफ्तर हमें खत्म करने पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में फीजिबिल्टी का सवाल नहीं है और इन नयी अनुशंसा के चलते कोई भी दफ्तर राजधानी के अलावा खोलना हमारे लिए संभव नहीं है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, वहां जरूरी है। . . .*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां, उन 16 दफ्तरों में से पांच दफ्तर बंद करने की बात तो फाईनली हो गई। जब एक्सपेंडीचर रिफार्म कमीशन यह कह रहा है कि खर्चा घटाइये और राजधानी के बाद कहीं मत रखिए, तो आखिरकार नया दफ्तर खोलने के लिए पैसा लेना पड़ता है। अब वित्त मंत्रालय क्यों हमें पैसा देगा जब उनके पास समिति की ऐसी सिफारिश है।

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : पहले से ही 42 कार्यालय अस्तित्व में हैं. . .*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मामला अभी के लिए है। इन 16 कार्यालय में से हम केवल 5 कार्यालय बंद कर रहे हैं. . . *(व्यवधान)*

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन : महोदय, माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि मदुरै का कार्यालय बंद किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह दिल्ली से सर्वाधिक लम्बी दूरी है तथा डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. के मेरे विद्वान मित्र इस प्रकार की कोई मांग नहीं करेंगे।

महोदय, मदुरई स्थित कार्यालय को बंद कर दिये जाने पर केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार वहां तक कैसे हो सकता है? अब, मंदिरों और अन्य चीजों के बारे में प्रचार हो चुका है। कार्यक्रमों के बारे में क्या होगा तथा वे बिल्कुल दक्षिण में किस प्रकार से कार्यक्रमों को प्रचारित करने जा रहे हैं? वे इसे बंद करने जा रहे हैं किन्तु डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. के सदस्य शांत हैं. . .*(व्यवधान)* उनकी वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा है. . .*(व्यवधान)* वे सरकार में क्यों हैं?. . .*(व्यवधान)* वे इसके लिए नहीं कह रहे हैं, तथा इसे बंद होने दे रहे हैं।. . .*(व्यवधान)* यह वहां पिछले तीस वर्षों से अस्तित्व में है. . .*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, कांग्रेस के लोगों ने दक्षिणी भारत को पूर्णत: दूषित कर रखा है. . .(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया हमें अगले प्रश्न पर चर्चा करनी है।. .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, यही परेशानी है।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, प्रश्न से इसका क्या संबंध है?. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री चैको : उन्हें डी.एम.के. अथवा एम.डी.एम.के. के कंधों पर बैठना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही मेरी समस्या है। यदि आप यहां से कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वे भी वहां से बोलना शुरू कर देते हैं तथा यदि वे वहां से कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं तो आप वहां से बोलना शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि वे प्रश्न काल को उकसाने वाला मंच न बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप मेरी मदद कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो बाकी दफ्तर भी हम बंद कर रहे हैं, वे किसी की मांग पर नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि हमें बहुत मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ रहा है क्योंकि जब गीता कृष्णन कमेटी यह कहती है कि स्टेट कैपीटल में रखिए और बाकी सारे दफ्तर बंद कर दो तब नया दफ्तर खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन 16 में से बहुत सोच कर हमने पांच दफ्तर निकाले हैं लेकिन यह कहना कि हम इन्फार्मेशन को डिससेमीनेट कैसे करेंगे या बाकी की पब्लिसिटी कैसे होगी तो जिन जगहों पर दफ्तर नहीं हैं, पब्लिसिटी वहां की भी हो रही है। डिससेमीनेशन ऑफ इनफार्मेशन केवल वहां नहीं होता जहां पी.बी.आई. के आफिसेस होते हैं बाकी जगह भी डिससेमीनेशप ऑफ इनफार्मेशन हो रहा है। आजकल जिस तरह की वीडियो कॉनफ्रेंसिंग कम्प्यूटर आदि फैसिलिटीज हैं, वहां केवल मैन टू मैन कांटेक्ट के कारण ही पब्लिसिटी है, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि मशीन बैस्ड पब्लिसिटी ज्यादा करें।

[अनुवाद]

श्री चैको : महोदय, कृपया आप माननीय सदस्य द्वारा की गयी उस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी जानकारी चाहता हूं, आपने सावल का जो जवाब दिया है, उसमें कमेटी की रिपोर्ट नहीं लगाई है, इसमें कोटे के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसे बंद करने जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि बंद न हो। हम आपके विचार सुनना चाहते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैंने बताया कि इसमें कमेटी की रिपोर्ट लगाना नहीं बनता था लेकिन हमने जो पांच कार्यालय बंद करने के लिए प्रस्तावित किए हैं, उसमें कोटा है और चूंकि राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में पहले से ही दो दफ्तर चल रहे हैं और तीन दफ्तरों में से एक दफ्तर बंद करने का हमने प्रस्ताव किया है और उसमें कोटा बंद होने जा रहा है।...(व्यवधान)

ईरान से जाने वाली तेल पाइपलाइन का मार्ग

+

*163. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, विशेषत: वहां पर आटोमोटिव ईंधन के रूप में सी.एन.जी. के उपयोग का विकास करने के बड़े पैमाने पर सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना को एक नया अवसर प्राप्त हुआ है और ईरान ने भी अपने देश में भारत की सरकारी तेल फर्मों द्वारा इक्विटी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करने का भी वचन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो हाल ही में ईरान के मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना एक चालू कार्यक्रम है जिसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। भारत सरकार ने ईरान में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) श्रृंखला और तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में भारतीय तेल कंपनियों की भागीदारी के लिए राजनयिक चैनल के माध्यम से ईरान के इस्लामी गणराज्य की सरकार से अनुरोध किया है। ईरान के इस्लामी गणराज्य की सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) ईरानी प्रतिनिधिमण्डल के हाल में भारत के दौरे के दौरान गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) और नेशनल इरानियन आयल

कंपनी (एन.आई.ओ.सी.) के साथ 17 जनवरी, 2002 को एक नये सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें गैस और सम्बद्ध क्षेत्र को परस्पर सहयोग के लिए शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अनेक वर्षों में भारत में हमने अपने देशी साधनों और संसाधनों से पेट्रोलियम उत्पादों और ईंधन के मामले में स्वावलम्बिता के प्रयास जरूर किए हैं लेकिन इसके बावजूद यह बातें तथ्य हैं कि आज भी बाहर से पेट्रोलियम संसाधनों और ईंधनों को आयात करने पर बड़ी भारी मात्रा में खर्च करना पड़ रहा है। संभवत: इसी पृष्ठभूमि में ईरान और भारत के बीच एक परियोजना पर विचार हुआ है और उस परियोजना के तहत ईरान से भारत तक एक पाइप लाइन के जरिए लिक्विफाइड गैस लाने और पेट्रोलियम उत्पादों को यहां लाकर प्रोसैसिंग करने और ईरान में भारतीय कम्पनियों का ईरान की कम्पनियों के साथ सहयोग से वहां भी विकास के काम करने का प्रस्ताव था। मंत्री जी ने इस संबंध में जो उत्तर दिया है, मैं उस संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव के तहत दो विकल्पों पर चर्चा हुई थी – एक विकल्प यह था कि ईरान से वह गैस पाइप लाइन जमीन के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा के भीतर से होते हुए भारत तक आए और दूसरा प्रस्ताव यह था कि भौगोलिक स्थिति के कारण अरब सागर के अंदर से उस पाइप लाइन को पानी के अंदर सबमर्जड पाइप लाइन के रूप में वहां से भारत तक लाया जाए। अध्ययन करने के उपरान्त इन दोनों विकल्पों में रिस्क फैक्टर, लागत और उसकी उपयोगिता को दिमाग में रखते हुए किस विकल्प को उपयुक्त पाया गया और किन कारणों से पाया गया?

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विकल्पों का इस समय ईरान की नैशनल कम्पनी और भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इकट्ठे होकर अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के तहत यदि केवल पैसे की बात है तो जमीन से जो आएगा, वह सस्ता होगा लेकिन जमीन से जो आता है, उसके साथ और भी कुछ बातें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह गैस हमारे देश की सीमा तक सुरक्षित आनी चाहिए। इस भूमिका में चर्चा चल रही है और दोनों विकल्पों में कितना खर्च आएगा, उसके बारे में अध्ययन चल रहा है। उन्होंने वह अध्ययन कनसल्टैंट्स को काम देकर शुरू किया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मंत्री जी ने उन कारणों का उल्लेख नहीं किया जिनकी मैंने मांग की थी कि किन कारणों से किन विकल्पों को अधिक उपयुक्त माना जा रहा है लेकिन आपने कहा कि अभी अध्ययन प्रगति पर है, पूरा नहीं हुआ है और आपको उसके निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए हैं। ईरान और भारत के बीच जो परियोजना है, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत और ईरान के बीच उस परियोजना को क्रियान्वित करने के मामले में कुछ बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक मतभेद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से बिन्दू हैं जिन पर आपके मतभेद हैं और दूसरी बात, जनवरी की 17 तारीख को ईरान का एक डैलीगेशन यहां आया था और संभवत: उस डैलीगेशन के साथ परियोजना के संदर्भ में भारत सरकार की विस्तार से चर्चा हुई है। उन बिन्दुओं पर, जिन पर भारत और ईरान के बीच मतभेद हैं, डैलीगेशन के साथ चर्चा में क्या उपाय किए गए कि उन बिन्दुओं का निराकरण किया जा सके?

श्री राम नाईक : एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई मतभेद नहीं हैं। जब ईरान के मंत्री यहां आये थे तो उनके साथ मैंने ही चर्चा की थी और इसलिए वे यहां 15 जनवरी, 2002 को आये थे और इसमें से दोनों प्रकार के विकल्पों की हमने चर्चा की। चर्चा के बाद, जैसा मैंने प्रारम्भ में बताया कि गैस एथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी के बीच 17 जनवरी को मैमोरेण्डम ऑफ कोआपरेशन साइन हो गया। उसमें भारत और ईरान अलग-अनग बातों में कैसे सहायता कर सकते हैं, उसके कौन से बिन्दु होने चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद यह हस्ताक्षर हुए हैं। मोटे तौर पर इसमें जो बातें हैं, वे यह हैं कि पाइपलाइन से गैस कैसे लाई जा सकती है, ईरान में जाकर हम उनको कैसे सहायता दे सकते हैं, क्योंकि तुलना करनी है तो ईरान और भारत में भारत टेक्नोलॉजीकली उनसे आगे है। भारत वहां सी.एन.जी. के उपयोग के लिए और सी.एन.जी. के ऑटोमोबाइल के उपयोग के लिए उनको जानकारी दे सकते हैं और ऐसे 5-6 एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग के बारे में भी काम कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके एक तुरन्त परिणाम के रूप में सी.एन.जी. का वाहनों के लिए उपयोग किस प्रकार से हिन्दुतान में दिल्ली और मुम्बई में किया जाता है, उसकी अधिक जानकारी लेने के लिए उनका एक प्रतिनिधिमण्डल अगले सप्ताह में यहां आ रहा है और कोआपरेशन का जो सिलसिला है, वह ठीक ढंग से अपने रास्ते पर चल रहा है। जमीन पर आने से कठिनाइयां हैं, यह मैंने संक्षेप में बताया, क्योंकि दूसरी मुद्दे की बात यह है कि हमारी सीमा तक यदि वह गैस आती है और उसकी सुरक्षा में दो बातें हैं कि किसी कारण से यदि वह गैस नहीं आती है तो अपने देश में जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल लोग अलग-अलग कारखाने लगाएंगे, उसमें अचानक गैस आनी बन्द हो गई तो क्या करेंगे। इसलिए इसको टैक्नीकल रिस्क हम कह सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिस्क है, वे कैसे गारण्टी करेंगे, उसका इन्श्योरेंस कैसे होगा और इस प्रकार की लांग टर्म सिक्योरिटी ऑफ अनइंटरप्टेड सप्लाई, यह सबसे महत्व की बात है और इस भूमिका में इसकी चर्चाएं चल रही हैं।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो सिलसिला है, वह हम आगे ठीक प्रकार से बढ़ा रहे हैं और हमको सफलता मिलेगी।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, यह आपका तीसरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दू है। ईरान के अलावा आपके अन्य देशों से भी पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम तकनीक के मामले में बहुत समझौते हुए हैं। यह ज्ञात हुआ है और ये रिपोर्टें भी प्रैस में व्यापक रूप से आई हैं कि कुछ ऐसे सैद्धान्तिक बिन्दु हैं, जिन पर ईरान ने आपत्ति उठाई है और उसने कहा है कि रूस और ईराक जैसे देशों के साथ जिन सिद्धान्तों के आधार पर आपने पूर्व में सहयोग के समझौते किये हैं, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ईंधन के विकास के क्षेत्र में, उनकी अनदेखी की जा रही है, इसलिए अनुरोध है कि क्या ऐसी स्थिति है, उसका स्पष्टीकरण चाहिए?

श्री राम नाईक : इस प्रकार का कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं है। माननीय सदस्य को जो जानकारी है, उससे लगता है कि वह अखबारों के आधार पर मिली है, इसलिए वह सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि ईरान के साथ जो हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है क्या उसके लिए ये दीर्घकालिक संभावनाएं व पूर्वापेक्षाएं उत्तरदायी हैं। हमें यह जानना है कि कौन इस पूरी परियोजना के लिए धन मुहैय्या कराने जा रहा है।

इस तथ्य से हम सभी वाकिफ हैं कि ईरान में क्या हो रहा है तथा ईरान किस प्रकार के प्रतिबन्धों का सामना कर रहा है। ईरान धन देने नहीं जा रहा है। इसलिए, क्या मैं यह समझूं कि भारत सरकार इस परियोजना के लिए धन मुहैय्या कराने जा रही है। यदि संभाव्यता अध्ययन किया जा चुका है तो इसके कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? आप लम्बे समय से इसका अध्ययन कर रहे हैं और तब से परिस्थितियां काफी बदल गयी हैं।

हम विकल्पों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हम आश्वस्त हैं कि यह सी.एन.जी. की तुलना में एक सस्ता विकल्प है। हम सउदी अरब और कतर पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार इस बात के लिए उत्तरदायी बनी रहेगी कि इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय नहीं रहने के बावजूद हम विभिन्न सी.एन.जी. 'आउटलेट्स' क्यों खोले जा रहे हैं।

मैं सबसे पहले यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार के पास धन है ताकि वह इस प्रकार की परियोजना को प्रारंभ कर सके।

श्री राम नाईक : महोदय, हम उस धनराशि की जिसे हमें खर्च करने की आवश्यकता होगी की गणना सिर्फ तभी कर सकते हैं जब तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट आती है तथा तत्संबंधी बजट अनुमानों की गणना कर ली जाती है। सिर्फ इसी के लिए, ईरानी कम्पनी और गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सम्मिलित रूप से सलाहकार नियुक्त किए हैं। इसलिए धनराशि का पता उसी समय चल पाएगा।

दूसरे मुद्दे के बारे में कि हम दूसरे देशों से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हमने सफलतापूर्वक कोशिश की है। हमने कतर के साथ 25 वर्षों के लिए आपूर्ति समझौता किया है। भारत में, हमने पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड का गठन किया है जिसके माध्यम से 7.5 मिलियन मैट्रिक टन इसी प्रकार की गैस भारत आयेगी। हम दाहेज में एक टर्मिनल का निर्माण करवा रहे हैं और व्यवहार रूप में 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। यह टर्मिनल वर्ष 2003 के अंत तक कार्य करने लगेगा। इसी प्रकार की अन्य 2.5 मिलियन मैट्रिक टन गैस केरल के कोच्चि से प्राप्त होगी। इस प्रकार, ये चीजें की जा रही हैं। दोहज से यह गैस निश्चित रूप से दिसंबर 2003 तक आने लगेगी तथा यह सम्पूर्णत: अपने देश को प्राप्त होगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने यह जवाब नहीं दिया कि परियोजन कब तक उनके हाथ में आ जाएगी, इस पर कितनी लागत आएगी, संभाव्यता रिपोर्ट हेतु कब से आंरभ की जा रही है तथा यह कब तक पूरा हो जाएगी।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह चर्चा कई वर्षों से चल रही है। यह सबको पता है। समझौता ज्ञापन के बाद सहयोग ज्ञापन अगला कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास ऐसा कोई संकेत है कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री राम नाईक : महोदय, मैं यही बता रहा हूं। अब सलाहकारों को नियुक्त कर दिया गया है। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा परन्तु इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। हमारा प्रयास होगा कि हम इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, यह प्रश्न ईरान से तेल पाईप लाइन के रास्ते के संबंध में है। मैं बांग्लादेश से आनेवाली गैस पाइप लाइन के रास्ते के बारे में जानना चाहता हूं जो कि चिरलम्बित परियोजना है। आप एक ओर तेल और डीजल की कीमतें घटा रहे हैं परन्तु घरेलू उपयोग के एल०पी०जी० की कीमत 40 रुपये प्रति सिलिन्डर बढ़ा रहे हैं। इसलिए, मेरा प्रश्न है कि अद्यतन प्रगति क्या है तथा इसकी वर्त्तमान स्थिति क्या है। बांग्लादेश से गैस पाइपलाइन हेतु

रास्ते के लिए प्रस्ताव है जो हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरा, क्या आपके विभाग ने आम जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय से घरेलू उपयोग के एल०पी०जी० की कीमत घटाने हेतु कोई अनुरोध किया है।

श्री राम नाईक : महोदय, इन दोनों मुद्दों का निश्चित तौर पर सीधा संबंध नहीं है, किन्तु चूंकि आपने प्रश्न की अनुमति दे दी है, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है हम उनसे गैस आयात करना चाहते हैं किन्तु अभी तक बांग्लादेश ने अपने देश से गैस का निर्यात करने का निर्णय नहीं लिया है। परन्तु इस कार्य को यथाशीघ्र कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। इस प्रकार हम बांग्लादेश सरकार को मना रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि दिसंबर, 1996 में श्री जसवंत सिंह ने विदेश सचिव को पाकिस्तान से होकर जमीन के रास्ते से गुजरनेवाली इंडिया-ईरान गैस पाइपलाइन की सुरक्षा पेचीदगियों के बारे में अध्ययन कर रहे संयुक्त भारत-पाक अध्ययन दल की रिपोर्ट सौंपी थी तथा अनुशंसा की कि भूमिगत रास्ते की तुलना में जमीन के ऊपर के रास्ते को प्राथमिकता दी जाए? सरकार पाकिस्तान को शामिल किए बगैर जमीन के ऊपर के रास्ते (ओवरलैन्ड रूट) की संभाव्यता का आकलन करने का प्रयास कर रही है अथवा पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है।

श्री राम नाईक : महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है क्योंकि यह वर्ष 1996 की है। परन्तु अनुपूरक प्रश्न के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा परिस्थितियां काफी बदल गयी हैं। यही कारण है कि विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है तथा यह एक पहलू है। हम इस बात को अनदेखा कैसे कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि गैस हमारी सीमा पर सुरक्षित प्राप्त हो—यह हमारी मुख्य चिन्ता का विषय है तथा सिर्फ इसी आधार पर सर्वेक्षण किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, रिप्लाई में लिखा है एनआईओसी ने एक फ्रैश मैमोरेंडम साइन किया है तो इस फ्रैश मैमोरेंडम को हम जानना चाहेंगे कि पहला एमओयू कब बना था और क्या बना था और इस फ्रैश में और उस पहले वाले में क्या डिफरेंस है? फ्रैश एमओयू बनाते समय यह जो कारगिल की और जो परिस्थिति निर्माण हुई है या जो गवर्नमेंट ने लिबरेलाइजेशन की पॉलिसी ऑयल सैक्टर ओपन आउट कर दी है तो फिर "गेल" में क्या हैवी इंवेस्टमेंट विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन करने की आवश्यकता है?

श्री राम नाईक : 'गेल' तो इंवेस्ट इसलिए करेगा कि देश को गैस की आवश्यकता है और देश में जो गैस आएगी, उसमें से कॉमर्शियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल "गेल" से नही आएगा और इसलिए जब पता चलेगा कि इस काम में कितना खर्च होने वाला है, कितनी पूंजी की लागत आने वाली है तो उसके बाद उसके बारे में निर्णय होगा। पहली बात जो माननीय सदस्यों ने पूछी, उसकी डेट पहले की नहीं है लेकिन जो फ्रैश है, उसके करने का मुख्य कारण यह हुआ था कि जो मैमोरेंडम ऑफ को-ऑपरेशन है, पहला मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, तो मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो मायनों में इंकार हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए। अब यह होने के बाद प्रत्यक्ष आपूर्ति करने के लिए मैमोरेंडम ऑफ को-आपरेशन पर हस्ताक्षर किया जाता है।

[अनुवाद]

समझौता ज्ञापन में जो कुछ भी कहा गया है उसका अब हम कार्यान्वयन शुरू कर रहे हैं।

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि भारत सरकार और ओमान सरकार के बीच इस प्रकार की तेल और गैस पाइप लाइन योजना हेतु एक मुद्दे पर समझौता पहले ही हो चुका है। मुझे पता नहीं है कि वह समझौता अभी किस चरण में है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह अभी भी अस्तित्व में है अथवा सरकार ने इसे त्याग दिया है। यदि सरकार ने इसका त्याग नहीं किया है तो इसके कार्यान्वयन में सरकार के लिए रुकावट क्या है? क्या यह वित्तीय बाधा है अथवा तकनीकी संभाव्यता का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है। मैं इसके बारे में पूरा ब्यौरा जानना चाहता हूं। ओमान और भारत के बीच इस परियोजना के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। परन्तु अभी भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है यह खास परियोजना लम्बे समय से चर्चा में रही है। अंततः हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह खास परियोजना तकनीकी रूप से संभव तथा वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। इसलिए इस खास परियोजना को त्यागने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह कि जो पाइपलाइन ईरान से भारत आने वाली है, जो पैट्रोलियम पदार्थ हैं, उसके रास्ते के संबंध में है और वह चिंता यह है कि यह पाइपलाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं से उस क्षेत्र से होकर यह पाइपलाइन

आनी है या नहीं आनी है और अगर आनी है तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2003 तक जो समझौते हुए हैं, ये काम हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सन् 2003 तक कैसे हो जाएगा और अगर दोनों देशों से आना है तथा उसी रास्ते से आना है तो आप कैसे इस काम को 2003 तक कर लेंगे?

श्री राम नाईक : मैंने ऐसा नहीं कहा कि काम पूरा होने वाला है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है, वह रिपोर्ट आई है, क्योंकि समुद्र से तीन कि.मी., चार कि.मी. जहां पानी की गहराई है, वहां पाइपलाइन कैसे डालनी है, कौन से रास्ते से डालनी है, समुद्र के नीचे से कैसे यह सारा जो अभ्यास है और यह अभ्यास टैक्नीकली फीजिबल है या नहीं और यदि टैक्नीकली फीजिबल है तो अंदाज कितने खर्चे का आएगा? इसकी जानकारी 2003 तक आएगी। मैंने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पैट्रोनेट एलएनजी द्वारा कतार से हिन्दुस्तान में एलएनजी गैस लाने के लिए प्रोजैक्ट है। इस संबंध में मैंने कहा है कि प्रोजैक्ट पूरा हो रहा है। जो गैस जहां से आएगी, वह लिक्विफाई करके पाइप लाइन के जरिए आएगी।

श्री रामदास आठवले : महोदय, इंडिया और ईरान के बीच इस प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए कितना खर्च आएगा? इस प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कब तक कदम उठायेंगे, जब तक यह सरकार है, तब तक यह प्रोजैक्ट पूरा होने वाला है या हमारी सरकार के आने के बाद पूरा होने वाला है?

श्री राम नाईक : महोदय, जो भी काम होगा, वह हमारी सरकार के होते हुए होने वाला है। उन्होंने पूछा है, इस प्रोजैक्ट पर कितना खर्च होगा, तो मेरे मन में यह बात आई कि सारी रामायण बताने के बाद पूछते हैं कि सीता कौन थी। माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल पूछा है। हम गम्भीरता को देखते हुए प्रयत्नशील हैं कि गैस जल्दी से जल्दी आए।

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

+

*164. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में बिजली की चोरी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हमारे देश में बिजली की अधिकांश चोरी केवल कृषि में होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिजली की चोरी का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) विश्व बैंक ने बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच में देश में बिजली चोरी के कारण होने वाली हानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बिजली चोरी के कारण होने वाली हानियां कृषि क्षेत्र समेत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच होती हैं। वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक रा०बि० बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा मूल्यांकित चोरी के कारण और अनाकलित हानियों समेत पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

विद्युत वितरण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और बिजली चोरी की रोकथाम, अवैध कनेक्शनों को हटाने संबंधी कार्य पावर यूटिलिटियों को करने होते हैं। तकनीकी व वाणिज्यिक कारणों से होने वाली हानियों में कमी को भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण व वितरण हानियों में कमी करने और विद्युत प्रणालियों की ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिजली चोरी समेत पारेषण व वितरण हानियों में कटौती के लिए उपयुक्त उपायों के निमित्त इन दिशा-निर्देशों को सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिचालित किया गया है।

ऊर्जा चोरी को रोकने के लिए विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

(क) सतर्कता दलों व फील्ड स्टाफ द्वारा आवधिक रूप से व्यापक जांच अभियान चलाए जाते हैं। इंजीनियरों की जिला यूनिट द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी निरोधी दल के सहयोग से अभियोग चलाया जाता है।

(ख) मीटरों को चोरी प्रूफ बनाया जाता है।

(ग) सूचना देने वालों को प्रोत्साहन के लिए एक स्कीम प्रचालन में है। पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन के जरिए ऊर्जा चोरी को रोकने के लिए वैयक्तिक योगदान की पहचान के लिए भी एक स्कीम तैयार की गई है।

(घ) प्रमुख भार केन्द्रों के लिए भार निरीक्षण अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ.) बिजली चोरी करने वालों के लिए कारावास की सजा भी दी जा रही है।

(च) बिल प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण की सहायता से उपभोक्ताओं की असामान्य खपत को रोका जा रहा है। यदि खपत औसत से 15% कम है तो मीटर छेड़छाड़ बिजली चोरी को रोकने के लिए मामलों का तत्काल निरीक्षण किया जाता है।

मौजूदा पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उच्चीकरण और ऊर्जा ऑडिट कार्यकलापों तथा चरणबद्ध ढंग से वितरण सर्किल में मीटरिंग समेत उप पारेषण व वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अन्तर्गत पावर यूटिलिटियों को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2001-01 के दौरान 1000 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई है। एपीडीपी के अन्तर्गत कार्यकलापों के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 1500 करोड़ रु० (बी इ) का परिव्यय उपलब्ध है। पहले चरण में उप पारेषण व वितरण प्रणाली में सुधार तथा उन्नयन और पारेषण एवं वितरण हानियों तथा बिजली चोरी में कमी के लिए 63 वितरण सर्किलों की पहचान की गई है।

अनुबन्ध

रा०वि० बोर्डों/विद्युत विभागों में अंतरण प्रतिशत, पारेषण व वितरण हानियां (चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों को मिलाकर)

क्र.सं.	क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
1.	हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04	35.33
2.	हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13	26.11
3.	जम्मू व कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95	47.64
4.	पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94	18.11
5.	राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41	29.53
6.	उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18	30.23
7.	चंडीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38	22.48
8.	डीवीबी (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91	43.71
पश्चिमी क्षेत्र								
1.	गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57	20.83
2.	मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58	19.87
3.	महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75	18.41
4.	दादरा व नागर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90	15.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.50	31.02	30.40
6.	दमन व दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69	21.83
दक्षिणी क्षेत्र								
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14	34.09
2.	कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31	30.45
3.	केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73	17.18
4.	तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29	17.22
5.	लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70	12.78
6.	पांडिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56	10.44
पूर्वी क्षेत्र								
1.	बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26	24.80
2.	उड़ीसा (ग्रिडको)	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10	36.72
3.	सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87	12.44
4.	पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.51	19.26	18.01	19.67	23.73
5.	अ० व नि० द्वीप	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59	20.03
उत्तर पूर्वी क्षेत्र								
1.	असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32	38.72
2.	मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09	59.55
3.	मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28	19.66
4.	नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79	26.52
5.	त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11	26.82
6.	अरुणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10	30.60
7.	मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84	44.79
अखिल भारत (यूटिलिटियां)		21.80	21.41	21.13	22.27	24.53	24.79	26.45

स्रोत - डी एम एल एफ प्रभाग, सी ई ए (सामान्य समीक्षा)

श्रीमती प्रभा राव : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर के अनुलग्नक-I में दिखाया गया है, अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। किए जा रहे उपायों के बावजूद हम यह क्यों पा रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अधिकांश वर्षों के दौरान पारेषण और वितरण हानियों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है?

दूसरा, मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का अलग-अलग लेखा-जोखा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाता ताकि चोरी का इल्जाम सिर्फ किसानों पर न लगे क्यों कि खासतौर पर मेरे राज्य, महाराष्ट्र में हम पाते हैं कि शहरी क्षत्रों में उद्योगपतियों द्वारा बिजली की जितनी चोरी की जाती है बिजली की उतनी चोरी कृषि क्षेत्र में नहीं होती। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में जवाब देने का अनुरोध करती हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह पूर्णत: सत्य है कि हमारे पास ऐसी प्रणाली नहीं है जो बिजली की पारेषण और वितरण हानियों का क्षेत्र के आधार पर सही-सही आकलन कर सके। यही कारण है कि भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम नामक इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू किया है। यह विद्युत क्षेत्र के वितरण क्षेत्र में पूर्ण परिवर्त्तन लाने का एक हिस्सा है। यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है। अब हम सभी राज्यों को इस तरीके से लक्ष्य बना रहे हैं कि भारत में प्रत्येक विद्युत सर्किल को व्यावसायिक ईकाई तथा प्रत्येक वितरण पोषक (फीडर) को लाभ अर्जित करनेवाले केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हम हर एक लाभ अर्जित करनेवाले केन्द्र का उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहते हैं ताकि उस खास पोषक (फीडर) पर होने वाली पारेषण और वितरण संबंधी हानियों का सही-सही पता लगाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, हम उस व्यक्ति को खास उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं जो संबंधित वितरण पोषक (फीडर) के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है।

इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पहले चरण में भारत में 63 सर्किलों का चयन किया है जहां भारत सरकार पारेषण तथा खास तौर पर उप-पारेषण और वितरण में परिवर्त्तन लाने हेतु अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि उप-पारेषण और वितरण पूर्णत: राज्य विद्युत बोर्डों का उत्तरदायित्व है तथा राज्य विद्युत बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकारों की लचर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये उपाय किए हैं। महोदय यह सच है कि हम जिन उपायों को अपना रहे हैं वे अपनाने ही होंगे ताकि इस कार्य को करना संभव हो सके।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का दूसरा भाग दुर्भाग्यवश सच है कि हम देश में होनेवाली बिजली की चोरी का आक्षेप गरीब किसानों पर लगाते हैं। मैं यह नहीं समझता हूं कि हम वास्तव में उनपर दोषारोपण कर सकते हैं क्योंकि बिजली चोरी के लिए सिर्फ कृषि क्षेत्र पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती प्रभा राव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री उस प्रणाली को कब तक लागू करने जा रहे हैं जिसमें उन शीर्षों, जिनके तहत राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जाते हैं, को अलग-अलग रखा जाएगा तथा तदनुरूप सूचना सम्मानीय सभा में प्रस्तुत की जाएगी?

श्री सुरेश प्रभु : जैसा कि मैंने बताया हम लोग इस प्रकार की एक प्रणाली पहले से ही लागू कर रहे हैं तथा आशा है कि यह प्रणाली हमें वे सभी ब्यौरे उपलब्ध करायेगी जिनकी जो हमें चाहिए . . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

केबल टी.वी. पर प्रदर्शित होने वाले अश्लील कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

*165. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री नागमणि :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 16 मार्च, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैशन टी.वी. (एफ.टी.वी.) चैनल केबल टी.वी. पर अब भी दिखाया जा रहा है;

(ख) क्या इस चैनल पर केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बनाई गई कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन कर लगातार अश्लील कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त चैनल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और बच्चों तथा किशोरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे चैनल कितने हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपनी संस्कृति और परम्परा के दृष्टिगत ऐसे चैनलों पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केबल नेटवर्क के माध्यम से उपग्रह चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात् जिलाधिकारियों, उप-प्रभागीय दण्डाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(घ) एम एस ओ तथा केबल आपरेटरों द्वारा उपग्रह चैनलों को सीधे प्राप्त किया जाता है और केबल नेटवर्कों के माध्यम से वितरित किया जाता है। ऐसे चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है।

(ङ) किसी चैनल के किसी कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुसार न होने संबंधी किसी विशिष्ट शिकायत के मामले में कार्रवाई करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक एवं/या वांछनीय सलाह देने के लिए सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति गठित की है।

[अनुवाद]

इंटर-सिटी मार्ग पर प्राइवेट यात्री रेलगाड़ियां

*166. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विचार इंटर-सिटी मार्ग पर प्राइवेट यात्री रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने इस प्रकार की रेल सेवा की उपयोगिता की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों की गति में समग्र रूप से सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) माल एवं सवारी गाड़ियों की गति में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। माल गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए हाल ही में, 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति की क्षमता वाले माल डिब्बों को चलाया गया है।

विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*167. **श्री ए० कृष्णास्वामी**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित प्रणाली आरंभ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समेत निजी क्षेत्र भागेदारी के जरिए विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए नीति की घोषणा वर्ष 1991 में की गई थी। यह घोषणा क्षेत्र में पूंजीगत खपत अधिक होने तथा अधिक मात्रा में क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होने को ध्यान में रखते हुए एकेले सरकार की पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थता के मद्देनजर की गई थी। भारत सरकार (जी.ओ. आई.) ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 43ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30.3.1992 को टू पार्ट टैरिफ अधिसूचना जारी की थी जिसमें निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादक कंपनियों को उनके द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रचालन के नियामक स्तरों अर्थात 68.5% संयंत्र भार घटक पर इक्विटी (प्रदत्त एवं अंशदत्त) पर 16% प्रतिफल की अनुमति प्रदान की गई है। इस स्तर से अधिक के विद्युत उत्पादन के लिए पी.एल.एफ. में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए इक्विटी (प्रदत्त एवं अंशदत्त) की 0.7% सीमा की शर्त पर सहमत दरों पर प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। स्वत: अनुमोदन आधार पर विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में बिना किसी उपरी सीमा के 100% विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है। केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत विनियामक

आयोग और उन्नीस राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की गई है। विनियामक आयोग टैरिफ निर्धारण के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और निवेशकों के लिए एक उपयुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान करेगा।

पारेषण क्षेत्र के संबंध में निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० सभी प्रारंभिक स्वीकृतियों जैसे मार्गाधिकार, वनस्वीकृतियों इत्यादि को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता है। सरकार पारेषण में निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए पहले ही अधिकारिक कानूनी संशोधन कर चुका है। सभी प्रतिभागियों के लिए एक उपयुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान करने के लिए विनियामक कार्यढांचा भी तैयार कर लिया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने निजी निवेशकों को लाइसेंस जारी करने संबंधित शर्त व निबंधन तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी कर दिया है।

विद्युत वितरण का निजीकरण क्षेत्र के आधार पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसके अंतर्गत लाइसेंस विभिन्न क्षेत्रों को जारी किए जाएंगे। जी.ओ.आई. ने वितरण सुधार आरंभ किए हैं और 20 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत राज्यों ने पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने, 100% मीटरिंग करने, ऊर्जा लेखा परीक्षा करने इत्यादि की वचनबद्धता प्रदान की है। बाद में, जी.ओ.आई. ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्यों को सहायता देना प्रस्तावित किया है। प्रथम चरण में उप पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के व्यापक उच्चीकरण किए जाने हेतु विभिन्न राज्यों में 63 वितरण सर्किलों को लिया गया है। देश में शेष वितरण सर्किलों में यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने और वितरण प्रणाली में सुधार संबंधी कार्यक्रम से निवेश के लिए पर्याप्त अवसर पैदा होंगे, क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार और पुनर्संरचना की गति बढ़ गई है।

तेल कम्पनियों को देय राशि

*168. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल कम्पनियों की 80 प्रतिशत बकाया देय राशि जो कि 12,000 करोड़ रुपये है, को सात वर्षीय बांड जारी करके प्रतिभूति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली की समाप्ति के परिणामस्वरूप तेल पूल खाते से तेल कम्पनियों के संचयी बकायी निम्नानुसार समाप्त किए जाएंगे :

1. सरकार 31 मार्च, 2002 तक निपटाए गए दावों के आधार पर पूल घाटे की अनंतिम धनराशि के बराबर धनराशि के 80 प्रतिशत की सीमा तक सात वर्ष की अवधि के बांड जारी करेगी।

2. उन दावों को छोड़कर जो बाद में आकस्मिक देयताओं के स्थायी रूप धारण करने के बाद उत्पन्न होते हैं, एक बार तल पूल खाते से सभी दावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से तेल पूल खाते की एक विशेष लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा।

3. तेल कंपनियों को देय बकाया धनराशि, लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त करने के बाद शेष धनराशि के लिए सात वर्ष की अवधि के बांड जारी करके समाप्त की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा ऊपर पैरा (क) और (ख) के तहत दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम क्षेत्र हेतु विनियामक प्राधिकरण

*169. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गिरावट का सामना कर रहे पेट्रोलियम क्षेत्र हेतु एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे;

(ग) विनियामक प्राधिकरण का गठन कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केलकर समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को पूरी तर लागू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अभी भी विचाराधीन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 21 नवम्बर, 1997 का सरकारी संकल्प अधिसूचित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नियामक व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान है। डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नियामक बोर्ड की स्थापना अभी की जानी है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विद्युत का उत्पादन

*170. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) ने वर्ष 2010 तक 16,810 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा प्रस्तावित निवेश और निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) इनसे कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त योजनाओं में केन्द्र सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ङ) नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए 5310 मे.वा. तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए 10341 मे.वा. की एक अनंतिम क्षमता अभिवृद्धि योजना तैयार की है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन योजनाओं में कुल 1480 मे.वा. के लिए निर्माणाधीन स्कीमें शामिल हैं और कुल 2420 मे.वा. के लिए परियोजनाएं राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तावित की गई हैं। भारत सरकार द्वारा अभी 10वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों को अंतिम रूप प्रदान किया जाना है। एन.एच.पी.सी. ने 10वीं और 11वीं योजना के लिए क्रमश: 37780 करोड़ रुपये और 54947 करोड़ रुपये का अनंतिम परिव्यय प्रक्षेपित किया है।

विवरण

10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान एन.एच.पी.सी. द्वारा निष्पादित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
क.	**परियोजनाएं जिन्हें 10वीं योजना में पूरा किया जाना है**	
1.	दुलहस्ती	390
2.	चमेरा-II	300
3.	धौलीगंगा-I	280
4.	तीस्ता-V	510
ख.	**नई परियोजनाएं**	
5.	फरक्का बैराज	125
6.	तीस्ता लो डैम चरण-III	132
7.	तीस्ता लो डैम चरण-IV	168
8.	सेवा-II	120
9.	बाव-I	18
10.	बाव-II	37
11.	अपर कृष्णा प्रोजेक्ट	810
ग.	**संयुक्त उद्यम परियोजना**	
12.	इंदिरा सागर	1000
13.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	900
14.	ओमकारेश्वर	520
	कुल 10वीं योजना में	**5310**

1	2	3
परियोजनाएं जिन्हें 11वीं योजना में पूरा किया जाना है		
1.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	90
2.	पार्वती-II	800
3.	पार्वती-III	520
4.	पाकल डल	1000
5.	बुरसार	1020
6.	चमेरा-III	231
7.	सिआंग लोअर साइट	1700
8.	सिआंग मिडिल साइट	700
9.	सुबनसिरी मिडिल साइट	2000
10.	सुबनसिरी लोअर साइट	2000
11.	उरी-II	280
कुल 11वीं योजना में		**10341**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

*171. **श्री गुनीपाटी रामैया : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल कार्मिकों को 'प्रॉक्सी वोटिंग' की सुविधा प्रदान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हेतु विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999, जो सशस्त्र बलों के सदस्यों आदि को निर्वाचनों में परोक्षी पद्धति के माध्यम से मतदान करने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए है, तारीख 9.12.1999 को लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक की समीक्षा गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी और उसकी रिपोर्ट तारीख 19.4.2001 को संसद में प्रस्तुत कर दी गई थी। यह विधेयक अब संसद के सदनों द्वारा विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित है।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई रेल पटरियां

*172. **श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) द्वारा आपूर्ति की गई रेल पटरियां मानकों के अनुरूप नहीं हैं और क्रयादेश के निबंधन और शर्तों में वारंटी संबंधी खंड न होने के कारण 68.67 करोड़ रुपए की हानि की भरपाई नहीं हो सकती है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने मई, 1998 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से रेल पटरियों की गुणवत्ता के लिए निरीक्षक प्राधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने को कहा था;

(ग) क्या 16 दिसम्बर, 2001 को मालगाड़ी के पटरी से उतरने जैसी हुई रेल दुर्घटनाएं रेल पटरियों में दरार पड़ने के कारण हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो घटिया किस्म की रेल पटरियों को स्वीकृत करने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण प्राधिकारियों पर शीघ्र उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए और दरार युक्त सभी रेल पटरियों का सर्वेक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) द्वारा सप्लाई की जाने वाली रेल पटरियां स्तरीय एवं मानक के अनुरूप होती हैं। बहरहाल, जनवरी 1997 में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सप्लाई की गई कुछ रेल पटरियां दोषपूर्ण पाई गईं। घटिया किस्म की पटरियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार, जिसके संबंध में दिशानिर्देश 1991-92 में एक संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जारी किए गए थे और जिनमें यह व्यवस्था थी कि ऐसी रेल पटरियों को बी.एस.पी. द्वारा या तो बिना किसी कीमत के बदल दिया जाएगा अथवा (यदि भुगतान किया जा चुका हो तो) माल वापस लेकर धन वापसी के जरिए, निपटाया जाएगा। इस मामले में बी.एस.पी. को खराबी की आशंका वाली पटरियों के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। इन दोष की आशंका वाली पटरियों की रेलवे, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (पू. एवं नि.म.नि.) और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई थी। केवल उन्हीं रेल पटरियों का भुगतान किया गया जो मानक के अनुरूप पाई गईं। दोषपूर्ण रेल पटरियों की सार-सम्हलाई आदि की लागत की कटौती किए जाने के आदेश दिए गए थे। इस प्रकार, रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ। जनवरी 1997 के बाद भी थोड़ी सी दोषपूर्ण पटरियों की सप्लाई प्राप्त हुई थी, उनका निपटारा भी इसी प्रकार किया गया था।

निरीक्षण करने वाले प्राधिकरण अर्थात पू. एवं नि.म.नि. को उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया जिन्होंने दोषपूर्ण पटरियों को पास किया था। पू. एवं नि.म.नि. को कई बार जिम्मेदारी निर्धारित करने के बारे में भी याद दिलाया गया था। रेलवे ने 1.4.2001 से रेल पटरियों के निरीक्षण का कार्य मैसर्स रेल इंडिया टेकनिकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) को सौंप दिया है।

आमतौर पर, लगभग 9% परिणामी दुर्घटनाएं/पटरी से उतरने की परिणामी दुर्घटनाएं रेल पटरियों में दरार पड़ने के कारण हुईं। चालू वर्ष में इन आंकड़ों में कमी आई है। 16.12.2001 को कोई परिणामी दुघर्टना/पटरी से उतरने की कोई परिणामी दुर्घटना रेल पटरी में दरार पड़ने के कारण नहीं हुई थी।

रेल पटरियों में पड़ने वाली दरारों की रोकथाम के लिए पटरियों में खराबियों एवं दरारों का पता लगाने के लिए उन्हें देखकर तथा पराध्वनिक रूप से उनकी नियमित जांच एवं परख की जाती है। दोषपूर्ण पाई जाने वाली पटरियों को बदल दिया जाता है।

'धन और लोकतांत्रिक राजनीति' विषय पर कार्यशाला

*173. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में ''धन और लोकतांत्रिक राजनीति'' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें हुई चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यशाला में चुनावों में धन और बाहुबल के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं। भारत निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय सहायता और समर्थन प्रदान करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार को उक्त कार्यशाला से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

*174. **डा० साहिब सिंह वर्मा :**
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र के सुधारों के सूचक कौन-कौन से हैं;

(ख) इन सुधारों से देश मतें बिजी की खपत में वृद्धि, प्रति व्यक्ति बिजली की अनुमानित खपत में वृद्धि, उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण में तकनीकी हानियां, प्रति मेगावाट मांग पर वितरण लाइनों की औसत लम्बाई, बिजली की चोरी, विद्युत शुल्क, ताप विद्युत केन्द्रों के ''प्लांट लोड'' कारकों, पंप सेटों को बिजली देने, गांवों का विद्युतीकरण और स्थापित क्षमता की तुलना में सकल अधिकतम मांग के संबंध में स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन सूचकों में किस प्रकार के परिवर्तन आए और आगामी तीन वर्षों के दौरान इनमें से किस प्रकार के परिवर्तन आने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) औसत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ), जो 1991-92 में 55.3% था, 2000-2001 में बढ़कर 69% हो गया। संयंत्र उपलब्धता जो 1991-92 में 72.8% थी, 1999-2000 में बढ़कर 80.3% हो गई। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत जो 1985-86 में 178 कि.वा.घं. थी, 1998-99 में बढ़कर 360 कि.वा.घं. हो गई जो 6.5% वार्षिक वृद्धि दर के बराबर है।

यद्यपि इस अवधि में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है। आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत टैरफ में अंतर, जो 1991-92 में 28 पैसे प्रति कि.वा.घं. था, 2000-2001 में बढ़कर 92 पैसा हो गया। तकनीकी हानियों के अलावा पारेषण एवं वितरण हानियों में विद्युत चोरी के कारण हुई वाणिज्यिक एवं गैर लेखापरीक्षित हानियां भी शामिल हैं। सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण नहीं होने तथा प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षण के अभाव में अधिकांश राज्यों में पारेषण एवं वितरण हानियों से संबंधित आंकड़े सही नहीं थे। राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारदर्शिता को आवश्यक समझे जाने की दृष्टि से पारेषण एवं वितरण हानियों का मूल्यांकन अब और अधिक यथार्तता के साथ किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय ने सभी स्टेकधारकों यथा राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड, यूटिलिटि, विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियन, निजी निवेशक एवं राज नेताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करने के उपरान्त विद्युत क्षेत्र में अमूल परिवर्तन लाने के लिए एक व्यापक एवं विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस उद्देश्य से रणनीति प्रधानमंत्री द्वारा 3 मार्च, 2001 को आहूत

मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार की गई थी। इस रणनीति के आधार पर जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र सुधार के प्रबंधन की समस्या एवं चुनौती वितरण क्षेत्र में है, एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए संकल्प के आधार पर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा की जाने वाली पूर्व बकाया देयताओं के एकमुश्त भुगतान की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने स्वीकार भी कर लिया है, जिसमें कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल हैं। इस रिपोर्ट का क्रियान्वयन होने से राज्य विद्युत बोर्ड, यूटिलिटि, सार्वजनिक उपक्रमों की बकाया राशियों से मुक्त होकर ऋणमुक्त तुलन-पत्र तैयार कर सकेंगे। उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए और वितरण क्षेत्र में दो से तीन वर्षों में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए संकल्प को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

वितरण की तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने नई त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को सहायता देने का कदम उठाया है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में राज्यों के 63 वितरण सर्किल का सघन उन्नयन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने 2000-01 के दौरान 1000 करोड़ रुपये जारी किए। वर्ष 2002-03 के बजट प्रस्ताव में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपये का संबर्द्धित योजना आबंटन किया गया है। जिसके अंतर्गत सुधार संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की शर्त पर निवेश एवं परिवर्तन काल की वित्त संबंधी आवश्यकता, दोनों के लिए निधि मुहैय्या कराई जाएगी।

राज्यों को इस सुधार कार्यक्रम में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है। अब तक 20 राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में संबंधित राज्यों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दी है। इन लक्ष्यों में शामिल हैं—राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, सब्सिडी का सामयिक भुगतान, 11 के.वी. के सभी फीडरों का मीटरीकरण, उपभोक्ताओं का 100% मीटरीकरण, ऊर्जा लेखा परीक्षण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी आदि। भारत सरकार ने केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से विद्युत का अतिरिक्त आबंटन कर पारेषण प्रणाली के विकास के लिए सहायता देकर तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दी है।

विद्युत संबंधी कार्यकारिणी दल ने 10वीं योजना अवधि के लिए लगभग 47000 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि का कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से योजना संबंधी समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है। समुचित योजना निधि के प्रावधान से 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि में, कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। मौजूदा संयंत्रों के नवीकरण एवं आधनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है। वितरण क्षेत्र में तकनीकी हानियों को कम करने के लिए अन्य उपायों एवं ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण के जरिए मांग पक्ष प्रबंधन कर एक निश्चित समय सीमा में देश में विद्युत संकट को दूर किया जा सकता है।

वर्ष 2001-02 से ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई) के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा 41859.90 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इस बात के मद्देनजर रा.वि.बो. के लिए ऋण का भुगतान संभव नहीं है, वर्ष 2002-03 के बजट प्रस्ताव में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज वाली सब्सिडी योजना का प्रावधान किया गया है। 2002-03 में इस योजना के लिए 164 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

दूरदर्शिता आधारित एवं सुधारोन्मुखी विद्युत विधेयक 2001 को संसद के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया। विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत चोरी के मामलों में सजा देने संबंधी कठोर प्रावधान भी शामिल हैं। विधेयक में क्रास सब्सिडी को कम करने तथा राज्यों द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को सब्सिडी का अग्रिम भुगतान, जहां ये सब्सिडी अपरिहार्य हैं, करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

अनुमान है कि पूर्व पैराग्राफों में बताई गई कार्य योजना से रा.वि.बो. की प्रचालनात्मक दवं वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सकेगा।

अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. की जांच

*175. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन में अनियमितताओं के बारे में 22 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5396 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है और इसके परिणाम सरकार और/अथवा प्रसार भारती को प्रेषित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार और/अथवा प्रसार भारती ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान अनेक उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की आगे और जांच की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन जमा करने पर रोक लगाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) इस बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए पांच मामलों में से चार मामलों के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हैं। सरकार ने इन मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाएगा। पांचवें मामले के बारे में जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(घ) और (ड) उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रसार भारती के समूह 'क' अधिकारियों के विरु3333द्ध 23 अन्य मामलों में भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच की है। मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) प्रसार भारती की सतर्कता ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है एक पृथक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(2) कार्यक्रमों की प्राप्ति और खरीद प्रणाली को सरल बना दिया गया है और इसका प्रचार किया गया है।

(3) कार्यक्रमों को खुली/पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए प्राप्त किया जाता है।

(4) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श से ''संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची'' और ''सम्मत सूची'' तैयार कर दी गयी है।

(5) माध्यम एककों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा माध्यम एककों में सतर्कता कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	केस सं० और पंजीकरण की तारीख	अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	आरसी 9/1999-कोचीन दिनांक 1.5.99	एक
2.	पीई 19 (ए)/99-दिल्ली दिनांक 11.8.99	एक
3.	आर सी 9 (ए)/99-जोधपुर दिनांक 12.8.99	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
4.	पीई 7 (ए)/99-दिल्ली दिनांक 13.3.99	एक
5.	आरसी 38 (ए)/99-दिल्ली दिनांक 10.8.99	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
6.	आर सी 12/99-धनबाद दिनांक 7.12.99	दो अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
7.	पीई 9/99-शिलांग दिनांक 26.10.99	एक
8.	आरसी 5 (ए)/2000-जयपुर दिनांक 5.5.00	तीन
9.	आरसी 6/2000-जोधपुर दिनांक 29.4.2000	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
10.	आरसी 10-ए/2000-बीएलआर दिनांक 12.5.00	पांच
11.	आरसी 68-ए/2000-दिल्ली, दिनांक 4.12.2000	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
12.	आर सी 69-ए/2000-दिल्ली, दिनांक 4.12.2000	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
13.	आरसी 71-ए/2000-दिल्ली, दिनांक 14.12.2000	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
14.	पीई 12/2000-शिलांग, दिनांक 1.8.2000	एक

1	2	3
15.	पीई 1/2001-एसीयू,-4/दिल्ली दिनांक 12.2.01	चार
16.	आरसी 34-ए/2001-बंगलौर दिनांक 21.12.01	एक अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य
17.	पीई 5/2001-कोचीन, दिनांक 20.8.01	एक
18.	पीई 3-ए/2001-जयपुर, दिनांक 16.01.01	पांच
19.	आरसी 19-ए/2001-कोलकाता दिनांक 8.1.01	तीन
20.	आरसी 23-ए/2001-कोलकाता दिनांक 20.1.01	एक
21.	आरसी 10-ए/2001-पटना दिनांक 10.8.01	एक
22.	आरसी 1/2002-एसआईसी 3/दिल्ली दि. 4.1.02	दो
23.	आरसी 1/2002-सिलचर दिनांक 21.1.02	दो अभिज्ञाप्त अधिकारी तथा अन्य

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों की शुल्क नीति

*176. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (सीपीएसूय) में शुल्क नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत यथोपेक्षित शुल्क नीति पर संकल्पना टिप्पण तैयार करने के लिए एक दल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) जी, हां। टैरिफ नीति पर एक संकल्पना टिप्पण तैयार करने के लिए एक दल का गठन किया गया है।

दल द्वारा अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत की जानी है।

विद्युत क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण प्रणाली

*177. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.के. सिंह समिति ने "विद्युत क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण प्रणाली" विषय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिंह समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) एन.के. सिंह विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

1. जहां एक तरफ बाजार ऋण एवं निजी क्षेत्र प्रतियोगिता के जरिए निवेश प्राप्त करना संभव है, वहीं दूसरी तरफ परिवर्तन काल की समायोजन लागत का वित्तपोषण बजटीय सहायता के जरिए करना पड़ेगा।

2. आदर्श उदाहरणों के जरिए कतिपय कार्य-निष्पादन मानदंडों के आधार पर विद्युत क्षेत्र सुधारों में सहायता देने के लिए मौजूद त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडी) को पुनर्गठित कर निवेश बाण्डों से मैकेनिज्म के रूप में लाने की जरूरत है। सामान्य केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए अपनाए गए फार्मूला के आधार पर संशोधित एपीडी, जिसका त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के रूप में नामकरण किया जाना है, के अन्तर्गत राज्यों को योजना सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। यद्यपि राज्य विशिष्ट आवंटन स्वत: आधार पर नहीं, बल्कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में किए गए ठोस उपायों के आधार पर दिए जाएंगे।

3. भारत सरकार विद्युत क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बहुद्देश्यीय वित्तपोषक एजेंसियों में से सीधे निधि प्राप्त करने की संभावना की तलाश कर सकती है।

4. विभिन्न अभिजात सुधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति से 2000-01 से प्रतिवर्ष नकद राशि के की हानि से एक तिहाई को

कमी होगी जिससे की तीन वर्षों के अंत में स्वच्छ तुलन-पत्र तैयार होगा। इसके सरकारी गारंटी या काउंटर गारंटी जैसी भुगतान सुरक्षा तंत्र पर अवलंबित नहीं रहते हुए निजी निवेश की प्राप्ति में सुगमता आएगी।

5. विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श का कार्य-निष्पादन संबंधी लक्ष्यों को शामिल करते हुए राज्य विद्युत विशिष्ट विद्युत सुधार कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

6. कार्य-निष्पादन पर बल देने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में गैर-निष्पादक या असंतसेषजनक तरीके से कार्य-निष्पादन कर रहे राज्यों के अनाबंटित हिस्से को कार्य-निष्पादक राज्यों को आवंटित किया जा सकता है।

7. मुख्य मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति समय-समय पर विद्युत क्षेत्र सुधारों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की मॉनीटरिंग कर सकती है।

8. उपाध्यक्ष, योजना आयोग, अध्यक्ष वित्त मंत्री, विद्युत एवं सदस्य, योजना आयोग, सदस्य तथा सचिव (विद्युत) सदस्य-सचिव पाली उच्च स्तरीय समिति एपीडीआरपी के क्रियान्वयन की जांच एवं प्रगति की मॉनीटरिंग कर सकती है।

(ग) और (घ) राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं अत: इन बोर्डों का निजीकरण करने या नहीं करने का निर्णय सरकार करेगी। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र एवं विशेषकर राज्य विद्युत क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को विद्युत क्षेत्र का सुधार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सुधारों पर और अधिक बल देने के लिए भारत सरकार ने 20 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी राज्यों ने सुधार संबंधी लक्ष्यों यथा 100% मीटरीकरण, ऊर्जा लेखा परीक्षण, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन/प्रचालन राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीयकरण/निगमीकरण आदि को प्राप्त करने के लिए सहमति दी है। बदले में भारत सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार की सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों ने अपने सुधार कानून पारित कर दिए हैं और अपने रा.वि. बोर्डों का विकेन्द्रीयकरण कर लिया है। दिल्ली एवं मध्य प्रदेश ने भी अपने सुधार कानून पारित कर दिए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रा. विद्युत बोर्डों के विकेन्द्रीयकरण का भी प्रावधान है। उड़ीसा, ने अपने वितरण क्षेत्र का निजीकरण कर दिया है। दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्रप्रदेश राज्य भी अपने क्षेत्र का निजीकरण करने की योजना बना रहे हैं।

डायरेक्ट टू होम नीति की समीक्षा

*178. **श्री मोहन रावले :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य दल ने निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु 'डायरेक्ट टू होम (डी टी एच)' नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए इसकी समीक्षा का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य दल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्तमान 'डायरेक्ट टू होम' नीति की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) योजना आयोग ने सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु विभिन्न संबंधित नीतिगत मामलों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था। उक्त कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ डीटीएच नीति की समीक्षा किए जाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

डीटीटी प्रसारण हेतु प्रायोगिक परियोजना

*179. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री एन०एन० कृष्णदास :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपग्रह के माध्यम से डिजिटल टेलीविजन प्रसारण सेवाएं आरंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना को लागू करने में भारी राशि खर्च होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) एनॉलॉग ट्रांसमिशन की तुलना में डीटीटी प्रसारण से क्या लाभ होंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) दूरदर्शन प्रयोगात्मक सेवा को शुरू करने के लिए 26.19 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटरों की स्थापना कर रहा है।

एनॉलाग प्रसारण की तुलना में डिजिटल स्थलीय प्रसारण के मुख्य लाभों में बढ़िया गुणवत्ता वाले श्रृव्य एवं दृश्य संकेत, मल्टी चैनल प्रचालन, चल-अभिग्रहण और कम प्रसारण क्षमता की आवश्यकता का होना शामिल है।

पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए विश्व बैंक की सहायता

*180. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या विश्व बैंक देश में पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए सहायता कर रहा है;*

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक और उनके मंत्रालय ने देश में वितरण सर्किलों के पुनर्गठन के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो देश में पारेषण और वितरण (टी एंड डी) नेटवर्क के पुनर्गठन में संयुक्त रणनीति कितनी सफल रही है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक देश में पारेषण वितरण प्रणाली में सहायता कर रहा है। परियोजनाओं और पारेषण व वितरण प्रणाली में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी/ राज्य	वित्त पोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)
1.	4603-विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना-II में	पावरग्रिड/बहुराज्य	आई.बी.आर.डी.	450.00
2.	4441-एपी पावर सेक्टर पुनर्गठन परियोजना	अपट्रांस्को/ए.पी.	आई.बी.आर.डी.	210.00
3.	4014-उड़ीसा पावर सेक्टर पुनर्गठन में	उड़ीसा	आई.बी.आर.डी.	350.00
4.	4545-उ.प्र. पावर सेक्टर पुनर्गठन परियोजना में	य.पी.पी.सी.एल./उ.प्र.	आई.बी.आर.डी.	150.00
5.	4594-राजस्थान पावर सेक्टर पुनर्गठन परियोजना	राजस्थान	आई.बी.आर.डी.	180.00

(ग) और (घ) वितरण सुधारों की महत्वपूर्ण जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2000-2001 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) नाम के नया कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम में वितरण सर्किलों की पहचान की जाती है और मीटरिंग, ऊर्जा ऑडिट, तकनीकी हानियों में कमी तथा चोरी पर नियंत्रण संबंधी ठोस प्रयास किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफलता प्रतिमान सृजित करना है ताकि यह अन्य सर्किलों में परिलक्षित हो सके। इससे जन सहयोग भी प्राप्त होगा और साथ ही आम जनता एवं वितरण निजीकरण में निवेशक क्षमता, दोनों दृष्टियों में आत्म विश्वास में वृद्धि भी होगी।

ऐसे राज्य जिनमें विश्व बैंक विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है और पारेषण एवं वितरण में निवेश सहायता दे रहा है, वहां वितरण सर्किल चयन करने की एपीडीपी कार्यनीति अपनाने और उन्हें उत्कृष्टता का माडल बनाने की सिफारिश की गई है।

मेजिया ताप विद्युत परियोजना के परिसर में सीमेंट कंपनी

1696. **श्री सुनील खां** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लफार्ज इंडिया लिमिटेड नामक सीमेंट कंपनी को मेजिया ताप विद्युत परियोजना के परिसर में सीमेंट उत्पादन की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मेजिया ताप विद्युत परियोजना के परिसर में 1.0 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की उड़न राख आधारित सीमेंट ग्रिंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए मै० लफार्ज इंडिया लिमिटेड एवं दामोदर घाटी निगम के बीच दिनांक 19.10.2001 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

चंडीगढ़ में सीमा सड़क संगठन द्वारा भवनों का उपयोग न किया जाना

1697. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान सीमा सड़क कार्यबल के लिए चंड़ीगढ़ में 4.80 करोड़ रुपए की लागत से अन्य सेवाओं सहित भवनों का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह कार्यबल जून 1996 के दौरान अपने सामरिक कार्यों के लिए इन भवनों को खाली करके बाहर चला गया था;

(ग) यदि हां, तो इन भवनों को खाली रखने के क्या कारण हैं जिनसे राजकोष को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) जून 1996 से अब तक सीमा सड़क संगठन द्वारा इन भवनों की सुरक्षा और देखरेख पर कितनी राशि खर्च की गयी और इस उद्देश्य से तैनात कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया है; और

(ङ) उक्त भवन का उपयोग करने और अनावश्यक खर्च से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) 38 सीमा सड़क कार्य बल के लिए चंडीगढ़ में एक भवन 1994-95 में 4.80 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। सामरिक कारणों से यह कार्य बल मनाली-लेह सड़क पर कार्य को देखने के लिए अस्थायी रूप से मनाली स्थानांतरित हो गया था। यह भवन कार्य बल की संबद्ध यूनिटों के अधीन है जो कि कार्य बल को परियोजना दीपक के मुख्य इंजीनियर जिसका मुख्यालय शिमला में है, संभारिकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए चंडीगढ़ में रहती है। इन भवनों के रख-रखाव तथा सुरक्षा पर जून 1996 से फरवरी 2002 तक 19.56 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

आपूर्तिकर्त्ताओं की असफलता

1698. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री राम मोहन गाह्डे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना मुख्यालय आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा ठेके की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने पर भी सभी तरह के जुर्माने को माफ करने पर सहमत हो गया है और रक्षा सचिव भी मौखिक साक्ष्य के दौरान इस बात पर सहमत हुए तथा उन लोगों द्वारा तय आर्थिक और प्रशासनिक प्रणाली का भी अनुपालन नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) क्या संसद के प्रति अधिकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय के माध्यम से कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना के लिए उपस्करों की खरीद के लिए संविदा पर विक्रेता और नौसेना मुख्यालय या उसकी प्रत्येक अधीनस्थ विरचना को प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर उसकी विरचनाओं के लिए रक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। दण्डनीय धाराएं जैसे कि परिसमाप्त हानि संबंधी दण्ड लगाना या विभिन्न वारन्टी बाण्ड और गारंटियों का नकदीकरण करना, प्रत्येक संविदा के अनुसार लागू होती हैं। इन्हें काफी विचार-विमर्श के पश्चात्, आंतरिक वित्त से परामर्श करके तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लागू किया जाता है। विशिष्ट संविदाओं के ब्यौरे के अभाव में मंत्रालय द्वारा कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

पनबिजली परियोजना स्थापित करना

1699. **श्री राम टहल चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्षित अवधि क्या है और इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) झारखंड में चंदिल (2x4 मे०वा०) और उत्तरी कोयल (2x12 मे०वा०) जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसे क्रमश: 2002-03 और 2004-05 में चालू किया जाएगा।

कोयल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मे०वा०) को मूल रूप से जून, 1981 में अनुमोदित किया गया था जोकि एन०एच०पी०सी० द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु अभिज्ञात की गई है। आर एंड आर योजना क्रियान्वित करने हेतु लाभभोगियों को अभिज्ञात करने के लिए परियोजना प्रभावित लोगों का एक नवीन सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ताकि एन.एच.पी.सी. पर्यावरण प्रबंधन योजना (इ.एम. पी.) तैयार कर सकें। झारखंड राज्य द्वारा अभी विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है।

झारखंड में संस्थापन हेतु निम्नांकित जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को के०वि०प्रा० और के०ज०आ० की टिप्पणियों के अनुपालानोपरांत पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्राधिकारियों को वापस कर दिया गया है :

1. संख एच ई पी स्टेज II (2X90+2X3=186 मे०वा०)
2. कधवान एच ई पी (5X90=450 मे०वा०)
3. कंहार पी एस एस (3X100=300 मे०वा०)

[अनुवाद]

प्रसार भारती में अतिरिक्त कर्मचारी

1700. डा० एन० वेंकटस्वामी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजनाओं को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों को बनाए रखने का क्या औचित्य बताया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विभिन्न एककों के कार्य में बिना किसी रुकावट के स्टाफ ढ़ांचे को युक्ति संगत बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए ऐसे 1334 पदों की पहचान कर ली गई है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में परियोजनाएं

1701. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में चल रही रेल परियोजनाओं/लम्बित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) राजस्थान में चल रही सभी रेल परियोजनाओं, जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए 2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा शामिल है, विवरण-I में दिया गया है, परियोजना के पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित हैं, परियोजना की स्थिति में दी गयी है।

राजस्थान में चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

14.3.2002 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1701 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण
राजस्थान में चल रही रेल परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत	2002-03 के प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	नई लाइनें				
1.	कोलायत-फलोदी	उ.रे.	171.00	0.10	बजट 2002-03 में शामिल नया कार्य।

1	2	3	4	5	6
2.	दौसा-गंगापुर	प.रे.	214.26	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, बनास-बनियाना पहले ब्लाक खंड और बनियाना-नांगल-राजावत के बीच दूसरे ब्लाक खंड के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं, भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
3.	अजमेर-पुष्कर	प.रे.	67.00	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
4.	रामगंज मंडी-भोपाल	प.रे.	425.00	20.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	आमान परिवर्तन				
5.	वीरमगांव-जोधपुर ब.ला. रेल मार्ग, समदड़ी-लूनी का भिलड़ी-समदड़ी आमान परिवर्तन	उ.रे.	244.74	15.00	यह कार्य कांडला-बठिंडा रेल संपर्क के भाग के रूप में 1990-91 में स्वीकृत किया गया था। कार्य हाल ही में शुरू किया गया है, निधि आवंटित कर दी गयी है, कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
6.	फुलेरा-जोधपुर-पीपाड रोड-बिलाड़ा	उ.रे.	21.46	5.00	फुलेरा-जोधपुर का कार्य पूरा हो गया है और लाइन यातायात के लिए खोल दी है। पीपाड़ रोड से बिलाड़ा खंड महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है। पीपाड़ रोड़-बिलाड़ा खंड पर निम्न परिचालनिक क्षमता और बहुत कम यातायात के कारण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।
7.	लूनी-मारवाड़	उ.रे.	61.25	0.75	कार्य पूरा हो गया है, धुरा काउंटरों से ब्लॉक प्रूविंग का अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है और 2001-02 में पूरा कर लिया जाएगा।
8.	लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव	उ.रे.	283.94	0.10	लूनी-समदड़ी (50 कि.मी.) के बीच मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और समदड़ी और बाड़मेर के बीच प्रगति पर है। छोटे और बड़े पुल संबंधी कार्य भी प्रगति पर हैं। कार्य लूनी से समदड़ी, समदड़ी से जसई और फिर जसई से आगे चरणों में शुरू करने का प्रस्ताव है। लूनी-समदड़ी-जसई 2002-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
9.	रेवाड़ी-सादलपुर	उ.रे.	282.76	10.86	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं चल रही हैं।
10.	श्रीगंगानगर-स्वरूपसर	उ.रे.	68.72	0.01	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जाएगा।
11.	जोधपुर-लूनी	उ.रे.	52.96	0.60	खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है और सौंप दिया गया है। अवशिष्ट कार्य और वित्तीय समायोजन प्रगति पर हैं।

1	2	3	4	5	6
12..	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	प.रे.	632.35	9.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
13.	आगरा फोर्ट-बांदीकुई	प.रे.	178.03	26.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है।
14.	उदयपुर से अमरा तक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	प.रे.	294.69	30.00	चरण-I में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

विवरण-II

14.3.2002 को लोक सभा के अतारंकित प्रश्न सं. 1701 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट

राजस्थान में चालू सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	कि.मी.	स्थिति
	नई लाइनें			
1.	झुनझुन-पिलानी	उ.रे.	20	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.11.02 है।
2.	अनुपगढ़ से बीकानेर	उ.रे.	155	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2003 है।
3.	बांसवाड़ा के रास्ते डुंगरपुर से रतलाम	प.रं.	200	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.06.02 है।
4.	जैसलमेर से कांडला	प.रे.	600	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.10.02 है।
	आमान परिवर्तन			
5.	उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	प.रे.	346	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.06.02 है।
	दोहरीकरण			
6.	जयपुर से मेंड़ता रोड	उ.रे.	219	कार्य अभी शुरू किया जाना है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2003 है,
7.	दिल्ली-अहमदाबाद	प.रे.	934	कार्य प्रगति पर है, पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.02 है।

गुजरात में रसोई गैस कनेक्शन

1702. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2001 से अब तक गुजरात राज्य के लिए कितने नए रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) वर्ष 2002 और 2003 के दौरान नए रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) राज्य में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 1 जनवरी, 2001 से 1 फरवरी, 2002 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में करीब 2.50 लाख नए एल पी जी कनेक्शन जारी किए हैं।

(ख) और (ग) इस समय गुजरात राज्य में तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास कोई प्रतीक्षा सूची लंबित नहीं है और गुजरात राज्य सहित संपूर्ण देश में सभी मौजूदा बाजारों में नए एल पी जी कनेक्शन मांग पर जारी किए जाते हैं। चूंकि एल पी जी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं, इसलिए इस संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

असैनिक-सैनिक सम्मेलन

1703. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर-दिसंबर, 2001 के दौरान बंगलौर में सेना के दक्षिणी-कमान मुख्यालय के तत्वावधान में एक उच्च स्तरीय सिविल-मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस बैठक के दौरान सिविल भूमि के बदले सैन्य भूमि और सैन्य भूमि के बदले सिविल भूमि की अदला-बदली, सैन्य भूमि पर अतिक्रमण, रक्षा प्रतिष्ठानों को विद्युत और जल की आपूर्ति पर चर्चा हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें कोई निर्णय लिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिनांक 29-11-2001 को बेंगलूर में आयोजित सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता, दक्षिण कमान मुख्यालय के सेना प्रमुख और मुख्य सचिव कर्नाटक ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :-

1. राज्य सरकार प्राधिकारी बेंगलूर में अतिक्रमण की गई 2.02 एकड़ रक्षा भूमि की गंदी बस्तियों को अन्यत्र बसाने के पश्चात्, सेना को वापस देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए थे।

2. भू संपत्तियों के समान मूल्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भूमि के हस्तांतरण के मामले को समग्र दृष्टिकोण अपनाकर निपटाया जाए।

3. राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मार्च 2002 तक रक्षा प्रतिष्ठानों को 60% आश्वस्त जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी जाएगी और उसके बाद 100% आश्वास्त जलापूर्ति होने तक प्रतिवर्ष 5% की समान दर से इसमें वृद्धि की जाएगी; और

4. कमान अस्पताल वायु सेना, बेंगलूर जल आपूर्ति के लिए 80:20 अनुपात (घरेलू/गैर घरेलू दर) से जल-प्रभार लगाने हेतु जैसा कि अन्य सभी रक्षा प्रतिष्ठानों से प्रभारित किया जा रहा है, राज्य सरकार के प्राधिकारियों से औपचारिक रूप से संपर्क कर सकते हैं।

पुराने उपकरणों का निपटान

1704. **श्री अरुण कुमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के 2001 के प्रतिवेदन सं० 7 के अनुसार मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार मार्च, 1999 की सिति के अनुसार राइफल फैक्ट्री, ईशापुर के पास 4.24 करोड़ रुपए के तैयार उपकरण हैं जिसमें 133.66 लाख रुपए मूल्य के चार आइटम/हथियार पहले ही पुराने हो गए हैं और पुराने उपकरणों के निपटान के लिए एक समिति का गठन हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति का गठन हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके विचारणीय विषय क्या हैं;

(घ) उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दे दिए जाने की संभावना है;

(ङ) राइफल फैक्ट्री, ईशापुर द्वारा तैयार उपकरण के निपटान में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं; और

(च) आयुध फैक्ट्री बोर्ड और राइफल फैक्ट्री के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) राइफल निर्माणी, इशापुर के पास 4.24 करोड़ रुपए मूल्य के तैयार संघटकों की माल-सूची है जिसमें 1.33 करोड़ रुपए मूल्य के संघटक ऐसे हैं जो पुराने पड़ चुके हैं। आर्डर प्रणाली में परिवर्तन, मांगकर्त्ताओं की बदली हुई प्राथमिकताओं तथा कुछ इंडेटों के बीच में ही रद्द कर दिए जाने के कारण कई वर्षों के दौरान ये संघटक जमा हो गए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में पुरानी पड़ गई मदों का संचयन नगण्य है। उपलब्ध तैयार संघटकों के कारगर इस्तेमाल के उपायों का पता लगाने और इन संघटकों के इस्तेमाल को व्ययहार्य नहीं पाए जाने की स्थिति में इनके निपटान की प्रक्रिया सुझाने के लिए दिसंबर, 2000 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की थी कि राइफल निर्माणी, इशापुर संघटकों के लाभकारी इस्तेमाल के लिए सभी आयुध निर्माणियों और आयुध डिपुओं से संपर्क करे तथा उसके बाद उन संघटकों के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू करे जिनकी आवश्यकता अन्य निर्माणियों/डिपुओं को नहीं है। राइफल निर्माणी, इशापुर तथा आयुध निर्माणी बोर्ड आशानुरूप कार्य कर रहे हैं।

जगुआर का उन्नयन

1705. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नवंबर 1996 में 35 जगुआर के स्तर में सुधार कर उन्नत बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी लेकिन मई 2000 के अंत तक एक भी जगुआर का उन्नयन नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितने जगुआर का उन्नयन किया गया; और

(ग) जगुआर का शीघ्र उन्नयन करने और सभी परिस्थितियों में दिन और रात पूरी तरह से कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार द्वारा जगुआर विमान का उन्नयन नवंबर 1996 में अनुमोदित किया गया था। तैयारी के मानक में बदलाव के कारण वास्तविक उन्नयन नहीं हो पाया है। इस कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

गैस उत्पादन पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम/आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गयी कीमत

1706. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गयी गैस पर निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस के लिए दिए गए मूल्य की तुलना में कम मूल्य दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्यों में समानता लाने के लिए मूल्य संरचना की समीक्षा करने का है;

(घ) प्राकृतिक गैस का विश्व बाजार में वर्तमान मूल्य और घरेलू गैस की वर्तमान कीमत क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पुनरीक्षित मूल्य संरचना के प्राकृतिक गैस के थोक उपभोक्ता यथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इत्यादि पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य उन विद्यमान उपभोक्ता मूल्यों के "नेट बैक" पर निर्धारित किए जाते हैं जो ईंधन तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के बास्केट से संबद्ध होते हैं वहीं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उत्पादित गैस के मूल्य संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा द्वारा शासित होते हैं।

(ग) सरकार के सितम्बर, 1997 के निर्णय के अनुरूप उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्यों में संशोधन किया जाना है जिससे वर्ष 2001-02 तक अंतरराष्ट्रीय ईंधन तेल मूल्यों के साथ 100 प्रतिशत समता प्राप्त की जा सके।

(घ) जबकि प्राकृतिक गैस के अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग होते हैं, वहीं घरेलू प्राकृतिक गैस के उपभोक्ता मूल्य 10,000 किलो कैलोरी पर 2,850/- रुपए प्रति हजार घन मीटर (एम सी एम) निर्धारित किए गए हैं। तथापि उत्तर पूर्व के उपभोक्ताओं के लिए गैस का मूल्य 10,000 किलो कैलोरी पर 1,700 रुपए/एम सी एम है।

(ङ) और (च) प्राकृतिक गैस के उपभोक्ता मूल्यों में विचारित संशोधन का एन.टी.पी.सी. आदि सहित सभी उपभोक्ताओं पर समान प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदला जाना

1707. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में किन्ही टीवी रिले केन्द्रों को कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में बालूरघाट और खड़गपुर स्थित अति शक्ति ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निजी रसोई गैस कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

1708. **श्री ए० नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की आपूर्ति में लगी हुई उन निजी कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) राज्य सरकारें, समानान्तर विपणनकर्त्ताओं द्वारा कोई कदाचार करने की स्थिति में उनके विरुद्ध एल पी जी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं। निजी कम्पनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नहीं आती हैं।

पनबिजली परियोजना हेतु नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के लिए प्रस्ताव

1709. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विद्युत आपूर्ति की नियमितता को बढ़ाए जाने के लिए नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन से पनबिजली परियोजना और अन्य इस प्रकार के प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन से कोई जल विद्युत परियोजना तथा उत्तर पूर्व में विद्युत आपूर्ति नियमन विस्तार हेतु ऐसा कोइ अन्य प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

अपव्यय

1710. **श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और सरकारी विभागों में जहां अपव्यय सर्वाधिक है उन कुछ क्षेत्रों की अब तक पहचान भी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उनके अधीन उनके मंत्रालय/विभागों के ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिसको पहचान उस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ की गयी और गत तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 2001 तक उनमें अपव्यय हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अपव्यय को कम करने/समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, हां। रेल मंत्रालय किफायत और मितव्यतिता पर वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे जोर से अवगत है। इस विषय पर सभी अनुदेशों का रेलों में विवेकपूर्ण तरीके से अनुपालन किया जा रहा है। रेलें व्यय पर नियंत्रण तथा कड़ाई पूर्वक इसे आवश्यकता आधारित रखने का प्रयास कर रही है।

किफायत और मितव्यतिता के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप बजटोपरांत कारकों का प्रभाव आत्मसात करने के पश्चात् भी रेलों के साधारण संचालन व्यय में बचत करना संभव हुआ है। पूर्ववर्ती तीन वर्षों में की गई बचतों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ब.अ.	वास्तविक	बचत
1998-99	23720	23255	465
1999-00	25740	25645	95
2000-01	28115	27534	581

रेलें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैं:-

1. प्रति व्यक्ति उत्पादकता में सुधार करने के लिए बेहतर जनशक्ति प्रबंधन;
2. ऊर्जा संरक्षण;
3. परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग;
4. उपस्कर विफलता में कमी;
5. व्यय सीमा एवं मासिक बजट अनुपातों के निर्धारण तंत्र के माध्यम से और रोकड़ निकासी पर नियंत्रण के माध्यम से भी कड़े वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण; और
6. आतिथ्य, प्रचार, विज्ञापन आदि के क्षेत्रों में किफायत।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

1711. **श्री मोहन रावले :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और कितनी व्यय की गया;

(ख) विदेशी मुद्रा व्यय को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस निगम पर कितनी विदेशी मुद्रा का कर्ज है और प्रत्येक वर्ष उसका ब्याज देने पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी का कुल विदेशी मुद्रा अर्जन तथा विदेशीं मुद्रा बहिर्गमन निम्नवत् था:-

समतुल्य रुपया करोड़ में

वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जन	पिदेशी मुद्रा बहिर्गमन
2000-01	151.90	5,369.87
1999-00	52.72	3,918.34
1998-99	35.81	5,172.09

(ख) जहां तक ऋण-सेवा भुगतानों का संबंध है, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नवत् शामिल हैं:-

(1) इस संबंध में भारत सरकार के नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध प्रति अदायगियों साथ ही साथ समय पूर्व भुगतानों द्वारा कई वर्षों से लगातार ओ एन जी सी का विदेशी ऋण पोर्ट फोलियो कम हुआ है। इसके सतत् प्रयासों द्वारा ओ एन जी सी गत तीन वर्षों के दौरान कुल 1360.74 करोड़ रुपए के विदेशी ऋणों का समय पूर्व भुगतान करने में सक्षम रहा। परिणामत: ओ एन जी सी के विदेशी ऋण पोर्ट फोलियो दिनांक 31.3.1998 के 2,192.9 मिलियन यू एस डी समतुल्य के स्तर से गिरकर दिनांक 31.3.2001 को 868.8 मिलियन यू एस डी समतुल्य हो गया। ओ एन जी सी द्वारा इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत सरकार के अनुमोदन से मौजूदा ऋणों के समय पूर्व भुगतानों द्वारा ऋण पोर्ट फोलियो को और कम किया जाए।

(2) एक मितव्ययी और उप सक्रिय ऋण प्रबंध युक्ति के भाग के रूप में, ओ एन जी सी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विकास पर निगरानी रखता है और बाजार परिस्थितियों में किसी अनुकूल बदलाव का लाभ उठाने के लिए ऋण पोर्ट फोलियो की सक्रिय रूप से समीक्षा करता है। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप, ओ एन जी सी, पहले लिए गए ऋणों को कम वित्तीय लागतों पर नए ऋणों से बदल सकता है और इससे ब्याज के रूप में विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में कमी आती है।

(ग) 31.3.2001 को ओ एन जी सी का कुल विदेशी मुद्रा ऋण 4049.63 करोड़ रुपए है।

गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक प्रदत्त ब्याज राशि निम्नवत् है:

वर्ष	(रुपए/करोड़)
2000-01	335.06
1999-00	425.44
1998-99	503.33

पुरीगेट में रेल ऊपरिपुल

1712. **श्री प्रबोध पण्डा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के सामने पुरीगेट पर रेल ऊपरिपुल के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) रेल ऊपरिपुल का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) आई आई टी खड़गपुर के सामने समपार, लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल से बदलने हेतु अर्हक है, कार्य को रेलवे के कार्यक्रम में शामिल करने हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार आवश्यक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव करे, राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.एम. चैनल का कार्य-निष्पादन

1713. **श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ.एम. स्टेशनों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्टेशनों द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस उद्यम में अनुमानित वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) देश में वर्तमान में निजी एजेंसियों द्वारा स्थापित किए गए 4 केन्द्रों सहित 133 एफ.एम. ट्रांसमीटर प्रचालन में हैं।

आकाशवाणी एफ.एम. केन्द्रों का विषयवस्तु और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में निष्पादन उत्कृष्ट रहा है। प्रसार भारती केन्द्रों की कार्यक्रम पद्धति पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है और इसकी रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है। आकाशवाणी का प्रयास रहा है कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाए जो श्रोताओं में लोकप्रिय हों और वाणिज्यिक राजस्व सृजित करने वाले हों। निजी एफ.एम. केन्दों की विषयवस्तु भी आकाशवाणी के लिए लागू कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के अनुरूप होनी चाहिए। जहां निजी एफ.एम. चैनलों का संबंध है, इसके लिए सरकार द्वारा किसी वित्तीय सहायता का अनुमान नहीं लगाया गया था।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति

1714. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु व्यापक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पर्यटक सर्किटों/क्षेत्रों की पहचान/चयन किया गया है;

(ग) क्या रेल विभाग ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु आन्ध्र प्रदेश में किसी क्षेत्र की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में कोई विशेष पैकेज शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या रेल विभाग का आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु "पैलेस-आन-व्हील्स" जैसी ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) रेलवे ने मांग के अनुसार विशेष गाड़ियां/कोच, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल ओरियंट एक्सप्रेस जैसी विलासिता पूर्ण गाड़ियां चलाकर, विदेशी पर्यटकों आदि के लिए इंडरेल पासों, आरक्षण कोटा, सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराकर पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं। मूल्य आधारित पर्यटन पैकेज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1999 में रेलवे द्वारा एक नई कम्पनी, भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लि. (आई. आर. सी. टी. सी.) की स्थापना की गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश में तीर्थ यात्री विशेष गाड़ियां और पैलेस ऑन व्हील्स जैसी गाड़ी चलाने के प्रस्ताव अभी तक व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं।

किसानों के लिए कार्यक्रम

1715. श्री दिलीप संघाणी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के क्रम में उनके मंत्रालय ने ''चलो खेत की ओर'' नाम का साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम प्रायोजित करने का निर्णय लिया है ताकि उसका लाभ किसानों तक पहुंच सके;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से इस कार्यक्रम को हिन्दी और अन्य राज्यों की भाषाओं में प्रसारित करने का भी निर्णय लिया गया था;

(ग) क्या कुछ महीने पहले ही नई दिल्ली में आयोजित किसानों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनके मंत्रालय द्वारा इस आशय की सरकारी घोषणा भी की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक प्रसारित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि ''चलो खेत की ओर'' नामक किसी कार्यक्रम को आकाशवाणी पर प्रसारित करने का प्रस्ताव नहीं है। 1996 से 1999 तक की अवधि के दौरान 12 भाषाओं में विविध भारती के 30 केन्द्रों पर प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में ''चलो गांव की ओर'' नामक एक 10 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। वर्तमान में आकाशवाणी के सभी केन्द्र ग्रामीण श्रोताओं पर लक्ष्यित कृषि और घरेलू कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण विकास स्कीमों तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम खण्ड शामिल हैं।

प्रसार भारती कार्यक्रमों के चयन में स्वायत्तता का उपयोग करता है। सरकार ऐसे मामलों पर निर्देश नहीं देती है।

[हिन्दी]

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

1716. डॉ० बलिराम :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमाफिया द्वारा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और रेल अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर उद्योग और झुग्गियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर महानगरों में अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें शामिल अधिकारियों की पहचान के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और रेल भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) देश में लगभग 2162 हैक्टेयर रेल भूमि विभिन्न व्यक्तियों के अतिक्रमण के अधीन है जिसमें से लगभग 400 हैक्टेयर रेलवे भूमि दिल्ली में, 37 हैक्टेयर मुम्बई में, 17 हैक्टेयर कोलकाता में और 40 हैक्टेयर चैन्ने में अतिक्रमण के अधीन है। बहरहाल, इसमें रेल अधिकारियों की मिलीभगत सामने नहीं आई है। सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे अपनी भूमि से अतिक्रमणों को हटाने की निरन्तर प्रक्रिया में लगी हुई है।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल पम्पों की स्थापना के लिए निजी तेल शोधकों को अनुमति

1717. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए पात्र निजी तेलशोधकों को अपना स्वयं का पेट्रोल पम्प स्थापित करने की अनुमति नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति के बाद भी सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को उनके उत्पादों को खरीदने के लिए बाध्य करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन निजी तेलशोधकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कीमत पर अनुचित लाभ दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पात्र निजी तेलशोधकों को खुदरा विपणन की अनुमति देने में विलंब करने वाले अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सरकार ने अपने दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प द्वारा नए प्रवेशकों को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। नए प्रवेशक के आवेदन पर इन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की बिक्री

1718. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलिययम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि :

(क) शुरू-शरू में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे किन-किन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया था;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम 0.05 प्रतिशत सल्फर की मात्रा वाले डीजल की बिक्री पर उच्च लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नियंत्रित मूल्य प्रणाली के परिदृश्य में इसकी अनुमति है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कृषकों को डीजल की अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक भुगतान करने पर बाध्य किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कृषकों को कुछ राहत देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) एन सी आर में एन सी टी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्रों के भाग सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) ए पी एम के तहत डीजल पर तेल कम्पनियों को दिया जाने वाला विपणन लाभ सभी ग्रेडों के डीजल के लिए समान हैं।

(घ) से (च) चूंकि 0.05 प्रतिशत गंधक वाले डीजल पर अन्तरराष्ट्रीय बाजार में 0.25 प्रतिशत गंधक मात्रा वाले डीजल की तुलना में प्रीमियम होता है, इसलिए इसका बिक्री मूल्य उच्चतर गंधक मात्रा वाले डीजल की तुलना में सापेक्षिक रूप से अधिक है।

पालम कालोनी में सड़क ऊपरिपुल

1719. श्री जी०जे० जावीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पालम कालोनी के निकट रेलवे समपार पर सड़क ऊपरिपुल के निर्माण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने भी इस संबंध में रेल प्रशासन से निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां

(ग) दिल्ली-रेवाड़ी खंड के पालम रेलवे स्टेशन के समीप कि. मी. 18.02 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से बतौर निक्षेप कार्य के रूप में शुरू किया जा रहा है जिसके लिए हाल ही में उनके द्वारा 6.75 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। विस्तृत अनुमान और नक्शे तैयार करने संबंधी कार्य शुरू हो गया है।

सौर ऊर्जा परियोजना

1720. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार वे स्थान कौन-से हैं जहां वर्तमान समय में सौर ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बिजली प्रदान करने हेतु इन परियोजनाओं का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) सौर ऊर्जा उपयोग प्रकाशवोल्टीय रूपांतरण पद्धति के माध्यम से विद्युत के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सरकार, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत, सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणाली, सड़क रोशनी प्रणाली, जल पंपन प्रणाली और स्टैंड अलोन एवं ग्रिड-सम्बद्ध विद्युत संयंत्र जैसी विभिन्न प्रकार

की एसपीवी प्रणालियों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य और गैर-सरकारी संगठन भी अपने-अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। अब तक समूचे देश में 4,36,822 सौर लालटेन, 1,89,761 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 42,972 सड़क रोशनी प्रणालियां, 4,370 सौर जल पंपन प्रणालियां और 3,537 किवा.पा. के एसपीवी विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। इन प्रणालियों एवं विद्युत संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सौर विद्युत प्रणालियों का उपयोग रेलवे, दूरसंचार, प्रसारण, तेल, गैस एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि रोशनी, जल पंपन, दूरसंचार और अन्य औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समूचे देश में लगभग 53 मेवा. पा. की समग्र क्षमता की एसपीवी प्रणालियों व विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 28.02.2002 के अनुसार 7,183 सौर लालटेन, 541 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 3,288 सड़क रोशनी प्रणालियां, 160 सौर जल पंपन प्रणालियां और लगभग 190 किवा.पा. समग्र क्षमता के एसपीवी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

विवरण

सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियों एवं विद्युत संयंत्रों की राज्यवार उपलब्धि
(28 फरवरी, 2002 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ अन्य	सौर लालटेन (सं.)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	जल पंपन प्रणालियां (सं.)	विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां (केडब्ल्यूपी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26,884	1,030	3,454	583	296.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,437	650	738	0	7.9
3.	असम	541	2,337	98	45	3
4.	बिहार एवं झारखंड	42,149	556	673	130	0
5.	छत्तीसगढ़	577	1,055	297	5	0
6.	गोवा	280	51	40	15	1.7
7.	गुजरात	36,458	3,292	2,044	25	39.7
8.	हरियाणा	29,160	7,538	1,214	85	24.2
9.	हिमाचल प्रदेश	20,137	10,818	1,319	6	0
10.	जमू एवं कश्मीर	5,972	11,607	389	17	40
11.	कर्नाटक	5,464	2,437	712	307	33
12.	केरल	68,540	9,043	827	713	69.7
13.	मध्य प्रदेश	7,873	156	5,569	73	362.4
14.	महाराष्ट्र	7,183	541	3,288	160	191.44

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	3,883	650	370	12	11
16.	मेघालय	4,275	440	593	5	42
17.	मिजोरम	4,812	1,645	315	32	0
18.	नागालैंड	95	143	271	0	6
19.	उड़ीसा	7,472	2,378	5,666	3	36.5
20.	पंजाब	14,495	2,520	1,670	785	151
21.	राजस्थान	4,716	29,372	7,152	238	90.4
22.	सिक्किम	618	307	127	0	0
23.	तमिलनाडु	11,203	446	2,302	750	242
24.	त्रिपुरा	14,605	1,638	460	0	24.57
25.	उत्तर प्रदेश	51,533	45,625	150	209	424
26.	उत्तरांचल	22,527	30,204	250	3	80
27.	पश्चिम बंगाल	3,639	20,980	1,432	47	453.7
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	777	405	358	5	167
29.	चंडीगढ़	1,375	225	0	14	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	1	0
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	4,753	0	301	84	15
33.	लक्षद्वीप	6,460	0	771	0	385
34.	पांडिचेरी	637	13	62	18	0
	गैर-सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
35.	अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस, नई दिल्ली	1,939	375	0	0	0
36.	सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया, राजस्थान	1,250	1,000	0	0	38.7

1	2	3	4	5	6	7
37.	वर्ल्ड रिन्यूअल एवं स्प्रिचुअल ट्रस्ट, माउंट आबू, राजस्थान	3,285	50	0	0	300
38.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	16,818	234	60	0	0
	कुल	436,822	189,761	42,972	4,370	3,537

[हिन्दी]

राजस्थान में रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों को बंद किया जाना

1721. **श्री जसवंत सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियां बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या राज्य में कितने पेट्रोल पंपों और रसोई गैस ऐजेंसियों को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जबकि राजस्थान राज्य में कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन्द नहीं है, वहीं इस समय राज्य में 5 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) बंद हैं।

(ख) और (ग) डीलरशिपें विभिन्न कारणों से बन्द पड़ी हैं जैसे भागीदारों में विवाद, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि के उपयोग का परिवर्तन, कदाचारों आदि के कारण समाप्ति। उक्त प्रत्येक डीलरशिप का कार्य आरम्भ होना प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करेगा।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन का दोहरीकरण

1722. **श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर, अजमेर, आबू रोड़ होते हुए दिल्ली-अहमदाबाद के बीच की रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की सभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सर्वेक्षण 31.12.2002 तक पूरा होने की संभावना है।

पाकिस्तान टी.वी. पर प्रतिबंध

1723. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री पी०एस० गढ़वी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में पाकिस्तान टी.वी. के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध कब से लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति

1724. **श्री जे०एस० बराड़ :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री किरीट सोमैया :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति से आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नियंत्रित मूल्य-प्रणाली को विघटित करने का निर्णय करने से पूर्व इसका मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर से कितनी राजसहायता वापस लिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति समाप्त करने का निर्णय सरकार के नवम्बर, 1997 के संकल्प के अनुसार है। ए पी एम की समाप्ति के साथ पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण बजार निर्धारित रहेगा परन्तु सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर राजसहायता देने जारी रखेगी। 1 मार्च, 2002 से घरेलू एल पी जी के मूल्य में लगभग 40 रुपये प्रति सिलेंडर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल पर लगभग 1.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है।

[हिन्दी]

बिलासपुर रेलवे जोन

1725. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर रेलवे जोन से संबंधित प्राक्कलन, नामकरण और क्षेत्राधिकार जैसे कार्य सिर्फ प्रशानिक स्वीकृति न मिलने की वजह से रेलवे बोर्ड के पास लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) बिलासपुर रेलवे जोन के नामकरण एवं भौगोलिक क्षेत्राधिकार को इसमें शामिल विभिन्न जटिलताओं के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस समय रेलवे द्वारा धन की अत्यधिक तंगी का सामना करने के कारण बिलासपुर सहित सभी घोषित नए जोनों की स्थापना के संबंध में प्रगति धीमी है। इस परिस्थिति में किसी विशिष्ट समय सीमा को इंगित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

नियंत्रित मूल्य प्रणाली का विघटन

1726. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी का तेल और रसोई गैस को नियंत्रित-मूल्य प्रणाली के विघटन से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नीति संबंधी नए निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) यद्यपि प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति को 1 अप्रैल, 2002 से समाप्त किया जा रहा है फिर भी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर राजसहायता देना जारी रखेगी।

एन.आई.एन.एल., डुबुरी की उत्पादन क्षमता

1727. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में डुबुरी स्थित नीलाचल इस्पात निगम के इस्पात संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू हो जाने की संभावना है और संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है तथा पी एल एफ का निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या वाणिज्यिक उत्पादन हेतु लक्षित तिथि कई वर्षों तक विलंबित हो गयी है और उससे संयंत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की लागत वृद्धि प्रभावित हुई है;

(ग) क्या प्रति टन उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र को शीघ्र शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन आई एन एल) के धमन भट्टी परिसर को फरवरी, 2002 में चालू कर दिया गया है और कच्चे लोहे का उत्पादन तथा प्रणाली का स्थिरीकरण प्रारंभ हो गया है। इसकी इष्टतम उत्पादन क्षमता लगभग 11 लाख टन तप्त धातु प्रतिवर्ष है। आशा है कि यह संयंत्र प्रचालन के तीसरे वर्ष के दौरान निर्धारित क्षमता के इस लक्षित स्तर तक पहुंच जाएगा।

(ख) और (ग) 1996 में अनुमानित पूंजीगत परिव्यय 1510 करोड़ रुपए था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने 2001 में इस परियोजना का मध्यावधि आकलन किया था और रॉड मिल को छोड़कर परियोजना की संशोधित लागत 1524 कराड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य रूप से संपूर्ण भूमि का वास्तविक कब्जा देने में अनावश्यक देरी होने और भीषण चक्रवात से नुकसान होने के कारण संयंत्र को चालू करने में देरी हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंठ (आई डी बी आई) द्वारा किए गए मध्यावधि आकलन के अनुसार यह परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है।

(घ) कच्चे लोहे का उत्पादन करने वाले धमन भट्टी परिसर को पहले ही चालू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड के लिए मिट्टी तेल के कोटे में वृद्धि

1728. श्री ब्रजमोहन राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड की बढ़ती जनसंख्या और मिट्टी के तेल पर ग्रामीण लोगों की निर्भरता के मद्देनजर झारखंड राज्य के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रति माह झारखंड को कुल कितना किलो लीटर मिट्टी का तेन उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(ग) सरकार का इसे किस सीमा तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"पैलेस-ऑन व्हील्स" के किराए में कमी

1729. डॉ० राजेश्वरम्मा चुक्कला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "पैलेस-ऑन व्हील्स" लक्जरी ट्रेन का किराया कम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किराए में कितने प्रतिशत की कमी की गई है;

(ग) कम किया गया किराया कब से प्रभावी होगा;

(घ) क्या किराए में कमी से अधिक पर्यटक आकर्षित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किराए में कमी से पूर्व और बाद में ट्रेन में चलने वाले पर्यटकों की संख्या दर कितनी-कितनी थी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा सीजन के लिए विदेशी पर्यटकों हेतु व्यस्ततम सीजन टैरिफ में 25% की छूट और भारतीय पर्यटकों के लिए 10,000/- रुपए प्रति रात्रि प्रति व्यक्ति का एक विशेष टैरिफ प्रदान किया गया है।

(ग) कम किया गया किराया 2 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस अवधि के दौरान अधिभोगिता 21% से बढ़कर 45% हो गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विकास

1730. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निदेश दिया गया है ताकि उनकी सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में इन शोषित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संविधान के इस निदेश का कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में राज्य सरकार के विभागों, राज्य नोडल एजेंसियों आदि के माध्यम से विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है जिनसे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों सहित अन्य लोगों के लिए रोजगार का सृजन होता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने बायोगैस और बायोमास गैसीफायर कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभभोगियों की विशेष श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उच्च स्तरों की सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है।

सुनैर होटल्स लिमिटेड के विरुद्ध याचिका

1731. **डा० चरणदास महंत** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने जांच के बाद जून 2000 में कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स सुनैर होटल्स लिमिटेड के विरुद्ध याचिका दायर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिथ्या शपथ के लिए होटल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी हां, इस विभाग ने जांच रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर मैसर्स सुनैर होटल्स लिमिटेड के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 77, 211 और 212 के उल्लंघन की चूक के लिए कम्पनी और/या इसके अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन आरम्भ किए हैं। यद्यपि, धारा 211 और 212 के अंतर्गत अपराधों का प्रशमन कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा कम्पनी के आवेदन पर किया जा रहा है। धारा 77 के उल्लंघन के लिए अभियोजन अतिरिक्त प्रमुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में लम्बित हैं तथा उनकी सुनवाई 15 अप्रैल, 2002 को तय की गई है। आगे, अधिनियम की धारा 299 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कम्पनी के निदेशकों ने अपराध प्रशमन करने के लिए अधिनियम की धारा 621क के अंतर्गत आवेदन दिया है और उनका कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा प्रशमन किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में विद्युत घोटाला

1732. **श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी**
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये के विद्युत घोटाले की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घोटाले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में मतदाता सूची हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण

1733. **श्री अबुल हसनत खां** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में वर्ष 1994 में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करते समय मतदाता सूची 62.14 लाख से बढ़कर 66.80 लाख अर्थात् लगभग सात प्रतिशत अधिक हो गई थी;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सन् 2002 में दिल्ली में मतदाता सूचियों में आई सात लाख मतों की कमी की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) वर्ष 1993, 1994, 1995, 2001 और 2002 के दौरान दिल्ली में निर्वाचकों की कुल संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, वर्ष 2002 में निर्वाचकों की संख्या में कमी के कारण मृत व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों के, जिन्होंने निवास बदल लिया है, अपात्र मतदाताओं के नामों और ओहरी प्रविष्टियों को हटाए जाने, आदि हैं।

विवरण

क्र.सं.	अर्हक तारीख	कुल निर्वाचक
1.	01.01.1993	57,56,052
2.	01.01.1994	56,57,513
3.	01.01.1995	77,45,234
4.	01.01.2001	88,88,886
5.	01.01.2002	81,22,685

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन जारी करना

1734. योगी आदित्यनाथ :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसोई गैस कनेक्शन जारी करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित रसोई गैस कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इस समय देश भर में एल पी जी कनेक्शन सभी विद्यमान बाजारों में मांग पर उपलब्ध हैं। चूंकि ग्राहकों के लिए एल पी जी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं, इसलिए इस संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लंबित परियोजनाएं

1735. श्री टी०वी०वी० दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चल रही/लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमानित लागत क्या है और अब तक कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने हेतु परियोजना-वार क्या लक्षित तिथि निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) तमिलनाडु में चल रही सभी रेल परियोजनाओं, उनकी लागत, मार्च, 2002 तक अनुमानित खर्च और प्रत्येक परियोजना के लिए 2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, परियोजना की स्थिति में दी गई है।

विवरण

14.3.2002 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1735 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट

तमिलनाडु में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
			(राशि करोड़ रुपए में)			
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइन					
1.	करूर-सलेम	द.रे.	229.86	43.29	15.00	30% भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और 69 कि.मी. पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। कावेरी नदी पर पुल का कार्य भी

1	2	3	4	5	6	7
						प्रगति पर है। कलंगनी और मल्लूर में स्टेशन इमारत का कार्य शुरु कर दिया गया है। चरण-1 में करूर से नामक्कल (51 कि.मी.) को कार्य किया जा रहा है।
2.	बेंगलूरू-सत्यमंगलम	द.रे.	225.00	0.28	0.25	बेंगलूरू से चामराजनगर तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष भाग में प्रगति पर है। अतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने और सरेखण तैयार कर लिए जाने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण योजना बनाई जाएगी।
	आमान परिवर्तन					
3.	चेन्नै बीच-तिरुचिरापल्ली और अरकोण्णम-चेंगलपट्टू	द.रे.	699.26	601.43	1.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
4.	डिंडीगुल-त्रिची	द.रे.	133.93	131.94	0.01	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
5.	तिरुचिरापल्ली-नागोर-कड़ईकल	द.रे.	211.36	81.30	13.00	त्रिची से थंजावुर (50 कि.मी.) खंड पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। नागपट्टीनम-वल्लनकली इस कार्य के महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है लेकिन सरेखण में राज्य सरकार के परामर्श से आशोधन किया जा रहा है।
6.	यशवंतपुर-सलेम	द.रे.	176.29	175.80	0.01	कार्य पूरा हो गया है। बनियापत्राहल्ली से सलेम खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। बहरहाल, बनियापत्राहल्ली-यशवंतपुर हैबल और लिंगरापुरम में सड़क ऊपरी पुल बनवाने के लिए जन आंदोलन के कारण शुरु नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार को इसके शीघ्र शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस कार्य के भाग के रूप में यशवंतपुर बाईपास का एक और कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, इसमें मिलिट्री भूमि के हिस्से के हस्तांतरण का कार्य शामिल है जिसका कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7
7.	मदुरै-रामेश्वरम	द.रे.	243.00	4.33	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। मदुरै और मन मदुरै के बीच मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
8.	कोल्लम-तिरुनेलवेली त्रिचांदूर और तेनकासी-विरुद्धनगर	द.रे.	462.61	26.12	25.00	विरुद्धनगर-तेनकासी और तिरुनेलवेली चित्रांदूर, पुल संबंधी और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ढालों को आसान बनाने के लिए और ब.ला. के उपयुक्त घुमावों के लिए घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर लिया गया है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
9.	विषुपुरम-पांडीचेरी	द.रे.	43.83	1.01	10.00	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
10.	थंज़ावुर-विषुपुरम मुख्य लाइन	द.रे.	231.00	0.03	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
11.	कुड्डालोर-सलेम वरास्ता वृद्धाचलम	द.रे.	99.34	19.75	15.00	चरण-I में वृद्धाचलम-कड्डालोर के आमान परिवर्तन का कार्य शुरु कर दिया गया है जबकि मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह खंड 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
12.	त्रिची-मनमदुरै	द.रे.	175.00	0.05	2.00	बजट 2000-01 में शामिल नया कार्य। विस्तृत योजना शुरू कर दी गई है।
13.	विषुपुरम-काटपाड़ी	द.रे.	175.00	0.08	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। विस्तृत योजना शुरू कर दी गई है।
	दोहरीकरण					
14.	इरुगुर-कोयम्बटूर	द.रे.	38.67	0.44	7.28	इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत योजना भी बनाई जा रही है। यथा अपेक्षित कार्य आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार शुरु किए जाएंगे और पूरे कर लिए जाएंगे।
15.	अट्टीपट्ट-कोरुक्कूपेट्टै	द.रे.	77.10	8.18	15.00	एण्णौर क्रीक पर महत्वपूर्ण पुल का निर्माण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
	महानगर परिवहन परियोजना					
16.	चेन्नै बीच-लुज (अब तिरुमलई) चरण-I : द्रुत परिवहन प्रणाली	द.रे.	268.87	267.82	1.00	लाइन 19.10.97 को यातायात के लिए खोल दी गई। अतिरिक्त स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।
17.	तिरुमलई से वेलाचेरी तक एमआरटीएस चरण-II	द.रे.	228.11	176.05	16.00	पहले कालम में दी गई धनराशि रेलवे की हिस्से की है। परियोजना की दो तिहाई लागत तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। तिरुमलई से तारामणी तक संपूर्ण उत्थापित खंड के लिए उप संरचना कार्य पूरे हो गये हैं। 4 स्थानों पर स्टेशन इमारतों के निर्माण का कार्य अतिक्रमण के न हटाए जाने के कारण प्रभावित हुआ। सहायता के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
18.	चेन्नै बीच-ताम्बरम-चेंगलपट्टू आमान परिवर्तन	द.रे.	227.62	175.80	30.00	पहले कालम में दी गई धनराशि रेलवे की हिस्से की है। कार्य प्रगति पर है। मी.ला. टर्मिनल ताम्बरम में पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है और मी.ला. मुख्य लाइन परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। मुख्य लाइन पर अतिरिक्त ऊंचे स्तर के प्लेटफार्मों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।
	रेल विद्युतीकरण					
19.	इरोड-पालघाट-एर्णाकुलम	द.रे.	220.10	220.09	0.01	कार्य पूरा हो गया है और अवशिष्ट कार्य चल रहे हैं।
20.	ताम्बरम-चेंगलपेट्टू विषुपुरम और चेंगलपेट्टू-करकोण्णम	द.रे.	38.44	24.47	11.00	मार्च, 2001 तक 29 मार्ग कि.मी. उर्जित कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2003 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

गुजरात और महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1736. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री अनंत गुढ़े :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री प्रकाश बी० पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में आज की तिथि के अनुसार चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं/किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और उसमें परियोजना-वार क्या प्रगति की गई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या कुछ परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सारणी से पीछे चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (च) महाराष्ट्र और गुजरात में चल रही सभी रेल लाइन परियोजनाओं, 2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय और प्रत्येक परियोजना के लिए मार्च, 2002 तक संभावित खर्च का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है। परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, परियोजना की स्थिति में दी गई है। परियोजनाएं अपनी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी संलग्न विवरणों में दिए गए हैं।

गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्रमशः विवरण III और IV में दिया गया है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
			(राशि करोड़ रुपए में)			
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	अमरावती-नरखेड	म.रे.	175.30	58.30	10.00	भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी और छोटे पुल संबंधी और बड़े पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। अमरावती स्टेशन इमारत का कार्य पूरा होने वाला है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
2.	अहमदनगर-बीड-पर्ली बैजनाथ	म.रे.	353.08	3.45	15.00	अहमदनगर छोर से 15 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। शेष भाग पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए निविदाओं की कार्रवाई चल रही है। 15 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण नक्शे और कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बीड में स्टेशन इमारत का कार्य भी प्रगति पर है।
3.	पनवेल-करजत विद्युतीकरण बड़ी लाइन (चरण-I)	म.रे.	106.90	59.41	20.00	सारी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। सुरंग संबंधी कार्य भी प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	बारामती-लोनाद	म.रे.	75.00	0.43	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण नक्शे और कागजातों की तैयार प्रगति पर है।
5.	पुनतांबा-सिरडीह	म.रे.	48.78	3.02	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया जा रहा है। पुनताम्बा छोर से भूमि अधिग्रहण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण प्रगति पर है।
	आमान परिवर्तन					
6.	मिरज-लातूर	म.रे.	329.02	141.37	30.00	कार्य चरणों में प्रगति पर है। चरण-I में कुर्डुवाडी से पंढारपुर (52 कि.मी.) का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। चरण-II में लातूर रोड से लातूर (42 कि. मी.) तक मिट्टी संबंधी और बड़े और छोटे पुल संबंधी कार्य पूरे हो गये हैं। रेलपथ संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं और 2002-03 के दौरान खंड पूरा कर लिए जाने की संभावना है। कुडुवाड़ी से लातूर (143 कि. मी.) चरण-III का कार्य शुरू कर दिया गया है। मिरज पंढारपुर (137 कि.मी.) चरण-IV का कार्य परियोजना के पिछले चरण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
7.	मुदखेड-आदिलाबाद	द.म.रे.	142.22	7.98	30.00	कार्य 'बोल्ट' योजना में शुरू कर दिया गया था। अब इस कार्य को रेलवे की निधि के माध्यम से करने का विनिश्चय किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
8.	सोलापुर-गदग	द.म.रे.	262.05	136.61	20.00	कार्य चरणों में शुरू किया जा रहा है। शोलापुर-होटगी और होटगी-बीजापुर का कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग के शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है जो आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए केआरआईडीईएस के माध्यम से वित्त पोषण की कोशिश की जा रही है।
9.	सिकंदराबाद-मुदखेड़ और जनखमपेट-बोधन	द.म.रे.	287.83	88.20	30.00	मुदखेड़-निजामाबाद (96 कि.मी.) पहले चरण में कार्य शुरू कर दिया गया है। मुदखेड़-निजामाबाद खंड का आमान परिवर्तन शुरू कर दिया गया है और मुदखेड़-धर्माबाद 31.3.2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और शेष 30.6.2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। शेष खंड पर भी कार्य प्रगति पर है।
10.	अकोला-पूर्णा	द.म.रे.	228.00	0.44	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूर्णा से हिंगोली (81.5 कि.मी.) पहले खंड में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7
11.	गोंदिया-चांदाफोर्ट	द.पू.रे.	242.09	241.89	0.01	कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
	दोहरीकरण					
12.	दौंड-बिगवान	म.रे.	46.90	44.61	0.50	कार्य पूरा हो गया है और खंड 2001-02 के दौरान यातायात के लिए खोल दिया गया है।
13.	दिवा-वसई	म.रे.	160.00	152.04	0.50	कार्य पूरा हो गया है और खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है।
14.	पनवेल-रोहा भूमि अधिग्रहण	म.रे.	4.10	2.60	0.50	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है और शीघ्र ही भूमि अधिग्रहीत कर लेने की संभावना है।
15.	दिवा-कल्याण 5वीं और 6ठी लाइन का दोहरीकरण	म.रे.	48.06	9.98	25.00	दिवा-कल्याण खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए जा रहे हैं। नक्शों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
16.	पनवेल-जसई-जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीट)	म.रे.	53.25	0.001	3.12	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।
17.	पकनी-सोलापुर	म.रे.	33.33	0.00	5.00	बजट 2002-03 में शामिल नया कार्य।
	महानगर परिवहन परियोजना					
18.	कुर्ला-ठाणे 5वीं और 6ठी लाइन (चरण-I)	म.रे.	95.00	69.76	10.00	मिट्टी संबंधी, गिट्टी की आपूर्ति, रेलपथ संपर्क, बड़े पुलों, शिरोपरि उपस्कर संरचना के शिलान्यास और लगाने का कार्य और अन्य कार्य टुकड़ों में प्रगति पर है। जहां अतिक्रमण नहीं है।
19.	थाणे-तुर्भे-नेरूल/वाशी नवीं मुंबई में गलियारा सं. 2 का भाग	म.रे.	131.47	93.14	1.00	दूसरी लाइन के लिए सिविल कार्य पूरे होने वाले हैं। विद्युतीकरण और सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। भूमि अधिग्रहण में विलंब कार्य की प्रगति को प्रभावित कर रहा है।
20.	बेलापुर-पनवेल दोहरीकरण	म.रे.	92.50	84.38	0.50	दोहरी लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है और 14.4.2001 को दैनिक यातायात के लिए खोल दी गई है। सिडको द्वारा किए जाने वाले शेष कार्य प्रगति पर हैं।

1	2	3	4	5	6	7
21.	बेलापुर-सीवुड-उरान विद्युतीकरण लाइन	म.रे.	163.49	42.39	1.00	पनवेल क्रिक पर महत्वपूर्ण पुल का कार्य, सिवुड में छोटे पुल और सब वे के निर्माण का कार्य और सनपाड़ा कार शेड में कार्य प्रगति पर है। सिडको द्वारा पेश आ रही वित्तीय तंगियों के कारण परियोजना के निष्पादन को दो चरणों में बांट दिया गया है। पहले चरण में खंड पर इकहरी लाइन बिछायी जाएगी।
22.	कुर्ला-थाणे 5वीं और 6ठी लाइन (भांडुप से थाणे) चरण-II	म.रे.	56.79	30.24	10.00	मिट्टी संबंधी, गिट्टी की आपूर्ति, पुल और 5वीं और 6ठी लाइन में बाधक 22 के.वी. एरियल फीडर को भूमिगत केबलों से बदलने का कार्य भांडुप-मुलुंड थाणे खंड पर प्रगति पर है।
23.	थाणे-मुम्बरा 5वीं और 6ठी लाइन	म.रे.	49.34	1.09	0.10	विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट आकलन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।
24.	बोरीवली-विरार: चौहरीकरण	प.रे.	401.66	94.59	118.00	मिट्टी संबंधी, बड़े और छोटे पुल संबंधी, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और क्वार्टर संबंधी कार्य प्रगति पर है।
25.	सांताक्रूज-बोरीवली 5वीं लाइन	प.रे.	89.30	88.59	0.40	सभी बड़े और छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य, जो अतिक्रमण हटाने में विलंब के कारण कतिपय स्थानों पर रुक गया था, पुन: शुरू कर दिया गया। बोरीवली-अंधेरी खंड पहले ही चालू कर दिया गया है। शेष खंड मार्च, 2002 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
26.	विरार-दहानू रोड ऑटोब्लॉक सिगनलिंग	प.रे.	29.09	26.57	1.00	कार्य शीघ्र पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
27.	विरार-दहानू रोड : ईएमयू स्थानों के लिए सुविधाओं का विकास और दहानू रोड में टर्मिनल सुविधाएं	प.रे.	17.09	14.57	1.00	परियोजना योजना आयोग से हाल ही में स्वीकृत की गई है। कार्य का निष्पादन प्रगति पर है।
	रेल विद्युतीकण					
28.	उधना-जलगांव	प.रे.	140.99	108.90	300.00	मार्च, 2001 तक 93 मार्ग कि.मी. उर्जित कर दिया गया है। कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है। लक्ष्य मार्च 2003 है।

विवरण-II

गुजरात में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	अनुमानित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
			(राशि करोड़ रुपए में)			
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	कपड़वंज-मोड़ासा	प.रे.	61.67	59.36	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
2.	गोधरा-इंदौर, देवास-मक्सी	प.रे.	597.00	48.73	22.10	कार्य चरणों में किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। मक्सी-देवास खंड 2001-02 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
3.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	प.रे.	52.00	0.02	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य शुरू करने के लिए और प्रबंध किए जा रहे हैं।
	आमान परिवर्तन					
4.	वीरमगाम-जोधपुर ब.ला. रेल मार्ग, भीलड़ी-समदड़ी, समदड़ी-लूनी का आमान परिवर्तन	प.रे.	244.74	1.25	15.00	यह कार्य 1990-91 में कांडला-भटिंडा रेल संपर्क के भाग के रूप में स्वीकृत किया गया था। कार्य हाल ही में पुन: शुरू किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
5.	भीलड़ी (मेहसाना-पाटन)-वीरमगाम	प.रे.	134.80	15.89	1.00	चरण-I में वीरमगाम-मेहसाना खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी, छोटे और बड़े पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। सभी बड़े और छोटे पुलों की उपसंरचना पूरी हो गई है। इस खंड का रेलपथ और सिगनल संबंधी कार्य 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। जिसके लिए निविदाओं पर कार्रवाई चल रही है।
6.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	प.रे.	632.35	623.35	9.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
7.	राजकोट-वैरावल, वंशजलिया जेतलसेर तक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित	प.रे.	291.61	37.32	35.00	मिट्टी संबंधी, छोटे और बड़े पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। राजकोट-जैतलसेर 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	गांधीधाम-भुज	प.रे.	50.75	44.40	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
9.	बांकामेर-मलियामियाना	प.रे.	100.85	100.35	0.01	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
10.	सुरेन्दनगर-भावनगर, ढोला-ढांसा-महुआ, पीपावाव तक विस्तार सहित	प.रे.	227.63	73.99	25.90	सुरेंद्रनगर से राजूला-पीपावाव को जोड़ते हुए मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य रेल मंत्रालय और जीपीपीएल के एसपीवी के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति आदि कार्य प्रगति पर है। पीपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर से राजूला का आमान परिवर्तन 2002-03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
11.	ध्रांगध्रा-कुड़ा साइडिंग	प.रे.	3.39	3.38	0.01	यह कार्य एक तिहाई लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है जिसमें रेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय सह-भागीदार हैं। तल्प कार्य पूरे हो गये हैं और संपर्क कार्य प्रगति पर हैं। कार्य 2001-02 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
12.	गांधीधाम-पालनपुर	प.रे.	370.74	14.36	10.00	कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक प्रबंध कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने अन्य लाभार्थियों के साथ परियोजना की लागत में भागीदारी की इच्छा जाहिर की है। इस पर कार्रवाई चल रही है।
	दोहरीकरण					
13.	वडोदरा और विरार के बीच 3सरी लाइन का सूरत-कोसाम्बा चरण-I	प.रे.	49.00	0.30	16.38	नक्शे और विस्तृत अनुमानों की तैयारी शुरू कर दी गई है।
	रेल विद्युतीकरण					
14.	उधना-जलगांव	प.रे.	140.99	108.90	30.00	मार्च, 2001 तक 93 मार्ग कि.मी. उर्जित कर दिया गया है। कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है। लक्ष्य मार्च, 2003 है।

विवरण-III

महाराष्ट्र में चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	कि.मी.
1	2	3	4
	नई लाइन		
1.	चिंचवाड और रोहा	म.रे.	95

1	2	3	4
2.	सोलापुर-तुल्जापुर-उस्मानाबाद	म.रे.	60
3.	उमरेर से नागपुर वरास्ता खपड़खेदा और कोराडी	म.रे.	45
4.	रोटेगांव-पुनताम्बा	म.रे.	40
5.	कुर्ला-माहुल	म.रे.	
6.	श्रीपुर-मऊ	म.रे.	185
7.	खंडवा से नरदाना वरास्ता खारगांन, सेंदवा	म.रे.	225
8.	लातूर रोड-मुदखेड	द.म.रे.	120
9.	रामटेक से गोटेगांव वरास्ता खवासा, सियोनी और धूमा	द.पू.रे.	240
10	गोरेगांव-बोरीवल्ली	प.रे.	7
	आमान परिवर्तन		
11.	पुलगांव-आरवी आम्ता तक विस्तार सहित आमान परिर्वतन	म.रे.	154
12.	नागभीर से नागपुर	द.पू.रे.	126
13.	उमरेर से नागभीर	द.पू.रे.	90
14.	छिंदवाडा-नैनपुर	द.पू.रे.	140
15.	छिंदवाडा-नागपुर	द.पू.रे.	150
	दोहरीकरण		
16.	दौंड-मनमाड़ विद्युतीकरण सहित	म.रे.	238
17.	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन	म.रे.	67
18.	दौंड-बिगवान-गुलबर्गा	म.रे.	272
19.	मुम्बई सेंट्रल-बोरीवल्ली 5वीं और 6ठी लाइन	प.रे.	30

विगत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पूरे किए गए सर्वेक्षण, जिनका कार्य शुरू नहीं किया गया है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	कि.मी.	स्थिति
1	2	3	4	5
	नई लाइन			
1.	वरोरा और उमरेर	म.रे.	106	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।

1	2	3	4	5
2.	कोपरगांव से सिरीडीह	म.रे.	17	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
3.	धुले-नरदाना-सिरपुर	म.रे.	62	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
4.	पुणे-नासिक	म.रे.	265	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
5.	कल्याण से अहमदनगर वरास्ता मुरबाद	म.रे.	240	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
6.	वर्धा-पुषाड़-नांदेड़	म.रे.	260	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
7.	जालना-खामगांव	म.रे.	155	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
8.	मनमाड़-धुले वरास्ता मालेगांव	म.रे.	98	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
9.	नासिक-कोपरगांव वरास्ता शिरडी	म.रे.	92	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
10.	अमरावती सहित भुसावल-नागपुर का डायवर्जन	म.रे.	20	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
11.	बल्लाहरशाह-अस्ती-सूरजगढ़	म.रे.	20	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
12.	बांद्रा-कुर्ला	म.रे.	5	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
13.	बीड-जालना	द.म.रे.	111	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
14.	घटनांदूर-अम्बा जोगई	द.म.रे.	21	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
15.	कोंकण रेलवे पर कोल्हापुर से रत्नागिरी वरास्ता तलवाड़े	द.म.रे.	211	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
16.	पर्ली-वैजनाथ-घाटनादूर	द.म.रे.	25	सर्वेक्षण छोड़ दिया गया है।
17.	वाडसा-गोडचिरौली	द.पू.रे.	50	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
18.	नागपुर-बैरामगढ़	द.पू.रे.	247	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।

1	2	3	4	5
19.	दहानू रोड-नासिक रोड	प.रे.	168	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
	आमान परिवर्तन			
20.	पचौरा-जामनेर अजंता गुफाओं तक विस्तार सहित आमान परिवर्तन	म.रे.	104	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
21.	पूर्णा-अकोला-खण्डवा-रतलाम-मऊ	प.रे.	625	पूरा हो गया है और परियोजना 2000-01 में पूर्णा से अकोला तक स्वीकृत।
	दोहरीकरण			
22.	पुणे-लोनावाला चौहरीकरण	म.रे.	64	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
23.	पनवेल-पेन-रोहा	म.रे.	76	पूरा हो गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
24.	कोल्हापुर-पुणे	द.म.रे.	326	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।
25.	नरदाना-आमलनेर	प.रे.	28	पूरा हो गया है और परियोजना छोड़ दी गई है।

विवरण-IV

गुजरात में चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	कि.मी.
1	2	3	4
	नई लाइन		
1.	भावनगर-तारापुर	प.रे.	150
2.	खाराघोदा-सन्तालपुर	प.रे.	100
3.	नड़ियाद-कपड़वंज-मोड़ासा को उदयपुर से जोड़ते हुए	प.रे.	22
4.	जैसलमेर से कांडला	प.रे.	600
	आमान परिवर्तन		
5.	मेहसाना-तारांगा हिल	प.रे.	57
6.	उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	प.रे.	346

1	2	3	4
	दोहरीकरण		
7.	दिल्ली-अहमदाबाद	प.रे.	934
8.	उधना-जलगांव	प.रे.	295

विगत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पूरे किए गए सर्वेक्षण, जिनका कार्य शुरु नहीं किया गया है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	कि.मी.	स्थिति
	नई लाइन			
1.	रानू-पीपड़ी-भद्रान	प.रे.	29	पूरा हो गया और परियोजना विरार-अहमदाबाद के लिए तीसरी लाइन में शामिल।
2.	वैरावल से कोड़ीनार	प.रे.	36	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
3.	कोड़ीनार से पीपावाव तटीय लाइन	प.रे.	99	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
4.	दहानू रोड-नासिक रोड	प.रे.	168	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
5.	पोरबंदर से पोरबंदर पोर्ट	प.रे.	5	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
6.	मोभा रोड-भद्रान	प.रे.	29	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
	आमान परिवर्तन			
7.	भरूच-सामनी-जम्बूसर-विश्वामित्री	प.रे.	96	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
8.	भरूच-सामनी-दहेज	प.रे.	62	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
9.	जम्बूसर-कवि	प.रे.	26	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
10.	भद्रान-बोचसन-पटैलाड़-नड़ियाद	प.रे.	59	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
11.	मियाग्राम-करजन-डबोई-सामल्या	प.रे.	80	पूरा हो गया और परियोजना विरार अहमदाबाद के लिए तीसरी लाइन में शामिल।
12.	भुज-नलिया	प.रे.	101	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।
13.	कलोल-कोटासान	प.रे.	37	पूरा हो गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
14.	प्रतापनगर से छोटा उदयपुर आमान परिवर्तन और छोटा उदयपुर से धार नई बड़ी लाइन	प.रे.	250	पूरा हो गया और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
	दोहरीकरण			
15.	विरार और अहमदाबाद तीसरी लाइन	प.रे.	549	पूरा हो गया और परियोजना छोड़ दी गई।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा एच.पी.सी.एल. की इक्विटी की खरीद

1737. **श्री पवन कुमार बंसल :**
डा० संजय पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की इक्विटी खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे ऐसा करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और सरकार ने इस पर कोई आपत्तियां की हैं तो वे क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रक्रिया से आई० ओ० सी० एल० की अनुपस्थिति से इसमें रुचि रखने वाली निजी पार्टियों को फायदा मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी के विनिवेश के तरीके एवं रूपात्मकताओं को निश्चित नहीं किया गया है। इसलिए, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के लिए बोली के संबंध में इस समय उत्पन्न होने वाली किसी समस्या अथवा मुद्दे का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड कारपोरेशन द्वारा मोबाइल लैब की नियुक्ति

1738. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तेल निगमों ने मोबाइल लैब पर अधिकारियों की नियुक्ति की है जिनके पास इस कार्य हेतु अपेक्षित रसायन शास्त्र में शैक्षिक अर्हता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार रसायन विज्ञान में योग्यता प्राप्त अधिकारी सचल प्रयागशालाओं में काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनें

1739. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू के लिए नांगल, उना के रास्ते सबसे छोटे रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, नांगल डैम-तलवाड़ा के नई लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके पूरा होने पर नांगल डैम और जम्मूतवी के बीच छोटा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी गोलीबारी द्वारा सैनिकों की मौत

1740. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री रतन लाल कटारिया :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री विक्रम केशरी देव :
श्री डा० डी०वी०जी० शंकर राव :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री भुर्तृहरि महताब :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2001 और जनवरी, 2002 के दौरान पाकिस्तानी सेना का खतरनाक रूप धारण करता भारी जमावड़ा सीमा पर और नियंत्रण रेखा पर देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पाकिस्तानी सेनाओं ने उक्त अवधि के दौरान नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में कितने सैनिक मारे गए ;

(छ) पाक गोलीबारी के कारण कितने जानमाल का नुकसान हुआ;

(ज) मृत सैनिकों के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(झ) पाकिस्तानी पक्ष को इससे कुल कितनी हानि हुई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आंतकवादी हमले के तत्काल बाद पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों और आर्मर को भारत-पाक सीमा की ओर आते हुए देखा गया था। पहले से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा की सुरक्षाकर रही सैन्य टुकड़ियों समेत पाकिस्तान की संपूर्ण सेना भारत-पाकिस्तान सीमा के और करीब पहुंच गई है तथा उसने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित रक्षात्मक रुख अनपाया है। पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर सतत नजर रखी जा रही है तथा उच्च सतर्कता बरती जा रही है।

(घ) और (ङ) जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी होना आम बात है। तथापि, उन क्षेत्रों में गोलीबारी ज्यादा होती है जहां पाकिस्तान घुसपैठ को शह दे रहा है। जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अंतर राष्ट्रीय सीमा के हिस्से में तैनात भारतीय सैन्य टुकडियां वस्तुत: पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी के जवाब में तथा घुसेपैठ रोकने के लिए गोलीबारी करती हैं।

(च) और (छ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, पाकिस्तानी गोलीबारी से दिसंबर 2001 तथा जनवरी 2002 के दौरान सेना के कुल 18 कार्मिक मारे गए हैं। दिसंबर 2001 तथा फरवरी 2002 के बीच दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान जम्मू व कश्मीर में 16 बंकर नष्ट हो गए तथा 14 बंकर क्षतिग्रस्त हो गए।

(ज) आवश्यक कागजी कार्रवाई तथा कानूनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद आतंकवादी कार्रवाइयों के युद्ध हताहतों के निकटतम रिश्तेदारों के लिए एक व्यापक कल्याण पैकेज तैयार कर कार्यान्वित किया गया है।

(झ) दिसंबर 2001 तथा जनवरी 2002 में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान कुल 134 पाकिस्तानी बंकर नष्ट हो गए तथा 64 बंकर क्षतिग्रस्त हो गए।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थान परिवर्तन

1741. **श्री विकास चौधरी :**
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय को कोलकाता से हटाकर रांची झारखंड में स्थानांतरित करने हेतु घटक राज्यों के विचार मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यलय का स्थान परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। दामोदर घाटी निगम का अधिकतम परिचालन क्षेत्र झारखंड राज्य में होने के कारण झारखंड सरकार ने दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यलय को रांची में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल एक घटक राज्य होने के नाते इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार से विचार मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

माक्सी-दाहोद रेल लाइनें

1742. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माक्सी-दाहोद रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोधरा-इंदौर और देवास-माक्सी रेल मार्ग पर उक्त रेल लाइन बिछाने का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के बजट में उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या रेल लाइन से संबंधित कार्य को पूरा करने हेतु आबंटित धनराशि पर्याप्त है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ज) क्या सरकार को जानकारी है कि रेल मार्ग अर्थात् इन्दौर-धार-झाबुआ लाइन के मध्य भाग में रेल लाइल बिछने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में लाइन बिछने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (झ) गोधरा से इंदौर तक बरास्ता दाहोद, झबुआ, धार नई तथा देवास-मकसी नई लाइन का निर्माण स्वीकृत कार्य है। इस समय, इस परियोजना के चरण-1 कार्य के रूप में देवास-मकसी नई लाइन पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 31.2.2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2001-02 के बजट में इस कार्य के लिए 15 करोड़ रुपए की रकम की व्यवस्था की गई है। चरण-1 के पूरा होने में तेजी लाने के लिए वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की गई है।

शेष हिस्से पर कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आरंम्भ किया जाएगा।

दूरदर्शन और आकाशवाणी में नैमित्तिक कामगारों के लिए वेतन नियम

1743. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी और कामगार पिछले एक दशक से दूरदर्शन और आकाशवाणी, दिल्ली में नैमित्तिक कामगारों के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसमचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का योग्यता के आधार पर चयन

1744. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के दिनांक-2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न सेवा श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कितने प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया लेकिन उनके नामों का उल्लेख/समायोजन उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत किया गया और उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय में विगत 3 वर्षों के दौरान (अर्थात्) 1999 से 2001 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति का मैरिट आधार पर चयन/भर्ती/प्रोन्नति नहीं हुई है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालय

1745. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें उपभोक्ता न्यायालयों ने पिछले दो वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को धनराशि लौटाने के लिए रेलवे को निदेश दिया है;

(ख) रेलवे द्वारा मुआवजा देने में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या रेलवे इस घाटे को कम करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समुद्र में सुरक्षा को खतरा

1746. **श्री कमलनाथ :**
श्री के० करुणाकरण :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोस्ट गार्ड ने सरकार को सूचित किया है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों, विशेष रूप से समुद्र में सुरक्षा को बढ़ते हुए खतरे और देश की बढ़ती हुई समुद्री सीमाओं के मद्देनजर उनका मौजूदा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु पूर्णतया अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कोस्ट गार्ड महानिदेशक द्वारा की गई अन्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए अनुरोध पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने, समुद्री संक्रियाओं और नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तटरक्षक बल के पास उपलब्ध मौजूदा संसाधनों एवं उपस्करों की पुनरीक्षा की है। तटरक्षक बल को इसकी संक्रियात्मक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए समुचित धनराशि एवं उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को भेजा जाना

1747. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में उनके शैक्षणिक, प्रबंधकीय, मकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयन/प्रायोजन/नामित/तैनाती करती है जहां अंतर्राष्ट्रीय अथवा द्विपक्षीय समझौता के तहत प्रायोजन राष्ट्र/एजेंसियां ऐसे प्रशिक्षण का खर्च वहन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इस मंत्रालय से कितने लोगों ने ऐसा लघु/दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोग थे और उनका प्रतिशत क्या है;

(घ) ऐसे अवसरों पर इन वर्गों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने के लिए क्या विशेष उपबंध किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो संवैधानिक निदेशों का उल्लंघन कर इन वर्गों की अपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय, अपने अधिकारियों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में उनकी शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए तैनात करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले मंत्रालय के अधिकारियों के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या सहित वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय अपने अधिकारियों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में उनकी शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए चयन/प्रायोजित/नामित/तैनात करता है। इस प्रकार की तैनाती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों को भी शामिल किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु तैनात किए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधिकारियों का वर्षवार (1999-2000 से 2001-2002) विवरण

क्र. सं.	वर्ष	अधिकारियों की संख्या जिन्हें विदेशी प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया		कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का %
		सामान्य श्रेणी	अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग		
1.	1999-2000	7	3	10	30%
2.	2000-2001	11	4	15	26.66%
3.	2001-2002	21	3	24	12.5%

निजी क्षेत्र की भागीदारी

1748. डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय अपनी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (बी ओ टी) योजना पर और राष्ट्रीय मार्गों की लाइनों हेतु कार्य प्रारंभ करेगा; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने की समय-सीमा क्या होगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। बहरहाल, रेलवे द्वारा अपनायी जा रही योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एमएचएआई) द्वारा अपनायी जा रही योजना से भिन्न है क्योंकि इसमें एनएचएआई योजना में निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण की बजाय निर्माण-स्वामित्व-हस्तांतरण (बीओटी) व्यवस्था का प्रावधान है। रेलवे की योजना में परिसंपत्तियों का परिचालन और अनुरक्षण रेलवे यातायात की एकीकृत प्रकृति के कारण रेलवे द्वारा किया जाएगा।

(ख) नई योजना अर्थात् बीओटी के अंतर्गत निम्नलिखित पांच परियोजनाएं आरंभ की गई है:-

(1) उत्रेतिया-चंदरौली एवं सुल्तानपुर-बंधुआ कलां (उत्तर रेलवे) के दोहरीकरण के रेलपथ एवं सिगनल संबंधी कार्य

(2) वीरमगॉम-मेहसाणा आमान परिवर्तन के रेलपथ एवं सिगनल संबंधी कार्य

(3) अमरोहा-कानकाठेर दोहरीकरण संपूर्ण कार्य

(4) तालचेर-करक-पाराद्वीप दोहरीकरण-केवल महानदी पर दूसरा पुल

(5) बिलासपुर-उरकुरा तीसरा लाइन-भाटपारा से सिलयारी खंड

निविदा को अंतिम रूप देने की कार्रवाई प्रगति पर है। इसके नई योजना होने के कारण निविदा प्रक्रिया के दौरान रुचि रखने वाली पार्टियों द्वारा अनेक कानूनी एवं कर संबंधी मुद्दे उठाए जाने की संभावना है और इस कारण इस समय कोई निर्दिष्ट समापन अनुसूची देना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

डीलर चयन बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नामित करना

1749. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीलर चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को नामित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों में इन वर्गों का कोई भी सदस्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (क) से (घ) जी, नहीं। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों, एस के ओ-एल डी ओ डीलरों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार डीलर चयन बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित किसी सदस्य का नामांकन करने का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एल०पी०जी० और पेट्रोल पंपों का आबंटन

1750. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक एल पी जी, मिट्टी के तेल और डीजल के बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लंबित पड़े हैं; और

(ग) लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) फिलहाल उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) की विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत 43 एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिप, 26 खुदरा बिक्री केन्द्र और 11 एस के ओ डीलरशिप आबंटन हेतु लंबित हैं।

(ख) और (ग) डीलरशिपों/डिस्ट्रिब्यूटरशिपों का आबंटन तेल विपणनकर्ता कंपनियों द्वारा डीलर चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सरकार ने सभी लंबित स्थानों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए उड़ीसा राज्य के लिए दो डीलर चयन बोर्डों का गठन किया है।

कर्नाटक में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

1751. श्री एच०जी० रामुलू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के विभिन्न जिलों में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कवरेज क्षेत्र के विस्तार और/अथवा सिग्नलों की गुणवत्ता में सुधार हेतु महसूस की जाने वाली आवश्यकता के अधार आकाशवाणी केन्द्रों/टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना की जाती है। वर्तमान में, कर्नाटक राज्य में 55 दूरदर्शन ट्रांसमीटर और 13 आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस राज्य में 13 आकाशवाणी परियोजनाएं और 16 टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अनुमोदित किया जाना है।

रेल आधारभूत संरचना विकास कंपनी

1752. **श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :**
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री अम्बरीश :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्य में रेल आधारभूत संरचना विकास कंपनी के गठन के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इन कंपनियों द्वारा किन रेल परियोजनाओं को प्रारंभ करने की संभावना है;

(ग) इन कंपनियों को केन्द्र सरकार ने कितनी निधि की मंजूरी दी है; और

(घ) ये कंपनियां कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने तीन राज्य सरकारों तथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उपरोक्त चार राज्यों में शुरू की जाने वाली रेल परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

कर्नाटक

चार परियोजनाओं को संयुक्त उपक्रम के-राइड द्वारा पूरा करने के लिए पहचाना गया है। ये परियोजनाएं हैं : हुबली-अंगोला नई लाइन, सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन, हसन-मैंगलोर आमान परिवर्तन, गुंतकल-हासपेट दोहरीकरण।

आंध्र प्रदेश

समझौता ज्ञापन में एक व्यापक मल्टी-माडल उपनगरीय दैनिक यात्री पारवहन प्रणाली के भाग के रूप में हैदराबाद-सिकंदराबाद शहर में उपनगरीय रेल अवसंरचना और उसकी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है।

महाराष्ट्र

मुम्बई रेल उपनगरीय पारवहन प्रणाली के लिए समन्वित योजनाओं के विकास और रेल अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के अधीन रेल विकास निगम लि. (एम आर वी सी) नामक एक संयुक्त उपक्रम कंपनी का सृजन किया गया है।

मुम्बई रेल उपनगरीय पारवहन प्रणाली की 25 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार का भाग 51% और महाराष्ट्र सरकार का भाग 49% है। कर्नाटक के लिए, रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के-राइड) रेलवे और कर्नाटक सरकार के बीच इक्विटी भागीदारी प्रारंभिक तौर पर 50% प्रत्येक के आधार पर रहेगी। जहां तक आन्ध्र प्रदेश के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी का सम्बन्ध है। प्रस्तावित कंपनी के ब्यौरे का आकलन अध्ययन के पश्चात् किया जाएगा।

जहां महाराष्ट्र में मुम्बई रेल विकास निगम नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी परिचालनिक हो गई है वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनियां, आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद परिचालित की जाएंगी।

[हिन्दी]

कोल इंडिया और रेलवे की बिहार राज्य बोर्ड पर बकाया राशि

1753. **श्री राजो सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड विशेषकर बिहार का राज्य बोर्ड कुप्रबंधन के कारण हर साल भारी नुकसान उठा रहा है;

(ख) क्या इस बोर्ड को केवल इंडिया लि. और रेल विभाग को करोड़ों रुपयों की बकाया राशि का भुगतान करना है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्य बिजली बोर्डों के प्रबंधन में सुधार और उनका पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड

काफी घाटे चल रहे हैं और कोयले की आपूर्ति/परिवहन के कारण उनके द्वारा वृहत्त बकाया राशि भुगतान की जानी है।

(ग) विद्युत एक समवर्ती विषय है और राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है। राज्य वि. बोर्डों के सुधार एवं नवीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार सुधार शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि पूरे विद्युत क्षेत्र और विशेषकर रा.वि. बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधार लाई जा सके। मार्च, 2001 में मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों की एक सम्मेलन बुलाई गई थी, जिसमें यह महसूस किया गया प्रबेधन की समस्या एवं सुधार के लिए चुनौति वितरण क्षेत्र में है। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण, 11 के.वी. के फीडरों के गठन पंचायत/स्थानीय निकायों/ फेचाइजी/उपभोक्त संघ को स्थानीय वितरण का काम सौंपकर 2-3 वर्षों में वितरण में पारित संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत सरकार के बीस राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध रूप से सुधार शुरू करने के लिए की गई एक संयुक्त प्रतिबद्धता है। इन समझौतों ज्ञापनों में राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता में राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन/प्रचालन, 11 के.वी. के सभी फीडरों एवं सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण, ऊर्जा ऑडिट, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, वितरण में वाणिज्यिक व्यहार्यता की प्राप्ति आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय जनरेटिंग स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन तथा उप-पारेषण के सुदृढ़ीकरण तथा थर्मल और हाइडल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दी है।

विवरण

3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का संकल्प

1. मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु यह सहमति हुई कि विद्युत सुधारों को राजनीति से अलग करने की नितांत आवश्यकता है तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाए। इस परियोजना के लिए सर्वदलीय सहमति सृजित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं समेत एक सर्वदलीय बैठक करने का अनुरोध किया गया।

2. निम्नलिखित संकल्प किए गए :

(क) **सभी गावों तथा घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना।**

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत् ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(2) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2012 तक के लिए सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

(4) जहां कहीं भी अपेक्षित हो विद्युतीकरण के कार्य को हाथ में लेने के लिए गांव/ब्लॉक पंचायत की सहमति के साथ ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत् निधियों का उपयोग करने के लिए राज्य का पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त हेतु नम्यता प्रदान की जाए।

(5) यह सहमति हुई कि राज्यों में दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान सहायता समेत वित्त पोषण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी।

(ख) **वितरण सुधार**

प्रबंधन तथा सुधारों की चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्रण में पड़ती है।

(1) अगले छः महीनों के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तथा स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(2) इस प्रयोजना के लिए एक प्रभाव प्रबंधन सूचना प्रणाली को कार्यरूप देने की आवश्यकता है।

(3) अगले दो वर्षों में विद्युत चोरी का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने के लिए उपरोक्त आधार पर एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(4) सभी उनभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

(5) संभरित विद्युत की गुणवत्ता पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को, एपीडीपी तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(6) निम्नलिखित में से एक अथवा सभी के माध्यम से दो अथवा तीन वर्षों में वितरण व्यवहारिता को प्राप्त किए जाने का आवश्यकता है।

— पूरी जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्र सृजित करके।

— पंचायतों/स्थानीय निकायों/मतदाता संघ/उपभोक्ता संघ/जहां पर आवश्यक हो स्थानीय वितरण को सौंपा जाए।

— वितरण का निजीकरण करके।

– अथवा किसी अन्य साधन से।

(7) राज्यों द्वारा अगर आवश्यक हो विद्युत के वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने पर ध्यान देने के प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

(8) वितरण पर वर्तमान प्रचालन को दो वर्षों में छोड़े जाने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जायें।

ग. **विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं आर्थिक सहायता**

(1) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अगले छ: महीने में कार्यात्मक बनाया जाए तथा टैरिफ संबंधी याचिका दायर की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित अथवा आस्थगित नहीं कर दिया जाता। नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

(2) केवल बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक ही आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(3) 50 पैसे के न्यूनतम कृषि टैरिफ को मुख्य मंत्रियों के पिछले निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए।

(घ) **उत्पादन**

(1) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयंत्रों के पीएलएपी में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(2) कम समय में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृहत् स्तर निजी निवेश केवल सुधारों के वित्तीय व्यवहार्यता पुन: प्राप्त करने में सफल होने के पश्चात् ही आएगा। केन्द्र और राज्यों को 10वीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उन स्थलों पर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विशेषत: जल विद्युत परियोजनाओं और प्रिट-हैड ताप विद्युत उत्पादन के लिए सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करते हैं। के. वि. प्रा. ने 2012 तक 100,000 मे.व. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है।

(3) जहां राज्य और वित्तीय संस्थान आईपीपी के विकास की आवश्यकता पर सहमत हैं, वहां उन्हें शीघ्र ही वित्तीय समापन करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्र सुधार आधारित बहु-पक्षीय करारों को अंतिम रूप दिए जाने को सरल एवं कारगर बनाएगा।

(4) एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास विद्युत के अंत: क्षेत्रीय अंतरण के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है।

(5) विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के लिए वन सुरक्षा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन

निम्नलिखित के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रभावी कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समुचित लोग, जागरूकता तथा व्यापक प्रयास किए जाएं :

– ऊर्जा दक्ष बल्ब, ट्यूब लाईट तथा कृषि पम्पसेट, शिखर तथा गैर-शिखर घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ और दिन के समय बिजली की मीटरिंग।

(च) भारत सरकार से समर्थन

(1) भारत सरकार राज्यों को उनको सुधार प्रयासों में सहयोग देगी। यह सहयोग तभी होगा जब राज्यों में समयबद्ध विद्युत सुधारों के प्रयासों से लिंक होगा तथा वित्तीय व्यवहार्यता की बहाली के प्रति निश्चित मील के पत्थर के समान लिंक होगा।

(2) पीएफसी तथा आरईसी की ब्याज दरों को बाजार की स्थितियों के अनुरूप कम किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी विद्युत क्षेत्र के पिछली बकाया राशियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य विद्युत यूटिलिटियों की देय बकाया राशियों का एक ही बार में निपटान हेतु संस्तुति के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन सुधारों के कार्यकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह दल अपने गठन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सतत् आपूर्ति को चालू खरीद के लिए अभिज्ञात करने की क्षमता प्रदर्शित करने के साथ तथा पिछली बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) **उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त दल**

विद्युत मंत्री तथा कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लेकर एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल के गठन सुधारों के समन्वयन, मॉनीटर तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

मिसाइलों को शामिल करना

1754. **श्री रतन लाल कटारिया :**
श्री ए० नरेन्द्र :
डा० अशोक पटेल :
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अग्नि श्रृंखला में एक नई मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों की मारक क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिसाइलों को सेना में कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। भारत द्वारा अग्नि-I प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का परीक्षण 25 जनवरी, 2002 को किया गया है।

(ख) से (घ) अग्नि-I की रेंज 800 कि.मी. तथा अग्नि-II की रेंज 2000 कि.मी. है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सामरिक जरूरतों के आधार पर "अग्नि" बेलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के उत्पादन के लिए इसके डिजायॅन और विकास पर कार्य कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों का सदैव यह प्रयास रहा कि वे देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की क्षमता में सुधार करते रहें।

(ङ) अग्नि-II प्रक्षेपास्त्र अब उत्पादन चरण में पहुंच चुकी है और उसे शामिल किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खुदरा पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों का बंद होना

1755. **श्री पी०एस० गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो सालों के दौरान गुजरात राज्य में बड़ी संख्या में खुदरा पेट्रोल/डीजल पंपों और मिट्टी तेल के डिपो बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पेट्रोल/डीजल पम्पों और मिट्टी तेल के डिपुओं को किसी अन्य योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त माध्यमों से आबंटन करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) यद्यपि गत दो वर्ष अर्थात वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान गुजरात राज्य में एस के ओ - एल डी ओ डीलरशिप को समाप्त करने का कोई मामला नहीं था किन्तु, उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य में तेल कंपनियों द्वारा 21 खुदरा बिक्री डीलरशिपें समाप्त की गई थीं।

(ग) प्रक्रिया के अनुसार, तेल कंपनियां, चालू न हो सके खुदरा बिक्री केन्द्रों जिनमें वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में गुजरात राज्य में समाप्त किए गए 21 खुदरा बिकी केन्द्र शामिल हैं के स्थान पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र, स्थान की व्यापार संभाव्यता के आधार पर या तो पुराने स्थान पर या देश में किसी भी वैकल्पिक स्थान पर, खोल सकती हैं। ये नए खुदरा बिक्री केन्द्र नए डीलरों द्वारा प्रचालित किए जाते हैं, जिनकों निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद नियुक्त किया जाता है और अंतरिम अवधि में कंपनियां, ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों को "कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित" आधार पर भी चला सकती हैं।

रक्षा सेवाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट

1756. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाओं) 2001 के सीएजी रिपोर्ट संख्या 7 के पैरा 28 के संबंध में महानिदेशक आपूर्ति एवं परिवहन का उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य को 85 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)

की 2001 की रिपोर्ट सं. 7 के पैरा सं. 28 के संबंध में पूर्ति तथा परिवहन महानिदेशालय का उत्तर प्राप्त हो गया है।

2. ''लाभप्रद का लाभ न उठाने'' के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) की 2001 की रिपोर्ट सं. 7 के लेखा परीक्षा पैरा सं. 28 पर सेना मुख्यालय, पूर्ति तथा परिवहन महानिदेशालय की टिप्पणियां निम्नवत् हैं:-

''यह प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया निष्कर्ष, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्ति तथा परिवहन महानिदेशालय की ओर से सरकार का 85 लाख रुपए को परिहार्य अतिरिक्त व्यय करवाया गया, इस तथ्य के मद्देनजर गलत तथा भ्रामक है कि रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव (आयुध) की अध्यक्षता में गठित निविदा क्रय समिति ने समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविदाएं देने का निर्णय लिया था। यह पुन: दोहराया जाता है कि मैसर्स बेयर (इंडिया) लिमिटेड का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से एक सशर्त निविदा थी तथा उसपर उचित ही विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त एक लाभप्रद प्रतियोगिता विकसित करने के लिए आपूर्ति के एक नए स्रोत का विकास किया जा रहा था। अत: लेखापरीक्षा प्राधिकारियों का मत पूर्वधारणाओं तथा परिकल्पनाओं पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि पुन: निविदा के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली कुल मात्रा केवल 40,000 लीटर थी। अत: 44,500 लीटर के लिए फर्म के प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया जा सका था। इसके अलावा, मांग के लिए पुन: निविदा जारी करके आपूर्ति के नए स्रोत का विकास करने की सरकार की नीति का भी पालन किया गया है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय की विशेष सिफारिश पर मैसर्स ट्रांस-इलेक्ट्रा को 5000 लीटर के लिए आर्डर दिया गया था और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया था।''

''यह निर्णय क्रय प्रक्रिया के अनुसार निविदा क्रय समिति द्वारा अपने विवेक से तथा पूरी तरह से खरीद प्रक्रिया के तहत लिया गया था तथा तदनुसार सशर्त प्रस्ताव होने के कारण मैसर्स बेयर (इंडिया) लिमिटेड के नि:शुल्क आपूर्ति प्रस्ताव को उचित ही रद्द किया गया था। यह प्रस्ताव मात्रात्मक नहीं था जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा गलत रूप से माना गया था। चूंकि निविदा क्रय समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, इसलिए इस मुद्दे पर पूर्ति तथा परिवहन महानिदेशालय द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।''

3. रक्षा मंत्रालय में लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा पूर्ति तथा परिवहन महानिदेशालय के उत्तर की जांच की जा रही है। इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग तथा महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं) के विस्तृत जांच और परामर्श/संवीक्षा करने के बाद की गई उपयुक्त कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उसे लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय/मानीटरिंग सेल को भेज दिया जाएगा।

विश्व बैंक की सहायता से विद्युत क्षेत्र में सुधार

1757. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं जिन्होंने 31 अक्तूबर, 2001 तक विदेशी सहायता और विश्व बैंक सहायता के द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार किया है; और

(ख) चालू एवं अगले वित्त वर्ष के दौरान इन सुधारों के लिए महाराष्ट्र को कितनी राशि उनलब्ध कराई जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और एशियाई विकास बैंक की सहायता से गुजरात और मध्य प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ने विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

समिति द्वारा सूचित किए गए असंगत कानून

1758. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** समिति द्वारा सूचित किए गए असंगत कानूनों के बारे में 13 दिसंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3884 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विलंब के लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) अतारांकित प्रश्न सं. 3884, तारीख 13.12.2001 के संबंध में दिए गए आश्वासन को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) द्वारा तारीख 11.3.2002 को पूरा कर दिया गया है, क्योंकि वह मंत्रालय उस विषय से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है (एक प्रति संलग्न है)।

13वीं लोक सभा का 8वां सत्र, 2001

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

पूरा करने की तारीख: 11.3.2002

प्रश्न सं., तारीख और संसद सदस्य का (सदस्यों के) नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	विलंब के लिए कारण
श्री अब्दुल रशीद शाहीन, संसद सदस्य और श्री मानसिंह पटेल, संसद सदस्य द्वारा तारीख 13.12.2001 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 3884 ।	**समिति द्वारा रिपोर्ट की गई असंगत विधियां** जिसमें पूछा गया था कि :- (क) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने कुछ विधियों को असंगत पाया है और सरकार को उनके बारे में रिपोर्ट की है; (ख) यदि हां, तो समिति द्वारा रिपोर्ट की गई असंगत विधियों की कुल संख्या क्या है; (ग) क्या सरकार का विचार इन असंगत विधियों को निरसित करने का है; (घ) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं; और (ङ) निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?	(क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।	

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3884 [भाग (क) से भाग (ङ)], जिसका उत्तर तारीख 13.12.2001 को दिया गया था, से संबंधित आश्वासन में निर्दिष्ट विवरण

प्रशासनिक विधि पुनर्विलोकन आयोग ने, जिसे सरकार द्वारा मई, 1998 में गठित किया गया था और जिसने सितम्बर, 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, विभिन्न प्रवर्गों की 1382 केन्द्रीय विधियों के इस आधार पर निरसन की सिफारिश की है कि ये अधिनियम, आदि जो निम्नलिखित हैं, या तो असंगत या फिर दुष्क्रियात्मक हो गए हैं :

क्र.सं.	विधान का प्रकार	संख्या
1	2	3
1.	संशोधन अधिनियम	315
2.	विनियोग अधिनियम (लगभग)	700
3.	राज्य विषयों से संबंधित केन्द्रीय अधिनियम	114
4.	केन्द्रीय अधिनियम (जिसके अतंर्गत 11 पूर्वराष्ट्रीयकरण अधिनियम और 20 विधिमान्यकरण अधिनियम भी हैं)	166
5.	अब भी प्रवृत्त ब्रिटिश कानून	11
6.	युद्धकालीन स्थायी अध्यादेश	17
7.	पुनर्गठन अधिनियम	35
8.	उच्च न्यायालयों को लागू विधियां	12
9.	स्वीय विधियां	12
	योग	1382

ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट 315 संशोधन अधिनियम, निरसन और संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 30) के अधिनियमन द्वारा निरसित कर दिए गए हैं। ऊपर (ii) में विनिर्दिष्ट 700 विनियोग अधिनियमों से संबंधित मुद्दे को भारत के महान्यायवादी को सलाह के लिए निर्दिष्ट किया गया था, जो प्राप्त हो गई है और मामले को अब लोक लेखा समिति सचिवालय को उनकी राय प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। जहां तक ऊपर (iii) में विनिर्दिष्ट राज्यसूची से संबंधित 114 केन्द्रीय अधिनियमों का संबंध है, अन्य बातों के साथ-साथ राज्यसूची (सूची 2) से संबंधित 5 केन्द्रीय अधिनियमों को न्यायिक प्रशासन विधि (निरसन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमन द्वारा निरसित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को इस विषय में स्थिति से अवगत करा दिया गया है और शेष अधिनियमों की बाबत आगे कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ऊपर (iv) से (ix) में विनिर्दिष्ट शेष 253 अधिनियमों में से, 65 अधिनियमों को, 4 अध्यादेशों सहित, अबतक निरसित कर दिया गया है। 41 अधिनियम निरसन के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। 20 अधिनियम उनके निरसन के संबंध में या अन्यथा विनिश्चय किए जाने के लिए समीक्षाधीन हैं। 6 अधिनियम राज्य सूची से संबंधित हैं, जिनपर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है। आयोग द्वारा निरसन के लिए सिफारिश किए गए 166 केन्द्रीय अधिनियमों की सूची में 4 अधिनियम ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। शेष 117 अधिनियमों की बाबत संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने यह विनिश्चय किया है कि उन्हें निरसित न किया जाए।

प्रशासनिक विधि पुनर्विलोकन आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के क्रियान्वयव को मानीटर करने के लिए तारीख 16 नवम्बर, 1998 को एक स्थायी समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

भारत अमरीका के बीच सुरक्षा सहयोग

1759. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री रामशकल :
श्री पी०आर० खूंटे :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके द्वारा की गई अमरीका यात्रा के दौरान भारत व अमरीका के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस सहयोग से किस सीमा तक देश के लाभान्वित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत तथा अमरीका आतंकवाद से लड़ने के अपने साझा लक्ष्य में एक दूसरे के और अधिक निकट आए हैं। सीमा-पार आतंकवाद से संबंधित भारत की चिंताओं को अमरीका प्रशासन द्वारा अब बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। द्विपक्षीय मुद्दों पर भी भारत की सुरक्षा चिंताओं के बारे में अमरीकी प्रशासन का रुख अधिक हिमायती है। दोनों देशों ने एक सामान्य करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो कि ऐसी वर्गीकृत सैन्य सूचना की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है जिसे दोनों देशों द्वारा आपस में बांटे जाने का निर्णय लिया जाए।

भारत तथा अमरीका इस बात पर सहमत हैं कि अधिक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से जन-संहार के हथियारों के फैलाव, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी तथा पायरेसी जैसे खतरों से निपटने में दोनों देशों को मदद मिलेगी।

चल रहे ऑपरेशन अलर्ट के वित्तीय प्रभाव

1760. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रण रेखा सहित पाकिस्तान की सीमा पर चल रहे ऑपरेशन अलर्ट के क्या वित्तीय प्रभाव होंगे;

(ख) क्या इस चल रहे ऑपरेशन अलर्ट से सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र सेनाओं की चल रही आवाजाही के वित्तीय

प्रभावों का मूल्यांकन आवाजाही समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) और (ग) स्थानीय सेना प्राधिकारियों को स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों के साथ सर्वेक्षण करने का अनुदेश दिया गया है कि वे सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही से खड़ी फसल के नुकसान का मूल्यांकन करें। पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर सरकार से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों को स्थानीय सेना प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें। किसानों को उनकी फसल की मूल्यांकित हानि के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।

सुखोई-30 लड़ाकू जहाजों का निर्माण

1761. **श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० ने रूस के सहयोग से 140 सुखोई एम०के०-I लड़ाकू जहाजों के निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट और योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हां। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 140 एस०यू० 30 एम० के० I विमान के लाइसेंसशुदा विनिर्माण के लिए 28 दिसम्बर, 2000 को रूसी एजेंसी-रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ एक सामान्य संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह सहयोग विमान के जीवन पर्यन्त इस्तेमाल करने की व्यवस्था करने लिए अतिरिक्त इंजनों तथा हिस्से-पुर्जों के सेटों सहित 140 एस०यू० 30 एम०के० I के लाइसेंसशुदा विनिर्माण के लिए है। रूसी पक्ष भारतीय पक्ष के अनुरोध के आधार पर लाइसेंसशुदा तकनीकी दस्तावेज, विशेष गैर-मानकीकृत उपस्कर तथा औजारों, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता, परियोजना स्थल पर रूसी विशेषज्ञों की तैनाती, रूस में भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण आदि तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में तकनीकी किट की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदित हो जाने के बाद भारत में एस०यू० 30 एम०के०-I वायुयानों का उत्पादन अगले तीन वर्षों के भीतर या उसके बाद शुरू किए जाने की योजना है।

प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1762. **श्री अनंत गुडे** :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति
श्री मोहन रावले :

क्या संचार और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रभावों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के प्रतिनिधि प्रिंट मीडिया संगठनों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) प्रस्ताव के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है?

संचार और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सरकार मंत्रिमंडल के 1955 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और मुख्य रूप से विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों पर रोक लगाई गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युत निगम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

1763. **श्री रामदास आठवले** : क्या कृपा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युत निगम में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को आरक्षण कोटा के अंतर्गत नियुक्त किया गया है:

(ख) क्या निगम में कुछ आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं: और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 31.12.2001 को स्थितिनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर ई सी) में अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस

टी) समेत कुल कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचनाएं निम्नवत् हैं:-

श्रेणी	कुल	कुल में से एस सी	कुल में से एस टी
क	237	18	6
ख	226	26	7
ग	270	52	5
घ	174	49	10
कुल	907	145	28

(ख) और (ग) भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुसार आर ई सी पद आधारित रोस्टर (पोस्ट बेसड् रोस्टर) का अनुपालन कर रहा है और उनके रोस्टर के अनुसार आर ई सी में एस सी/एस टी में संबंधित कोई पद रिक्त नहीं है।

[अनुवाद]

संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने वाला राष्ट्रीय आयोग

1764. **श्री के० येरननायडू** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था;

(ख) कितनी बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया; और

(ग) आयोग कब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग तारीख 22 फरवरी, 2000 को गठित किया गया था।

(ख) आयोग की अवधि तीन बार बढ़ाई गई है।

(ग) आशा की जाती है कि आयोग तारीख 31 मार्च, 2002 तक अपना कार्य पूरा करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा।

[हिन्दी]

गैर-लाइसेंसधारी ट्रेवल एजेंटों द्वारा टिकटों का अनधिकृत रूप से आरक्षण

1765. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-लाइसेंसधारी ट्रेवल एजेंटों और एजेंसियों द्वारा टिकटों का अनधिकृत रूप से आरक्षण किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक जोन में विभिन्न दलों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छह महीनों के दौरान जोन-वार कितने छापे मारे गए;

(घ) कितने लोग गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या यह सच है कि टिकटों का इस तरह अनधिकृत रूप से आरक्षण रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से होता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) अप्राधिकृत यात्रा एजेंटों, दलालों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा टिकटों की बिक्री की बुराई अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों के नामित कर्मचारियों द्वारा नियमित और औचक जांचें की जाती हैं और समय-समय पर पुलिस की सहायता भी ली जाती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन महीनों अर्थात् जुलाई से दिसम्बर, 2001 के दौरान दलालों के विरुद्ध आयोजित जांचों और पकड़े गए व्यक्तियों की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे	की गई जांचों की संख्या	पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
मध्य	1907	8
पूर्व	1405	152
उत्तर	1194	98
पूर्वोत्तर	2054	26
पूर्वोत्तर सीमा	1094	3
दक्षिण	5156	665
दक्षिण मध्य	1432	31
दक्षिण पूर्व	702	158
पश्चिम	3280	24
जोड़	18224	1165

(ङ) और (च) रेल कर्मचारियों की मिलीभगत के कुछ मामले नोटिस में आए हैं और इस कदाचार में गुप्त रूप से सहयोग देने वाले पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, विभिन्न जांचों के माध्यम से रेल कर्मचारियों की कार्य-प्रणाली पर कड़ी नजर रखी जाती है।

[अनुवाद]

बसनपल्ली रेलवे स्टेशन का धमाका

1766. डॉ० एस० वेणुगोपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नवनिर्मित बसनपल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित पीपुल्सवार के नक्सलियों ने धमाका किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धमाके में रेलवे की कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) 26.12.2001 की रात को पी डब्ल्यू जी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बसनपल्ली में रेलवे स्टेशन के लिए निर्माणाधीन भवन के एक कमरे को उड़ा दिया जिसके कारण सिगनलिंग उपस्कर, आदि की क्षति पहुंची। इस संबंध में चिन्नाकोथापल्ली के स्थानीय पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427, 436 और 448 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5, सरकारी सम्पत्ति की क्षति से बचाव की धारा 3 और 4 और आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(i) के तहत स्टेशन अपराध सं० 87/2001 में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।

(ग) लगभग 8 लाख रुपए।

(घ) कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है और इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

बहरहाल, राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए रेलों ने अपनी ओर से भेद्य स्टेशनों पर सशस्त्र सैनिक तैनात किए हैं।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

1767. श्री पी०आर० खूंटे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001 के रेल बजट में रायपुर-खरौरा-पलारी-बलाईदा बाजार-कुसडोल-भटगांव सरशिव-सारंगढ़-बारमकेला से झारसुगडा रेल मार्ग के लिए सर्वेक्षण किए जाने की स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आया है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कब तक निर्माण कार्य शुरू किए जाने और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) खरतापलान, बलोदा बाजार, भटगांव और सारनगढ़ के रास्ते (310 कि०मी०) रायपुर से झारसुगुडा तक नई लाइन का सर्वेक्षण शुरू हो गया है और प्रगति पर है।

(ग) इस सर्वेक्षण की प्रत्याशित लागत 20.92 लाख रुपए है। मार्च 2001 तक किया गया खर्च कुछ नहीं था। वर्ष 2001-02 के लिए 7 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

सेना मुख्यालय को अधिकार

1768. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिफेन्स सर्विसेज की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय और अन्य अधिकार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिफेन्स सर्विसेज रक्षा मंत्रालय की पुर्वानुमति के बिना लगभग 3,000 करोड़ रुपये के व्यय पर निर्णय ले सकेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रक्षा संबंधी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह किस सीमा तक सहायक होगी;

(च) सचिव, डिफेन्स अकाउन्ट्स द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(छ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सरकार ने सेवा मुख्यालयों तथा निचली विरचनाओं को विभिन्न स्तरों पर संक्रियात्मक तथा प्रशासनिका अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदत्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों में अच्छी-खासी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, सेवा मुख्यालय तथा निचली विरचनाएं और अधिक प्रदत्त अधिकारों के दायरे में आने वाले तात्कालिक तथा जरूरी अपेक्षाओं सहित अन्य मामलों पर रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस प्रकार से प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत कितना व्यय मंजूर किया जा सकता है इसका इस अवस्था में आकलन नहीं किया जा सकता।

(च) और (छ) सचिव (रक्षा वित्त) के अधीन गठित समिति ने प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों के इस्तेमाल हेतु संचालन प्रक्रियाओं के मानकीकरण तथा इसकी वित्तीय संज्ञापन प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

1769. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर-गोपालपुर, खुर्दारोड-बोलंगीर और तालचेर-बिमलागढ़ के बीच नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर आज तक परियोजना-वार कितना व्यय हो चुका है; और

(घ) उक्त लाइनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने और कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इन पर परियोजना-वार कितनी लागत आने का अनुमान है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) किए गए सर्वेक्षणों, अनुमानित लागत जिसमें खर्च शामिल है, के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

	सर्वेक्षण की वर्ष	लंबाई (किमी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	मार्च, 2002 तक परियोजना पर किया जाने वाला संभावित खर्च
खुर्दा रोड-बोलनगीर नयी लाइन	1993-94	288.73	700	14.16 करोड़
तालचेर-गोपालपुर नयी लाइन	2001-02	293	863.21	कुछ नहीं
तालचेर-बिमलागढ़ नयी लाइन	2001-02	154	606.60	7 लाख

खुर्दा-बोलनगीर एक स्वीकृत नयी लाइन परियोजना है जिस पर काम चल रहा है, मार्च, 2002 तक इस परियोजना पर कुल 700 करोड़ रु० में से 14.16 करोड़ रु० खर्च होने की संभावना है। अभी किसी लक्ष्य तिथि को निर्धारित नहीं किया गया है। तालचेर से गोपालपुर तथा तालचेर से बिमलागढ़ तक नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं। इन लाइनों पर कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए इसे शुरू करने और पूरा करने की समय-सीमा का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मारूति उद्योग को सी०एन०जी०

1770. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारूति उद्योग लिमिटेड को आपूर्ति की जा रही सी० एन० जी० की मात्रा में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में सी० एन० जी० की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) पाइपलाइन प्रणाली से मारूति उद्योग लिमिटेड के फाल बैक गैस आबंटन को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के रूप में उपयोग हेतु तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की प्रगति विद्युत परियोजना के चालू होने को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मांग करे पूरा करने के लिए वापस ले लिया गया है।

(ग) एच.बी.जे. पाइपलाइन प्रणाली से दिल्ली में तथा इसके इर्द-गिर्द उपभोक्ताओं के लिए फाल बैक गैस आबंटनों की दिल्ली में सी०एन०जी० के रूप में उपयोग हेतु इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पुनरीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्वदेशी अन्वेषण/दोहन तथा प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात के द्वारा प्राकृतिक गैस उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोल ब्लेन्डिंग टेक्नोलोजी

1771. **श्री एन०टी० षणमुगम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल उत्पादकों को निर्जल इथेनाल (फयूल इथेनाल) की भूमिका की जानकारी उपलब्ध कराने वाली अत्याधुनिक तकनीक की कोई युक्ति निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, नहीं। पृथक वाणिज्यिक अस्तित्व के रहते तेल कंपनियां पेट्रोल के साथ निर्जल एथेनाल का सम्मिश्रण करने की उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को नुकसान

1772. **श्री वसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को एनरान के साथ हुए भुगतान संबंधी विवाद के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी के खिलाफ कोई कानूनी या अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) तथा एनरान आयल एण्ड गैस इंडिया लिमिटेड (ई ओ जी आई एल) के एक अनिगमित संयुक्त उद्यम परिसंघ में, खोजे गए मध्यम आकर के दो क्षेत्रों पन्ना मुक्ता तथा मध्यम व दक्षिण तापी के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सी) के तहत संविदाकार शामिल हैं। तीनों पक्षकारों के बीच नकदी मांग तथा व्यय के संबंध में कुछ विवाद उठे हैं। पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त प्रचालन करार के प्रावधानों के अनुसार मामला मध्यस्थता में है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

रक्षाकर्मियों की विधवाओं को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

1773. **श्री के०ई० कृष्णामूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षाकर्मियों की विधवाओं को पेट्रोल पम्प आबंटित की जाने वाली योजना को समुचित तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विद्यमान दिशानिदेशों के अंतर्गत रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) के लिए आवेदन करने हेतु समर्थ बनाने वाले उपलब्ध अन्य माध्यमों के अतिरिक्त सरकार ने "आपरेशन विजय" (कारगिल) में कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए एक विशेष योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा आबंटन पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों तथा तेल उद्योग द्वारा सत्यापित स्थानों की व्यवहार्यता के आधार पर किए जाते हैं।

सरकार तेल कंपनियों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श से इस विशेष योजना के उचित क्रियान्वयन की निगरानी करती है।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

1774. डा० संजय पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ यूनियनों सहित नाम से कोई परिसंघ काम कर रहा है;

(ख) क्या भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने अपने संबद्ध यूनियनों को मान्यता दिलाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे;

(ग) क्या अपनी संबद्ध यूनियनों की सदस्यता पर आधारित उक्त परिसंघ सरकारी मान्यता प्राप्त करने की उस अपेक्षित शर्त को पूरा करता है जिसमें श्रम शक्तियों के उक्त 30% सदस्य जरूरी है;

(घ) क्या सरकार भारतीय रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने संबंधी मुद्दे पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की लकवा एल पी जी रिकवरी परियोजना

1775. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की लकवा एल पी जी रिकवरी परियोजना को किस वर्ष मंजूरी मिली थी और यह कब पूरी हुई;

(ख) एल पी जी परियोजना को जिस समय मंजूरी दी गई थी उस समय ओ एन जी सी के लकवा क्षेत्र से कितनी गैस मिलने का अनुमान था;

(ग) आज की तारीख में इस संयंत्र में वास्तविक रूप से गैस की कितनी उपलब्धता है;

(घ) गैस के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) गैस की उपलब्धता में कमी के कारण इस संयंत्र पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) लकवा में गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की एल पी जी संसाधन परियोजना दिनांक 1.10.1992 को अनुमोदित हुई थी और दिनांक 19.10.1998 को वास्तव में पूरी हुई थी।

(ख) परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित परियोजना की डिजाइन क्षमता 2.0 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) थी।

(ग) वर्तमान में, संयंत्र के लिए 0.67 एम०एम०एस०सी० एम०डी० शुद्ध गैस तथा 0.15 एम०एम०एस०सी०एम०डी० चक्रित (लीन) गैस उपलब्ध हैं।

(घ) क्षेत्र में ओ०एन०जी०सी० के पुराने तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता समाप्त हो गई है।

(ङ) लकवा परियोजना के लिए गैस की कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-01 के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2001-02 के दौरान दिसम्बर, 2001 तक 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद

1776. **श्री रामशकल :**
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अत्याधुनिक पनडुब्बियों के मामले में भारत से आगे है और यही कारण है कि भारत किसी भी संभावित घटना से निपटने वाली इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों को खरीदने के लिए दबाव में है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय नौसेना लम्बे समय से अपने बेड़ों के विस्तार और आधुनिकीकरण की मांग करती रही है;

(ग) क्या सरकार अत्याधुनिक पनडुब्बियों को फ्रांस से खरीदने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पनडुब्बियां कब तक खरीदे जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार ने पनडुब्बियों का देश में ही निर्माण करने तथा पनडुब्बी के निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता हासिल करने के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शी योजना का अनुमोदन किया है। वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विदेशी स्रोतों से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपेक्षित सहायता की अपेक्षा की गई है। संभावित स्रोतों में से एक स्रोत फ्रांस है जिससे ऐसी सहायता उपलब्ध हो सकती है। किंतु, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा पनडुब्बियां भी उन्नयन की प्रक्रिया में हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा जल विद्युत का उत्पादन

1777. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :**
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने जलविद्युत के उत्पादन में फ्रेंच हाइडल कन्सल्टेन्सी से सहयोग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल विद्युत के उत्पादन के लिए एनटीपीसी द्वारा कौन सी विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(घ) एनटीपीस द्वारा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी योजना लागत निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं एन०टी०पी०सी० के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार क्रियान्वयन एवं प्रचालन हेतु 4 X 200 मे०वा० की कोल डैम जलविद्युत परियोजना को अपने हाथ में ले लिया है। एन०टी०पी०सी० ने जनवरी, 2001 में मै० इडीएफ (इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस) को मुख्य परामर्शी के रूप में नियुक्त किया है। इन सभी कार्यों के दौरान उक्त परामर्शी कुल आयोजन, जांच एवं आंकड़ा संग्रहण, अभिकल्पन, अभियांत्रिकी, निर्माण के दौरान एनटीपीसी के अभियंताओं को दिशा-निर्देश, विनिर्माण उत्थापन एंव आरंभन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण तथा संबद्ध स्वामी के अभियंताओं को दिशानिर्देश देने के काम करेंगे।

(ग) एनटीपीसी अन्य जलविद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की संभावना भी तलाश कर रहा है।

(घ) कोल डैम परियोजना की कुल परियोजना लागत 4971 करोड़ रु० है, जिसमें से 163.47 करोड़ रु० मार्च, 2002 के अंत तक खर्च हो जाएंगे। परियोजना के लिए 10वीं योजना परिव्यय 4548.07 करोड़ रु० आंकी गई है।

ओएनजीसी द्वारा निवेश

1778. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विचार कच्चे तेल का उत्पादन 1.5 से 2 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए दसवीं-योजनावधि में अपना निवेश दोगुना कर प्रति वर्ष 8000 करोड़ तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दसवीं योजना के दौरान लगभग 46000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जिसमें से 13000 करोड़ रुपए

का निवेश विदेशों में तेल कंपनियों के शेयरों में करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कच्चे तेल के आयात से भारत की निर्भरता किस सीमा तक कम की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 10वीं योजना (2002-2007) में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओएनजीसी) ने अपने तेल अन्वेषण तथा उत्पादन क्रियाकलापों के लिए 46,969 करोड़ रुपए, जिसमें विदेश में तेल इक्विटी के लिए 13,550 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं, के परिव्यय की परिकल्पना की है।

10वीं योजना अवधि के दौरान ओएनजीसी की स्वेदशी कच्च तेल उत्पादन लगभग 25 एमएमटी प्रति वर्ष की वर्तमान दर की तुलना में 130.02 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) इस संबंध में ओएनजीसी के द्वारा आकलित कार्य योजना निम्नवत् है:-

1. 594 अन्वेषी कूपों का वेधन जिसमें 35 गहन जल कूप सम्मिलित हैं;

2. 147 से 155 एमएमटी ओई तक के निकासी योग्य भंडारों को सिद्ध करना;

3. घरेलू क्षेत्रों से 130.02 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन तथा 112.10 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन; और

4. वियतनाम से इक्विटी गैस का उत्पादन वर्ष 2002-03 में आरंभ होने की आशा है, सखालिन परियोजना (रूस) से इक्विटी तेल का उत्पादन वर्ष 2005-06 तक आरंभ होने की आशा है। दसवीं योजना के दौरान ओएनजीसी का इन दो विदेशी परियोजनाओं से 5.2 एमएमटी तेल तथा 4.94 बीसीएम गैस की परिकल्पना है।

(ङ) जैसी परिकल्पना की गई है 10वीं योजना अवधि के अंतर्गत कच्चे तेल के बर्द्धित उत्पादन से उस सीमा तक आयात में कमी होने की आशा है।

अधिवक्ता कल्याण कोष का कार्यकरण

1779. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में और केन्द्र में स्थापित अधिवक्ता कल्याण कोष के कार्यकरण संबंधी कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को, उन राज्यों को छोड़कर, जिनमें अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू हैं, सम्पूर्ण भारत में पहले से ही तारीख 1.11.2001 से प्रवृत्त कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन, समुचित सरकार को अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन करने के लिए सशक्त बनाया गया है। "समुचित सरकार" पद से किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ताओं को प्रविष्ट किए जाने की दशा में राज्य सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधिज्ञ परिषद की नामावली में अतिवक्ताओं को प्रविष्ट किए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है। संघ राज्यक्षेत्रों में अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन किए जाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अधीन उनके प्रशासकों को प्रत्यायोजित की गई है। संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पहले ही लिखा जा चुका है।

विरार और दहानू रोड के बीच
स्वचालित संकेत प्रणाली

1780. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के विरार और दहानू रोड के बीच स्वचालित संकेत प्रणाली का कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम रेलवे में विरार और दहानू रोड के बीच स्वचालित संकेत प्रणाली के कार्य को 3 चरणों में योजनाबद्ध किया गया है:-

157 प्रश्नों के

चरण-1 विरार-पालाघर खंड पर 31 कि०मी० का स्वचालित सिगनल प्रणाली कार्य चालू हो गया है और परिचालन में है।

चरण-2 पालघाट-दहानू रोड खंड पर 33 कि०मी० का स्वचालित सिगनलिंग–यह कार्य अंतिम चरण में है और इसे 31.3.2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

चरण-3 उत्तरी छोर पर विरार यार्ड के ढांचे में परिवर्तन–यह कार्य अंतिम चरण में है और इसे 31.3.2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 27.19 करोड़ रुपए है।

(ग) इस कार्य को 31.3.2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आदिलाबाद से नागपुर तक नयी यात्री रेलगाड़ी

1781. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में आदिलाबाद और नागपुर के बीच के खंड को यात्री यातायात के लिए फिलहाल नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आदिलाबाद से नागपुर के बीच एक नयी यात्री रेलगाड़ी को कब तक चलाये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य तथा मंत्री रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) खंड पर रेलपथ संबंधी समस्याओं, वानी और पिपलकुटी स्टेशनों के बीच क्रासिंग स्टेशनों की गैर मौजूदगी तथा सिगनल व्यवस्था की कमी के कारण इसे यातायात के लिए नहीं खोला जा सका।

(ग) इस क्षेत्र की यातायात संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनजर आदिलाबाद-नागपुर के बीच एक सवारी गाड़ी चलाना फिलहाल व्यवहारिक नहीं समझा गया।

विद्युत क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन

1782. **श्री एन०एन० कृष्णदास :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक सरकार के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत की बहुत अधिक कमी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को शेष 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत के आंबटन से संबंधित कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या उड़ीसा सरकार ने विद्युत की खरीद के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य में विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार ने दिनांक 12.2.2000 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन में दिसम्बर, 2001 तक, वितरण का निजीकरण, वितरण कार्यकलाप एवं पारेषण के असंतुलन को कर्नाटक सरकार ने स्वीकार किया। ऊर्जा लेखा परीक्षा और राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पूरी तरह से सहायता प्रदान करना जबकि विद्युत मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को निम्नांकित समर्थन उपलब्ध रहने के लिए आश्वस्त किया, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ एनटीपीसी/एनएलसी के आबंटित कोटे से 180 मे०वा० अतिरिक्त विद्युत का आबंटन, पारेषण नेटवर्क में सुधार एवं कर्नाटक को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों के लिए वित्तीय सहायता एवं तकनीकी उपलब्धता, गांव एवं कस्बों की 100% विद्युतीकरण हेतु आर ई सी के माध्यम से वित्तीय सहायता की उपलब्धता शामिल है।

कर्नाटक के अतिरिक्त, भारत सरकार ने 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन केन्द्र एवं राज्यों के बीच समयबद्ध ढंग से सुधारों के लिए एक संयुक्त वचनबद्धता है। इन समझौता ज्ञापन से राज्य सरकारें राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के साथ 11 केवी फीडर्स की 100% मीटरिंग, ऊर्जा परीक्षण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, वितरण इत्यादि में वाणिज्यिक दायित्वों की उपलब्धि के लिए भी वचनबद्ध है। भारत सरकार, केन्द्रीय जनरेटिंग स्टेशन से अतिरिक्त विद्युत आबंटन के माध्यम से अपनी सहायताएं

देने के लिए भी वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त थर्मल एवं हाइडल पावन प्लांटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ उप पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। टैरिफ विकेन्द्रीकरण के प्रभावित होने पर 12 राज्यों के विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ को पास कर दिया है।

(ग) से (ङ) नेवेली टी एस-II के अनाबंटित कोटा से 80 मेगावाट का आबंटन कर्नाटक राज्य को पहले ही किया जा चुका है। प्रणाली में अवरोध के कारण पूर्वी क्षेत्र से कर्नाटक को 100 मेगावाट विद्युत को स्थानांतरित नहीं किया जा सका है।

(च) और (छ) जी, हां। अपने स्रोतों के अतिरिक्त 235 पैसे प्रति यूनिट की दर से 100 मेगावाट की बिक्री के लिए ग्रिडको (उड़ीसा) ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० (के०पी०टी०सी०एल०) के साथ दिनांक 10.1.2001 से ग्रिडको के एक्स-जैपोर/बुद्धीपदार एक लिखित करार किया है। तथापि पारेषण अवरोध के कारण आन्ध्र प्रदेश की पारेषण लाइन सिस्टम के चालू होने पर ही कर्नाटक राज्य को अतिरिक्त बिजली का स्थानांतरण संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

नयी रेल लाइनों के लिए रखी गयी आधारशिलाएं

1783. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माननीय रेल मंत्री जी ने कुल कितनी रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितनी सेवाओं का उद्घाटन किया;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं और सेवाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और इन पर परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादों का विनिर्माण

1784. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा किस प्रकार/श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन किया गया;

(ग) उत्पादित वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं की प्रति वर्ष बिक्री की गयी और इनका लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या था;

(घ) उत्पादित वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं बेची नहीं गयी और इनका मूल्य क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का विनिर्माण

1785. **डा० अशोक पटेल :**
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेदशी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का विनिर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त हेलीकॉप्टर की अनुमानित उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) इसका विनिर्माण कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) इस समय हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर का स्वेदशी विनिर्माण कर रहा है। इस हेलिकॉप्टर की विशेषता यह है कि इसमें सम्मिश्रों और एकीकृत गतिज प्रणाली का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इस हेलिकॉप्टर को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह सेना, वायुसेना और नौसेना की विविध संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

सीमित श्रेणी उत्पादन के अन्तर्गत विनिर्मित उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर के दो उपयोगिता रूपान्तर सेना को सौंप दिए गए हैं। उन्नत हल्के

हेलिकॉप्टर के सीमित श्रेणी उत्पादन रूपान्तर की उत्पादन लागत स्किड रूपान्तर के लिए लगभग 25 करोड़ रु० और व्हील्ड रूपान्तर के लिए 29 करोड़ रु० है।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर

1786. **श्री ई० पोन्नुस्वामी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया गया, पूरा किया गया और जिनका पूरा होना लंबित है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों को अधिक उत्पादन और आपूर्ति के लिए सहायोग करने के लिए मार्गदर्शन करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में स्वीकृत किये जा चुके गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों ने समय पर कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) तमिलनाडु में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में सुविचारित, पूरी की गई और समापन हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 10वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने 10वीं योजना के दौरान लगभग 47,000 मेगावाट के एक व्यवहार्य क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है। इसमें से 685 मे०वा० क्षमता तमिलनाडु राज्य में जोड़े जाने की संभावना है जिसमें 240 मेगावाट हाइड्रो और 445 मेगावाट थर्मल परियोजनाएं सम्मिलित हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में जोड़े जाने हेतु संभावित कुल 2740 मेगावाट क्षमता की केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं और पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए समर्पित तलचेर एस टी पी एस (2000 मे०वा०) से भी हिस्सेदारी प्राप्त होगी। सरकार, राज्यों को उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्युत स्टेशनों के आर एंड एम तथा मीटरिंग समेत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण हेतु ए पी डी पी के तहत अनुदान और ऋण के रूप में अतिरिक्त योजना सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ) दो गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं नामश: कोविलकलप्पल (107 मे०वा० और पी पी एन, सी सी जी टी परियोजना (330.5 मे०वा०, *जिनको तमिलनाडु राज्य में क्रियान्वयन हेतु* के०वि०प्रा० ने अनुमोदित कर दिया था, पहले ही चालू हो चुकी है। तथापि तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आधारित विद्युत परियोजना नामश: वेम्बर सी सी पी पी (1873 मे०वा०, जिसे निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना है, का निर्माण अभी आरंभ होना है।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा)
1	2
तमिलनाडु में नवीं योजना के दौरान पूरी की गई विद्युत परियोजनाएं	
सरकारी क्षेत्र	
लोअर भावनी डैम आरबीसी यू-1 व 2	2 X 4
सथानूर डैम	7.5
पारसन वैली	30
ताप विद्युत	
कोविकप्पल सीसीजीटी	107
निजी क्षेत्र	
जल विद्युत	शून्य
ताप विद्युत	
बेसिन ब्रिज डीजल पावर प्रोजेक्ट	200
पीपीएन सीसीजीटी	330.5
समलपट्टी डीजल पावर प्रोजेक्ट	105.6
समायानल्लूर डीजल प्रोजेक्ट	106
तमिलनाडु में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं	
सरकारी क्षेत्र	
जल विद्युत	शून्य
पिकारा अल्टीमेट	3 X 50
भवारी कट्टालाइ	2 X 15

1	2
ताप विद्युत	
नेवेली-I टीपीएस एक्सटेंशन	2 X 210
वल्लुथर सीसीजीटी	94
निजी क्षेत्र	
जल विद्युत	शून्य
ताप विद्युत	
नेवेली जीरो टीपीपी	250
के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं जिनका निर्माण अभी आरंभ होना है	
सरकारी क्षेत्र	
जल विद्युत	1 X 50
नेलीथोराई प्रोजेक्ट	1 X 25
पारालयार प्रोजेक्ट	
ताप विद्युत	शून्य
निजी क्षेत्र	
जल विद्युत	शून्य
ताप विद्युत	
तुटीकोरिन टी पी पी	525
नार्थ मद्रास टीपीपी स्टेज II	1050
नार्थ मद्रास टीपीपी स्टेज III	525
कुडालोर टीपीपी	1320
वेम्बर सीसीजीटी	1873

भुवनेश्वर दूरदर्शन की "फ्रिक्वेंसी" बढ़ाने की आवश्यकता

1787. **श्री विक्रम केशरी देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र में विभिन्न कार्यक्रमों के खराब प्रस्तुतीकरण की जानकारी है;

(ख) क्या इस केन्द्र से समाचार प्रसारण की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र में कार्यक्रमों की प्रस्तुति खराब नहीं है। नए कार्यक्रमों की शुरूआत करके तथा प्रस्तुतकर्त्ताओं के जरिए इसे सुधारा गया है।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से रोजाना 7.00 बजे और सायं 7.15 बजे के बीच केवल एक क्षेत्रीय बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है।

अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

1788. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को ऐसे अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष व्यवस्था की गयी है जिसकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा सहन की गई ऐतिहासिक शैक्षिक बाधाएं और उनके विरूद्ध प्रचलित गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह ऐसे अवसरों पर उनके उचित हिस्से से उन्हें वंचित कर सकते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो संविधान के उक्त निर्देशों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"अशोक" फिल्म का प्रदर्शन

1789. श्री के०पी० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और अश्लीलता के कारण "अशोक" फिल्म के प्रदर्शन का विरोध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और प्रदर्शन के लिए फिल्म को स्वीकृति देते समय सेंसर बोर्ड द्वारा ऐसे अंशों को अनदेखा किये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) हिन्दी फिल्म "अशोका" में उड़ीसा की सामाजिक सांस्कृतिक छवि को कथित रूप से विकृत किए जाने के संबंध में उड़ीसा के कुछ भागों में विरोध प्रदर्शन की कुछ घटनाओं संबंधी रिपोर्टें प्रेस में छपी थी। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने फिल्म में विशेष रूप से निहित इस अनुशीर्षक कि "यह फिल्म इतिहास एवं कल्पना का मिश्रण है" के परिप्रेक्ष्य में फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया था।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम आरंभ करने की प्रगति

1790. श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) को आरंभ करने की प्रगति का ब्यौरा क्या है:

(ख) वितरण सर्किलों के लिए पहचाने गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है:

(ग) बुरी दशा में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों (ए०पी०डी०बी०) का प्रबंधन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) कौन-कौन से राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 63 अभिनिर्धारित वितरण सर्किलों में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) की प्रगति तथा राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुधारने के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे क्रमश: विवरण I व II में दिए गए हैं।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम तथा तमिलनाडु ने 100% ग्राम विद्युतीकरण को प्राप्त कर लिया है।

विवरण-I

एपीडीपी स्कीम के अंतर्गत वर्ष, 2000-01 के लिए स्कीमों की प्रगति की स्थिति

सर्किलवार सार

राज्य	सर्कल	2000-01 के लिए स्कीम						
		परियोजना लागत	एपीडीपी फण्ड		ऋण			स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद (यू)	14.41	7.21	7.21	6.05	पीएफसी		प्रदान किया गया सुपुर्दगी 2001 से आरंभ हो गई है।
	गोरखपुर (यू)	11.64	5.82	5.82	4.89	पीएफसी		
	बरेली (यू)							
	उप जोड़	**26.05**	**13.03**	**13.03**	**10.94**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	पीईएसयू (पूर्व)	8.93	4.46	4.46		पीएफसी		बिहार सरकार से निधियां बीएसईबी को नहीं भेजी गई हैं। रिकंक्टरिंग कार्य प्रगति पर है मीटरों और कैपेसटरों के लिए बोली मूल्यांकनाधीन है।
	पटना	5.58	2.79	2.79		पीएफसी		
	मुजफ्फरपुर	7.82	3.91	3.91		पीएफसी		
	उप जोड़	22.33	11.16	11.16				
गोवा	उत्तरी गोवा	8.85	4.4		4.45		1.67	कार्य प्रगति पर है मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है।
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	24.15	12.08		12.08	आरईसी	12.08	स्कीम संशोधित कर दी गई है और 2001-02 में पुन: प्रस्तुत कर दी गई।
	सिंधु दुर्ग							
	उप जोड़	24.15	12.08	0	12.08		12.08	
एसीसी: पावर ग्रिड तथा ईआरडीए								
गुजरात	जामनगर	22.78	11.39	11.39	11.39		11.39	कार्य प्रगति पर है मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है।
	हिम्मत नगर							
	साबरमती							
	भुज	192	96	96				आरंभ होना है।
	उप जोड़	214.78	107.39	107.39	11.39		11.39	
एसीसी एनपीसी								
हि.प्र.	शिमला	25.32	22.79	22.79	2.53		2.53	प्रापण पूरा हो गया है। कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2002 तक पूरा होना है।
	सोलन							
	नाहन							
	हमीरपुर							
	उप जोड़	25.32	22.79	22.79	2.53		2.53	
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	37.2	18.6	16.75	27.8			कार्य प्रगति पर है। मीटरों का प्रापण कार्य प्रगति पर है।
	24 परगना (एस)					पीएफसी		
	विद्यानगर							
	उप जोड़	37.2	18.6	16.75	27.8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	डिब्रुगढ़	14.99	13.473*	13.473	1.497*		1.497	मीटरों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। अन्य प्रस्तावों के लिए कार्य आरंभ नहीं हुए हैं।
	गोहाटी	21.85						
	जोरहट	33.05						
	उप जोड़	69.89	0	13.473	0		1.497	
एसीसी वापकोस								
पंजाब	पटियाला	18.19	9.1	9.1	9.1	आरईसी	9.1	कार्य प्रगति पर है।
	मोहाली	25.21	6.25	6.25	6.25	पीएफसी	6.25	कार्य प्रगति पर है।
	खन्ना	20.23	10.12	10.12	8.07		8.07	कार्य प्रगति पर है।
	उप जोड़	63.63	25.47	25.47	23.42		23.42	
	जोड़	492.2	214.92	210.063	92.61		52.58	

*सिल्चर सर्किल के लिए धनराशि स्वीकृत और मुहैया कर ली गई है। एमओपी से निधियां अविज्ञात सर्किलों को स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

एपीडीपी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष, 2000-01 के लिए प्रस्ताव का सार

सर्किलवार सार

राज्य	सर्कल	2000-01 के लिए स्कीम					स्थिति
		परियोजना लागत	एपीडीपी फण्ड		ऋण		
			मंजूर	जारी	मंजूर	जारी	
1	2	3	4	5	6	7	8
एसीसी एनटीपीसी							
हरियाणा	करनाल	75.56	8.28				लाइन अलग-अलग भेजने का कार्य आरंभ हो गया है। अन्य के लिए बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं।
	सोनीपत		5.38				
	हिसार		7.48				
	फरीदाबाद		16.64				
	उप जोड़	75.6	37.78				

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	जलगांव	156.28	38.14				सामग्री की सुपुदर्गी आरंभ हो गई है और कार्य आरंभ हो गया है।
	सोलापुर		20				
	उस्मानाबाद		20				
	उप जोड़	156	78.14				
मध्य प्रदेश	इन्दौर	76.76	20.43				डीटी और मीटरों के लिए ठेके दे दिए गए हैं। कैपेसिटरों के लिए बोली खोल दी गई है।
	ग्वालियर		6.42				
	उज्जैन		11.53				
	उप जोड़	76.8	38.38				
छत्तीसगढ़	रायपुर	20.52	3.7				मीटर उपलब्ध हैं कैपेसिटरों के लिए बोलियां आमंत्रित की जानी है।
	बिलासपुर		3.2				
	राजनादगांव		3.36				
	उप जोड़	20.5	10.26				
एसीसी: सीपीआरआई							
आन्ध्र प्रदेश	एलेरू	99.6	18.32				9.9 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	वारंगल		14.85				16.54 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	तिरुपति		16.63				14.04 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	उप जोड़	99.6	49.8				
केरल	केसरगाड़	44.84					समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए।
	मंजेरी		15.16				
	पथनामिति हिट्टा		7.26				
	उप जोड़	44.8	22.42				

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	बेलगाम	114.52	10.66				7.67 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	बीजापुर		22.87				7.67 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	मैसूर		23.73				13.13 करोड़ उपयोग में लाए गए।
	उप जोड़	115	57.26				
एसीसी मैकन							
राजस्थान	अल्वर	90.02	9.66				सितंबर, 2001 तक 2.13 करोड़ रुपए खर्च किए।
	झुनझनू		5.93				
	जोधपुर		29.42				
	उप जोड़	90	45.01				
तमिलनाडु	पुडीकुटयी	24.2	12.1				निधियां आहरित नहीं की गई।
	बिलुपुरम						
	कोयमबटूर						
	उप जोड़	24.2	12.1				
झारखण्ड	रांची	43.96	14.95				कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं की गई।
	दुमका						
	हजारी बाग						
	लोहियाबाद		703				
	उप जोड़	44	21.98				
	जोड़	746	373.13				

विवरण-II

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम को आरंभ करने की प्रगति के बारे में लोक सभा में 14.3.2002 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 1790 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिट अनुबंध

वितरण प्रणाली में सुधार

किन्तु सबसे कमजोर कड़ी वितरण विद्युत प्रणाली की एक महत्पूर्ण है और विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया में इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुल टी एंड डी हानि तथा प्राय: संपूर्ण वाणिज्यिक हानि का 75-80% केवल वितरण स्तर पर होता है। अत: वितरण सुधार का उद्देश्य टी एंड डी हानि, जो वर्तमान में 50% है, को लगभग 10% तक लाना तथा उचित लागत पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली आपूर्ति एवं विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराना है। केवल विद्युत चोरी के कारण प्रति वा 20,000 करोड़ रु० से ज्यादा की हानि हो रही है। वितरण क्षेत्र में अकुशलता बार-बार आपूर्ति में बाधा तथा कम वोल्टेज जैसी समस्याएं भी व्याप्त हैं। विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक

उपायों के जरिए टी एंड डी हानि को 50% के वर्तमान स्तर से कम करके 10% तक लाया जा सकता है। अनुमान है कि राट्रीय स्तर पर टी एंड डी हानि में 15% की कभी लगभग 700 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन के बराबर है। 10,000-12,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता इससे काफी कम निवेश से तैयार की जा सकती है।

टी एंड डी हानियां

टी एंड डी हानि को कम करने के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर उपाय करने होंगे। तकनीकी हानियों को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली को अपनाकर कम किया जा सकता है जहां एल टी लाइनों को मौजूदा प्रणाली के परिवर्तन के जरिए एच टी लाइनों में बदलकर अल्प क्षमता वाले एवं ऊर्जा दक्ष वितरण ट्रांसफार्मर की संस्थापना कर ताकि सीमित उपभोक्ताओं की ऊर्जा की जरूरत पूरी की जा सके, विद्युत घटक हेतु क्षमता स्थापना, एल टी लाइनों की रिकंडक्टरिंग जहां लाइन की हानियां ज्यादा हैं आदि जैसे उपाय करने होंगे। इसके लिए प्रणाली का विस्तृत अध्ययन एवं भार संबंधी डाटा तथा कम्प्यूटर टूल्स के जरिए उनका विश्लेषण तथा एक व्यापक प्रणाली सुधार डिजाइन तैयार करना होगा।

दूसरी तरफ सभी उपभोक्ताओं के लिए टैम्पर प्रूफ मीटरों की संस्थापना एवं विस्तृत ऊर्जा एकाउंटिंग के जरिए वाणिज्यिक हानियों में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। दिनांक 26.2.2000 को विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी तथा मीटरिंग के महत्व पर विचार किया गया तथा निम्नांकित संकल्प लिए गए:-

1) सभी स्तरों पर ऊर्जा आडिट

2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के शत-प्रतिशत मीटरीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम

3) विनिर्दिष्ट सीमा में विद्युत चोरी में कमी एवं अन्ततः उसका उन्मूलन

4) उप केन्द्र को प्राथमिकता आधार पर इकाई मानते हुए उप पारेरूाण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसरण में 100% मीटरिंग कार्यक्रम को दो चरणों में शुरू किया गया है:-

1) चरण-1 मार्च, 2001 तक 11 केवी फीडरों एवं एच टी उपभोक्ताओं की मीटरिंग

2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम

उत्तरोत्तर कार्यान्वयन के क्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक हानियों तथा तकनीकी पारेषण एवं वितरण की निष्पादन कमी के लक्ष्य के साथ वितरण नेटवर्क एवं उप पारेषण को बढ़ाना, राजस्व में सुधार एवं गतिरोधयुक्त विद्युत एवं आपूर्ति की योजना 2000-01 के दौरान भारत सरकार ने अनुमोदित किया था, वितरण क्षेत्र में सुधार, यूटिलिटीज/राज्य विद्युत बोर्डों को सक्षम बनाने हेतु नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना ही उत्तरोत्तर विद्युत विकास कार्यक्रम कहलाता है। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान सरकार ने क्रमशः 1000 करोड़ रु० और 1500 करोड़ रु० राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय प्लान सहायता उपलब्ध कराया था। यह धन निम्नानुसार ए पी डी पी के तहत स्वीकृत की गई थी:-

क्र. सं.	राज्यों की श्रेणी	परियोजनाओं/एपीडीपी से प्राप्त स्कीम लागत का %		पीएफसी/आरइसी/ निजी/अन्य स्रोतों से प्राप्त परि- योजनाओं, स्कीमों का %
		अनुदान	ऋण	
1.	विशेष श्रेणी राज्य	90	10	
2.	गैर विशेष श्रेणी राज्य	25	25	50

राज्य विद्युत क्षेत्र में लीवरेज सुधार हेतु ए पी डी पी एक उपकरण की तरह इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार से एपीडीपी के तहत यह धन केवल उन राज्यों को आबंटित की जाती है जो विद्युत मंत्रालय के साथ समयावधि सुधार की स्वीकृति एवं राज्य विद्युत क्षेत्र में प्रक्रिया की पुनर्गठन का निष्पादन किया है ताकि राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य यूटीलिटीज वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त कर सके। मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार एपीडीपी 1012 तक अनवरत है।

पायलट डिमांस्ट्रेशन-एपीडीपी के तहत 63 वितरण सर्किल

वितरण नेटर्वक एवं उप पारेशण के उन्नयन में निवेश के माध्यम से पारेषण एवं वितरण हानियों के कम करने के शर्त में लाभ लक्ष्य प्राप्ति पर विचार किया गया। कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने एवं राज्य सरकारों की परामर्श के साथ विभिन्न राज्यों में विद्युत मंत्रालय ने 63 वितरण सर्किल को प्रथम फेस में एपीडीपी के तहत पाइलट डिमान्सट्रेशन/ केन्द्र उत्कृष्टता में विकास हेतु अभिज्ञात किया।

परिचालन समिति के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन की सूत्रबद्धता

विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा गणना प्रणाली एवं ऊर्जा का लेखा परीक्षा, परियोजना का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग,

उपकरण वितरण की विनिदेशन, परियोजना की सूत्रबद्धता हेतु मार्गदर्शन/तकनीकर मैनुअर तैयार किया गया है। परियोजना की कार्यान्वयन हेतु यह विभिन्न लक्ष्यों को जिसका अनुसरण करना आवश्यक है और प्रत्येक लक्ष्य हेतु माइलस्टोन एवं सुपुर्दगी को उपलब्ध कराता है। यह तकनीकी मैनुअल, राज्य विद्युत बोर्डो की सूत्रबद्धता और लक्षित परियोजना, उप केन्द्रों एवं वितरण नेटवर्क के कार्यान्वयन, उन्नयन बनाना है और (11) स्थानीय एवं अपेक्स दोनों स्तर पर उचित प्रबंधन को प्रभावित ढंग से ग्राहयता राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत मंत्रालय को समर्थन देना है।

दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा धन का उपयोग न किया जाना

1791. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर जोन के लिए निर्धारित धनराशि का आधा भाग भी खर्च नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नयी लाइनों, ऊपरिपुलों और विद्युतीकरण जैसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक प्राप्त की गयी वितीय वास्तविक प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में धीमी प्रगति के क्या कारण है; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, सड़क संरक्षा कार्य-ऊपरी/निचले सड़क पुलों और विद्युतीकरण योजना शीर्षों के अन्तर्गत दक्षिण मध्य रेलवे में जनवरी, 2002 तक बजट आवंटन, संशोधित आवंटन और खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

योजना शीर्ष	बजट अनुदान 2001-02	संशोधित अनुदान 2001-02	वास्तविक जनवरी, 2002
1	2	3	4
नई लाइनें आदि	65.10	33.05	9.66
आमान परिवर्तन	65.52	134.39	59.35
दोहरीकरण	46.00	96.83	40.31
सड़क संरक्षा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल	44.55	16.94	1.96
विद्युतीकरण परियोजनाएं	–	–	–

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोपालपुर, उड़ीसा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनल

1792. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर और उड़ीसा सरकार के साथ किये गये अंतिम विचार-विमर्श के पश्चात् एक निजी कंपनी ने गोपालपुर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.)टर्मिनल के लिए तकनीकी-आर्थिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार और ओमान की संबंधित कंपनी के बीच चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल जोनों के लिए आबंटन

1793. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान जोनल रेलवे को आबंटित की गयी धनराशि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकार से दक्षिण मध्य रेलवे के लिए अधिक धनराशि का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) भारतीय रेल पर 9 जोन हैं, 2001-02 के दौरान जोनवार बजट अनुदान और संशोधित अनुदान इस प्रकार हैं:-

योजना परिव्यय-सकल का जोनवार आवंटन
(बाजार उधारियों को छोड़कर)

(करोड़ रुपए में)

रेलवे जोन	बजट अनुमान 2001-02	संशोधित अनुमान 2001-02
मध्य रेलवे	2175.65	2145.18
पूर्व रेलवे	1834.61	1726.56
उत्तर रेलवे	2684.83	3238.90
पूर्वोत्तर रेलवे	698.85	722.83
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	733.64	862.02
दक्षिण रेलवे	1470.98	1484.02
दक्षिण मध्य रेलवे	1360.40	1448.17
दक्षिण पूर्व रेलवे	2189.43	2206.99
पश्चिम रेलवे	1547.33	1581.18

(ख) जी, हां।

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे के लिए बजट अनुमान में 1360.40 करोड़ रुपए के आवंटन के बजाए संशोधित अनुमान में 1448.17 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त करके कतिपय पहचानी गई परियोजनाओं की शीघ्र प्रगति के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता से अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई गई है।

गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए रक्षा विमान का उपयोग

1794. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रामदास रुपला गावीत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई राजनैतिक व्यक्तियों/संगठनों द्वारा गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए रक्षा विमान के उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इन व्यक्तियों/संगठनों पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) ऐसी धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल प्रधानमंत्री ही गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए भुगतान के आधार पर रक्षा विमान का उपयोग करने के लिए पात्र हैं।

(ख) 10 लाख रु० से अधिक की बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने, तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों से बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए फरवरी, 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमें दायर किए हैं। इन मुकदमों की सुनवाई 23 अप्रैल, 2002 को होगी। बकाया धनराशि की वसूली के बारे में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

विवरण

नाम	बकाया धनराशि		
	मूल	ब्याज	कुल
श्री चंद्रशेखर	5,91,31,476/-	6,56,35,938/-	12,47,67,414/-
श्री पी.वी. नरसिंह राव	5,72,13,700/-	3,21,20,398/-	8,93,34,098/-
श्री एच.डी. देवगौड़ा	54,61,497/-	22,93,828/-	77,55,325/-

फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

1795. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम से व्यक्तियों/कंपनियों को फिल्म निर्माण के लिए प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) फिल्म निर्माण और इसके परिणामों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में युवा और लिये फिल्म निर्देशकों/निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए कोई परियोजना/योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा व्यक्तियों/कम्पनियों को फिल्म निर्माण के लिए प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्योरा और उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्रस्तुत आलेखों की गुणवत्ता और बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर युवा एवं प्रतिभाशाली निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार भी युवा फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्कीम के अन्तर्गत उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

वर्ष	फिल्म और भाषा का नाम	व्यक्ति/कंपनी का नाम	वित्तयोषित राशि (लाख रुपयों में)	स्थिति
1999-2000	लाड़ो (हरियाण्वी)	मैसर्स प्रतिबिम्ब	20.00	फिल्म पूरी हुई
	आई पी सी-215 (तमिल)	कम्यूनीकेशन्स चारूहसन	35.00	फिल्म पूरी हुई
	गभाड़ा (मराठी)	राजीव खांडागले	36.54	फिल्म पूरी हुई
	अमृता (हिन्दी)	ककोली बिश्वास	35.00	फिल्म पूरी हुई
	कारवां (हिन्दी)	पंकज भूंटालिया	35.00	फिल्म पूरी हुई
2000-2001	बस यारी राखो (हिन्दी)	गोपी देसाई	35.00	फिल्म पूरी हुई
	मंसूर मियां-आर घोरा (बंगला)	नाबयेनदू चटर्जी	35.00	फिल्म पूरी हुई
	साकी-माजी (मराठी)	रवीन्द्र सूग्रवे	06.00	फिल्म पूरी हुई
	काली सलवार (हिन्दी)	फरीदा मेहता	45.00	फिल्म पूरी हुई
2001-2002	आताताई (बंगला)	सतरूपा सान्याल मैसर्स स्कुद	10.00	निर्माणाधीन
	मागुवी रा शागड़ा (उड़िया)	प्रपुल्ल मोहन्ती	35.00	फिल्म पूरी हुई
	तिलापानाम (तेलुगु)	के.एन.टी. शास्त्री	35.00	फिल्म पूरी हुई
	बब (कश्मीरी)	ज्योति स्वरूप	35.00	फिल्म पूरी हुई
	जमीला (तमिल)	पोन्वान्नन	35.00	फिल्म पूरी हुई
	हेमन्तरपाखी (बंगला)	उर्मी चक्रवर्ती	40	फिल्म पूरी हुई
	एक नादीर नाम (बंगला)	अनूप सिंह	35.00	फिल्म पूरी हुई
	टाक झाल मिस्ती (बंगला)	बासु चटर्जी	40.00	फिल्म पूरी हुई
	वास्तुपुरुष (मराठी)	सुमित्रा भावे और सुनील सुक्तानकर	40.00	उत्तर निर्माण

फिल्म निर्माण को उद्योग के रूप में घोषणा

1796. **डा० बी०बी० रमैया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा का क्या असर हुआ है;

(ख) क्या इस कदम से इस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है और वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या फिल्म उद्योग को माफिया द्वारा लगाये जाने वाले धन के चुंगुल से मुक्त करा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह उद्योग कहां तक साफ-सुथरा हो पाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार आगे और क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अन्तर्गत "फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग" को एक उद्योग के रूप में घोषित किए जाने से फिल्म निर्माण के लिए संस्थागत वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों को फिल्म निर्माण हेतु वित्त उपलब्ध करवाने के लिए समय बताने हेतु दिशा-निदेश जारी कर दिए हैं। इन कदमों ने फिल्म निर्माण में संस्थागत वित्त-पोषण के प्रवाह को आसान बना दिया है।

दोयांग परियोजना से उत्पादित विद्युत

1797. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड स्थित दोयांग परियोजना से उत्पादित विद्युत के लगभग 88% अंश को लेकर नेपको बहुत कम दर पर निकटवर्ती राज्यों को आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नागालैण्ड पहले से ही विद्युत की भारी कमी से जूझ रहा है और वहां की जनता को प्रति दिन 8-10 घण्टे की कटौती झेलनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार नेपको को अनुदेश देने का है कि वह पूरी विद्युत की मात्रा को नागालैण्ड को ही आपूर्ति करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्य उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) नागालैण्ड में दोयांग जल विद्युत परियोजना एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना है और नागालैण्ड समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों की इस परियोजना से उत्पादित विद्युत में भागीदारी है। हिस्सेदारी संबंधी फार्मूला के अनुसार नागालैण्ड की हिस्सेदारी में परियोजना से 12% निशुल्क विद्युत शामिल है। परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु टैरिफ 6.10 रु०/यूनिट आंकी गई है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों ने इस दर पर विद्युत खरीदने में कमी करने के लिए परियोजना के वित्त पोषण तरीके की पुनर्संरचना किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वर्ष (अप्रैल 2001 से फरवरी, 2002) के लिए नागालैण्ड की विद्युत आपूर्ति स्थिति यह इंगित करती है कि 238.7 मि०यू० ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता 237.8 मि०यू० थी और व्यस्ततम मांग 61 मेगावाट की तुलना में पूर्ति 58 मेगावाट हुई थी। नीपको अपने कुछेक विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत का कम समुपयोजन महसूस करता रहा है और कुछ अधिशेष विद्युत मई, 2000 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बाहर आपूर्ति हेतु उपलब्ध है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भागीदार राज्य नीपको स्टेशनों से विद्युत के अपने इंडेट में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है।

दाभोल विद्युत परियोजना से एल०एन०जी० सुविधा को पृथक करना

1798. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दाभोल विद्युत परियोजना से एल०एन०जी० सुविधा को पृथक करके उसे भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) द्वारा अधिकार में लेने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को डाभोल में डाभोल विद्युत कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के संबंध में 'सम्यक प्रयत्न' करने

और टाटा विद्युत कंपनी सहित रुचि रखने वाले पक्षकारों के साथ गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है।

एन.एच.पी.सी. द्वारा 12 परियोजनाओं की पहचान करना

1799. **श्री वाई०वी० राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन०एच०पी०सी०) ने लगभग 23000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 12 परियोजनाओं की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) व 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए क्रमशः 5310 मेगावाट एवं 10341 मे०वा० अनंतिम क्षमता संवृद्धि योजना तैयार की है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनयोजनाओं में शामिल हैं : 1480 मे०वा० की चालू स्कीमें तथा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उपक्रम के अधीन प्रस्तावित 2420 मे०वा० की परियोजनाएं।

विवरण

एन एच पी सी द्वारा 10वीं व 11वीं योजना के दौरान क्रियान्वयनाधीन व आरंभ करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.
1	2	3
परियोजनाएं जो 10वीं योजना में पूरा किया जाना प्रस्तावित है		
क. चल रही परियोजनाएं		
1.	दुलहस्ती	390
2.	चमेरा-II	300
3.	धौलीगंगा-I	280
4.	तीस्ता-IV	510
ख. नई परियोजनाएं		
5.	फरक्का बैराज	125
6.	तीस्ता लो डैम चरण III	132
7.	तीस्ता लो डैम चरण IV	168
8.	सेवा-II	120
9.	बाव-I	18
10.	बाव-II	37
11.	अपर कृष्णा प्रोजेक्ट	810
ग. संयुक्त उद्यम परियोजना		
12.	इंदिरा सागर	1000
13.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	900
14.	ओमकारेश्वर	520
कुल 10वीं योजना में		**5310**
11वीं योजना में अनंतिम क्षमता अभिवद्धि		
1.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	90
2.	पार्वती-II	800
3.	पार्वता-II	520
4.	पाकल डल	1000
5.	बुरसार	1020
6.	चमेरा-III	231
7.	सिआंग लोअर साइट	1700
8.	सिआंग मिडिल साइट	700
9.	सुबनसिरी मिडिल साइट	2000
10.	सुबनसिरी लोअर साइट	2000
11.	उड़ी-II	280
	कुल 11वीं योजना में	**10341**

'क्रॉस-वोटिंग' तथा बड़ी मात्रा में धनबल के उपयोग को रोकना

1800. **श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग और बड़ी मात्रा में धनबल के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी.ए.) 1951, की धारा 59 और 128 में संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी हां। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001, जो तारीख 5.12.2001 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए विद्यमान गुप्त मतदान पद्धति के स्थान पर खुली मतदान पद्धति को रखने के लिए है। यह आशा की जाती है कि उक्त उपबंध को अधिनियमित किए जाने से राज्य सभा के निर्वाचनों में बड़े पैमाने पर धन-शक्ति के प्रयोग और अप्राधिकृत प्रतिमतदान को रोका जा सकेगा।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि

1801. **श्री वाई०जी० महाजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कितनी बार बढ़ाई गई और प्रत्येक पर इनमें कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) इस तरह कीमत बढ़ाने के क्या कारण रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी के भंडारण स्थल तक के मूल्यों में परिवर्तन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मूल्यों में संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, विनिमय दर में परिवर्तनों, शुल्कों और कर आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के भंडारण स्थल तक के मूल्यों में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण

	पेट्रोल रुपए/ लीटर	डीजल रुपए/ लीटर	सा.वि.प्र. का मिट्टी तेल रुपए/लीटर	घरेलू एलपीजी रुपए/सिलेंडर
निम्न तारीख को				
1.1.99	15.50	7.54	2.00	113.01
निम्न तारीख को संशोधित				
9.1.99		6.72		
1.2.99				127.01
28.0.99	15.40	6.62		124.01
23.3.99			4.50	154.01
20.4.99		6.88		
6.10.99		9.63		
30.9.2000	19.00	11.93	7.00	185.01
22.11.2000			6.11	176.46
12.1.2002	10.82	11.04		
1.3.2002	—	—	6.86	185.01

—परिवर्तन इसलिए किए गए जिससे पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य क्रमश: 1 रुपए प्रति लीटर और 50 पैसे प्रति लीटर कम किए जा सकें।

मंडल रेल-उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति

1802. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल रेल-उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों (डी आर यू सी सी) का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2001 को समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नई डी आर यू सी सी पुनर्गठित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समितियों का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंडल रेलवे उपयोकर्त्ता सलाहकार समितियों (डी आर यू सी सी) का 1.1.2002 से 31.12.2003 तक 2 वर्षों के लिए गठन किया जा चुका है।

[अनुवाद]

'गैसोहल' का उत्पादन और वितरण

1803. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में 'गैसोहल' के उत्पादन तथा वितरण को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कार्यान्वयनार्थ प्रस्तावित कार्यनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यनीति के अंतर्गत देश भर में 'गैसोहल' की आपूर्ति कब तक होने लगेगी; और

(घ) 'गैसोहल' के उत्पादन और वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन-किन प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में दो चरणों में 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (गैसोहोल) की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

प्रथम चरण के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों को शामिल किया जाएगा। द्वितीय चरण के दौरान देश के शेष भाग को शामिल किया जाएगा।

(ग) रूपात्मकताओं तथा अर्थतंत्र का आकलन किया जा रहा है।

(घ) छः और प्रायोगिक परियोजनाओं,—उत्तर प्रदेश में तीन, पंजाब में दो तथा आंध्र प्रदेश में एक, को आंरभ करने का भी निर्णय लिया गया है।

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एककों की स्थापना

1804. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री सुबोध राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार कहां-कहां आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकक तथा नाटक प्रभाग एकक स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या वर्ष 2002-2003 में सरकार का ऐसे और क्षेत्रीय समाचार तथा नाटक प्रभाग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि सम्पूर्ण देश में आकाशवाणी के कई क्षेत्रीय समाचार एकक फैले हुए हैं लेकिन आकाशवाणी का नाटक प्रभाग जैसा कोई प्रभाग नहीं है। तथापि, आकाशवाणी में नाटक अनुभाग हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में नाटक का निर्माण और प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एककों का राज्यवार एवं स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान नए क्षेत्रीय समाचार एकक अथवा नाटक प्रभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकक और नाटक एककों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश (जिन्हें क्षे.स.ए. द्वारा सेवा दी जा रही है)	क्षेत्रीय समाचार एकक	नाटक अनुभाग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	क. हैदराबाद	क. हैदराबाद
		ख. विजयवाड़ा	ख. विजयवाड़ा

1	2	3	4
			ग. विशाखापत्तनम
			घ. कुड्डापा
2.	असम	क. गुवाहाटी	क. गुहावाटी
		ख. डिब्रूगढ़	ख. सिलचर
		ग. सिल्चर	ग. डिब्रूगढ़
3.	अरूणाचल प्रदेश	क. ईटानगर	क. ईटानगर
4.	बिहार	पटना	क. पटना
	झारखण्ड		ख. रांची
			ख. भागलपुर
			ग. दरभंगा
5.	गोवा	पणजी	क. पणजी
6.	गुजरात	क. अहमदाबाद	क. अहमदाबाद
		ख. भुज	ख. वडोदरा
			ग. भुज
			घ. राजकोट
7.	हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़	चंडीगढ़	क. रोहतक
			ख. जालंधर
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	क. शिमला
9.	जम्मू एवं कश्मीर	क. श्रीनगर	क. श्रीनगर
		ख. जम्मू	ख. जम्मू
		ग. लेह	ग. लेह
10.	कर्नाटक	क. बंगलौर	क. बंगलौर
		ख. धारवाड़	ख. भद्रावती
			ग. धारवाड़
			घ. गुलबर्गा
			ङ. मंगलौर/उदिपि
			च. मैसूर
			छ. हासन
11.	केरल	क. तिरूवनन्तपुरम	क. तिरूवनन्तपुरम
		ख. कोजीकोडे	ख. कालीकट
			ग. त्रिचूर
12.	मध्य प्रदेश	क. भोपाल	क. अम्बिकापुर
	छत्तीसगढ़	ख. इन्दौर	ख. भोपाल
		ग. रायपुर	ग. छत्तरपुर
			घ. ग्वालियर
			ङ इन्दौर
			च. जबलपुर
			छ. जगदलपुर
			ज. रायपुर
			झ. रीवा
13.	महाराष्ट्र	क. मुम्बई	क. औरंगाबाद
		ख. औरंगाबाद	ख. मुम्बई
		ग. नागपुर	ग. जलगांव
		घ. पुणे	घ. नागपुर
			ङ. पुणे
			च. रत्नागिरि
			छ. सांगली
14.	मणिपुर	इम्फाल	क. इम्फाल
15.	मेघालय	शिलांग	क. शिलांग
16.	मिजोरम	एजवाल	क. एजवाल

1	2	3	4
17.	नागालैण्ड	कोहिमा	क. कोहिमा
18.	उड़ीसा	कटक	क. कटक
			ख. जैपोर
			ग. सम्बलपुर
19.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	क. पांडिचेरी
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
21.	राजस्थान	जयपुर	क. जयपुर
			ख. बीकानेर
			ग. उदयपुर
			घ. जोधपुर
			ड. सूरतगढ़
22.	सिक्किम	गंगटोक	
23.	त्रिपुरा	अगरतला	क. अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	क. लखनऊ	क. लखनऊ
	उत्तरांचल	ख. गोरखपुर	ख. अल्मोड़ा
		ग. देहरादून	ग. इलाहाबाद
			घ. रामपुर
			ड. मथुरा
			च. गोरखपुर
			छ. नजीबाबाद
			ज. आगरा
25.	पश्चिम बंगाल	क. कोलकाता	क. कोलकाता
		ख. कुर्सियांग	ख. कुर्सियांग
			ग. सिलीगुड़ी
26.	तमिलनाडु	क. चैन्ने	क. कोयम्बतूर
		ख. तिरूचिरापल्ली	ख. चैन्ने
			ग. मदुराई
			घ. तिरूचिरापल्ली
			ड. तिरूनेलवेली
27.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली

[हिन्दी]

जबलपुर रेल मंडल द्वारा निजी क्षेत्र के लिए रेल वैगन

1805. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर रेलमंडल से निजी क्षेत्र को रेल वैगन उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान जनवरी, 2002 तक कुल कितने वैगन उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या इन वैगनों को उपलब्ध कराने में वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने सम्बन्धी शिकायतें सरकार के पास आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर मंडल द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान (अप्रैल से जनवरी तक) लदान के लिए कुल मुहैया कराए गए मालडिब्बों की संख्या 360310 थीं (चौपहिया इकाइयों के हिसाब से)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युतीकरण पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1806. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री "विद्युतीकरण पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट" के बारे में 15 मार्च, 2001

के अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिप्पिणयों की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या अप्रैल, 1996 से फरवरी, 1999 की अवधि के दौरान रेल प्रशासन को 2.14 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय करना पड़ा जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट सं. 9 के पृ. 311 पर उल्लेखित है;

(ग) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और रेल प्रशासन द्वारा अपव्यय पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या पूर्व रेलवे ने सभी कर्षण उप-केन्द्रों पर ''कैपैसिटर बैंक'' अधिष्ठापित नहीं किये, जिससे राज्य को राजस्व की हानि हुई; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस विषय में जांच की गई है और इसके लिए जवाबदेही तय की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जिन दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न निर्णयों पर पहुंचा जा सकता है, लेखा परीक्षा से प्राप्त हो गए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। व्यय अपरिहार्य था।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केपेसिटर बैंक आवश्यकता के आधार पर मुहैया कराए जाते हैं। जहां तक पूर्व रेलवे का संबंध है, केपेस्टिर बैंक वहीं मुहैया कराए गए जहां आवश्यक थे।

(ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता.

ओएनजीसी द्वारा घोषित लाभांश

1807. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी से 700 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओएनजीसी पर इस मांग का क्या असर हुआ है;

(ग) 700 प्रतिशत लाभांश घोषित किये जाने की दशा में कितनी धनराशि वितरित करनी होगी; और

(घ) इतनी भारी राशि की मांग किये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) के प्रत्युत्तर में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयल एंड नंचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी करीब 1426 करोड़ रुपए है और उस पर 700 प्रतिशत लाभांश 9982 करोड़ रुपए की राशि होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

1808. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 2002 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में 'रिन्यूएबल इनर्जी होल्ड्स की टू डेवलपमेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में संपन्न 'सतत विकास शिखर सम्मेलन' में उक्त आशय के क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) देश की ऊर्जा-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने 8-11 फरवरी, 2002 के दौरान दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2002 (डीएसडीएस) का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय ने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें शामिल हैं (i) न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना (ii) विकेन्द्रित ऊर्जा आपूर्ति के माध्यम से दूर-दराज के गांवों का विद्युतीकरण और (iii) ग्रिड किस्म की बिजली का उत्पादन। अपनाई गई कार्यनीति में अक्षय ऊर्जा के लिए बजटीय सहायता, राजकोषीय एवं संवर्द्धनात्मक नीतिगत सहायता

के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना और आंतरिक व बाह्य संसाधन जुटाना शामिल है।

विवरण

दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन 2002 में की गई सिफारिशें

(1) सतत विकास की प्राप्ति में व्यापार और उद्योग की केन्द्रीय भूमिका को पहचानना और इसे उचित वरीयता देना।

(2) शासन की एक प्रबुद्ध, पारदर्शी पद्धति का विकास करना।

(3) सृजित आधिकारिक विकास सहायता की दिशा में निश्चयात्मक वचनबद्धताओं को सुरक्षित करना।

(4) सच्चे अर्थ में विश्वव्यापीकरण की प्राप्ति के लिए व्यापार को उदार बनाना और श्रम की गतिशीलता को बढ़ावा देना।

(5) सामाजिक रूप से उत्तरदायी प्रौद्योगिकी में नवीनता को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर इसके विस्तार को प्रोत्साहित करना ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें।

(6) एक सतत, न्यायसंगत और प्रगतिशील समाज के कच्चे आधार के रूप में काम करने के लिए सार्वभौमिक तथा उचित शिक्षा की रूपरेखा सुनिश्चित करना।

(7) विकास की संपूर्ण दिशा को भौतिक समृद्धि, प्रतियोगिता और लघु आवधिक लाभों से निहित दृष्टिकोण की बजाए ऐसी दिशा में ले जाना जिसमें सभी की भलाई, सहयोग और दीर्घ आवधिक समृद्धि की प्राप्ति हो सके।

(8) लोगों, विशेष रूप से गरीबों और पर्यावरण के बीच विशिष्ट पारस्परिक सूझ-बूझ पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के स्वस्थ दृष्टिकोण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के सुस्पष्ट निरूपण को समर्थन देना।

महिला यात्रियों के यौन-उत्पीड़न के सम्बन्ध में रेल विभाग से मांगी गयी रिपोर्ट

1809. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिला रेलयात्रियों का यौन-उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में रेल विभाग से रिपोर्ट मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिला यात्रियों की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव पेश किए हैं तथा उसने इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट अभी पेश की जानी है।

यद्यपि कानून एवं व्यवस्था तथा रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेलवे परिसरों में अपराध पर नियंत्रण को बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी यात्रियों के बेहतर संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखती है। रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. रेल परिसरों तथा गाड़ियों में से समाज विरोधी तत्वों को हटाया जाता है।

2. कोच परिचर/चल गाड़ी परीक्षक सवारी डिब्बों में प्रवेश करने/उतरने वाले यात्रियों पर उचित निगरानी करते हैं।

3. सवारी डिब्बों को रात्रि के दौरान बंद कर दिया जाता है।

4. गाड़ी में यात्रियों द्वारा तत्काल रपट दर्ज कराने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/रे.सु.ब. के पास प्राथमिकी सूचना रपट के फार्म उपलब्ध कराए गए हैं।

5. सभी स्तरों पर रे.सु.ब. तथा रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना तथा अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

6. यात्रियों को उनके सामान इत्यादि की चोरी के बारे में सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन तथा जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए उद्घोषणाएं की जाती हैं।

7. यात्रियों को राजकीय रेल पुलिस के पास प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों रे.सु.ब. सहायता बूथ उपलब्ध कराए गए हैं।

8. उपयुक्त निवारक उपाय करने की दृष्टि से अपराध स्थिति के विश्लेषण हेतु राजकीय रेल पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

9. महिला यात्रियों की समस्याओं के प्रति रेल सुरक्षा बल कार्मिकों का सजक करने के लिए कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों को आयोजित करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

10. कुछ उपनगरीय क्षेत्रों में महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण रा.रे.पु. तथा रे.सु.ब. की महिला सिपाहियों द्वारा किया जाता है।

11. मध्य, दक्षिण मध्य तथा पश्चिम रेलवे में महिला यात्रियों की सहायता के लिए महिला टिकट जांचकर्मी तथा महिला रे.सु.ब. कर्मियों को मिलाकर विशेष दस्ते बनाए गए हैं?

'कंडीशनल एक्सेस सिस्टम' के लिए कृतक बल

1810. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** टी०वी० दर्शकों के लिए 'कंडीशनल एक्सेस सिस्टम' के बारे में 22 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृतक बल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) इन सिफारिशों पर अमल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कृतक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कृतक बल ने अभी तक सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दोषयुक्त कन्टेनर बॉक्सों की खरीद

1811. श्री अरुण कुमार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1994 से दिसम्बर, 1994 के बीच चंदास्थित आयुध निर्माणी को व्यापार के जरिए खरीदे गये दोषयुक्त कन्टेनर बॉक्सों की मरम्मत में 42.85 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय उठना पड़ा, जबकि इस सौदे का निरीक्षण सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एस्टा. (आर्मामेन्ट) के एरिया इंस्पेक्टर/सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस आफिसर द्वारा करके इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच की गई;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार को 42.85 लाख रु. की हानि कराने के लिए किसी पर जवाबदेही तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) आयुध निर्माणी, चांदा ने गुणता आश्वासन महानिदेशालय के क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा विधिवत निरीक्षित तथा स्वीकृत ट्रेड से कन्टेनर बॉक्स सी-40 ए की अधिप्राप्ति की थी। स्वीकृत 130 मि.मी. गोला-बारूद इन संदूकों में भरे गए थे तथा उन्हें केन्द्रीय गोला-बारूद डिपो, फूलगांव को भेज दिया गया था। गुणता आश्वासन महानिदेशालय के स्थानीय निरीक्षक ने संदूकों को भरे जाने के समय पुन: उनका निरीक्षण किया था। तत्पश्चात् केन्द्रीय गोला-बारूद डिपो, फूलगांव ने इस संदूकों में बन्द गोला-बारूद में पानी के प्रवेश के बारे में शिकायत की थी।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा आयुध निर्माणी, चांदा के एक अफसर बोर्ड ने दोष के कारणों का पता लगाने के लिए उस स्थल पर जांच की थी। जांच के बाद, संयुक्त दल ने परिवहन के दौरान या खुले स्थान में भंडारण के समय संदूकों में पानी के प्रवेश को दोष का कारण ठहराया था। आयुध निर्माणी, चांदा ने बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार गोला-बारूद को क्षति से बचाने के लिए 42.85 लाख रुपए की लागत पर प्रभावित संदूकों की मरम्मत की।

बोर्ड ने संदूकों की डिजाइन में कुछ परिवर्तनों तथा उत्पादन पर कड़े नियंत्रण की भी सिफारिश की थी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

संचार सेट की खरीद

1812. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना मुख्यालय ने वर्ष 1998 के दौरान निर्धारित मानदण्डों का पालन किये बगैर एक विदेशी कम्पनी से 7 करोड़ रुपये की लागत के खराब संचार सेटों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिप्राप्ति 1996 में की गई थी। अधिप्राप्त संचार सैट संक्रियात्मक आवश्यकताओं में दिए गए कतिपय मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। तथापि, चूंकि ये मानदंड इन सैटों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे इसलिए इस संबंध में अधित्याग मंजूर किया गया था। इन सैटों को शामिल किए जाने से पहले भारतीय वायुसेना ने उनका विस्तृत उड़ान मूल्यांकन परीक्षण किया था। सरकार ने किसी जांच के आदेश नहीं दिए हैं/कोई जांच नहीं की है।

आगवे रडार का प्रतिस्थापन

1813. **श्री रामजी मांझी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फरवरी, 1999 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके अन्तर्गत मैरी टाइम जगुआर में आगवे रडार के स्थान पर करीब 54 करोड़ रुपए की लागत वाले बेहतर संचालन विशेषताओं से युक्त आधुनिक मैरीटाइम रडार के दिसंबर 2000 तक खरीद की सिफारिश की गई थी;

(ख) क्या उन्नयन कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आगवे रडार को बदलने के लिए फरवरी, 1999 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्नयन कार्यक्रम में डिजाइन एवं विकास अवस्था में कुछ विलंब हुआ है।

तालचेर-सम्भलपुर लाइन का उपमार्ग निर्माण संबंधी कार्य

1814. **श्री अनन्त नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मुख्य तालचेर-सम्भलपुर लाइन के कुछ उपमार्गों का कार्य निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन उपमार्गों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) तालचेर-संभलपुर नई लाइन के संभलपुर छोर पर उपमार्ग का कार्य पूरा हो गया है। प्री-नॉन-इंटरलॉक कार्य प्रगति पर है और उप मार्ग 31.03.2002 तक चालू होनी थी।

ओएनजीसी की गहरे पानी में खुदाई क्षमता

1815. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओएनजीसी की गहरे पानी में खुदाई क्षमता कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान क्षमता एन.ई.एल.पी. अंतर्गत काम शुरू करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो ओएनजीसी द्वारा गहरे पानी में खुदाई क्षमता को बढ़ाने के लिये कौन से विशिष्ट कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड का ड्रिलशिप, सागर विजय, वर्तमान में 900 मीटर की गहराई तक वेधन करने में सक्षम है। 900 मीटर से अधिक गहराई वाले जल में वेधन करने के लिए ओएनजीसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) 1000 मीटर की गहराई तक जल में वेधन करने के लिए सागर विजय का उन्नयन।

(2) ओएनजीसी के कार्य प्रोग्राम के आधार पर 1000 मीटर से अधिक गहराई वाले जल में वेधन करने के लिए बाजार से उपयुक्त गहन जल रिग्स् भाड़े पर लेना।

(3) पानी में 1000 मीटर से अधिक की गहराई में अल्ट्रा-दीप जल वेधन में ओएनजीसी की मदद करने वाली कंपनियों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू करना।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेल लाइन

1816. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-इटावा के बीच रेल लाईन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) इस कार्य को चरणों में पूरा किया जा रहा है और गुना से सोनी तक की लाइन पूरी हो चुकी है और चालू कर दी गई है। सोनी-भिंड लाइन के वर्ष 2001-02 के दौरान पूरा होने की संभावना है। भिंड-इटावा खंड धन की उपलब्धता के आधार पर आगामी 2-3 वर्षों में पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

पुनर्गैसीकरण क्षेत्र में गेल का प्रवेश

1817. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल का विचार पहले से वर्तमान कारोबार की खरीद के माध्यम से पुनर्गैसीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो गेल के लंबित ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्गैसीकरण परियोजनायें किस तरीके से गेल की भावी व्यापार विस्तार योजनाओं के अनुरूप बैठती है; और

(घ) ऐसे कारोबार में प्रवेश के लिये गेल का वित्तीय परिव्यय कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) फिलहाल, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने गुजरात में दहेज और केरल में कोच्चि में पुनर्गैसीकरण सुविधाओं के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) का प्रवर्तन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते पहले ही एलएनजी पुनर्गैसीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर गेल को डाभोल में डाभोल विद्युत कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के संबंध में 'सम्यक प्रयत्न' करने और रुचि रखने वाले पक्षकारों के साथ गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

(ग) इससे गेल को प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई मांग को कुछ सीमा तक पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(घ) फिलहाल, गेल की पीएलएल में 12.5 प्रतिशत इक्विटी है और गेल द्वारा डाभोल एलएनजी टर्मिनल प्राप्त करने का प्रस्ताव आरंभिक चरण पर है।

[हिन्दी]

रेल आरक्षण केन्द्रों में दलाल

1818. डा० बलिराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ तथा अन्य विभिन्न शहरों के रेल आरक्षण केन्द्रों में दलालों की भरमार है;

(ख) क्या आरक्षण कर्मचारी खुलेआम दलालों के लिये कार्य करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेल टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु दलालों और आरक्षण कर्मचारियों की मिलीभगत को रोकने हेतु उचित कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक रोक लगाये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) ऐसे कुछ मामले नोटिस में आए हैं जहां कुछ आरक्षण केन्दों पर दलाल काम करते हुए पाए गए थे और कुछ अवसरों पर दलालों को सहयोग देते हुए आरक्षण कर्मचारियों को पकड़ा गया था।

(ग) से (ङ) दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ स्टेशनों सहित सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सतर्कता एवं वाणिज्यिक विभागों और पुलिस द्वारा दलालों ओर अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आरक्षण कार्यालयों में निरन्तर जांचें की जाती हैं। कानून के संबद्ध प्रावधानों के तहत दलालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है और दलालों को सहयोग देने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बीपीसीएल द्वारा पेट्रोल पंपों को किराये पर देना

1819. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीपीसीएल ने राजधानी में पेट्रोल पंप क्षेत्र के कुछ हिस्से को डीडीए से अनुमति लिये बगैर अन्य पार्टियों को एटीएम और फास्ट फुड आदि अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु किराये पर देना शुरू किया है;

(ख) क्या डीडीए के उपनियम ऐसी किरायेदारी की अनुमति देते हैं;

(ग) क्या बीपीसीएल ने राजधानी में ऐसे स्थलों के संबंध में डीडीए को सभी देयताओं का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थलों के निर्माण पर इतनी भारी धनराशि व्यय करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) इन उपनियमों के उल्लंघन हेतु निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समझौते के बाद बकाया राशि का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों को फिर से प्रतिरूपति करने संबंधी व्यय ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने और खुदरा बिक्री केन्द्र परिसरों में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी तेल शोधक कारखानों द्वारा विकसित ईंधन की कोटि

1820. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी तेल शोधक कारखाने ऐसी कोटि के ईंधन का विनिर्माण कर रहे हैं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सूची में विशिष्ट रूप से परिलक्षित रही है और जिससे सरकारी कोष को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को डीलरों के माध्यम से अपने उत्पाद जैसे एलडीओ, भट्टी, विलायक आदि बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो कम मात्रा की मांग वाले छोटे उपभोक्ताओं को किस तरीके से इन उत्पादों की आपूर्ति मिलेगी;

(ङ) क्या इस प्रतिबंध से निजी तेल शोधक कारखानों को सहायता मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्टाम्प शुल्क की वापसी

1821. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड अपने डीलरों को स्टाफ शुल्क वापस नहीं कर रहा है जबकि अन्य तेल निगम उक्त शुल्क को वापस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एपीएम मामले में सरकार द्वारा उक्त व्यवहार की अनुमति है जबकि आईओसीएल के लिये अलग मानदंड निर्धारित है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आईओसीएल को डीलरों को स्टाम्प शुल्क वापस करने का निर्देश देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चंचारी में उपरिपुल का निर्माण

1822. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने चंचारी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल के निर्माण हेतु एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) चंचारी में ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चंगसारी में राष्ट्रीय राज मार्ग पर ऊपरी सड़क पुल के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था जिसे भागीदारी के आधार पर रेल बजट 1996-97 में 10.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (रेलवे का हिस्सा 3.01 करोड़ रुपए) पर स्वीकृत किया गया था। इस कार्य को अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत पूर्व पश्चिम कौरीडोर कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल रेल लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण

1823. **श्री मनसुखभाई डी० वसावा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-भुसावल रेल लाइन विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के कब तक पूरा होने की सभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) सूरत (उधना)-भुसावल (जलगांव) के बीच विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2003 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के कश्मीर चैनल के अधिकारियों के विरुद्ध सी०बी०आई० का छापा

1824. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० अधिकारियों ने कार्यक्रमों की मंजूरी के लिए कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में दूरदर्शन चैनल कश्मीर के कार्यक्रम नियंत्रक को गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या सी०बी०आई०ने इस संबंध में जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) घूस लेने के दोषी पाये गये उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी०बी०आई० द्वारा जांच कार्य प्रगति पर है।

(घ) कशीर चैनल के कार्यक्रम नियंत्रक और सहायक नियंत्रक को सी०बी०आई० द्वारा गिरफ्तार करने के फलस्वरूप उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

एम०टी०पी०पी० में घोटाला

1825. **श्री सुनील खां** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निजी एजेंसी काफी लंबे समय से मेजिया ताप विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में कोयले से लदे ट्रकों को गंगाजल घाटी पुलिस स्टेशन द्वारा कोयले के बदले काला पत्थर लादने के कारण जब्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ट्रक मालिक, दुर्गापुर ट्रक मालिक एसोसिएशन का कार्यकारी सदस्य है;

(घ) एजेंसी, ट्रक मालिक और एम.टी.पी.एस. के प्रबंधन के बीच कब से मिलीभगत चल रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये जा चुके हैं या उठाये जाने वाले हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) डीवीसी द्वारा कोयले की खरीद कोल इंडिया लिमिटेड से की जाती है। हालांकि मेजिया ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति मुख्यत: रेलवे द्वारा की जाती है और केवल सीमित प्रतिशत कोयले का परिवहन ही चार रोड ट्रांसपोर्टरों द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) 2.2.2002 को चार में से एक ट्रांसपोर्टरों-मेसर्स यूनाइटेड कोल कैरियर्स द्वारा तैनात एक ट्रक को सीआईएसएफ द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले को ले जाते हुए पाया गया, और इस मामले को जांच हेतु गंगाजलघंटी पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स युनाइटेड कोल कैरियर्स को 15.2.2002 से कोयले की आपूर्ति करने से रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को पुलिस जांच तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। डी.वी.सी. ने उक्त मामले में अलग से जांच शुरू की है।

(ङ) प्राप्त जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर डी.वी.सी. उपयुक्त सुधारकारी कार्रवाई करेगा।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय की सहायता से रेल परियोजनायें

1826. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रक्षा मंत्रालय की सहायता से चलाई जा रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने और पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार फालोदी-कोलायत रेल लाइन को पोखरण, बाड़मेर, सांचोर और कांडला तक बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त रेल लाइन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय की निधियों से वित्तपोषित सामरिक महत्व की दृष्टि से आरंभ की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. **लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव खंड का आमान परिवर्तन :** यह कार्य पहले से ही प्रगति पर है और इसे 31.12.2002 तक चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. **कोलायत से फलौदी तक नई रेल लाइन का निर्माण :** यह कार्य 2002-03 के रेल बजट में शामिल किया गया है और 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) से (च) फलौदी ओर पोखरण के बीच रेल संपर्क पहले ही विद्यमान है और पोखरण से बाड़मेर से नई दिल्ली बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। जैसलमेर और कांडला के बीच रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही आगे विचार संभव होगा।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं में जापान की सहायता

1827. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सरकार भारत में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु जापान सरकार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहामत हो गई है;

(ग) क्या सरकार भारत में चालू विद्युत परियोजनाओं को चलाने हेतु अन्य देशों से वित्तीय सहायता ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। जापान सरकार, जाप बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जे बी आई सी) के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु भारतीय विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण कर रहा है। जापानी सहायता वाली क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाएं निम्नवत् हैं:-

1.	सिम्हाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट	(एनटीपीसी)
2.	नार्थन इंडियन ट्रांसमिशन सिस्टम	(पावरग्रिड)
3.	धौलीगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	(एनएचपीसी)
4.	पावर सिस्टम इम्प्रूवमैंट प्रोजेक्ट	(आरईसी)
5.	तुरियल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	(नीपको)
6.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	(एपीजेनको)
7.	श्रीसेलम पावर ट्रांसमिशन	(एपीजेनको)
8.	सिम्हाद्री एंड विजाग ट्रांसमिशन	(एपट्रांसको)
9.	आर एंड एम-कोठ्रगुडम ए थर्मल प्रोजेक्ट	(एमजेनको)
10.	आर एंड एम उमिअम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	(मेघालय)
11.	घटघर पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट	(महाराष्ट्र)

12. अनपारा ''बी'' थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II (यूपीआरपीयूएनएल)

13. बक्रेश्वर थर्मल पावर यूनिट (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)

14. पुरूलिया पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट (डब्ल्यूबीएसईबी)

15. वैस्ट बंगाल ट्रांसमिशन सिस्टम (डब्ल्यूबीएसईबी)

(ग) और (घ) भारतीय विद्युत क्षेत्र कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषक एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण (ऋण और अनुदान) प्राप्त करता है। जबकि विश्व बैंक (आई बी आर डी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) बहुपक्षीय दाता है, द्विपक्षीय सहायता मुख्यत: जापान (जेबीआईसी)/पूर्व में ओईसीएफ, यू के, जर्मनी (के एफ डब्ल्यू) और फ्रांस से प्राप्त की जाती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन के लिए लक्ष्य का निर्धारण

1828. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण के लिए गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्य दल के अपनी रिपोर्ट में दूरदर्शन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने किस सीमा तक इसके सुझावों को स्वीकार किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ दूरदर्शन के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :-

- निर्माण सुविधाओं का डिजीटलीकरण
- स्टूडियो तथा ट्रांसमीटरों का आटोमेशन
- शेष संभावित टेलीविजन जनसंख्या को कवर करने हेतु प्रसारण पहुंच का विस्तार
- डिजीटल स्थलीय प्रसारण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होने के बाद इसमें निवेश
- प्रयोग आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी युक्त मलटीमीडिया सेवाएं शुरू करना।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग ने अभी अन्तिम रुप नहीं दिया है।

मतदान के लिए मानदंड

1829. श्री टी० गोविन्दन : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रमाणों के अभाव में मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों के मतदान के अधिकार से संबंधित न्यायालय के निर्णय को नकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय के निर्णय के आलोक में मानदंडों को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोंकण रेलवे की गतिविधियों का विविधिकरण

1830. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कोंकण रेलवे की गतिविधियों के विविधिकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण रेलवे भारत से बाहर परियोजनाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोंकण रेल कारपोरेशन का मुम्बई के लिए स्काई बस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसकी आपूर्ति करने वाले प्राधिकरण का नाम क्या है;

(घ) क्या रेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा;

(ङ) क्या यह कोंकण रेलवे और मंत्रालय पर बोझ न बन जाए इसके लिए सावधानी बरती जाएगी;

(च) क्या इस संबंध में कोंकण रेल प्रबंधन द्वारा मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है;

(छ) क्या राज्य सरकार और ठेकेदार द्वारा पूरी वित्तीय जिम्मदारी ली जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना, उसकी दिशा कार्यवाहियों और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) कोंकण रेलवे के सभी कार्यकलाप उनके ज्ञापन तथा संगम ज्ञापन के अनुसार उनको प्रदान किए गए प्राधिकार के अनुरूप हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ईराक सरकार के साथ रेलवे क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न पहलुओं यथा नई रेल परियोजनाएं, स्काई बस मेट्रो, स्लीपर फैक्टरी, विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण का आदान-प्रदान सेवाओं की आपूर्ति सामग्री एवं उपस्कर आदि को शामिल करते हुए कोंकण रेल निगम के माध्यम से एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा, के.आर.सी.एल. विभिन अन्य देशों तथा सउदी अरब, सीरिया आदि के साथ भी स्काई बस मेट्रो परियोजनाओं पर विचार कर रहा है, के.आर.सी.एल. विभिन्न राज्य सरकारें यथा महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली आदि के साथ भी स्काई बस मेट्रो परियोजनाओं पर विचार कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) कोंकण रेल प्रबंधन अपने ज्ञापन एवं संगम ज्ञापन की परिधि के भीतर ऐसे कार्यकलाप करने में सक्षम है। बहरहाल, वे समय-समय पर ऐसे कार्यकलापों के बारे में मंत्रालय को सूचित करते हैं।

(छ) अभी तक के.आर.सी.एल. द्वारा राज्य सरकारों के साथ ऐसा कोई करार नहीं किया गया है और न ही कोई ठेकेदार नियुक्त किया गया है।

(ज) उपर्युक्त (छ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एफ०एम० चैनल, जयपुर

1831. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी जयपुर ने एफ०एम० चैनल पर कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय प्रसारण हेतु कितने समय का आबंटन निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त चैनल के अंतर्गत किन-किन कार्यक्रमों और विषयों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार देश के अन्य राज्यों में इस चैनल के चौबीसों घंटों के प्रसारण पर विचार कर रही है; और

(ङ) देश में आकाशवाणी के एफ०एम० चैनलों के प्रसारण की अवधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जयपुर में एफ.एम. चैनल पर स्थानीय प्रसारण हेतु निर्धारित समय स्लॉट निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रात:कालीन प्रसारण: प्रात: 9.15 से 10.00 बजे (सोमवार से शनिवार)

(2) सांयकालीन प्रसारण: सांय 6.15 से 7.00 बजे (सोमवार से शनिवार)

(ग) प्रात:कालीन एवं सांयकालीन प्रसारणों के दौरान प्रत्येक दिन प्रसारित कार्यक्रमों एवं उनमें निहित विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जयपुर में एफ.एम. चैनल पर कवर किये गये कार्यक्रमों तथा विषयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सप्ताह का दिन	कार्यक्रमों का ब्यौरा
1	2	3
I	प्रात:कालीन एफएम	''मेरा रेडियो टाइम''
1.	सोमवार	हिन्दी प्रस्तुति। टेलीफोन पर श्रोताओं के साथ परस्पर बातचीत; सड़क, रेल तथा हवाई परिवहन शहर की खबरे, स्थानीय सूचना तथा हिन्दी पॉप संगीत/नये कार्यक्रम। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
2.	मंगलवार	वही
3.	बुधवार	द्विभाषीय प्रस्तुति सहित कुछ कार्यक्रम।
4.	वृहस्पतिवार	वही

1	2	3
5.	शुक्रवार	हिन्दी प्रस्तुति सहित कुछ कार्यक्रम।
6.	शनिवार	वही
II.	सायं	"एफ एम म्यूजिक मूव"
1.	सोमवार	एफ.एम. धमाका; द्विभाषीय प्रस्तुति, मिक्स मेलोडीज, रेल, सड़क एवं हवाई परिवहन संबंधी सूचना।
2.	मंगलवार	वही
3.	बुधवार	वही
4.	वृहस्पतिवार	वही
5.	शुक्रवार	हेल्थ एंटेना (फोन इन) द्विभाषीय प्रस्तुति, मिक्स मेलोडीज, रेल, सड़क एवं हवाई परिवहन संबंधी सूचना।
6.	शनिवार	धरती धूराड़ी राजस्थानी कल्चर-हिन्दी एवं राजस्थानी में प्रस्तुति (राजस्थानी एवं हिन्दी-फिल्मी एवं गैर फिल्मी)।
7.	रविवार	साक्षरात्मक सांस्कृतिक गार्डनिंग एवं अन्य विषयों सहित एफ एम मैगजीन-द्विभाषीय प्रस्तुति।

विवरण-II

एफ एम चैनल प्रसारण घंटे

क्र. सं.	राज्य	आकाशवाणी केन्द्र	प्रसारण घंटे
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	एफ एम बंगलौर	0600 बजे से 0005 बजे
2.	पंजाब	एफ एम जालंधर	0700 बजे से 1200 बजे
			1600 बजे से 2300 बजे
3.	महाराष्ट्र	मुम्बई	
		एफ एम 1	24 घंटे
		एफ एम 2	0600 बजे से 1210 बजे
4.	गोवा	एफ एम पणजी	0700 बजे से 1000 बजे तथा 1700 बजे से 2300 बजे
5.	उड़ीसा	एफ एम कटक	1800 बजे से 2200 बजे
6.	उत्तर प्रदेश	एफ एम लखनऊ	0600 बजे से 0000 बजे
7.	दिल्ली	दिल्ली	
		एफ एम 1	24 घंटे
		एफ एम 2	0600 बजे से 1210 बजे
8.	तमिलनाडु	चेन्नई	
		एफ एम 1	24 घंटे
		एफ एम 2	0600 बजे से 1210 बजे
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	
		एफ एम 1	24 घंटे
		एफ एम 2	0600 बजे से 1210 बजे

डीजल इंजन के कलपुर्जों की खरीद

1832. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी "मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक" से डीजल इंजन के कलपुर्जों की खरीद का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी से खरीदी गई वस्तुओं को पूर्व में रेलवे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो "मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक" से कलपुर्जों के पुनः खरीद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी "मेसर्स जनरल मोटर्स" से डीजल इंजन के कलपुर्जों की खरीद की है और कंपनी भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो पूर्व में किन-किन कंपनियों से डीजल इंजन की खरीद की गई थी और इसी कंपनी से कलपुर्जों की खरीद न किये जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) और (घ) जी, नहीं। अमेरिकी कंपनी मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक से डीजल इंजन पुर्जों की खरीद का ऐसा कोई विनिर्दिष्ट निर्णय नहीं है। पहले 1956 के आसपास डीजल इंजन (रेल इंजन) मैसर्स अमेरिकन लाकोमोटिव कंपनी (अलको) से खरीदे गए थे जिसका बाद में मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक यू.एस.ए. द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इस प्रकार के इंजनों के अधिकांश पुर्जों का स्वदेशीकरण हो चुका है। बहरहाल, जिन कतिपय पुर्जों का अभी स्वदेशीकरण नहीं हुआ है, सामान्यत: उनकी खरीद विश्वव्यापी निविदा के माध्यम से की जाती है। जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक, यू.एस.ए. और जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स (इंडिया) लि. भी कुछ मदों का क्रयादेश हासिल कर लेती है जैसा कि नीचे पैरा (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी हां, वर्ष 1999 और 2001 के दौरान मैसर्स जनरल मोटर्स यू. एस. ए. से क्रमश: 21 अदद 4000 अश्व शक्ति डीजल इलेक्ट्रिक माल भाड़ा इंजनों और 10 अदद डीजल इलेक्ट्रिक यात्री इंजनों का आयात किया गया है। कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कि लिए सहमत हो गई हैं जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(च) जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, पहले डीजल इंजन अलको से खरीदे गए थे। स्वदेशी करण के परिणामस्वरूप अधिकांश पुर्जों का निर्माण डी रे का में किया जाता है या प्रतियोगी निविदा के जरिए विभिन्न स्रोतों से खरीदे जाते हैं।

विवरण

मैसर्स जनरल इलेक्टिक, यू.एस.ए. और जी ई टी एस (इंडिया) लि., नई दिल्ली को दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा इस प्रकार है

क. जनरल इलेक्ट्रिक कं. यू.एस.ए. से खरीदे जा रहे डीजल इंजन पुर्जे

क्रयादेश सं.	मद	मात्रा	मूल्य (पोत पर्यंत नि:शुल्क)
(1) जी टी/97-98/115/पी 8/10863 दिनांक 19.6.99	टर्बो सुपर चार्जर 3100 अश्व शक्ति	10	228,390 अमेरिकी डॉलर
(2) जी टी/99-2000/183/पी 8/देव/10053 दिनांक 1.3.99	टर्बो सुपर चार्जर 3100 अश्व शक्ति	10	247,000 अमेरिकी डॉलर
(3) 050170000/0110060 दिनांक 21.2.2001	उपर्युक्त टर्बो सुपर चार्जरों के लिए अतिरिक्त पुर्जे	34	105,103 अमेरिकी डॉलर

उपर्युक्त संविदाओं के अंतर्गत आपूर्ति में कोई अस्वीकृतिया नहीं।

(ख) जी.ई.टी.एस. (इंडिया) लि. [जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड] नई दिल्ली से खरीदे जा रहे डीजल इंजन पुर्जे

क्रयादेश सं.	मद	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
(1) 08950050/10097/15287 दिनांक 19.4.2000@	टर्बो सुपर चार्जर 3100 अश्व शक्ति	74	8.93 करोड़ रु.
(2) 08007090/01115385 दिनांक 22.11.2001	टर्बो सुपर चार्जर 3100 अश्व शक्ति	88	12.41 करोड़ रु.
(3) जी टी/99-00/505/पी 8/015192 दिनांक 16.1.1999	सुपर बाउल पिस्टन जी ई/अलको	800	2.38 करोड़ रु.

1	2	3	4
(4) 088700100/01115371 दिनांक 29.10.2001	सुपर बाउल पिस्टन जी ई/अलको	760	2.66 करोड़ रु.
(5) जीटी/98-99/116/10016/015160 दिनांक 3.6.98@	प्लस सिलेंडर हेन्ड कास्टिंग मशीनीकृत नहीं	2600	3.38 करोड़ रु.

उपर्युक्त @ चिह्नित संविदाओं के अंतर्गत आपूर्ति में से कुछ अस्वीकृतियां हुई थीं और फर्म अस्वीकृत मदों को बदल रही है।

रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध

1833. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर धूम्रपान पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) क्या कुछ रेलवे स्टेशनों के रेलवे प्लेटफार्मों पर कुछ अल्पाहार स्टॉल अभी भी गुटका, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि बेच रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों और स्टॉल मालिकों के विरुद्ध गुटका, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि बेचने के लिए कार्रवाई की गई है; और

(ङ) जुलाई 1999 से कितने व्यक्तियों को धूम्रपान करते हुए गिरफ्तार किया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे में बीड़ी/सिगरेट, गुटका और तम्बाकू की बिक्री पर रोक है।

(ग) और (घ) जब से रोक लगाई गई है ऐसे पदार्थों की बिक्री के 43 मामले पकड़े गए हैं और दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में समाचार पत्रों के नाम के पंजीकरण हेतु लंबित आवेदन

1834. श्री दिलीप संघाणी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक साप्ताहिकों, पाक्षिकों, मासिकों इत्यादि के नाम के पंजीकरण हेतु भारत के समाचार पत्र पंजीयक (आर० एन० आई०) को प्राप्त हुए आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) औपाचारिकताओं को पूरा करने और नामों के पंजीकरण की मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है;

(ग) क्या गुजरात से ऐसे आवेदन भारी संख्या में लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1999, 2000, तथा 2001 के दौरान साप्ताहिकों, पाक्षिकों, मासिकों तथा अन्य आवधिकों के प्रकाशनों के पंजीकरण, हेतु भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) के कार्यालय को प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया हैं।

(ख) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) का कार्यालय सामान्यत: पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के एक माह के भीतर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर देता है। यदि प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज अपूर्ण होते हैं तो भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) का कार्यालय प्रकाशक को सुधार करने के लिए इस आशय का विसंगति पत्र भेजता है।

(ग) से (ङ) हालांकि भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करता है तथापि, गुजरात सहित कुछ राज्यों से प्राप्त समाचार-पत्रों के पंजीकरण हेतु कुछ आवेदन-पत्र लम्बित हैं। लम्बन का मुख्य कारण प्रकाशकों द्वारा विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा न करना तथा उचित एवं पूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना है। ऐसे मामलों में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रकाशकों को उपयुक्त सलाह पत्र जारी कर दिए गए हैं।

विवरण-I

कैलेण्डर वर्ष 1999 के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	48	42	81	139	36
2.	असम	6	6	3	4	0
3.	अंडमान एवं निकोबार	0	5	7	6	0
4.	बिहार	16	33	14	26	8
5.	चण्डीगढ़	0	8	3	24	8
6.	दिल्ली	47	108	65	188	106
7.	गुजरात	66	467	76	118	27
8.	गोवा	1	0	0	1	0
9.	हरियाणा	15	67	22	53	9
10.	हिमाचल प्रदेश	0	6	2	2	4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	16	33	14	25	9
12.	कर्नाटक	94	143	113	83	34
13.	केरल	10	21	15	143	82
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	64	234	43	93	26
16.	महाराष्ट्र	145	748	84	313	139
17.	मणिपुर	4	1	0	1	0
18.	मेघालय	0	2	0	0	1
19.	मिजोरम	5	0	0	5	0
20.	नागालैण्ड	0	1	0	0	0
21.	उड़ीसा	14	20	5	18	23
22.	पंजाब	8	56	19	45	2

1	2	3	4	5	6	7
23.	पाण्डिचेरी	1	2	0	0	0
24.	राजस्थान	25	54	98	53	21
25.	सिक्किम	8	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	37	23	23	206	17
27.	उत्तर प्रदेश	184	568	143	201	104
28.	पश्चिम बंगाल	31	74	66	103	73

विवरण-II

कैलेण्डर वर्ष 2000 के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	59	63	166	32
2.	असम	10	8	2	13	5
3.	अंडमान एवं निकोबार	1	1	3	1	0
4.	बिहार	16	16	12	22	7
5.	चण्डीगढ़	5	17	5	14	1
6.	दिल्ली	48	157	95	278	132
7.	गुजरात	37	239	49	100	16
8.	गोवा	2	0	0	6	0
9.	हरियाणा	12	27	23	29	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1	17	5	4	3
11.	जम्मू एवं कश्मीर	7	13	6	9	2
12.	कर्नाटक	84	156	68	97	16
13.	केरल	23	15	19	101	60
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0
15.	मध्य प्रदेश	54	168	11	85	23

1	2	3	4	5	6	7
16.	महाराष्ट्र	103	630	104	275	97
17.	मणिपुर	5	0	1	3	1
18.	मेघालय	2	1	1	1	0
19.	मिजोरम	7	4	0	6	2
20.	दमन एवं दीव	1	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	15	34	8	40	24
22.	पंजाब	8	33	15	47	0
23.	पाण्डिचेरी	0	1	0	3	0
24.	राजस्थान	28	55	94	60	16
25.	सिक्किम	0	5	0	0	0
26.	तमिलनाडु	8	22	23	211	15
27.	उत्तर प्रदेश	93	293	91	173	48
28.	पश्चिम बंगाल	22	96	69	100	71
29.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0
30	त्रिपुरा	1	5	0	0	0

विवरण-II

कैलेण्डर वर्ष 2001 के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा समाचारपत्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	44	44	42	189	21
2.	असम	11	7	1	11	4
3.	अंडमान एवं निकोबार	1	1	2	0	0
4.	बिहार	21	7	11	52	10
5.	चण्डीगढ़	4	4	8	15	9
6.	दिल्ली	46	175	136	267	85

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	41	214	33	88	19
8.	गोवा	2	0	3	5	0
9.	हरियाणा	19	26	3	44	8
10.	हिमाचल प्रदेश	1	10	3	9	3
11.	जम्मू एवं कश्मीर	21	8	11	53	10
12.	कर्नाटक	91	173	65	117	15
13.	केरल	28	19	12	123	75
14.	लक्षद्वीप	0	1	2	0	0
15.	मध्य प्रदेश	47	186	19	135	32
16.	महाराष्ट्र	93	392	72	260	77
17.	मणिपुर	5	2	0	2	0
18.	मेघालय	1	2	1	1	0
19.	मिजोरम	4	6	0	5	1
20.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
21.	उड़ीसा	13	38	14	41	36
22.	पंजाब	9	24	16	36	4
23.	पाण्डिचेरी	5	0	2	7	0
24.	राजस्थान	21	23	59	54	9
25.	सिक्किम	0	5	0	1	0
26.	तमिलनाडु	23	32	17	184	16
27.	उत्तर प्रदेश	80	348	80	148	61
28.	पश्चिम बंगाल	15	38	55	68	41
29.	त्रिपुरा	3	1	1	2	0
30	उत्तरांचल	15	29	13	21	5
31.	झारखण्ड	6	6	5	12	0
32.	छत्तीसगढ़	17	24	11	16	4

मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क उपरिपुल का निर्माण

1835. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

पुन:प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन

1836. **डा० साहिब सिंह वर्मा :**
श्री एन०टी० षणमुगम :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुन:प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आर.ई.टी.) के विकास और संवर्धन के महत्वपूर्ण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों की वास्तविक और वित्तीय आयामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के प्रस्तावित अनुपात का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) चेन्नई, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) तथा ग्वालपहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा केन्द्र (सैक) को अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करने और देश में पवन तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करने के लिए पंजाब में जालंधर के निकट राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एनआईआरई) की स्थापना कर रहा है। मंत्रालय ने सी-वैट और एनआईआरई के लिए क्रमश: 19.55 करोड़ रुपये और 37.70 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया है। नवीं योजना अवधि के दौरान सौर ऊर्जा केन्द्र के लिए 20.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने देश में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का तीव्रता से विकास करने के लिए एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया है। नीति का उद्देश्य न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने; ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक एवं घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत/ऑफ ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराने; और ग्रिड-गुणवत्ता विद्युत उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए अक्षय ऊर्जा के योगदान को बढ़ाना है। नीति में 2012 तक अक्षय स्रोतों के माध्यम से 10,000 मेवा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई है। मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के न्यायोचित संतुलित निवेश की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

न्यायपालिका अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

1837. **डा० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि 20 प्रतिशत न्यायपालिका अधिकारी भ्रष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जटिल प्रक्रिया के कारण ऐसे भ्रष्ट न्यायाधीशों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भ्रष्ट न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न कानूनों में संशोधन लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् और केरल राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा आयोजित एक संयुक्त सम्मेलन में भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि-

> "मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहूंगा : मेरी राय में इस देश के 80% न्यायाधीश कुल मिलाकर ईमानदार हैं और उन्हें भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता। और वह छोटी प्रतिशतता है जिसके कारण पूरी न्यायपालिका बदनाम होती है। इस बात को ज्ञात कराने के लिए कि न्यायपालिका अपने सदस्यों के बीच भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, यह आवश्यक है कि भ्रष्ट न्यायाधीशों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह अधीनस्थ न्यायपालिका की दशा में बहुत हद तक संभव है क्योंकि उसका अनुशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है। उच्चतर न्यायपालिका की दशा में यह कठिन है क्योंकि विधि के अधीन एक ही उपाय है और वह है महाअभियोग जो बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है जिससे, जैसा कि हाल के एक दृष्टांत से पता चलता है, वांछित परिणाम मिलने की संभावना कम है और उसके कारण राजनैतिक हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने इस समस्या के समाधान के लिए अनौपचारिक प्रक्रिया विकसित करने के प्रयास किए हैं किन्तु इसका अभी परीक्षण होना है।"

(ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके नियम और विनियम बनाती है। राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य, इन्हीं नियमों और विनियमों से शासित होते हैं।

[अनुवाद]

इसरो उपग्रह का उन्नयन

1838. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करगिल जैसी घुसपैठ को बेअसर करने के लिए और दुश्मनों को पकड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इसरो के उपग्रह प्रयोग में लाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसरो के उपग्रह को सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु विस्तृत रूप से उन्नयन करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या भविष्य में इसरो के उपग्रह का उन्नयन करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) घुसपैठ के दौरान दुश्मन का पता लगाने के लिए इसरो उपग्रह का उपयोग व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकीय उन्नयन भारतीय उपग्रह कार्यक्रम की एक सतत् प्रक्रिया है। दूरसंवेदी उपग्रहों को प्रयोक्ता की जयरतों तथा प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप उच्चतर स्पेशल, स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल बिंबों को उपलब्ध करने के लिए निरंतर उन्नत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कार्यालय का स्थानांतरण

1839. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कच्चा सामग्री डिवजीन (रॉ मेटेरियल डिवीजन) के मुख्यालय को कोलकाता से रांची स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानांतरित किये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डा. राकेश मोहन समिति की सिफारिश

1840. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री पी.एस. गढ़वी :

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने रेलवे के पुनर्गठन और अंशत: निजीकरण की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट की प्रमुख विशषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में रेलवे विशेषज्ञ दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

1. नीति, विनियमन और प्रबंधन संबंधी कार्यों का संस्थानात्मक पृथक्करण इसका अभिप्राय निम्नलिखित होगा:-

   (i) नीति निर्माताओं का कार्य केवल नीति को तय करने तक ही सीमित होगा और इसके लिए उनको मुंह मांगा भुगतान किया जाए। भारत सरकार की जिम्मेवारी दिशा नीति निर्धारित करने की होगी।

   (ii) परिचालनिक स्वायत्तता प्रदान करना और भारतीय रेलवे को ''भारतीय रेल निगम'' (आई.आर.सी.) में तब्दील करके उसका निगमीकरण करना। इसका प्रशासन पुनर्संरचित भारतीय रेल कार्यपालक बोर्ड द्वारा किया जाना।

   (iii) रेल सेवाओं की एकमात्र आपूर्तिकर्ता विशेष रूप से दर सूची निर्धारित से संबंधित भारतीय रेल निगम की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रेल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

2. इस पुनर्संरचना की सफल कवायद के लिए सरकार और भारतीय रेल द्वारा पहले किए गए अनुमोदन और वचनबद्धता कि भारतीय रेल वाणिज्यिक लाइनों पर परिचालित होगी, आवश्यक शर्तें होगी। सरकार द्वारा बताई गई और वाणिज्यिक गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा और भारतीय रेल को ऐसी गतिविधियों के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए।

3. आर्थिक तंगी के मद्देनजर भारतीय रेलवे को वित्तीय रिकवरी के लिए सामरिक उच्च वृद्धि पैटर्न का अनुसरण करना चाहिए।

4. तब्दीली की अवधि अर्थात लगभग 5-7 वर्षों के दौरान कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर इत्यादि का भुगतान करने से छूट।

5. अतिरिक्त श्रमिकों की देखभाल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना।

6. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार भारतीय रेल के वित्तीय लेखों की पुनर्संरचना।

7. गैर-महत्वपूर्ण गतिविधियों को समाप्त करना।

8. क्रास सब्सिडी को समाप्त करने के लिए दर-सूची में संतुलन बैठाना।

रिपोर्ट में बताई गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान टीवी का प्रभाव

1841. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा नकारात्मक प्रचार और दुष्प्रचार का मुकाबला करने हेतु जम्मू कश्मीर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रभावी जनसंचार माध्यम के रूप में स्थापित करने और पता लगाई गई कमियों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने दर्शकों और पाकिस्तानी प्रचार और कश्मीर मुद्दे पर नकारात्मक प्रचार का सामना

करने के लिए प्रसारित कार्यक्रमों की उपयोगिता का विश्लेषण किया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि कार्यक्रम कश्मीर में सही स्थिति को दर्शाते हैं और पाकिस्तान के झूठे प्रचार का भंडाफोड़ करते हैं।

जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से आकाशवाणी और दूरदर्शन अवसंरचना के विस्तार और उन्नयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। विरोधी प्रचार का सामना करने और साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

पार्बती पनबिजली परियोजना से बिजली की हिस्सेदारी

1842. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से दिनांक 20 अक्टूबर, 1992 के समझौता ज्ञापन के अनुसार विद्युत में राज्यों की हिस्सेदारी को वर्षभर कायम रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या समझौता ज्ञापन के अनुसार पार्बती पनबिजली परियोजना में हिमाचल प्रदेश की विद्युत की हिस्सेदारी 12% है, 15% अनाबंटित विद्युत, हरियाणा की 25% राजस्थान की 40% और दिल्ली की 8% है;

(ग) यदि हां, तो क्या 16 सितम्बर, 1998 को चंडीगढ़ में इस परियोजना संबंधी चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एच एच पी सी) को सौंपे जाने की संभावना है और राज्यों का हिस्सा समझौता ज्ञापन के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 20 नवम्बर, 1998 को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन एच पी सी) के साथ हिमाचल प्रदेश द्वारा एक तरफा नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की ओर ध्यान दिया है लेकिन इसमें पूर्व के समझौता ज्ञापन में सुरक्षित रखे गए चार राज्यों के विद्युत के हिस्से को शामिल नहीं किया गया;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समझौता ज्ञापन के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को चार राज्यों के बीच विद्युत की हिस्सेदारी की प्रतिशतता को शामिल करने हेतु निर्देश दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) हिमाचल प्रदेश में स्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना (2051 मे०वा०) के जांच एवं क्रियान्वयन हेतु राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मध्य 20.10.1999 को किए गए समझौता ज्ञापन के तहत् निम्नानुसार इक्विटी योगदान का विचार था:-

1)	राजस्थान	:	40%
2)	हरियाणा	:	25%
3)	गुजरात	:	15%
4)	दिल्ली	:	15%
5)	हिमाचल प्रदेश	:	5%

समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान था कि परियोजना से उत्पादित ऊर्जा का 12% हिमाचल प्रदेश को मुफ्त दिया जाएगा और 88% भाग उक्त राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश को उनकी इक्विटी हिस्सेदारी के आधार पर प्राप्त होगी। समझौता ज्ञापन को प्रभावी नहीं बनाया जा सका क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अन्य भागीदार राज्यों के हिस्से में कमी करके उसके लाभ को 5% से बढ़ाकर 25% करने की इच्छा की।

तत्पश्चात् हिमाचल प्रदेश ने पार्बती एच इ परियोजना को एनएचपीसी के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। तदनुसार परियोजना निष्पादन के लिए 20.11.98 को हिमाचल प्रदेश सरकार और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्थान समेत अन्य राज्यों को स्पष्ट किया है कि नवीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप 1992 का समझौता ज्ञापन स्वत: निरस्त हो जाता है।

उत्तरी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परियोजना से आबंटित लाभों की हिस्सेदारी केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो स्टेशन के लिए लागू शेयरिंग फार्मूला को ध्यान में रखते हुए होगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

1843. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
प्रो. आई.जी. सनदी :
श्री अमरसिंह वसंतराव पाटिल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायतशासी निकायों/वैद्युत की अभियांत्रिकी पदों हेतु भारतीय रेल सेवा (इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) पोस्ट/भारतीय रेल स्टोर सेवा, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 15%, 7.5% और 27% के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रेल सेवाओं/संगठनों में स्वीकृत कुल पदों की संख्या कितनी है;

(घ) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-संस्थापना (आरक्षण) के पैरा 5 में उल्लिखित निर्देशों के अंतर्गत आरक्षित श्रेणियों और सामान्य श्रेणी के कितने व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ उठाया है और कुल पदों की तुलना में ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन सेवाओं/संगठनों में कितने पद सृजित किये गए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से वर्षवार कितने पद भरे गए?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल दुर्घटना पर खन्ना समिति की जांच रिपोर्ट

1844. कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या रेल मंत्री रेल दुर्घटना पर खन्ना समिति की जांच रिपार्ट के बारे में 22 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पटरियों में आने वाली दरारों को रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के लिए उत्तरदायी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो दरारों वाली पटरियों को खरीदने और परिणामत: दरारों के होने के क्या कारण हैं;

(ङ) जांच समिति द्वारा आने वाले तीन वर्षों में यात्रियों की सुरक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करने की सिफारिश की गई है; और

(च) रेलवे के किन क्षेत्रों से इस निधि को जुटाया जाना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (च) जी, नहीं। दुर्घटना के कारणों की जांच का पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग की अध्यक्षता में नियुक्त गर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

एच ए एल का विकास

1845. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कम लागत वाले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का विकास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तीन हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का विकास कर रहा है। इसने प्रतिविद्रोहिता, दगा नियंत्रण, सुरक्षा तथा टोही भूमिकाओं के लिए 'लांसर' नामक एक कम कीमत के आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर का भी डिजाइन तैयार करके उसका विकास कर लिया है। इस प्रकार के तीन आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को उसके आदेश पर सुपुर्द कर दिए गए हैं।

विधि स्नातकों को लाइसेंस

1846. श्री वाई.वी. राव : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर की बार काउंसिल विधि स्नातकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किये बिना न्यायालयों में वकील के रूप में प्रेक्टिस आरंभ करने के लिये उन्हें लाइसेंस जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिना उचित प्रमाण-पत्रों के कई लोगों का पंजीकरण हो जाता है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह जानकारी दी है कि राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा स्नातकों को, उनके प्रमाणपत्रों को सत्यापित किए बिना,

न्यायालयों में व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र जारी करने के किसी मामले की उसे जानकारी नहीं है। यदि नामांकन प्राधिकरण, अर्थात् राज्य विधिज्ञ परिषद को किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह होता है तो राज्य विधिज्ञ परिषद प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के बारे में जांच करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को पत्र लिखता है। यदि समुचित प्रमाणपत्र के बिना किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति जारी करने के किसी मामले को भारतीय विधिज्ञ परिषद की जानकारी में लाया जाता है, तो वह अधिवक्ताओं की सूची में से ऐसे व्यक्ति के नाम को हटाए जाने के लिए कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र से स्क्रैपों की चोरी

1847. श्री राजो सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज तक बोकारो इस्पात संयंत्र से कितनी मात्रा में लोहा, स्क्रैपों एवं अन्य वस्तुओं की चोरी की गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप संयंत्र को कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त चोरी की रोकथाम करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सूचित किया है कि 2000-2001 के दौरान और अब तक (10.3.2002 तक) बोकारो इस्पात संयंत्र से चोरी हुए लौह स्क्रैप की मात्रा का ब्यौरा और अन्य मदों का मूल्य इस प्रकार है:-

वर्ष	लौह स्क्रैप		अन्य मदें (पीतल, विद्युत मदें, तांबे की तार आदि) लाख रु.
	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए)	
2000	71.8 मी.टन.	2.96	10.79
2001	61.7 मी.टन	2.67	16.61
2002 (10.3.2002 तक)	250 कि.ग्रा.	0.01	5.86

(ख) चूंकि चोरी हुई संपत्ति पूरी तरह से प्राप्त हो गई है, अत: संयंत्र को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कंपनी की संपत्ति की चोरी रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

[अनुवाद]

न्यू-एक्सप्लोरेशन एंड लाईसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत तेल और गैस के ब्लाक

1848. श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पालिसी के तीसरे दौर में तेल और गैस के 25 नए ब्लाकों को नियोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त 25 नए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है जिनकी नीलामी की जाएगी;

(ग) केन्द्र सरकार का कच्चा तेल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि के संबंध में लाभ बंटन का सूत्र क्या है;

(घ) क्या पूर्वी तट के किसी ब्लाक की नीलामी की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वी तट के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी नीलामी की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क), (ख), (घ) और (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तीसरे दौरे के तहत सरकार द्वारा तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोलियां शीघ्र ही आमंत्रित किए जाने का अनुमान है।

(ग) किसी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत कच्चे तेल और गैस के उत्पादन से 'लाभ पेट्रोलियम' संविदाकार और सरकार द्वारा इसके प्रावधानों के अनुसार आपस में बांटा जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राजमार्ग पर पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु आईओसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि

1849. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्ग संख्या 44 पर कोलहार-धोत्ति खंड पर पेट्रोल पंपों को स्थापित करने हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एक नए खुदरा बिक्री के विकास के लिए जिला अहमदनगर में अकोले में भूमि की प्राप्ति के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) द्वारा दिनांक 6.9.2001 के टाइम्स आफ इंडिया में जारी किए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 12 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को टीटीई द्वारा यात्रा करने दिये जाने की अनुमति

1850. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीटीई बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से पैसे लेकर उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को पकड़ने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और इन दोषी टीटीई के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इस्पात की घरेलू खपत

1851. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 116 किलोग्राम के विश्व औसत की तुलना में भारत में इस्पात की 27 किलोग्राम की प्रति व्यक्ति खपत काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विश्वव्यापी उच्च औसत की तुलना में भारत निम्न उत्पादकता का सामना कर रहा है; और

(घ) इस्पात उद्योग को पटरी पर लाने की कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) देश में इस्पात की खपत के स्तर में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं (1) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के विकास के माध्यम से इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन करना (2) अनाज भंडारण पद्धति, क्रैश बैरियर्स जैसे नए क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा देना (3) उत्पादन लागत को कम करने के लिए लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास उद्यमों को वित्तीय सहायता देना (4) वाहन क्षेत्र में घरेलू इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन करना (5) इस्पात के प्रयोग से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए सेमीनार आयोजित करना और (6) उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस्पात उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सेवा केन्द्र स्थापित करना।

(ग) उत्पादन सुविधाओं के कतिपय खंडों में उत्पादकता जैसे कुछ एकीकृत इस्पात संयंत्रों की धमन भट्टियां, श्रमिक आदि का स्तर विश्व में श्रेष्ट स्तर की हैं। तथापि, विभिन्न संयंत्रों के कई प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में उत्पादकता में सुधार करने की गुजाइश है।

(घ) अधिकतर पुराने संयंत्रों ने अपनी उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया है और अधुनातन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। नब्बे के दशक के अंत में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्रों ने स्वयं ही आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना लिया है। सरकार इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से वित्तीय सहायता देकर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित भी कर रही है।

मिग जहाजी बेड़े को खत्म करने की योजना

1852. **श्रीमती रेणूका चौधरी**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिग बेड़े को खत्म करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वायुसेना के वर्तमान मिग बेड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिग बेड़े को खत्म किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० केवल विमानों का विनिर्माण करता है, दर्जा बढ़ाता है, मरम्मत और संपूर्ण मरम्मत करता है। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय किसी विमान को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय करते हैं।

यद्यपि, मिग-21 विमानों और उसके रूपांतरणों तथा मिग-27 एम विमानों का उत्पादन, जो हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स द्वारा विनिर्मित केवल मिग श्रेणी के विमान हैं, कमश: 1987 और 1997 तक जारी रहा तथापि, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० में अभी भी स्तरोन्नयन कार्यक्रम जारी है।

भारतीय वायुसेना के मिग बेड़े में मिग-21 रूपांतरण, मिग-23, मिग-25, मिग-27 और मिग-29 शामिल हैं। विमानों की प्राधिकृत कुल तकनीकी उपयोग अवधि के आधार पर भारतीय वायुसेना में मिग बेड़े की कुछ ही समय के लिए सेवा में बने रहने की संभावना है।

पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

1853. **श्री जी०जे० जावीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नाफ्था, मोटर स्पिरिट, केरोसिन, एटीएफ, हाई स्पीड डीजल एवं सल्फर जैसे प्रमुख ईंधनों की वर्तमान में कितनी आवश्यकता है; और

(ख) इन पेट्रोलियम उत्पादों की अगले पांच वर्षों में अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) नाफ्था, मोटर स्पिरिट (एमएस), मिट्टी तेल (एसकेओ), विमानन ईंधन (एटीएफ) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की वर्तमान/अनुमानित मांग संलग्न विवरण में दी गई है। गंधक के लिए कोई पृथक उद्योग अनुमान उपलब्ध नहीं है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत (अनुमानित)

(आंकड़े टीएमटी में)

उत्पाद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
एमएस	7049	7567	8202	8813	9419	10067
नाफ्था	12271	12542	10723	8668	9128	9228
एटीएफ	2217	2217	2445	2523	2605	2691
एसकेओ	10462	10484	11000	11000	11000	11000
एचएसडी	37100	37600	44508	46966	49555	52324

[हिन्दी]

भुज में टी०वी० टावर

1854. **श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों की रिपोर्ट पर गौर किया है कि गुजरात के भुज में स्थित टी०वी० टावर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है क्योंकि इस पर चेतावनी संकेत वाली प्रकाश व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह टी०वी० टावर 1000 फीट से ज्यादा ऊंचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र को वायु दुर्घटनाओं से बचाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) भुज स्थित 300 मीटर के टी.वी. टावर पर खराब चेतावनी संकेतक प्रकाश-व्यवस्था के बारे में प्रेस में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। खराब चेतावनी संकेतक प्रकाश-व्यवस्था को बदल दिया गया है और सारी प्रकाश-व्यवस्था 15.12.2001 से कार्य कर रही हैं।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा अधिनियम में संशोधन

1855. **श्री के० येरननायडू :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों की तैनाती करने हेतु रेलवे सुरक्षा अधिनियम एवं भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु रेलवे द्वारा और कर्मिकों की भर्ती किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संशोधित कानूनों/अधिनियमों द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा किस सीमा तक होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 तथा रेलवे अधिनियम, 1989 में कुछ संशोधनों को शामिल करने के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है। अत: मौजूदा हालातों में सूचना मुहैया करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बाहरी रेलवे बुकिंग अभिकरण

1856. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पार्सलों एवं सामानों, रेल टिकटों की बुकिंग करने हेतु बाहरी रेलवे बुकिंग अभिकरण खोलने से संबंधित मानदण्ड एवं दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) रेलवे द्वारा डिवीजन-वार ऐसे कितने अभिकरण अभिकर्त्ता नियुक्त किए गए हैं;

(ग) अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले कमीशन एवं सेवा प्रभारों के घटक क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न रेलवे स्टेशनों में और अधिक अभिकरण अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार, सिटी बुकिंग एजेंसी/आऊट एजेंसी का ठेका देने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। हर दृष्टि से उपयुक्त पाए गए आवेदक को एजेंसी आवंटित की जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एजेंट को निविदा आवेदन में पार्टी द्वारा कोट की गई दर के आधार पर एजेंसी परिसरों से सेवित रेलवे स्टेशन तक पार्सल और माल के परिवहन के लिए ढुलाई भाड़े का भुगतान किया जाता है। एजेंट को अनारक्षित और आरक्षित टिकटों के लिए क्रमश: एक रुपया और 5 रुपए सेवा प्रभारों के रूप में दिए जाते हैं।

(घ) क्षेत्रीय रेलों पर इच्छुक पार्टियों से प्राप्त अनुरोधों पर समय-समय पर विचार किया जाता है और उनके गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में ऊपरि पुल

1857. **श्री के. मुरलीधरन :**
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चालू रेल ऊपरि पुल/रेल अधोगामी पुल परियोजाओं की वर्तमान स्थिति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इन रेल ऊपरि पुल/रेल अधोगामी पुलों में से प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) इन रेल ऊपरि पुल/रेल अधोगामी पुलों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलवे अपने हिस्से अर्थात रेल पथ पर पुल खास का कार्य, राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा किए जाने से पहले अथवा साथ ही पूरा कर लेगी।

विवरण

(क) और (ख) लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों संबंधी कार्यों की स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	31.1.2002 तक रेलों द्वारा किया गया खर्च	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर चेरावत्तूर एवं नीलेश्वर स्टेशनों के बीच कि.मी. 805/5-6 पर समपार सं. 269 के स्थान पर चेरावत्तूर सड़क ऊपरी पुल	511	499	9	आकलन तैयार किया जा रहा है।
2.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कान्हनगाडी और नीलेश्वर स्टेशनों के बीच कि.मी. 810/1-2 पर समपार सं. 272 के स्थान पर पदनाक्काड सड़क ऊपरी पुल	511	499	10	आकलन तैयार किया जा रहा है।
3.	शेरूवण्णूर-कालीकट खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 196/425 पर 713/10-11 कि.मी. पर समपार सं. 215 के स्थान पर चेरोड ऊपरी सड़क पुल	311	389	72	कार्य प्रगति पर है।
4.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड पर कि.मी. 62/9-10 पर समपार सं. 48 के स्थान पर चालाकुडी ऊपरी सड़क पुल	753	746	10	कार्य प्रगति पर है।
5.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एलात्तुर और क्वीलांदी स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 231/625 पर कि.मी. 675/1-2 पर समपार सं. 196 के स्थान पर वेंगलम ऊपरी सड़क पुल	499	499	12	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
6.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर वेस्ट हिल और एलात्तुर स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 237/600 पर कि.मी. 673/8-9 पर समपार सं. 192 के स्थान पर वेनांगाली ऊपरी सड़क पुल	581	581	11	कार्य प्रगति पर है।
7.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कालीकट और वेस्ट हिल स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 बीच रोड पर कि.मी. 666/11-12 पर समपार सं. 186 के स्थान पर वेल्लाईल ऊपरी सड़क पुल	850	844	2	कार्य प्रगति पर है।
8.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एत्ताकोट और केन्नानोर स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 166/400 पर कि.मी. 749/2-3 पर समपार सं. 239 के स्थान पर नदाल ऊपरी सड़क पुल	511	499	10	आकलन तैयार किया जा रहा है।
9.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एत्ताकोट और केन्नानोर स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 160/550 पर कि.मी. 695/12-13 पर समपार सं. 238 के स्थान पर चोवा ऊपरी सड़क पुल	511	499	12	आकलन तैयार किया जा रहा है।
10.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एत्ताकोट और केन्नानोर स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 214/525 पर कि.मी. 695/12-13 पर समपार सं. 206 के स्थान पर नांदी ऊपरी सड़क पुल	610	610	10	आकलन तैयार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
11.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर एलात्तुर और क्वीलांदी स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 224/170 पर कि.मी. 686/1-2 पर समपार सं. 199 के स्थान पर चेंगोत्तुकावू ऊपरी सड़क पुल	606	606	11	कार्य प्रगति पर है।
12.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर धर्मधाम और एत्ताकोट स्टेशनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कि.मी. 171/450 पर कि.मी. 738/7-8 पर समपार सं. 232 के स्थान पर मुझु-प्पिलांगडी ऊपरी सड़क पुल	626	626	9	कार्य प्रगति पर है।
13.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कि.मी. 56/9-10 पर समपार सं. 43 के स्थान पर इरिंजालाकुडा ऊपरी सड़क पुल	629	622	1	कार्य प्रगति पर है।
14.	इदापल्ली और ईआरएस स्टेशनों के बीच कि.मी. 102/13-14 पर समपार सं. 71 के स्थान पर इदापल्ली ऊपरी सड़क पुल	742	736	0	लम्बवत खंड और क्रास खंड संबंधी ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
15.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड पर कि.मी. 80/12-13 पर समपार सं. 64 के स्थान पर अंगामली ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	स्थान के नक्शे, लंबवत खंड का ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
16.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कि.मी. 807/6-7 पर समपार सं. 271 के स्थान पर पायानूर ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	कार्य आरबीडीसीके द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
17.	राष्ट्रीय राजमार्ग 17 वाइपोर स्टेट रोड पर कि.मी. 600/4-5 पर समपार सं. 177 के स्थान पर फेरोक-कल्लाई ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	कार्य आरबीडीसीके द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
18.	एर्नाकुलम-तिरूनेत्तूर स्टेशनों के बीच कि.मी. 1/9-10 पर समपार सं. 76 टी के स्थान पर तिरूनेत्तूर ऊपरी सड़क पुल	524	518	0	जी.ए.डी. और स्थान के नक्शे राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
19.	एर्नाकुलम और कोल्लम स्टेशनों के बीच कि.मी. 3/19-20 पर समपार सं. 2 के स्थान पर एर्नाकुलम ऊपरी सड़क पुल	524	518	0	जी.ए.डी. और स्थान के नक्शे राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
20.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 (तिरूर-कालीकट राज्य राजमार्ग) पर कि.मी. 639/14-15 पर समपार सं. 174 के स्थान पर तिरूर ऊपरी सड़क पुल	571	560	0	स्थान का नक्शा और लंबवत् खंड राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
21.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 (तिरूर-कालीकट राज्य राजमार्ग) पर कि.मी. 626/10-11 पर समपार सं. 171 के स्थान पर कुट्टीपुरम ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	यह कार्य आरबीडीसीके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
22.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड पर कि.मी. 67/13-14 पर समपार सं. 54 के स्थान पर कोरात्तियानगडी ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	यह कार्य आरबीडीसीके द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
23.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड में कि.मी. 28/10-11 पर समपार सं. 17 के स्थान पर पर मुन्दूर रोड़ ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	यह कार्य आरबीडीसीके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
24.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड में कि.मी. 39/13-14 पर समपार सं. 26 के स्थान पर पर ओल्लूर ऊपरी सड़क पुल	571	559	0	स्थान का नक्शा और एलएस राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
25.	शेरूवण्णूर-एर्नाकुलम खंड पर कि.मी. 95/7-8 पर समपार सं. 67 के स्थान पर कालामस्सेरी-इदापल्ली ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	यह कार्य आरबीडीसीके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
26.	शेरूवण्णूर-मंगलौर खंड पर कोलासेरी-थालासेरी रोड स्टेशनों के बीच कि.मी. 732/9-10 पर समपार सं. 229 के स्थान पर बादागारा ऊपरी सड़क पुल	538	534	0	केरल सरकार ने इस कार्य को निर्माण कार्यक्रम से हटाने का अनुरोध किया है।
27.	एर्नाकुलम-कोल्लम खंड पर कि.मी. 8/15-16 पर समपार के स्थान पर इरूमपनम ऊपरी सड़क पुल	571	559	0	यह कार्य आरबीडीसीके द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
28.	कि.मी. 105/5-6 पर समपार सं. 73 के स्थान पर पुल्लापेदी ऊपरी सड़क पुल	560	942	0	कार्य योजना स्तर पर है। राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त होने हैं।
29.	पालघाट टाउन और पोलाची स्टेशनों के बीच कि.मी. 54/12-13 पर समपार सं. 50 के स्थान पर पालघाट टाउन ऊपरी सड़क पुल	524	518	0	आकलन तैयार किए जा रहे हैं।
30.	इदापल्ली-एर्नाकुलम कि.मी. 101/10-11 पर समपार सं. 69 ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	590.1	571.6	0	पाचालम में समपार सं. 71 के साथ शुरू किया गया।

1	2	3	4	5	6
31.	वाडाकंचेरी और मुलागुनाथूकावू स्टेशनों के बीच कि.मी. 21/5-6 पर समपार सं. 13 के स्थान पर बाडाकंचेरी ऊपरी सड़क पुल	590.10	571.6	0	आकलन तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से पहुंच मार्ग लागत का ब्यौरा प्राप्त होना है।
32.	कांजीकोडे-पालघाट स्टेशनों के बीच कि.मी 531/8-10 पर समपार सं. 159 के स्थान पर कांजीकोडे ऊपरी सड़क पुल	590.10	571.6	0	आकलन तैयार किए जा रहे है। राज्य सरकार से पहुंच मार्ग लागत का ब्यौरा प्राप्त होना है।
33.	थामारासेरी-क्विलंदी राज्य राजमार्ग पर एलेत्तूर और क्विलंदी स्टेशनों के बीच कि.मी. 688/2-3 पर समपार सं. 201 के स्थान पर वेस्ट हिल ऊपरी सड़क पुल	587.60	576.1	0	आकलन तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से पहुंच मार्ग लागत का ब्यौरा प्राप्त होना है।
34.	कि.मी. 825/15-826/1 पर समपार सं. 276 के स्थान पर पाल्लीकेरा-कोट्टीकुलम ऊपरी सड़क पुल	587.60	576.1	0	आकलन तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से सड़क पहुंच मार्ग लागत ब्यौरा प्राप्त होना है।
35.	कि.मी. 53/10-11 पर समपार सं. 49 के स्थान पर पोल्लाची पुदुनग्राम-पालघाट टाउन ऊपरी सड़क पुल	525.82	519.8	0	आकलन राज्य सरकार के साथ तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार से मार्ग लागत पहुंच का ब्यौरा प्राप्त होना है।
36.	कि.मी. 56/4-5 पर समपार सं. 52 के स्थान पर पालघाट-पालघाट टाउन ऊपरी सड़क पुल	555.30	547.6	0	यह ऊपरी सड़क पुल मौजूदा कमजोर पुल के बहुत ही निकट है। आगे जांच की जा रही है।
37.	कि.मी. 156/8-9 पर समपार सं. 541 के स्थान पर कोल्लम-मायानाद ऊपरी सड़क पुल	587.60	576.1	0	मूलत: समपार सं. 543 के स्थान पर स्वीकृत किया गया। पहुंच मार्ग लागत राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
	केरल निमार्ण कार्यों के लिए कुल व्यय			468	

[हिन्दी]

कुछ विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

1858. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र की वे कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/राज्य के स्वामित्व वाली यूटिलिटियों द्वारा पावर परियोजनाएं सामान्यत: निजी क्षेत्र कंपनियों को प्रदान की जाती हैं। केवल उन परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी इ ए) की स्वीकृत जरूरी होती है, जिनकी पूंजीगत लागत विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक होती है। के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृत प्राप्त निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की सूची, शामिल निजी कंपनियों के नामों को दर्शाते हुए संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
1.	बास्पा चरण-2 एचईपी (मै० जेपीआईएल)	300
2.	मलाना एचईपी (मै० राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०)	86
3.	धमवारी सुंडा (धमवारी विद्युत निगम लि०)	70
	उत्तर प्रदेश	
4.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै० जेपीआईएल)	400
5.	रोजा टीपीपी (मै० इंडो-गल्फ फर्टिजाइजर)	567
6.	श्रीनगर एचईपी (मै० डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं० लि०)	330
	राजस्थान	
7.	धौलपुर सीसीजीटी (मै० आरपीजी धौलपुर पावर कं० लि०)	702.7
8.	बरसिंगसर टीपीपी (मै० हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि०)	500
	मध्य प्रदेश	
9.	महेश्वर एचईपी (मै० एस० कुमार्स लि०)	400
10.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै० डेवू पावर)	1070
11.	बीना टीपीपी (मै० बीना पावर सप्लाई कं० लि०)	578
12.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै० जीबीएल पावर)	166
13.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै० आईटीपीएल)	420
14.	गुणा सीसीजीटी (मै० एसटीआई पावर इंडिया लि०)	330
15.	पेंच टीपीपी (मै० पेंच-पावर लि०)	500
16.	भिलाई टीपीपी (मै० भिलाई पावर सप्लाई कम्पनी)	574
17.	रायगढ़ टीपीपी (मै० जिन्दल पावर लि०)	550
18.	भांडेर सीसीजीटी (मै० भांडेर पावर लि०)	342
19.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै० शपूरजी पलोनजी पावर कं. लि.)	119.7
20.	रतलाम डीजीपीपी [मै० जीवीके पावर (रतलाम) लि०]	118.63
21.	खण्डवा सीसीजीटी (मै० मध्य भारत एनर्जी कं० कार्पोरेशन लि०)	171.17

1	2	3
	गुजरात	
22.	पगुधन सीसीजीटी (मै० गुजरात टोरेंट)	654.7
23.	हजीरा सीसीजीटी (मै० एस्सार पावर लि०)	515.0
24.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै० जीआईपीसीएल)	167.0
25.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै० जीआईपीसीएल)	250.0
26.	जामनगर टीपीपी (मै० रिलायंस पावर लि०)	500.0
	महाराष्ट्र	
27.	डाभोल सीसीजीटी (मै० डाभोल पावर कं०)	2184
28.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेंट्रल इंडिया पावर)	1072
29.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै० रिलायंस पातालगंगा पावर)	447.1
	आंध्र प्रदेश	
30.	जेगुरूपाडु सीसीजीटी (मै० जीवीके इंडस्ट्रीज)	216
31.	गोदावरी सीसीजीटी (मै० स्पैक्ट्रम टैक्नॉलाजी)	208
32.	विजाग टीपीसी (मै० एचएनपीसीएल)	1040
33.	रामागुंडम विस्तार (मै० बीपीएल ग्रुप)	520
34.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लेनको इंडस्ट्रीज लि०)	350
35.	कृष्णापट्टनम ''बी'' टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कं०)	520
36.	वेमा गिरि सीसीजीटी (इस्पात पावर लि.)– आईसीबी रूट पर	492
	कर्नाटक	
37.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै० जिंदल ट्रैक्टेबल)	260
38.	मंगलौर टीपीसी (मै० कोर्वेट्रिक्स)	1013.2
39.	नागार्जुन टीपीपी (मै० नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि०)	1015
40.	बंगलौर सीसीपीपी (मै० पीन्या पावर)	107.6

1	2	3
	तमिलनाडु	
41.	नैवेली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै० एसटी-सीएमएस)	250
42.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै० पीपीएन पावर)	330.5
43.	नॉर्थ मद्रास टीसीएस-2 (मै० वीडियोकोन पावर)	1050
44.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै० जीएमआर वासवी)	200
45.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै० स्पिक)	525
46.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै० बालाजी पावर कार्पोरेशन लि०)	106
47.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै० समलपट्टी पावर कं.)	106
48.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै० त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा. लि.)	525
49.	कुड्डालोर टीपीपी (मै० कुड्डालोर पावर कंपनी)	1320
50.	वेम्बर सीसीजीटी (मै० इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.)	1873
	केरल	
51.	विप्पीन सीसीजीटी (मै० सिया सिन एनर्जी प्रा. लि.)	679.2
52.	कन्नूर सीसीजीडी (मै० कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि०)	513
	उड़ीसा	
53.	इब वैली टीपीएस (यूनिट-5 व 6)(एईएस इब वैली कार्पो०)	500
54.	डुबरी टीपीपी यूनिट-1 व 2 (कलिंग पावर कार्पोरेशन)	500
	पश्चिम बंगाल	
55.	बालागढ़ टीपीएस (मै० बालागढ़ पावर कं०)	500
56.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं०)	420

1	2	3
57.	गौरीपुर टीपीपी (गौरीपुर पावर कंपनी)	150
बिहार		
58.	जोजोबेरा टीपीपी (मै० जमशेदपुर पावर कं.)	240
	कुल 58 परियोजनाएं (जल विद्युत+ताप विद्युत) : 29614.5 मे०वा०	

*निजी क्षेत्र में काफी समय से कारवाई नहीं हुई। राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि० ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा पीपीए और क्रियान्वयन समझौते पर कार्रवाई बंद कर दी गई।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम का निजीकरण

1859. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के सभी ताप बिजली घरों के रख-रखाव संबंधी कार्य को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में कामगारों को इसके कारण अधिशेष किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिशेष कामगारों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। दामोदर घाटी निगम के मेजिया ताप विद्युत स्टेशन (एमटीपीएस) एवं चन्दपुरा थर्मल पावर स्टेशन (सीटीपीएस) के रख-रखाव संबंधी कार्य को निजी ठेकेदारों को दिया जा रहा है जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) आज की तिथि तक दामोदर घाटी निगम में किसी भी कर्मचारी को सरप्लस घोषित नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	स्थान	कार्य का ब्यौरा	एजेंसी जिसे ठेका दिया गया है	ठेका प्रदान करने की तिथि
1.	एमटीपीएस	सी एंड आई सिस्टम (यूनिट-1)	मै० कैलट्रोन, अरूर, केरल	6.8.2001
2.	एमटीपीएस	सी एंड आई सिस्टम (यूनिट-2)	मै० सिमेन्स, नई दिल्ली	22.10.2001
3.	एमटीपीएस	मिलिंग प्लांट	मै० भेल, कोलकाता	6.7.2001
4.	एमटीपीएस	केबिनों/लोक गेटों के प्रचालन का चौबीसों घंटे व्यवस्था	इंडियन रेलवे कंडस्ट्रकशन कं०, नई दिल्ली (ट्रैक्स एंड कंट्रोल सिस्टम-का अनुरक्षण)	12.10.2001
5.	एमटीपीसी	राख नियंत्रण संयंत्र	मै० डीसी इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड सर्विसिज लि०, कोलकाता	29.5.2001
6.	एमटीपीएस	कोयला नियंत्रण संयंत्र	मै० एस्सार इंजीनियर्स, कोलकाता	22.5.2001
7.	सीटीपीएस	राख नियंत्रण संयंत्र (ओ एंड एस)	दि इन्डयूर प्रा० लि०, नई दिल्ली	5.5.2001

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से उकाई टी.पी.एस. को कोयले की ढुलाई

1860. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने रेलवे को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से उकाई टी.पी.एस. को 50000 मीट्रिक टन कोयले की ढुलाई के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड लि. से 50,000 टन कोयला के पारवहन के लिए गुजरात बिजली बोर्ड से अनुरोध प्राप्त हुआ था। परन्तु प्रतिकूल वित्तीय निहितार्थों तथा कोयले की आपूर्ति के परंपरागत स्रोत अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से उकाई सहित गुजरात बिजली बोर्ड के बिजली स्टेशन तक कोयले के पारवहन के लिए रेलों द्वारा सृजित अवसंरचना की हानि के कारण इसे रेलवे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। रेलवे को कोरिया-रीवा अथवा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोरबा क्षेत्र से उकाई टी पी एस तक कोयले के संचलन में कोई समस्या नहीं है।

राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण एवं वितरण घाटा

1861. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री मोहन रावले :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों ने पारेषण और वितरण घाटों में कमी के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि ऐसे केन्द्र प्रमाणिक आंकड़ों पर आधारित हों;

(ग) विभिन्न राज्यों के पारेषण और वितरण संबंधी घाटों की नवीनतम स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारेषण और वितरण संबंधी घाटों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) शत-प्रतिशत मीटरिंग के अभाव में यह पाया गया कि पारेषण और वितरण हानियों के राज्यों द्वारा बताए गए आंकड़े सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित हैं। पारेषण व वितरण हानियों के नवीनतम आंकड़ों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 2001 में पारेषण व वितरण हानियों में कमी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं : ऊर्जा लेखा परीक्षण, 100% मीटरिंग, बिजली चोरी को रोकना और उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) 63 वितरण सर्किलों में आरंभ किया गया है, जिन्हें उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उप पारेषण व वितरण प्रणालियों को तर्कसंगत बनाने और उत्पादित व आपूर्त ऊर्जा के विश्वसनीय आंकड़ों की और अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक संचालन समिति द्वारा दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं।

विवरण

रा०वि० बोर्डों/विद्युत विभागों में अंतरण प्रतिशत, पारेषण व वितरण हानियां
(चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों को मिलाकर)

क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1. हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04	35.33
2. हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13	26.11
3. जम्मू व कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95	47.64
4. पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94	18.11
5. राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41	29.53
6. उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18	30.23

1	2	3	4	5	6	7	8
7. चंडीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38	22.48
8. डीवीबी (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91	43.71
पश्चिमी क्षेत्र							
1. गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57	20.83
2. मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58	19.87
3. महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75	18.41
4. दादरा व नगर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90	15.37
5. गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.05	31.02	30.40
6. दमन व दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69	21.83
दक्षिणी क्षेत्र							
1. आन्ध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14	34.09
2. कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31	30.45
3. केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73	17.18
4. तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29	17.22
5. लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70	12.78
6. पांडिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56	10.44
पूर्वी क्षेत्र							
1. बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26	24.80
2. उड़ीसा (ग्रिडको)	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10	36.72
3. सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87	12.44
4. पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.51	19.26	18.01	19.67	23.73
5. अ. व नि. द्वीप	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59	20.03
उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
1. असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32	38.72
2. मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09	59.55
3. मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28	19.66

1	2	3	4	5	6	7	8
4. नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79	26.52
5. त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11	26.82
6. अरुणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10	30.60
7. मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84	44.79
अखिल भारत (यूटिलिटियां)	21.80	21.41	21.13	22.27	24.53	24.79	26.45

स्रोत : डीएमएलएफ प्रभाग, सीईए (सामान्य समीक्षा)

रेलवे के ऊपर विद्युत संयंत्रों का देय

1862. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "बैंकरप्ट स्टेट इलैक्ट्रिसिटि बोर्ड्स मेक ए किल आउट आफ रेलवे किटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे को विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के लिए विशेष दरों के संबंध में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डो से मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे को संबंधित राज्यों में रेलवे और अन्य वाणिज्यिक संगठनों से ली जाने वाली विद्युत दरों में अन्तर के संबंध में राज्य-वार कुल कितना घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा इन घाटों की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बिजली कर्षण के लिए बिजली की खरीद के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) बिजली आपूर्ति प्राधिकारियों से दरें कम करने के बारे में निरंतर संपर्क किया जा रहा है ताकि इन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके।

(2) 13 राज्यों में राज्य बिजली नियामक आयोग (एस इ आर सी) स्थापित किए गए हैं। 11 राज्यों में क्षेत्रीय रेलों ने एस इ आर सी के साथ संपर्क किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में दरों में एक चार प्रतिशत की कमी की गयी है। आंध्र प्रदेश में दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। दो राज्यों यथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दरों में वृद्धि को सीमित रखना संभव हो पाया है।

(3) जहां कहीं अपरिहार्य समझा गया कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया गया।

(घ) औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों की तुलना में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रभारित की जा रही उच्चतर कर्षण दरों के कारण राज्यों को किए जाने वाले अलग-अलग भुगतान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उत्तर के भाग (ग) में यथा उल्लिखित उपायों के अतिरिक्त, रेलों के बिजली कर्षण ईंधन बिल को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा रही है:-

(1) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) और नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन एल सी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से सीधे बिजली सप्लाई प्राप्त किया जाना।

(2) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन टी पी सी) के साथ संयुक्त प्रयास के जरिए कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाना।

विवरण

वर्ष 2000-2001 में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अधिक कर्षण टैरिफ प्रभारित किए जाने के कारण राज्यों को किया गया भेदात्मक भुगतान

क्र. सं.	राज्य	औद्योगिक टैरिफ के लिए प्रति इकाई औसत लागत (रुपए में)@	वाणिज्यिक टैरिफ के लिए प्रति इकाई औसत लागत (रुपए में)@	रेलवे कर्षण के लिए प्रति इकाई औसत लागत (रुपए में)	रेल कर्षण और औद्योगिक टैरिफ के लिए औसत लागत इकाई में अंतर	रेल कर्षण और वाणिज्यिक टैरिफ के लिए औसत लागत इकाई में अंतर	उपभोग की गयी ऊर्जा मिलियन इकाई में	औद्योगिक टैरिफ की तुलना में अधिक कर्षण टैरिफ के कारण रेलों द्वारा राज्यों को किया गया भेदात्मक भुगतान (करोड़ रुपए में)	वाणिज्यिक टैरिफ की तुलना में अधिक कर्षण टैरिफ के कारण रेलों द्वारा राज्यों को किया गया भेदात्मक भुगतान (करोड़ रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	3.99	4.26	4.54	0.55	0.28	928.78	51.08	26.01
2.	झारखंड राज्य सहित बिहार	2.75	2.23	4.6	1.85	2.37	487.62	90.21	115.57
3.	दिल्ली	3.67	4.01	4.44	0.77	0.43	106.1	8.17	4.56
4.	गुजरात	4.34	4.3	4.95	0.61	0.65	382.2	23.31	24.84
5.	हरियाणा	4.45	4.3	4.19	-0.26	-0.11	167.7	-4.36	-1.84
6.	कर्नाटक	4.38	6.8	4.16	-0.22	-2.64	31.1	-0.68	-8.21
7.	केरल	2.78	4.58	1.9	-0.88	-2.68	42.16	-3.71	-11.30
8.	महाराष्ट्र	2.02	4.17	4.22	2.2	0.05	815.78	179.47	4.08
9.	छत्तीसगढ़ राज्य सहित मध्य प्रदेश	4.1	4.1	4.74	0.64	0.64	1504.75	96.30	96.30
10.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	3.74	0	0	201.12	0.00	0.00
11.	पंजाब	2.83	3.38	4.1	1.27	0.72	50.87	6.46	3.66
12.	राजस्थान	3.21	3.1	4.14	0.93	1.04	225.67	20.99	23.47
13.	तमिलनाडु	3.85	3.97	4.12	0.27	0.15	462.13	12.48	6.93
14.	उत्तर प्रदेश	4.23	3.13	4.38	0.15	1.25	817.86	12.72	105.98
15.	पश्चिम बंगाल	3.46	2.45	3.69	0.23	1.24	513.42	11.81	63.66
								504.25	453.72

@जून 2001 में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित राज्य बिजली बोर्ड और बिजली विभागों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 125

भूटान में विद्युत की खरीद

1863. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान 1000 मेगावाट उत्पादन की सम्भावना वाली दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में भारत की भागीदारी का इच्छुक है;

(ख) क्या भारत द्वारा 2.47 बिलियन रुपयों की लागत से टर्न की आधार पर वांग्चू नदी पर निर्मित 360 मेगावाट की चुक्का परियोजना भूटान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भूटान में वर्तमान परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या भूटान अपनी अधिशेष विद्युत की भारत को बिक्री कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच भूटान को भारत द्वारा वित्तपोषण और भूटान से भारत द्वारा विद्युत खरीद के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भूटान से विद्युत खरीद भारत के लिए किस सीमा तक सहायक होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (छ) भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना (4 x 84 - 336 मे०वा०) की स्थापना वर्ष 1986-88 में 246 करोड़ रु० की लागत पर भारत सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ की गई ताला जल विद्युत परियोजना (6 x 170 - 1020 मे०वा०) और कुरिछू जल विद्युत परियोजना (4 x 15 - 60 मे०वा०) भूटान में भारतीय सहायता के साथ वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है। कुरिछू जल विद्युत परियोजना की प्रत्येक 15 मे०वा० की तीन यूनिटों को अब चालू कर दिया गया है। चालू जल विद्युत परियोजनाओं से अधिशेष विद्युत की आपूर्ति भारत में उत्तरी क्षेत्र को इसकी व्यस्ततम मांग की पूर्ति करने के लिए पारस्परिक सहमत दरों पर की जा रही है।

कन्नूर में विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव

1864. **श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने श्री के.पी.पी. *नाम्बियार* की अध्यक्षता वाली विद्युत कम्पनी द्वारा कन्नूर में विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

परियोजना का नाम		कन्नूर कंबाइंड साइकिल गैर टरबाइन पावर प्रोजेक्ट
विद्युत उत्पादक कंपनी	–	मै० के पी पी नांबियार एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रवर्तित मै० कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०
क्षमता	–	513 मे०वा०
स्थान	–	केरल राज्य के कन्नूर जिले में केल्लायेसेरी और पप्पिनिसेरी पंचायत
ईंधन का प्रकार	–	नापथा/एलएनजी
अनुमानित सम्पूर्ण	–	4200 रु०/अमेरिकी डॉलर के विदेशी विनिमय दर पर 210.00 मिलि० अमेरिका डालर + 587.971 करोड़ रु०

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) ने फरवरी, 2000 में परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृत (टीइसी) प्रदान कर दी है। सभी लंबित सूचनाओं के सुनिश्चित हो जाने और परियोजना द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात् ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

भूमि का अतिक्रमण

1865. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-माफिया द्वारा सेना की लगभग 30,000 एकड़ भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भू-माफिया द्वारा राज्य-वार कितनी भूमि का अतिक्रमण किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सेना की भूमि से ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को कोई निदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) विभिन्न व्यक्तियों/निजी पक्षकारों आदि ने विभिन्न समय पर सेना के प्रबंध के अधीन आने वाली लगभग 3369.12 एकड़ रक्षा भूमि क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। इन अतिक्रमणों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमणों को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ अतिक्रमणों पर मुकदमा चल रहा है तथा उनको हटाने का मामला न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन है।

(ङ) और (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा भूमि के अतिक्रमण से संबंधित दिनांक 6 फरवरी, 2002 के सीडब्ल्यूपी सं० 3761/2000 के अपने आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा रक्षा संपदा को निदेश दिया है कि जब कभी अतिक्रमण की जानकारी हो तो, उस समय सभी प्रयास किए जाएं तथा यह देखा जाए कि कानूनन समय पर समुचित कार्रवाई शुरू की जा रही है, उसे जारी रखा जा रहा है तथा उसे शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1866. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत प्रस्तावों का प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) सौर ऊर्जा संयंत्रों के कुछ प्रस्तावों के काफी समय से लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों और विभागों से सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रस्तावों की जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं की स्थापना हेतु मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप योग्य पाए जाने पर उन्हें मंजूरी दी जाती है। संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सीमा तक और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के निधि शेयर, तकनीकी विवरण आदि के अभाव के कारण कुछ प्रस्ताव मंजूर नहीं किए जाते अथवा लंबित रहते हैं। प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और मंजूरी एवं कार्यान्वयन की स्थिति सहित पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान विभिन्न राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य एजेंसियों से प्राप्त सौर विद्युत संयंत्रों के प्रस्तावों तथा उनकी स्थिति के राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.प्र.	स्थल	सं. और क्षमता (कि.वा.पी.)		अनुमानित लागत (लाख रु. में)	केंद्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु. में)	स्थिति
			संख्या	कि.वा.पी.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99							
1.	असम	लाइसौंग गांव, इम्पोई क्षेत्र, एन सी पहाड़ी जिला	1	1.5	6.94	3.10	स्वीकृत एवं स्थापित

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	हिमऊर्जा कार्यालय, शिमला	1	1.5	9.00	3.10	स्वीकृत एवं स्थापित
3.	जम्मू एवं कश्मीर	चार जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4	4X8.40	दर्शाई नहीं गई है	67.60	स्वीकृत लेकिन स्थापित नहीं
4.	केरल	कंजलकोडा-पालाक्कड	1	100	256	—	स्वीकृत नहीं
5.	पंजाब	केशगढ़ साहिब, किरातपुर साहिब और आनन्दगढ़ साहिब के गुरूद्वारे	3	3X5.00	57.00	28.80	स्वीकृत एवं स्थापित
		बजाक गांव, भटिंडा	1	50	180	100	स्वीकृत एवं स्थापित
6.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप में 3 गांव अर्थात नतेन्द्रपुर, उत्तरहर्धनपुर तथा मंदिर तला	3	3X28.5	209.75	105.17	स्वीकृत एवं स्थापित
		बिकल्प शक्ति भवन कोलकाता	1	25	83	50	स्वीकृत एवं स्थापित
7.	चडीगढ़	पंजाब मिनी सचिवालय, चंडीगढ़	1	50	178	100	स्वीकृत एवं स्थापित
1999-2000							
1.	हिमाचल प्रदेश	की मौनेस्ट्र जिला लाहौल स्फीति	2	2X5.00	दर्शाई नही गई है	20.20	स्वीकृत लेकिन स्थापित नहीं
2.	कर्नाटक	नागासंद्रा, बंगलौर	3	3X3.00		18.30	स्थापित और स्थापनाधीन
3.	महाराष्ट्र	चलकेवाडी जिला--सतारा	1	25	82.00	—	स्वीकृत नहीं
		कॉडलवाडी, बिलौली जिला-नन्देड़	1	100	335	—	स्वीकृत नही
4.	उड़ीसा	इन्टरिम टेस्ट रेंज बालासूर	2	2X1.50	9.14	4.77	स्वीकृत एवं स्थापित

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	पश्चिम बंगाल	माउसानी द्वीप, सुन्दरबन क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना	1	55.00	178.00	70.39	स्वीकृत एवं स्थापित
6.	उत्तर प्रदेश	शक्ति भवन, लखनऊ	1	25.00	80	—	स्वीकृत नहीं
2000-01							
1.	आंध्र प्रदेश	सचिवालय एनेक्सी-हैदराबाद	1	50	150	—	स्वीकृत नहीं
		मुख्य मंत्री का आवास, हैदराबाद	1	50	150	—	स्वीकृत नहीं
		राज भवन हैदराबाद	1	25	85	—	स्वीकृत नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	कम्बंग गांव पश्चिम सियांग जिला, न्यू अलौपे गांव बुलांग घाटी जिला, न्यू अलौनी गांव दुलाग घाटी जिला	3	4.50, 2.50 एवं 2.20	36.05	32.50	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन
3.	असम	उमानन्दा द्वीप, गुवाहाटी जवाहर नवोदय विद्यालय एवं हॉस्टल सोनितपुर जिला	3	3X1.50	14.87	7.28	स्वीकृत उमानन्दा में स्थापित, अन्य में स्थापनाधीन
4.	हरियाणा	टीसीपीपी/टेरी, ग्वालपहाड़ी गुडगांव	1	50	150	—	स्वीकृत नहीं
5.	जम्मू एवं कश्मीर	लालोक रेसीडेंशियल स्कूल, दरबक ब्लॉक, लेह	1	4.9	20.84	—	स्पष्टीकरण मांगा गया है
6.	कर्नाटक	कर्नाटक के पांच स्थलों में पूर्ण प्रज्ञा स्कूल	5	5X1.184	24.75	11.84	स्वीकृत एवं स्थापित
7.	केरल	इदुकी, एमपीएम, पलाक्कड, टीसीआर तिरूवनन्तपुरम जिले में 11 दूरस्थ अ.ज./ अ.जन. कॉलोनियां	11	40.04 कुल	174.33	81.18	स्वीकृत एवं स्थापित
		विधान मंडल सचिवालय	1	100	299	199	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, री-भोई, जयंतिया हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स जिले में 14 जन जातियां एवं दूरस्थ गांव	14	35.5 कुल	216.00	71.00	स्वीकृत, स्थापित किया जाना है
9.	मिजरोम	सिविल अस्पताल, आईजोल, नशा मुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र, साईलोम केन्द्र टीएनटी कल्वारी अस्पताल, जुआगंतुई; प्रसूति केन्द्र, कुलीकावन	4	4X25	290.68	261.12	स्वीकृत, स्थापित किया जाना है
10.	उड़ीसा	टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, आरती, जिला मयूरभंज	1	25	—	—	संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है
11.	पंजाब	ग्राम-खटकरकलां, जिला-नवाशहर	1	200	600	383	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन
12.	राजस्थान	रीको भवन, जयपुर	1	25	74	—	स्वीकृत नहीं
		राज्य सचिवालय भवन, जयपुर	1	25	74	46	स्वीकृत एवं स्थापित
		न्यू राजस्थान विधान भवन, जयपुर	1	25	85.00	46	स्वीकृत एवं स्थापित
13.	तमिलनाडु	एसआईएसआई भवन, चेन्नई	1	52	295.00	—	अभी स्वीकृत नहीं
		सीईसीआरआई, कराईकुडी	2	2X1.00	9.00	—	अभी स्वीकृत नहीं
14.	उत्तर प्रदेश	सचिवालय एनेक्सी भवन, लखनऊ	1	25	80	47	स्वीकृत, अभी स्थापित नहीं
		आईआरईपी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	1	25	89	—	अभी स्वीकृत नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पश्चिम बंगाल	गोसाबा द्वीप	1	50	129	—	अभी स्वीकृत नहीं
16.	लक्षद्वीप	बित्रा द्वीप	—	25 क्षमता संयोजन	219	50.00	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन
		बंगारम द्वीप	—	40 क्षमता संयोजन	180.20	80.00	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन
		अगाती द्वीप	1	100	1841.00	1227.00	स्वीकृत, अगाती में
		अमिनी द्वीप	1	100			स्थापित एवं अन्य
		अंड्रोट द्वीप	1	100			द्वीपों में स्थापनाधीन
		चेतलत द्वीप	1	100			
		कदमत द्वीप	1	100			
		कलपेनी द्वीप	1	100			
		कवारती द्वीप	1	100			
17.	चंडीगढ़	पेडा कार्यालय भवन, चंडीगढ़	1	25	80	47	स्वीकृत एवं स्थापनाधीन

[हिन्दी]

रेलवे इकाइयों में लाभार्जन के लिए लक्ष्य

1867. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के अधीन इकाइयों में लाभार्जन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार/इकाई-वार कुल कितना लाभार्जन या घाटा हुआ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) रेलवे के अंतर्गत इकाइयों अर्थात क्षेत्रीय रेलों में लाभार्जन परिचालन अनुपात से मापा जाता है जोकि रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियों की तुलना में रेलवे के कुल संचालन व्यय का अनुपात होता है। बजटीय लक्ष्य की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्राप्त परिचालनिक अनुपात नीचे दिया गया है।

रेलवे	1998-99		1999-2000		2000-01	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	89.6%	89.2%	87.4%	89.3%	94.4%	92.6%
पूर्व	101.9%	111.1%	104.0%	112.8%	119.1%	121.4%
उत्तर	89.5%	88.8%	88.6%	83.2%	88.3%	90.1%
पूर्वोत्तर	176.4%	148.9%	157.7%	152.7%	159.8%	156.6%
पूर्वोत्तर सीमा	241.6%	203.2%	223.0%	202.1%	234.5%	208.2%

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण	109.7%	114.3%	110.8%	114.7%	123.5%	120.8%
दक्षिण मध्य	85.4%	83.4%	83.4%	85.6%	90.6%	86.4%
दक्षिण पूर्व	71.7%	76.6%	77.7%	76.5%	82.4%	78.5%
पश्चिम	74.7%	78.7%	74.4%	81.5%	82.1%	88.7%
सभी रेलें	91.2%	93.3%	91.6%	93.3%	98.8%	98.3%

स्टेशनों का विस्तार

1868. **डा. अशोक पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी यातायात के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर सुविधाओं का विस्तार करना स्वीकृत कार्य है। इन स्टेशनों पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं निर्मित की जा रही हैं। महत्वपूर्ण कार्यों की अनुमानित लागत, 2001-02 अंत में संभावित परिव्यय और 2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	2001-02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002-03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
		(करोड़ रुपए में)			
1.	नई दिल्ली : स्टेशन का विकास चरण-3	16.09	15.09	1.00	कार्य पूरा होने वाला है।
2.	नई दिल्ली : स्टेशन का विकास चरण-4	26.08	11.55	7.36	कार्य प्रगति पर है।
3.	हजरत निजामुद्दीन : कोचिंग यार्ड में संवर्द्धन और बदलाव	15.69	2.76	2.50	कार्य प्रगति पर है।
4.	नई दिल्ली-स्टेशन इमारत	50.00	0.77	1.00	कार्य प्रगति पर है।
5.	दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन मॉडल स्टेशन के संबंध में यात्री सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन	1.04	0.01	0.40	कार्य प्रगति पर है।

जब कभी अपेक्षित होगा तब आवश्यक अतिरिक्त सुविधा पर विचार किया जाएगा।

उत्तरांचल खबरसार कार्यक्रम

1869. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उत्तरांचल खबरसार कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार के स्थान पर प्रतिदिन प्रसारित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन, ''उत्तरांचल खबरसार'' शीर्षक के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युद्धप्रिय जाति के लोगों की भर्ती

1870. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के तीनों अंगों में अधिकारियों और जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर ब्रिटिश शासन काल से ही एक भ्रामक धारणा चली आ रही है जिसके कारण कतिपय युद्धप्रिय जातियों के सैन्य कर्मियों ने सैन्य बलों के सभी स्तरों पर प्रत्येक संवर्ग में अपना कब्जा बना रखा है;

(ख) क्या भर्ती करने वाले अधिकांश अधिकारी जो जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर, युद्धप्रिय जातियों को लेकर फैली उक्त भ्रामक धारणा से प्रभावित हो जाते हैं—भर्ती में पक्षपात करते हैं;

(ग) क्या सरकार का बिना किसी जातिगत पक्षपात के एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर सशस्त्र बलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और वंचित वर्गों के बहादुर, निडर और परिश्रमी व्यक्तियों को पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध करवाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो भर्ती अभियान कब तक आरंभ किए जाने की संभवना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती मेरिट के आधार पर की जाती है और जाति, सम्प्रदाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों सहित देश के सभी नागरिक भर्ती हो सकते हैं। सशस्त्र सेनाओं की भर्ती नीति का मूल उद्देश्य देश के युवकों में से सर्वोत्तम जन-शक्ति लेने के साथ-साथ भारत के सभी नागरिकों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के समान अवसर प्रदान करता है। जाति/वर्ग के आधार पर विशेष भर्ती अभियान का कोई विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संविदाओं का कुप्रबन्धन

1871. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को संविदाओं के कुप्रबन्धन के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे घाटे की जांच की गई और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और सरकारी अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों को लेखन सामग्री आदि बेचने वाली सहकारी समितियों के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही की अवधारणा को लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अक्तूबर 1998 में 1.03 करोड़ के घाटे के मामले को रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 1999 की रिपोर्ट संख्या 9 के पृष्ट 105-107 में उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजे गए उत्तर का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) संविदाओं का प्रबंधन निर्धारित कार्य पद्धति और नियमों के अंतर्गत ही किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1999 की रिपोर्ट सं. 9 में अकुशल संविदा प्रबंध के कारण अक्टूबर, 98 में 1.03 करोड़ रुपए की हानी के मामले का उल्लेख किया गया है। बहरहाल, किसी व्यक्ति विशेष की कोई चूक नहीं है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने ठेकेदारों को रेलवे सामग्री जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति के बारे में सभी फील्ड

इकाइयों को सूचित कर दिया है। जहां कहीं वसूली बकाया है वहां ठेकेदारों से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर उपयुक्त निगरानी की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1999 की रिपोर्ट सं. 9 (रेलवे) में 32 पैरे शामिल हैं। निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल पैरों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट, जिनकी लेखा परीक्षा पैरा द्वारा विधिवत जांच की जाती है, लोक लेखा समिति में प्रस्तुत किए जाते हैं।

रामागुंडम एनटीपीसी के परिसर में विद्यालय

1872. श्री राजैया मल्याला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी रामागुंडम के परिसर में कुछ विद्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो यह विद्यालय किसके वित्तीय नियंत्रण में चल रहें;

(ग) क्या इन सभी को एक ही प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), रामागुंडम के परिसर में पांच स्कूल हैं। स्कूलों और उनके वित्तीय नियंत्रण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

(1) केन्द्रीय विद्यालय–स्कूल का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है। स्कूल का वित्त पोषण एन टी पी सी रामागुंडम द्वारा किया जाता है। स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं सी.बी.एस.इ. स्ट्रीम/पेटर्न पर चलती हैं।

(2) सैंट क्लेयर कानवेंट–स्कूल का संचालन फ्रांसिस्कन सिस्टर ऑफ मैरी द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य पेटर्न की एल के जी से दसवीं तक की कक्षाएं चलती हैं। सैंट क्लेअर कानवेंट राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्व वित्त पोषत संस्थान जिसे आवर्ती/राजस्व व्यय के लिए एन टी पी सी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

(3) चिनमाया विद्यालय–चिनमाया विद्यालय का संचालन चिनमाया मिशन ट्रस्ट, मुंबई द्वारा किया जा रहा है जिसमें के जी से इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चल रही हैं। स्कूल राज्य पेटर्न पर चलती हैं और यह आवर्ती/राजस्व व्यय के लिए एन टी पी सी वित्तीय सहायता के बिना स्व वित्त पोषित हैं।

(4) जिला परिषद स्कूल – तेलगू माध्यम से 6 से 10 कक्षा तक चलने वाली यह स्कूल जिला परिषद द्वारा चलाई जाती है जिसे एन टी पी सी की वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

(5) केन्द्रीय प्राथमिक विद्यालय – इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक तेलगू माध्यम में कक्षाएं चलती हैं और रामागंडम की मंडल प्रजा परिषद (राज्य सरकार) द्वारा यह संचालित है।

तथापि स्कूल भवन और अन्य अवसंरचना एन टी पी सी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और केन्द्रीय विद्यालय के मामले के अतिरिक्त एन टी पी सी द्वारा किसी आवर्ती व्यय की पूर्ति नहीं की जाती।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन स्कूलों में शिक्षा के माध्यम छात्रों की भाषा वरीयताओं और राज्य के पाठ्यक्रम तथा सी बी एस ई के पाठ्यक्रम के लिए वरीयता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहार्य नहीं होगा कि इनको एक प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए।

स्क्रैप सामग्री के निपटान से आय सृजन

1873. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान रेलवे द्वारा स्क्रैप सामग्री के निपटान के माध्यम से डिविजनवार कितनी आय सृजित की गई;

(ख) क्या इस समय रेलवे के पास स्क्रैप सामग्री का भारी भण्डार पड़ा हुआ है और विभिन्न डिविजनों/जोनों में अब तक निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा में रेलों पर बड़ी मात्रा में स्क्रैपों का कोई स्टॉक नहीं पड़ा है। साधारणतया स्क्रैप का निपटान नीलामी करके किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे द्वारा स्क्रैप का निपटान सुविधाजनक स्थानों पर किया जाता है न कि मंडल-वार। क्षेत्रीय रेलों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान स्क्रैप सामग्री के निपटान से सृजित आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (फरवरी 02 तक)
मध्य	183.12	187.65	137.21
पूर्व	93.60	102.65	82.63
उत्तर	140.06	159.51	119.55
पूर्वोत्तर	40.12	43.44	36.98
पूर्वोत्तर सीमा	16.60	12.90	8.54
दक्षिण	70.00	77.11	75.57
दक्षिण-मध्य	76.27	65.50	69.12
दक्षिण-पूर्व	158.17	168.66	148.20
पश्चिम	90.50	101.16	70.15
सभी उत्पादन इकाइयां	29.98	30.69	27.69
जोड़	898.42	949.27	775.64

तेल विपणन कंपनियों द्वारा सिलिंडरों के लिए आदेश देना

1874. **डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ उन सिलिंडर विनिर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जो डिजाइन में थोड़े से परिवर्तन वाले सिलिंडरों के विकास के लिए वर्तमान निविदा के लिए योग्य पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्रय आदेश देने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने ऐसे 11 निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जो वर्तमान निविदा के अंतर्गत सफल हो गए हैं तथा जिन्होंने यह निविदा जारी किए जाने से पहले पुराने परिरूप के अनुसार कुछ सिलेंडर तैयार किए थे। तेल विपणन कंपनियों ने लागतों में उचित अंतर वाली धनराशि वसूल करने के पश्चात संबंधित निर्माताओं से ऐसे सिलेंडर स्वीकार करने का 'सिद्धान्ततः' निर्णय ले लिया है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने ऐसे निर्माताओं को इस विषय में पहले ही आर्डर दे दिए हैं।

व्यापार नीति के उदारीकरण का लौह और इस्पात पर प्रभाव

1875. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की व्यापार नीति के उदारीकरण से लौह और इस्पात सामग्री के आयात और निर्यात में व्यापक परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीति में परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव देखे गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। उदारीकरण से वैश्विक निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि हुई है और 1992 और 2001 के बीच भारत से किया गया निर्यात 3.1 लाख टन से बढ़कर 30 लाख टन हो गया है। इसके अलावा कुछ और मूल्यवर्धित उत्पादों पर बल देने से निर्यात क्षेत्र का संयोजन भी परिवर्तित हुआ है। आयात अपने सुधार पूर्व स्तर अर्थात 10 से 20 लाख टन प्रतिवर्ष के आस-पास रहा।

(ग) नीति में हुए परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव पड़ा। निजी क्षेत्र में हुए अत्यधिक नए निवेशों से स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमताएं विकसित हुई हैं। इस क्षेत्र में उदारीकरण के कारण हुई प्रतिस्पर्धा से मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण/और क्षमता संवर्धन भी हुआ है।

ताजमहल की सुरक्षा हेतु सौर ऊर्जा

1876. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री आनन्दराव विठोवा अडसुल :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ऐतिहासिक ताजमहल की पर्यावरणीय प्रदूषण से सुरक्षा के लिए आगरा में चार गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों को चार माह के भीतर सौर ऊर्जा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा निधियों की आपूर्ति करने हेतु कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके कब तक लागू होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) ताजमहल परिसर में दो वायु गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशालाएं हैं। एक प्रयोगशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा चलाई जाती है और दूसरी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा; दूसरी प्रयोगशाला अब तक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा चलाई जाती रही थी।

ताजमहल पर वायु प्रदूषण के प्रभाव से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के क्रम में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27 नवम्बर, 2001 के अपने आदेश द्वारा एएसआई, सीपीसीबी और यूपीपीसीबी को वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण को विद्युत प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों को स्थापित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर होने वाली लागत को कुछ समय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इन दोनों प्रयोगशालाओं के आवश्यक भार को पूरा करने के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रयासों का समन्वयन कर रहा है। सभी संबंधित संगठनों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया और इन दो प्रयोगशालाओं में सौर प्रणालियां स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई हैं। आकलनों को भी स्वीकृत किया गया तथा एएसआई तथा सीपीसीबी को उचित सलाह दी गई है। मंत्रालय ने अपने संसाधनों में से सौर विद्युत संयंत्रों की लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए भी पेशकश की है और शेष लागत एएसआई और सीपीसीबी से प्राप्त होगी। आदेश देने और स्थापना के लिए स्पष्ट स्थल उपलब्ध कराने के बाद 10 सप्ताह के भीतर इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है।

एल्युमिनियम के ताबूत

1877. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :**
श्री ई. अहमद :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री ने वर्ष 1999-2000 में रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गए एल्युमिनियम के ताबूतों के संबंध में आर.वी. पंडित द्वारा लिखित पुस्तिका के साथ सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है;

(ख) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विरुद्ध सरकार द्वारा सभी संसद सदस्यों को एक व्यक्तिगत विचार भेजे जाने से संसदीय प्रजातंत्र तथा विशेष रूप से रक्षा विभाग द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों, शिष्टाचारों तथा प्रतिभाओं का उल्लंघन हुआ है;

(ग) क्या किसी ऐसे व्यक्ति के निष्कर्षों जिसने सरकार के अपने संगठन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आलोचना की हो, को अग्रेषित करने का कोई पूर्वोदाहरण है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने के लिए किस बात से मंत्री प्रेरित हुए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) रक्षा मंत्री ने सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है जिसके साथ उन्होंने श्री आर.वी. पंडित द्वारा लिखित 'दी होल ट्रुथ बिद आल दि डाक्यूमेंट्स अबाउट दी अल्युमीनियम कास्केट बाट बाई दी डिफेंस मिनिस्टरी इन 1999-2000' नामक एक पुस्तक भेजी है। यह पुस्तक श्री पंडित द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किया गया एक प्रयास था और पुस्तक में व्यक्त विचार श्री पंडित के अपने स्वयं के हैं।

श्री पंडित ने इस पुस्तक में ताबूतों की खरीद के लिए संविदा करने में की गई मामूली गलतियों के लिए सेना तथा रक्षा मंत्रालय के बारे में टीका-टिप्पणी की है।

रक्षा मंत्री ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है श्री पंडित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा प्रेस के प्रति कठोर प्रतीत हो सकते हैं लेकिन जैसे ही कोई इस पुस्तिका को पढ़ता है तो यह स्पष्ट हो जाता

है कि प्रेस (जिसके साथ वे 50 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े रहे हैं तथा इस समय यह कैसे कार्य करता है) तथा संविधान के तहत निर्मित संस्थाओं तथा उनकी मौजूदा कार्य-प्रणाली के प्रति उनकी गहरी चिंता है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री पंडित द्वारा अपनी पुस्तिका में यह निर्णायक रूप से प्रमाणित किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पूर्णत: तथ्यपरक नहीं था तथा 'टाइम्स आफ इंडिया' की खबर अतिश्योक्तिपूर्ण थी और आंशिक रूप से असत्य थी।

[हिन्दी]

पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में आग लगने की घटना

1878. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में आग लगने की घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है पतरातू टी पी एस में आग लगने की घटना 9.1.2002 को हुई थी जोकि यूनिट 1 व 2 के यूनिट नियंत्रण कक्ष के केबिल गैलरी में 17.40 बजे आरंभ हुई थी। आग पर लगभग 20.00 बजे नियंत्रण पा लिया गया था और 10.1.2002 को 0.30 बजे इसे पूरी तरह बुझा दिया गया था। यूनिट 1 व 2 की केबिल गैलरी और नियंत्रण कक्ष पूर्णत: जल गया था। एक सर्किट ब्रेकर क्षतिग्रस्त हो गया था। आग फैलने से जनरेटर ट्रांसफार्मर सं० 2 व 3 और स्टेशन ट्रांसफार्मर भी आंशिक रूप ये क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(ग) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगभग 50 करोड़ रु० हानि अनुमानित की गई है।

[अनुवाद]

तेल समन्वय समिति का निलंबन

1879. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति को निलम्बित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल समन्वय समिति को समाप्त किया जाना पेट्रोलियम क्षेत्र हेतु नियंत्रित मूल्य तंत्र (एपीएम) को समाप्त किए जाने की अनुवर्ती कार्यवाही है; और

(घ) यदि हां, तो खुदरा उत्पादों यथा पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी का तेल और घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल समन्वय समिति 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

(घ) एपीएम की समाप्ति के बाद देश के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति निम्न द्वारा सुनिश्चित की जाएगी:-

(1) वाणिज्यिक आधार पर उत्पाद विनिमय/मेहमानदारी प्रबंधनों में प्रवेश करने वाली कंपनियों द्वारा।

(2) व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा विपणन सेवा बाध्यताओं और उनके डीलरों/वितरकों द्वारा खुदरा सेवा दायित्वों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने वाले विनियामक द्वारा।

(3) आपात परिस्थितियों में विनियामक अथवा व्यक्तिगत कंपनियों को सरकार द्वारा निर्देशों के निर्गमन द्वारा।

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन

1880. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक सभा, विधान सभा के चुनावों और उपचुनावों में भी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करती है;

(ख) यदि हां, तो आज तक इसका किस सीमा तक प्रयोग किया गया है;

(ग) उक्त प्रक्रिया किस वर्ष तक पूरी कर ली जायेगी; और

(घ) सरकार का अगले लोक सभा चुनावों के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि नवंबर, 1998 से आगे संचालित विभिन्न निर्वाचनों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

फैले 4,03,508 मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया। उन राज्यों और उन निर्वाचनों को दर्शित करने वाला एक ब्यौरा जिनमें इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया था, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, संसदीय चुनाव संचालित करने के लिए दस लाख इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की आवश्यकता है। आयोग के पास इस समय, 2,83,800 इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का स्टॉक है और इसने 142.29 करोड़ रुपए के बजट आबंटन के भीतर चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों को उपाप्त करने के लिए आदेश दिया है। और अधिक इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन उपाप्त करने के लिए उपबंध करने के लिए सरकार प्रयास करेगी जिससे कि लोक सभा के लिए आगामी साधारण निर्वाचन, इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की सहायता से कराया जा सके।

विवरण

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग

राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 1998

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 50% मशीनें भी हैं
मध्य प्रदेश	5	1,149	1724
राजस्थान	5	1,070	1605
दिल्ली	6	711	1062
योग	16	2,930	4391

राज्य विधान सभाओं के लिए फरवरी, 1999 में हुए उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 50% मशीनें भी हैं
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	2	318	477
राजस्थान	1	197	296
दिल्ली	2	264	396
योग	5	779	1169

गोवा विधान सभा के लिए जून, 1999 में हुए साधारण निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 50% मशीनें भी हैं
गोवा	40	1,135	1702
	40	1,135	1702

सितंबर-अक्तूबर, 1999 में हुए लोक सभा और पांच राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 25% मशीनें भी हैं
लोक सभा	45-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	62,362	77852
आंध्र प्रदेश	14	3,705	4631
कर्नाटक	24	5,351	6689
महाराष्ट्र	24	5,156	6445
पश्चिमी बंगाल	1	108	135
पांडिचेरी	1	12	15
योग	54-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और 64	76,694	95767

फरवरी, 2000 में हुए चार राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 25% मशीनें भी हैं
हरियाणा	45	8,077	10096
उड़ीसा	10	2,339	2924
उत्तर प्रदेश	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र 8-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	3,655	4569
आंध्र प्रदेश	1	204	255
गुजरात	2	382	478
मध्य प्रदेश	4	696	870
महाराष्ट्र	1	122	153
पंजाब	1	178	223
तमिलनाडु	1	225	281
योग	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और 73	15,881	19759

मई-जून, 2000 में हुए उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 25% मशीनें भी हैं
1	2	3	4
उड़ीसा	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,466	1833
पश्चिमी बंगाल	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,310	1638
आंध्र प्रदेश	2-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	499	623
हरियाणा	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	170	213
मध्य प्रदेश	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	141	176
उत्तर प्रदेश	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	232	290
पांडिचेरी	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	18	23
योग		3,836	4896

सितंबर, 2000 में हुए उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केंन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 25% मशीनें भी हैं
1	2	3	4
राजस्थान	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (7-दोसा)	1,556	1945
	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (12-लंकारनसर)	383	479
गुजरात	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (74-शहरकोटडा)	120	150
कर्नाटक	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (208-कागवाड़)	158	198
मध्य प्रदेश	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (209-लाखनंदन)	171	214

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (280-शाहूवाडी)	161	201
पंजाब	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (88-सुनाम)	147	186
उत्तर प्रदेश	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (338-करहल)	27	346
योग		2,973	3719

फरवरी, 2001 में हुए उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 10% मशीनें भी हैं
आंध्र प्रदेश	2-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	355	390
राजस्थान	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	169	186
उत्तर प्रदेश	3-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	999	1,100
पंजाब	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	134	148
मध्य प्रदेश	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	166	183
योग		1,823	2,007

मई, 2001 में हुए राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन और लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन, 2001

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 10% मशीनें भी हैं
1	2	3	4
केरल (सा.नि.)	140-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	23,010	25,310
तमिलनाडु (सा.नि.)	234-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	56,220	62,000
पश्चिमी बंगाल (सा.नि.)	294-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	62,000	68,200
पांडिचेरी (सा.नि.)	30-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	778	855
असम (सा.नि.)	4-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	733	806
उत्तर प्रदेश (उ.नि.)	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,471	1,618
योग		1,43,212	1,57,809

सितंबर, 2001 में हुए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन

राज्य	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केंन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई 10% मशीनें भी हैं
गुजरात	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र 1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	1,728	1,900
राजस्थान	1-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,451	1,596
आंध प्रदेश	2-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	340	373
महाराष्ट्र	2-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	231	254
उड़ीसा	1-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	190	209
असम	2-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	246	270
योग		4,186	4,602

फरवरी, 2002 के साधारण/उप-निर्वाचनों में उपयोग की गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	मतदान केंन्द्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की संख्या जिसके अंतर्गत आरक्षित रखी गई मशीनें भी हैं
1.	उत्तर प्रदेश (सा.नि.)	403-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	1,17,430	1,40,888
2.	मणिपुर (सा.नि.)	06-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	176	194
3.	उत्तरांचल (सा.नि.)	70-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	6,631	9,900
4.	पंजाब (सा.नि.)	117-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	18,222	23,000
5.	हरियाणा (उ.नि.)	01-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	222	244
6.	कर्नाटक (उ.नि.)	01-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	3,008	3,308
7.	मध्य प्रदेश (उ.नि.)	01-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,579	1,737
8.	उत्तर प्रदेश (उ.नि.)	01-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	1,429	1,572
9.	महाराष्ट्र (उ.नि.)	01-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	259	285
10.	तमिलनाडु (उ.नि.)	01-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	230	253
11.	राजस्थान (उ.नि.)	01-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	145	160
12.	गुजरात (उ.नि.)	03-विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	728	880
	योग		1,50,059	1,82,341

सकल योग : 4,03,508 मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था।

रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करना

1881. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु स्थान की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है और उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) यह विश्वविद्यालय रक्षा सेवा में कर्मियों की कमी पूरा करने में किस सीमा तक सहायक रहेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) देश में एक रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने से संबंधित मुद्दा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति के विचाराधीन है। विभिन्न मुद्दों के अतिरिक्त, यह समिति रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए स्थान, विश्वविद्यालय की स्थापना करने में होने वाले व्यय की राशि तथा छात्रों तथा प्रतिभागियों के संघटन व प्रकृति का भी पता लगाएगी। तथापि, इसकी स्थापना करने के लिए अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

रेलवे सम्पत्ति की बिक्री

1882. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रेलवे की सम्पत्तियों की बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक किसी रेलवे सम्पत्ति की बिक्री की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी राशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार की घिट्टूगुंटा, आंध्र प्रदेश में रेलवे सम्पत्तियों को बेचने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा 13 एकड़ भूमि, 850 भवनों और भारी मात्रा में रेलवे उपकरणों का उपयोग किस प्रकार करने की योजना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जिस भूमि के संबंध में पूछा गया है वह आबादी से दूर एक बंजर भूमि है। वहां पर एक वाष्प लोको शैड स्थित था जिसका अब परित्याग कर दिया गया है। इस भूमि का वैकल्पिक प्रयोग और वहां पर मौजूदा ढांचे के प्रयोग के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

विद्युत सुधारों के लिए केन्द्रीय सहायता

1883. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 2002 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में सी.ई.ए. फार कंडीशनल सेंट्रल एंड फार रिफॉर्म्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्युत वितरण में सुधारों के संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इसके लिए मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी हां, ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विद्युत सुधारों को देश के विद्युत क्षेत्र में मुख्य सुधार क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इस संबंध में अभिज्ञात मुख्य नीतियां निम्नवत हैं :-

1. सभी जिलों के लिए जिला स्तर की वितरण सुधार योजनाओं/परियोजनाओं का विकास।
2. मॉनीटरिंग व संसाधन आयोजना के लिए जिला स्तरीय ऊर्जा समितियों का गठन।
3. वितरण सुधार के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में 60 वितरण सर्किलों का वितरण।
4. फीडर लेवल पर मॉनीटरिंग हेड प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली और सौ प्रतिशत मीटरिंग जिसे सभी स्तरों पर जिम्मेदारी लाने के लिए विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा से सहायता प्राप्त है।
5. विद्युत की चोरी रोकने और तकनीकी हानियों को कम करने के लिए भार केन्द्रों तक उच्च वोल्टता लाइनें लाना।
6. समयबद्ध तरीके से वितरण सुधार आरंभ करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना और भारत सरकार की सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में जोड़ना (बीस राज्यों ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं)।
7. राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ योक्तिक, 17 राज्यों ने एसईआरसी का गठन कर लिया है और इनमें से 12 एसईआरसी ने प्रथम टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।

भारत सरकार ने राज्यों को उनके सुधार में सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस सहायता को राज्यों में समयबद्ध विद्युत सुधार पहल और राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों की वित्तीय व्यवहार्यता को पुन: बहाल करने के संबंध में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार ने एक त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, (एपीडीपी आरंभ किया है जिसके अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उनके पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के उच्चीकरण एवं सुधार से संबंधित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता

के रूप में सर्किल घार प्रदान की जाती है। एपीडीपी के अन्तर्गत सहायता के प्रयोजनार्थ राज्यों को विशेष और गैर विशेष श्रेणियों में विभक्त किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 प्रतिशत परियोजना लागत के समकक्ष सहायता (90%) अनुदान और 10% ऋण एपीडीपी के अन्तर्गत परिकल्पित की गई है। गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 50% परियोजना लागत (25% अनुदान और 25% ऋण) के समकक्ष सहायता केपीडीपी के अन्तर्गत परिकल्पित की गई है। और शेष 50% ये परियोजनाएं पावर फाइनेंस कारपोरेशन/रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन/स्वयं के/अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2000-2001 एवं 2001-02 के दौरान सरकार ने त्वरित विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अन्तर्गत स्कीमों को सहायता हेतु क्रमशः एक हजार करोड़ रुपए और 15000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। वर्ष 2001-02 में 978 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2001-02 में एपीडीपी के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में कई स्कीमों के लिए सहायता की सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं। एपीडीपी के अन्तर्गत दसवीं योजना के दौरान वर्ष, 2002-03 के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि परिव्यय के लिए प्रदान की है।

5 कि.ग्रा. के रसोई गैस सिलिंडरों को शुरू किया जाना

1884. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 कि.ग्रा. के रसोई गैस सिलिंडर प्रारंभ करन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस कदम के पीछे क्या मंशा है; और

(ग) यह कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम आय वाले ग्राहकों को घरेलू प्रयोजन के लिए एलपीजी आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 5 कि.ग्रा. एलपीजी सिलेंडरों के विपणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 'सिद्धांत रूप में' स्वीकृति दे दी है।

राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत

1885. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे वर्तमान में राज्य विद्युत बोर्डों से विद्युत प्राप्त करती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पूरी की जाने वाली वार्षिक विद्युत आवश्यकता का ब्यौरा क्या है और की गई विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार औसत लागत कितनी है;

(ग) क्या रेलवे की राज्य विद्युत बोर्डों के स्थान पर कहीं और से विद्युत खरीदने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां। कर्षण के लिए बिजली 17 राज्य बिजली बोर्डों तथा तीन विद्युत कंपनियों, अर्थात दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) टाटा तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से खरीदी जा रही है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन तथा नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन जैसे सेंट्रल जनरेटिंग एजेंसियों से सीधी बिजली आपूर्ति प्राप्त करना।

2. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त-उद्यम के माध्यम से कैपटिव ताप संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगाना।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली आपूर्ति प्राधिकरणों की कर्षण की औसत लागत/इकाई

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्डों के नाम	बिजली खपत मिलियन यूनिटों में	प्रति यूनिट औसत लागत (रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन	928.78	4.54
2.	झारखण्ड राज्य सहित बिहार राज्य बिजली बोर्ड	487.62	4.60

1	2	3	4
3.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	106.10	4.44
4.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	382.20	4.95
5.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	167.70	4.19
6.	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	31.10	4.16
7.	केरल राज्य बिजली बोर्ड	42.16	1.90
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	815.78	4.22
9.	छत्तीसगढ़ राज्य सहित मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	1504.75	4.74
10.	उड़ीसा ग्रिड कार्पोरेशन	201.12	3.74
11.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	50.87	4.10
12.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	225.67	4.14
13.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	462.13	4.12
14.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि.	847.86	4.38
15.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	513.42	3.69
16.	मुंबई क्षेत्र में टाटा	672.19	3.82
17.	दामोदर घाटी निगम	387.58	3.57
18.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	85.7	2.51
	कुल जोड़	7912.73	4.28

नौसेना का स्वदेशीकरण

1886. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'लैक ऑफ फेसिलिटीज हैज हिट इंडीनेजनाइजेशन ऑफ नेवी' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में शिपयार्डों में आधुनिक सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शिपयार्डों का आधुनिकीकरण करने तथा नौसेना का स्वदेशीकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण के साथ-साथ शिपयार्डों का आधुनिकीकरण और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मुख्यतया खतरे की अवधारणाओं तथा विद्यमान विदेशी सामरिक/सुरक्षा वातावरण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के आधार पर निर्भर करती है। उच्च प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर अधिकाधिक बल देने से नौसेना प्लेटफार्मों तथा शिपयार्डों के समय-समय पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है ताकि नौसेना के स्वदेशीकरण का कार्य बेहतर ढंग से हो सके।

एमआरपीएल के साथ एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम

1887. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन आरोपों कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० प्रबंधन ने एमआरपीएल के प्रबंधन में अपनी भूमिका में जानबूझकर हेराफेरी की है, की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त उद्यम भागीदार अक्सर सरकार के ध्यान में यह बात लाए हैं कि उन्हें एचपीसीएल के उच्च प्रबंधन से सिविल सहयोग नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां तथा एचपीसीएल अपनी भूमिका निभाएं और पूरी ईमानदारी तथा समझदारी से सरकारी नितियां लागू करें;

(घ) यदि नहीं, तो एमआरपीएल के प्रबंधन की बार-बार इन प्रार्थनाओं कि उन्हें संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में विद्वेषपूर्ण भागीदार का सामना करना पड़ा है, की अनदेखी करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और ए.वी. बिरला ग्रुप (एबीजी) मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(एमआरपीएल) के सह प्रवर्तक हैं। एबीजी ने एमआरपीएल द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के बारे में इस मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था। एबीजी ने एमआरपीएल से निकलने के बारे में अपनी मंशा भी प्रकट की है। तदनुसार एबीजी द्वारा एमआरपीएल में अपने हिस्से को बेचने से संबंधित प्रस्ताव पर एचपीसीएल द्वारा विचार किया गया। वर्तमान में मैसर्स लेजार्ड इंडिया लिमिटेड के प्रयासों के माध्यम से एमआरपीएल के पुनर्गठन का प्रस्ताव है।

उपग्रह डाटा की आपूर्ति

1888. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सेवायें लेकर टोपीशीटों के डिजीटिकरण को स्वीकृति देने और प्रतिबंधित क्षेत्रों को बिना आच्छादित किए उपग्रह डाटा की आपूर्ति हेतु एन.आर.एस.ए. को अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्षा संबंधी सूचना हटाने के पश्चात् अप्रतिबंधित क्षेत्रों के टोपो मानचित्रों को डिजिटयुक्त (डिजिटाईज) बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, हैदराबाद (राज्य सरकार का एक स्वायत्त संगठन) को पहले से ही प्राधिकृत किया जा चुका है। तथापि, सुरक्षा कारणों की वजह से डिजिटीकरण के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं अथवा सार्वजनिक एजेंसियों की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं है।

एन.आर.एस.ए. द्वारा बिना आवरण के उपग्रह इमेजरी/डाटा की आपूर्ति के संबंध में विद्यमान नीति से अलग-अलग मामले के आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने की अनुमति है।

एनरान की बिक्री प्रक्रिया

1889. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 में एनरान की बिक्री प्राप्तियां 4 हजार 11 करोड़ 20 लाख अमरीकी डालर थी;

(ख) क्या एनरान की कुल आय 89 करोड़ 30 लाख अमरीकी डालर थी और 1999 के अंत तक एनरान के वसय 28 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालर थे;

(ग) क्या एनरान ने रिकार्ड में कभी भी हानि नहीं दिखाई थी और इसके विपरीत हमेशा लाभ दर्शाया था;

(घ) क्या एनरान के एकाएक बंद होने से पूर्व इसकी दयनीय वित्तीय स्थिति के बारे में आम जनता को जानकारी नहीं दी जा सकी थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एनरान के कर्मचारियों और निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाने की योजना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) एनरॉन कंपनी विभिन्न देशों में निवेश करने वाली एक अमरीका आधारित कंपनी है और इस प्रकार कंपनी से संबंधित ब्यौरे यथा बिक्री से आय, निवल आय, हानियों इत्यादि की भारत सरकार द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है। एनरॉन कंपनी भी अपनी विभिन्न निवेश कंपनियों के माध्यम से इक्विटी में निवेश के जरिए दाभोल पावर कंपनी में अप्रत्यक्ष अभिरुचि रखती है। दाभोल पावर कंपनी एक भारतीय कंपनी है जो महाराष्ट्र में 2184 मेगावाट दाभोल पावर कंपनी के क्रियान्वयन हेतु स्थापित की गई है। भारतीय वित्तीय संस्थान, जिनकी दाभोल पावर कंपनी में बड़ी भागीदारी है। एनरॉन को प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रवर्तक का चयन करने हेतु कदम उठा रहे हैं ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके और परियोजना प्रचालन आरंभ कर सके।

न्यायाधीशों को उपहार और पुरस्कार प्रदान करना

1890. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''यूनिट स्कीम जजेज विल गेट बैटर रिवार्ड्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या विशेषकर उन मामलों में, जहां निर्धन विचाराधीन कैदी विशेषकर वे महिलाएं तथा बच्चे जो जमानत न मिलने के कारण जेलों में बंद रहते हैं के विरुद्ध होने वाले अनावश्यक और अवर्णनीय विलम्ब के संबंध में कोई उपबंध किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुराने मामलों के निपटान को लंबित कार्य के वर्ष के अनुसार निर्धारित पूर्विकता देते हुए न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य के निर्धारण के लिए मानदंड पुन: बनाए गए हैं। पुराने लंबित मामलों के निपटान के लिए यह एक प्रगतिशील उपाय है।

(ग) आवधिक पुनर्विलोकन, संबंधित जिला न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और तदनुसार सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जयपुर में दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रसारण में बाधा

1891. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के जयपुर केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितना क्षेत्र है;

(ख) इन क्षेत्रों में केबल नेटवर्क का प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या दूरदर्शन के जयपुर केन्द्र से कार्यक्रमों के प्रसारण मार्ग में आने वाले पर्वतों के कारण बस्सी कस्बे में स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है; और

(घ) उक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर के क्षेत्रीय कार्यक्रम उपग्रह पद्धति में पूरे देश में उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय सेवा समय स्लॉट के दौरान राजस्थान में कार्यरत विभिन्न उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से भी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) भारत सरकार केबल नेटवर्क के कवरेज के आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) लगभग सम्पूर्ण जयपुर जिला उच्च शक्ति ट्रांसमीटर जयपुर के कवरेज क्षेत्र में आता है। बस्सी कस्बे में अच्छी गुणवत्ता के सिगनल उपलब्ध होने की सूचना मिली है तथापि, पहाड़ी भू-भागीय अवस्थाओं के कारण जयपुर जिले में कुछ छायाक्षेत्र हैं।

बिजली के वितरण एवं पारेषण में होने वाली हानि

1892. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली के वितरण एवं पारेषण में होने वाली हानि को घटाकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों में ऐसी हानियों का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण एवं वितरण हानियां 10-15% कम करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 20 राज्यों ने अपने विद्युत क्षेत्रों में सुधार करने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। राज्यों को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) के अन्तर्गत सहायता मुहैया कराये जाने को सुधार लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ा जाएगा। मीटरिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा, चोरी नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी किया जाना समझौता ज्ञापनों में शामिल मुख्य लक्ष्यों में से एक है।

विश्व के विकसित और विकासशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियों को इंगित करने वाला ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत की तुलना में विकसित देशों में प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां

देश	1989	1990	1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6
आस्ट्रिया	7.19	7.34	7.44	7.15	7.59
बेल्जियम	5.64	5.82	5.59	5.51	5.60
कनाडा	9.45	8.44	8.74	8.46	8.25
चिकोस्लोवाकिया	7.91	7.86	—	8.50	10.34
डेनमार्क	5.65	5.20	6.92	6.70	6.93
फिनलैंड	5.64	5.10	5.04	5.48	5.01
फ्रांस	8.25	8.19	8.28	7.64	8.02
जर्मनी	—	5.45	5.17	4.87	5.08
ग्रीस	8.12	9.05	8.88	7.92	8.66
हंगरी	11.11	11.09	11.06	9.43	13.66
आईसलैंड	8.58	8.88	8.74	7.65	6.72
आयरलैंड	9.70	9.78	10.00	9.71	9.61
इजराईल	5.06	5.22	5.43	5.06	4.65
इटली	8.54	7.83	8.15	7.84	8.31
नीदरलैंड	4.53	4.58	4.52	4.59	4.94
नार्वे	8.53	7.49	7.40	7.51	8.13
पोलैंड	10.58	9.15	12.43	13.85	15.19
पुर्तगाल	12.31	12.31	12.27	12.32	12.46
रोमानिया	6.16	8.96	10.16	10.85	11.25
स्पेन	9.10	9.85	10.01	10.05	10.10
स्वीडन	7.20	6.98	6.57	7.25	7.72
स्वीटजरलैंड	8.03	7.97	7.97	8.03	7.98
यू.एस.एस.आर.	9.45	9.32	—	—	—
रसियन फेड	—	8.84	8.98	9.53	9.26
उक्रेन	—	9.03	9.53	10.21	10.85
उक्रेनियेन एस.एस.आर.	8.50	—	—	—	—
यू.के.	8.53	8.39	8.80	7.49	7.85
यू.एस.ए.	5.70	9.93	7.93	8.40	8.66
उजबेकिस्तान	—	10.40	9.43	10.09	9.72
यूगोस्लाविया	9.89	—	10.25	—	—
इंडिया@	23.28	22.89	22.83	21.80	21.41

नोट/स्रोत

1. यूरोप संबंधी वैद्युत ऊर्जा आंकड़ों के वार्षिक बुलेटिन यू एन प्रकाशन से।
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा।
3. एन.ए. आंकड़े उपलब्ध नहीं/लागू नहीं।
4. @वित्तीय वर्षों के लिए।

विवरण-II

विकासशील देशों में प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां

देश	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7
अल्जीरिया	18.51	15.07	16.32	13.31	17.10	17.50

1	2	3	4	5	6	7
बंगला देश	30.10	35.57	38.95	39.10	33.98	33.30
बारबाडोज	9.73	9.55	7.86	7.27	8.56	8.24
बेलाइज	11.11	9.80	9.80	9.35	9.35	9.35
बोलबिया	14.83	16.71	15.91	15.91	14.00	13.67
ब्राजील	13.70	13.62	14.67	14.13	14.43	15.26
बुलगारिया	11.79	11.41	15.78	15.67	15.47	15.31
चीले	15.41	12.38	12.87	11.93	—	—
चीन	7.54	7.44	7.68	7.75	7.16	6.44
कोलम्बिया	24.25	23.70	22.94	20.48	22.74	23.29
कोस्टारिका	11.03	14.33	11.45	11.46	11.04	8.00
क्यूबा	18.05	18.44	16.82	15.99	16.10	16.10
डोमिनीकन रिपब्लिक	34.01	41.04	42.87	42.48	38.81	38.80
इल-सलवाडोर	18.05	19.02	16.10	16.42	13.75	13.75
फिजी	9.76	9.88	12.32	13.58	14.63	14.94
फ्रेंच गुएना	12.37	12.17	11.87	12.41	12.67	14.98
गुटेमाला	16.08	16.67	15.65	15.36	18.01	16.43
हान्डार्स	24.83	25.48	26.53	27.56	28.25	28.14
इन्डोनेशिया	21.93	22.47	20.95	17.97	17.18	16.75
जमाइका	19.35	17.90	18.71	20.66	25.17	24.28
जोर्डन	10.99	10.07	10.51	11.00	10.43	9.94
केन्या	15.46	15.45	15.41	15.07	15.73	15.01
कोरिया गणराज्य	5.93	5.49	5.50	5.66	5.48	5.51
कुबेत इनक्लुडिंग पार्ट आफ न्यूट्रल जोन	9.02	8.40	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मलेशिया	11.05	8.71	12.13	7.89	—	9.55
म्यांमार	35.20	—	37.39	38.44	37.71	36.13

1	2	3	4	5	6	7
नेपाल	28.39	28.28	28.38	24.66	24.94	25.83
निकारागुआ	21.62	19.38	24.06	24.04	25.88	25.22
पाकिस्तान	20.64	21.35	20.55	22.94	22.89	23.60
पेरू	—	—	2.75	2.58	3.25	5.81
फिलीपिन्स	16.10	13.79	13.54	17.23	17.70	17.29
श्रीलंका	17.26	16.78	18.25	16.89	17.28	17.82
थाइलैंड	10.20	10.85	11.08	10.67	8.41	9.90
त्रिनीदाद एवं टोबागो	11.77	9.09	13.43	9.55	8.87	9.31
तुनीशिया	13.40	12.77	12.40	11.76	11.32	11.26
उरूग्वे	19.12	21.64	19.96	22.37	19.80	20.44
बेनेजुला	17.80	21.73	17.70	17.10	उ.न.	उ.न.
जिम्बाबे	6.76	9.74	12.81	9.87	14.57	15.49
इंडिया/	23.28	22.89	22.83	21.80	21.41	21.13

नोट/स्रोत

1. ऊर्जा शेष और विद्युत प्रोफाइल यू एन प्रकाशन।
2. के.वि.प्रा. द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा।
3. उ.न. - आंकड़े उपलब्ध नहीं है/लागू नहीं है।
4. / वित्तीय वर्षों के लिए।

जैविक आक्रमण

1893. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैविक आक्रमण को विफल करने के लिए सरकार तथा भारतीय रक्षा सेवाओं के पास क्या उपाय उपलब्ध हैं;

(ख) मलेरिया तथा डिम डिम फ्लाइज, काली मक्खी और जोंक के काटने के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन-सी दवाइयां विकसित की गयी हैं;

(ग) क्या रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई डाई इथाइल फेनाइल इस्टेमाइट क्रीम के प्रयोग से दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जैविक आक्रमण विफल करने के लिए, सरकार के पास जो उपाय उपलब्ध हैं उनमें पता लगाना, व्यक्ति की सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा और कारकों का रोगाणुनाशन हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नैदानिक किटों जैसे अनेक उपाय और गैस मास्क, केनिस्टर तथा सूट जैसे व्यक्ति-संरक्षी उपाय विकसित किए हैं। जैवरोधकों का प्रयोग करने वाले ट्रेड में चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध है।

(ख) मलेरिया के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने कोई दवाई विकसित नहीं की है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले ट्रेड में दवाइयां उपलब्ध हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन इस बीमारी को रोकने के लिए मच्छरों, काली मक्खी तथा लीचों के काटने से बचाव करने के वास्ते लार्वानाशी/प्रतिरोधक के रूप में वनस्पति उत्पादों की जांच और मूल्यांकन के संबंध में कार्य करता रहा है।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने कीट विकर्षक डी एथिल फेनिल एक्टामाइड विकसित की है और इसका कोई कुप्रभाव नहीं है।

[अनुवाद]

नि:शक्त लोगों के लिए सुविधाएं

1894. **श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सभी रेल स्टेशनों व जंक्शनों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने हेतु रेलवे को निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का ब्यौरा जारी किया है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने इस संबंध में की गयी कार्रवाई रिपोर्ट को खास अवधि के अंदर प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) कम सुनने वाले एक व्यक्ति द्वारा 1998 में दायर दीवानी रिट याचिका सं० 5053 का निपटान करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 20.12.2001 के निर्णय में न्यायालय ने रेलों को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए स्टेशनों और जंक्शनों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और निर्णय की तिथि से चार महीनों के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों/जंक्शनों पर एक बूथ बना होना चाहिए जिस पर बड़े-बड़े चित्रों द्वारा संकेत दिए गए हों कि यहां पर शारीरिक रूप से अपंग/अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायता उपलब्ध है।

2. बूथ पर एक परिचर तैनात होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर/ट्राली, स्ट्रेचर आदि उपलब्ध कराएं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए मुड़ने वाली छड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सचल रैंप भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें गाड़ी में चढ़ने या उतरने में कोई परेशानी न हो।

3. शारीरिक रूप से अपंग/विक्षिप्त प्रत्येक व्यक्ति या वह व्यक्ति जो नेत्रहीन, गूंगा और/या बहरा है को रियायती टिकट जारी करते समय यात्री का नाम, पता और यात्रा करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से संबंध रखने वाले व्यक्ति के दूरभाष संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त की जानी चाहिए ताकि आपातकाल में उससे सम्पर्क किया जा सके।

4. तत्पश्चात् प्राप्त सूचना के आधार पर रेल प्राधिकारी एक कार्ड मुदित करेंगे जिसमें यात्री का नाम और पता तथा यात्रा करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से संबंध रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता लिखा रहता है ताकि आपातकाल में उससे संपर्क किया जा सके। उस कार्ड में यात्री के चढ़ने वाले स्टेशन और गंतव्य स्टेशन का नाम मोटे अक्षरों में मुदित/टंकित होना चाहिए।

5. रियायती किराए पर यात्रा करने वाले प्रत्येक शारीरिक रूप से अपंग-विक्षिप्त व्यक्ति, नेत्रहीन, बहरे और गूंगे या बीमार व्यक्ति को यात्रा के दौरान कार्ड लेकर चलना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहयात्रियों से सहायता प्राप्त की जा सके।

6. गाड़ी टिकट परीक्षक/गार्ड या संबद्ध कर्मचारी को कार्ड की एक प्रतिलिपि दी जानी चाहिए और शारीरिक रूप से अपंग/विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा गाड़ी में चढ़ने या उतरने या यात्रा के दौरान कोई परेशानी न होने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों की जांच की जा रही है।

रक्षा क्षेत्र में रूस द्वारा निवेश

1895. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे अन्य कौन से देश हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी इच्छा जाहिर की है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोई निर्देश या शर्तें जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वे घरेलू निजी कम्पनियां कौन सी हैं जो रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आगे आयी हैं;

(च) रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(छ) इससे देश को विदेशी मुद्रा बचाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) रूस ने बहु-भूमिका परिवहन विमान के विकास तथा उत्पादन में अपनी कंपनियों द्वारा निवेश की इच्छा व्यक्त की है। किसी अन्य देश ने इस प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है क्योंकि अधिकतर अन्य मामलों में निवेश संबंधी निर्णय संबंधित कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं।

रक्षा उद्योग क्षेत्र को 100% इक्विटी तक भारतीय निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है जिसमें से 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य है और दोनों के लिए लाइसेंस संबंधी अनुमति लेनी होगी। इसमें सभी प्रकार के रक्षा उपस्कर शामिल हैं। लाइसेंस दिए जाने हेतु अनुरोधों पर विचार किए जाने से संबंधित तौर तरीकों के बारे में रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी कंपनियों को स्वयं अथवा उनकी आपस में भागीदार कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने की अनुमति दी गई है। कंपनी/भागीदारी का मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी होना चाहिए। कंपनी/भागीदारी फर्म 26% तक इक्विटी का प्रत्यक्ष/विदेशी निवेश कर सकते हैं। मूल उपस्कर विनिर्माताओं अथवा डिजाइन अवस्थापनाओं तथा आपूर्ति का अच्छा रिकार्ड रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। तथापि, एक विदेशी निवेशक से दूसरे विदेशी निवेशक की इक्विटी हस्तांतरण के लिए तीन वर्ष की समयावधि की पाबंदी होगी तथा इस प्रकार का हस्तांतरण किए जाने से पूर्व विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।

निजी उद्यमियों से प्राप्त सभी आवेदनों पर रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग द्वारा विचार किया जायेगा तथा इससे संबंधित लाइसेंस औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। लाइसेंसधारी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा तथा संरक्षा प्रक्रिया अपनाई जाना अपेक्षित है जिनका प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उत्पाद की गुणवत्ता रक्षा मंत्रालय की गुणवता आश्वासन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

कोई भी स्वदेशी कंपनी, अभी तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित, हथियार, गोलाबारूद के विनिर्माण के लिए आगे नहीं आई है। जहां तक संयुक्त उद्यम का सवाल है, इस प्रकार के वाणिज्यिक निर्णय सरकारी तथा निजी भारतीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा लिए जाने हैं। कोई विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। देश में ऐसा किसी भी निवेश, जिसके फलस्वरूप आयात में बचत होती है, के कारण विदेश मुद्रा व्यय में कमी आयेगी। इस संबंध में कोई परिमाण निर्धारित नहीं किया गया है।

बजट राशि का उपयोग

1896. **श्री रामजी मांझी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विगत तीन वर्षों के दौरान बजट राशि का पूरा उपयोग करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यथानिर्धारित बिजली के उत्पादन के लिए बजट राशि के पूर्ण उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अपने बजट से क्रमशः 98%, 95% और 90.41% का समुपयोजना किया है। अनुमोदित बजट और वास्तविक बजट का वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है। भूवैज्ञानिकी घटनाओं, तीव्र बाढ़, आन्दोलन, संविदात्मक विलम्ब और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाले विलम्बों जैसे घटकों के कारण कुछ मामलों में बजटीय सहायता के समुपयोजन में कुछ बचत हुई है। विद्युत मंत्रालय बजट का यथोचित समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षाएं करता है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल बजट	वास्तविक उपयोगिता	प्रतिशत
1998-1999	3803.09	3728.88	98%
1999-2000	4218.26	4019.77	95%
2000-2001	4172.25	3772.53	90.41%

प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु खोई और सीरा का उपयोग

1897. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
मो० शहाबुद्दीन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने खोई और सीरा का प्राकृतिक गैस में बदलकर उनका उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस के आयात को कम करने के लिए इस उद्यम को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का क्या प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य बिल्कुल आरंभिक चरण पर है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) का उत्तर देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पेट्रोलियम गैस का आयात

1898. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितनी पेट्रोलियम गैस का आयात किया गया;

(ख) देश में विभिन्न अन्वेषण स्थलों पर जल रही/बर्बाद हो रही पेट्रोलियम गैस की राज्यवार मात्रा क्या है;

(ग) क्या भविष्य के लिए गैस भंडारण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में प्राकृतिक गैस का न तो तरलीकृत गैस (एलएनजी) के रूप में और न ही पाइपलाइन के माध्यम से आयात किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान तरलीकृत प्राकृतिक गैस का निम्नवत् आयात किया गया था :-

	वर्ष	मात्रा
		(हजार मीट्रिक टन)
तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1999-2000	1390
	2000-2001	674
समानांतर विपणनकर्ता	1999-2000	197
	2000-2001	178

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्तमान में प्राकृतिक गैस का भंडार नहीं किया जा रहा है। तथापि, एलएनजी के आयात के लिए देश में विभिन्न उद्यमों के द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनलों के पास एलएनजी के भंडारण के लिए व्यवस्थाएं हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्यवार दहन की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा निम्नवत् हैं

(मिलियन घन मीटर में)

राज्य	1999-2000	2000-2001
असम (अरुणाचल प्रदेश तथा राजस्थान सहित)	231	217
गुजरात	421	436
तमिलनाडु	51	74
आंध्र प्रदेश	96	98
त्रिपुरा	—	—
महाराष्ट्र	761	789
योग	1560	1614

[हिन्दी]

रेल टिकटों की बिक्री हेतु ट्रेवल एजेंटों को अनुमति

1899. **श्री ब्रज मोहन राम :**
श्री चिंतामन वनगा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड के धनबाद रेल मंडल सहित सभी राज्यों के अनेक रेल मंडलों के अधीन रेल टिकटों की बिक्री हेतु ट्रेवल एजेंटों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ट्रेवल एजेंटों का कोई पैनल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे ट्रेवल एजेंटों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त मंडल के तहत डाल्टेनगंज एवं गढ़वा में ट्रेवल एजेंटों को नियुक्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (घ) रेल यात्री सेवा एजेन्टों (आर टी एस ए) की नियुक्ति सामान्य यात्रियों की तरह लाइन में खड़े होकर यात्रियों की ओर से टिकट खरीदने के लिए की जाती है। वे टिकट बेचने के प्राधिकृत नहीं है। आरटीएसए की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। किसी विशेष क्षेत्र में आरटीएसए की नियुक्ति के लिए, रेल मंत्रालय ने कुछ नियम बनाए हैं जो उस क्षेत्र में आरक्षण कार्य भार की संभलाई से संबंधित होते हैं। इन नियमों के आधार पर ही आरटीएसए की किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति की जाती है। डाल्टनगंज और गढ़वा में संव्यवहार की संख्या को देखते हुए आर टी एस ए की नियुक्ति को फिलहाल तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्र

1900. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए उनकी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त/विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों की आवश्यकता का आकलन क्या है;

(ख) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्यवार विशेषकर राजस्थान में नए विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के स्थान हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य/एनटीपीसी को ऐसी नई परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि का निवेश उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) 10वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल ने 10वीं योजना के दौरान 46939 मेगावाट संभावित क्षमता का अनुमान लगाया है। 10वीं योजना के दौरान वर्षवार स्थापित किए जाने वाली परियोजनाओं के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

10वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल ने केन्द्रीय व राज्य क्षेत्र के लिए कुल 5,66,273 करोड़ रु. की निधि जरूरत का अनुमान लगाया है जिसमें से उत्पादन स्कीमें 3,23,533 करोड़ रु. की हैं।

विवरण

10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु निर्धारित वर्षवार/क्षेत्रवार अनंतिम लक्ष्य

संयंत्र का नाम	स्थिति	क्षमता (मे.वा.)	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	लाभ 10वीं योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
केन्द्रीय क्षेत्र								
एन.एच.पी.सी.								
चमेरा-II	एस.ओ.जी.	300			300			300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दुलहस्ती	एसओजी	390		390				390
धौलीगंगा	एसओजी	280			280			280
सेवा-II	नयी	120					120	120
उप-जोड़ (एनएचपीसी)		1090	0	390	580	0	120	1090
एन.जे.पी.सी								
नाथपा झाकड़ी	एसओजी	1500		1500				1500
रामपुर	नयी	500					500	500
उप-जोड़ (एनजेपीसी)		2000	0	1500	0	0	500	2000
एन.टी.पी.सी.								
रिहंद-II	एसओजी	1000				500	500	1000
ऊंचाहार-III	नयी	210					210	210
दादरी-II	नयी	490					490	490
उप-जोड़ (एनटीपीसी)		1700	0	0	0	500	1200	1700
टीएचडीसी								
टिहरी-I	एसओजी	1000	250	750				1000
कोटेश्वर	एसओजी	400				400		400
टिहरी पीएसएस	केविप्रा	1000				500	500	1000
उप-जोड़ (टीएचडीसी)		2400	250	750	0	900	500	2400
कुल उक्षे (केन्द्रीय क्षेत्र)		7190	250	2640	580	1400	2320	7190
राज्य क्षेत्र								
दिल्ली								
प्रगति (जीटी2-एसटी)	एसओजी	225.78	225.78					225.78
उप-जोड़ (दिल्ली)		225.78	225.78	0	0	0	0	225.78
हरियाणा								
डब्लू वाई सी	एससी	14.4	14.4					14.4
पानीपत यू 7 व 8	नयी	500					500	500
उप-जोड़ हरियाणा		514.4	14.4	0	0	0	500	514.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश								
लार्जी	126	126			126			126
यूएचएल-III	नयी	100					100	100
कौली	नयी	9				9		9
सियूल	नयी	13					13	13
गानवी-II	नयी	8					8	8
शालवी	नयी	7					7	7
कशंग	एससी	66					66	66
उप-जोड़ (हि.प्र.)		329	0	0	126	9	194	329
जम्मू व कश्मीर								
अपर सिंध	एसओजी	35	35					35
बग्घा लिहार	केविप्रा	450					450	450
उप-जोड़ (जम्मू व कश्मीर)		485	35	0	0	0	450	485
पंजाब								
जीएचटीपीपी-II	एसओजी	500					500	500
शाहपुर कंडी	एसओजी	168					168	168
मुकेरियन (एमएचपी)-II	नयी	16					16	16
उप-जोड़ (पंजाब)		684	0	0	0	0	684	684
राजस्थान								
सूरतगढ़-II	एसओजी	250	250					250
रामगढ़-II	केविप्रा	75	37	38				75
मताहनिया सीसीपीसी	केविप्रा	140			140			140
कोटा टीपीएस स्टे-IV	नयी	195		195				195
सूरतगढ़-III	केविप्रा	250		250				250
गिरल	नयी	250				250		250
जखम	एसओजी	5				5		5
उप-जोड़ (राजस्थान)		1165	287	483	140	255	0	1165

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश								
परिथा विस्तार	नयी	420					210	210
अनपारा सी	केविप्रा	1000					500	500
उप-जोड़ (यू.पी.)		1420	0	0	0	0	710	710
उत्तरांचल								
मनेरीबाली-II	केविप्रा	304					304	304
उप-जोड़ (उत्तरांचल)		304	0	0	0	0	304	304
कुल उ.क्षे. (राज्य योग)		5127.18	562.18	483	266	264	2842	4417.18
निजी क्षेत्र								
पंजाब								
गोड्डेवाला साहिब	नयी	500					500	500
उप-जोड़ (पंजाब)		500	0	0	0	0	500	500
हिमाचल प्रदेश								
बालपा	केविप्रा	300		300				300
धमवाडी सुन्दा	केविप्रा	70				70		70
नीओगल	केविप्रा	15				15		15
पतिकरी	नयी	16				16		16
फोजल	नयी	6				6		6
सैंज	नयी	5.5				5.5		5.5
साल-I	नयी	6.5				6.5		6.5
लम्बाडग	नयी	15					15	15
उप-जोड़ (एच.पी.)		434	0	300	0	119	15	434
राजस्थान								
चंबल सीसीजीटी	एससी	166					166	166
बरसीगसर	केविप्रा	500					250	250
उप-जोड़ (राजस्थान)		666	0	0	0	0	416	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश								
रोजा	सीईए	567					567	567
उप-जोड़ (यू.पी.)		567	0	0	0	0	567	567
उत्तरांचल								
विष्णु प्रयाग		400					400	400
श्रीनगर		330				330		330
उप-जोड़ (उत्तरांचल)		730	0	0	0	330	400	730
कुल उ.क्षे. निजी क्षेत्र		2897	0	300	0	449	1898	2647
कुल उ.क्षे.		15214.2	812.18	3423	846	2113	7060	14254.18
पश्चिमी क्षेत्र								
केन्द्रीय क्षेत्र								
एनपीसी								
तारापुर यू 3 व 4	एसओजी	1080				540	540	1080
उप-जोड़ (एनपीसी)		1080	0	0	0	540	540	1080
एनटीपीसी								
सीपत-I	सीईए	1980				600	1380	1980
विंध्याचल-III	नयी	1000					500	500
उप-जोड़ (एनटीपीसी)		2980	0	0	0	600	1880	2480
एनएचपीसी								
बाव-I	नयी	18				18		18
बाव-II	नयी	37				37		37
उप-जोड़ (एनएचपीसी)		55	0	0	0	55	0	55
एनएचडीसी								
6 ओमकरेश्वर	सीईए	520					520	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंदिरा सागर	एसओजी	1000		125	750	125		1000
उप-जोड़ (एनएचडीसी)		1520	0	125	750	125	520	1520
उप-जोड़ प.क्षे. (केन्द्रीय क्षेत्र)		5635	0	125	750	1380	2880	5135
राज्य क्षेत्र								
गुजरात								
सर. सरोवर-2	एसओजी	1450	1450					1450
अकीमोटा	सीईए	250	125	125				250
सिक्का	नयी	500					500	500
केरूल टीपीएस (पान)	नयी	75					75	75
धुवरन	नयी	106.6			106.6			106.6
उप-जोड़ (गुजरात)		2381.6	1575	125	106.6	0	575	2381.6
महाराष्ट्र								
घटघोर	एसओजी	250			250			250
पारली टीपीपी एक्स.	एसओजी	250			250			250
उप-जोड़ (महाराष्ट्र)		500	0	0	500	0	0	500
छत्तीसगढ़								
कोम्बा वेस्ट एक्स.	नयी	500					250	250
महानदी	नयी	10					10	10
उपजोड़ (छत्तीसगढ़)		510	0	0	0	0	260	260
मध्य प्रदेश								
बिरसिंगपुर विस्तार	नयी	500						500
माटीखेड़ा	एससी	40			40			40
बनसागर-I	एसओजी	30	30					30
बनसागर-IV	एसओजी	20		20				20
बारगी	नयी	10				10		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंदिरा सागर एलबीसी	नयी	15			5	10		15
रानी अवंती बाई	एससी	10			5	5		10
उप--जोड़ (म.प्र.)		625	30	20	50	25	500	625
कुल प.क्षे. (राज्य क्षेत्र)		4016.6	1605	145	656.6	25	1335	3766.6
निजी क्षेत्र								
गुजरात								
हजीरा	सीईए	156						156
जामनगर	सीईए	500	156		500			500
पिपावव	नयी	2000					1000	1000
उप--जोड़ (गुजरात)		2656	156	0	500	0	1000	1656
मध्य प्रदेश								
महेश्वर	सीईए	400				240	160	400
बीना	सीईए	578			578			578
गुना	सीईए	330			330			330
उप-जोड़ (म.प्र.)		1308	0	0	908	240	160	1308
महाराष्ट्र								
डाभोल-II	एसओजी	1444	1444					1444
उप-जोड़ (महाराष्ट्र)		1444	1444	0	0	0	0	1444
उप-जोड़ प.क्षे. (निजी क्षेत्र)		5408	1600	0	1408	240	1160	4408
कुल प.क्षे.		15059.6	3205	270	2814.6	1645	5375	13309.6
दक्षिणी क्षेत्र								
केन्द्रीय क्षेत्र								
एनएलसी								
नेवेली विस्तार	एसओजी	210	210					210
नेवेली-II एक्स.	नयी	500					500	500
उप-जोड़ (एनएलसी)		710	210	0	0	0	500	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनपीसी								
कायगा यू-3	एसओजी	220					220	220
उप-जोड़ (एनपीसी)		220	0	0	0	0	220	220
एनटीपीसी								
सिम्हाद्री	एसओजी	1000	500					500
रामागुडम-III	एसओजी	500				500		500
उपजोड़ (एनटीपीसी)		1500	500	0	0	500	0	1000
एनएचपीसी								
अपर कृष्णा	नयी	810					810	810
उप-जोड़ (एनएचपीसी)		810	0	0	0	0	810	810
उप-जोड़ द.क्षे. (केन्द्रीय क्षेत्र)		3240	710	0	0	500	1530	2750
राज्य क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश								
रायलसीमा-II	एसओजी	420					420	420
श्रीसेलम एलबीपीएफ	एसओजी	450	450					450
जुटाला प्रिया	सीईए	235					78.2	78.2
उप-जोड़ (आ.प्र.)		1105	450	0	0	0	498.2	948.2
कर्नाटक								
रायचूर-7	सीईए	210	210					210
अलमाती डैम	नयी	290		165	125			290
उप-जोड़ (कर्ना.)		500	210	165	125	0	0	500
केरल								
कुटियाडी अग.	नयी	100			100			100
कुटियाडी टीआर	एसओजी	3.75			3.75			3.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मलकारा	एसओजी	10.5	10.5					10.5
अदिरापल्ली	सीईए	163			163			163
उप-जोड़ (केरल)		277.25	10.5	0	266.75	0	0	277.25
तमिलनाडु								
नेवेली जीटी	एसओजी	250	250					250
उप-जोड़ (त.ना.)		250	250	0	0	0	0	250
उप-जोड़ द.क्षे. (निजी क्षेत्र)		3607	358	669	1035	532	506.6	3100.6
दक्षिणी क्षेत्र		9264.25	1788.5	934	1516.75	1227	2634.8	8101.05
पूर्वी क्षेत्र								
केन्द्रीय क्षेत्र								
डीवीसी								
मैथन-आर 1 व 2	नयी	500				500		500
मैथन-आर 3 व 4	नयी	500					500	500
मेजिया-यू 4	नयी	210			210			210
चन्द्रपुर-यू 7	नयी	250				250		250
बोकारो-बी	नयी	210					210	210
दुर्गापुर यू 5	नयी	250					250	250
उप-जोड़ (डीवीसी)		1920	0	0	210	750	960	1920
एनएचपीसी								
तीस्ता-V	एसओजी	510					510	510
फरक्का बैरेज	सीईए	125					125	125
पुरलिया पीएसएस	एसओजी	900					900	900
तीस्ता लो डैम-III	नयी	132					132	132
तीस्ता लो डैम-IV	नयी	168					168	168
उप-जोड़ (एनएचपीसी)		1835	0	0	0	0	1835	1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनटीपीसी								
तलचेर-II	एसओजी	2000		500	500	1000		2000
नार्थ-क पुरा	नयी	1980					660	660
कहलगांव	नयी	1320					660	660
बरह	नयी	1980					660	660
उप-जोड़ (एनटीपीसी)		7280	0	500	500	1000	1980	3980
उप-जोड़ पू.क्षे. (केन्द्रीय क्षेत्र)		11035	0	500	710	1750	4775	7735
राज्य क्षेत्र								
झारखंड								
नार्थ कोयल	एसओजी	24	24					24
तेनुघा एक्स.	एसओजी	630					630	630
उप-जोड़ (झारखंड)		654	24	0	0	0	630	654
उड़ीसा								
बालीमेला	सीईए	150					150	150
उप-जोड़ (उड़ीसा)		150	0	0	0	0	150	150
सिक्किम								
रोलेप-I	एससी	9		9				9
उप-जोड़ (सिक्किम)		9	0	9	0	0	0	9
पश्चिम बंगाल								
बंकटेश्वर 4 व 5	नयी	420				420		420
जलढाका एक्स.		13			13			13
उप-जोड़ (प. बंगाल)		433	0	0	13	420	0	433
उप-जोड़ पू.क्षे. (राज्य क्षेत्र)		1246	24	9	13	420	780	1246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
निजी क्षेत्र								
बिहार								
बिहटा टीपीएस	नयी	135					135	135
उप-जोड़ (बिहार)		135	0	0	0	0	135	135
झारखंड								
जोजोबेरा	नयी	120					120	120
उप-जोड़ (झारखंड)		120	0	0	0	0	120	120
उप-जोड़ पू.क्षे. (निजी क्षेत्र)		255	0	0	0	0	255	255
कुल पूर्वी क्षेत्र		12536	24	509	723	2170	5810	9236
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
केन्द्रीय क्षेत्र								
नीपको								
तुरियल		60					60	60
कोपिली-II		25						25
त्रिपुरा गैस	नयी	500		25			500	500
उप-जोड़ (नीपको)		585	0	25	0	0	560	585
उप-जोड़ (एन.ई.आर.) (केन्द्रीय क्षेत्र)		585	0	25	0	0	560	585
राज्य क्षेत्र								
असम								
करवी लांगवी		100		100				100
धनसिरी	एसओजी	20			20			20
लकवा डब्ल्यू एच	एससी	38					38	38
उप-जोड़ (असम)		158	0	100	20	0	38	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय								
मिन्टडू (लिस्का)	केविप्रा	84					84	84
बिरनीहाट	नयी	24		24				24
मेन्दीपाथर	एससी	24		24				24
उप-जोड़ (मेघालय)		132	0	48	0	0	84	132
मिजोरम								
सेरलुई-बी	एसओजी	12			12			12
बैराबी	नयी	20		20				20
उप-जोड़ (मिजोरम)		32	0	20	12	0	0	32
त्रिपुरा								
बरमूरा (जीटी)	एससी	21	21					21
उप-जोड़ (त्रिपुरा)		21	21	0	0	0	0	21
उप-जोड़ (एनइआर) (राज्य क्षेत्र)		343	21	168	32	0	122	343
निजी क्षेत्र								
असम								
आमगुडी सीसीजीटी	एससी	90				60	30	90
उप-जोड़ (असम)		90	0	0	0	60	30	90
उप-जोड़ (एन.इ.आर.) (निजी क्षेत्र)		90	0	0	0	60	30	90
कुल एन.इ.आर.		1018	21	193	32	60	712	1018
भूटान								
ताला	एसओजी	1020			510	510		1020
ताला समेत अखिल भारत		54112	5850.68	5329	6442.35	7725	21591.8	46938.83

[हिन्दी]

लम्बित गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र

1901. श्री मनसुखभाई डी० वसावा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक इन प्रस्तावों को यथारूप अनुमोदित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उनके अनुमोदन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। सीईए ने प्राप्त 8 गैस आधारित विद्युत परियोजना प्रस्ताव आवश्यक निवेशों के अभाव में वापस कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक निवेश/स्वीकृतियों के पश्चात इन परियोजनाओं को तकनीकी/आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु हाथ में लिया जाता है।

विवरण-I

सीईए में जांचाधीन गैस आधारित थर्मल पावर संयंत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना/राज्य (जिला का नाम)	क्षमता (मेगावाट)	डीपीआर प्राप्ति की तारीख	लंबित निवेश
1.	राजगढ़ सीसीपीपी मैसर्स आल्पीन पावर सिस्टम लि. जिला-राजगढ़, मध्य प्रदेश (न्यायालयाधीन)	343.48	10.3.1997	– विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) का अनुपालन ई(एस) अधिनियम की धारा 29(3) के अन्तर्गत संशोधित क्षमता तथा लागत के लिए शुद्धि पत्र। – संशोधित क्षमता अभिप्रमाणन के लिए ई(एस) अधिनियम की धारा 18(ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार की सहमति – विद्युत निकासी और स्विचयार्ड में आउटलेटों की संख्या – ईंधन परिवहन स्वीकृति का अभिप्रमाणन – 343.48 मेगावाट संशोधित क्षमता के लिए ईंधन संपर्क
2.	वल्थुर (पेरूंगलम) सोसीसीटी (टीएनईबी) जिला-रामनद, तमिलनाडु	94	जुलाई, 2000	टीईसी के लिए 12.12.2001 को स्कीम पर विचार किया गया। एमओई एण्ड एफ स्वीकृति के पश्चात टीईसी पर विचार किया जाएगा।

विवरण-II

सीईए में प्राप्त गैस/नाप्था आधारित विद्युत परियोजनाओं और आवश्यक निवेश/स्वीकृतियों के अभाव में वापस की गई परियोजना प्रस्तावों की ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना/राज्य (जिला का नाम)	क्षमता (मेगावाट)	डीपीआर प्राप्ति की तारीख	लंबित निवेश/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	झाबुआ सीसीजीटी मैसर्स केडिया पावर लि. जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश	360	अप्रैल, 99	संशोधित जल आबंटन (राज्य), सीडब्ल्यूसी स्वीकृति/राज्य वन विभाग, एसपीसीबी तथा एमओई एण्ड एफ. स्वीकृत, 194.3 हेक्टेयर भूमि जलापलावन के निमित

1	2	3	4	5
2.	नंजनगुड सीसीपीपी मैसर्स आईपीएस पावर कंपनी, कर्नाटक	96.7	मार्च, 97	पूर्ण की गई पूंजीगत लागत से संबंधित अन्य मुद्दे तथा कावेरी अंत: राज्य पहलुओं सहित जल उपलब्धता के लिए सीडब्ल्यूसी स्वीकृत के अभाव में स्कीम अक्तूबर, 2001 को सीईए को वापस कर दी गई है।
3.	हसन में नाप्था आधारित सीसीपीपी मैसर्स हसन पावर सप्लाई कंपनी कर्नाटक	200	दिसंबर, 97	लंबित निवेश/स्वीकृतियां-केन्द्रीय भूमि-जल प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कर्नाटक सरकार की नई आईपीपी नीति के अनुसार नाप्था आधारित परियोजनाओं को राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। बकाया मुद्दों यथा संशोधित जल स्कीम/लागत अनुमान तथा नाप्था उपयोग राज्य के भीतर सीमित किया जाएगा। इन बकाया मुद्दों के समाधान के पश्चात स्कीम को टीईसी देने पर विचार किया जाएगा।
4.	बिड़ाडी सीसीपीपी मैसर्स केपीसी विडाडी पावर कारपोरेशन लि. (संयुक्त उपक्रम केपीसीएल तथा यूएनओसीएएल, यूएसए के बीच), जिला बंगलौर, कर्नाटक	2X214 जीटी (साइट आउटपुट) +1X234 मेगावाट, एसटी 662 मेगावाट	सितंबर, 2001	– गैस लिंकेज – ईंधन परिवहन – जल उपलब्धता (राज्य) – एएआई से एनओसी – एसपीसीबी से स्वीकृति – एमओई एण्ड एफ. स्वीकृति – आईसीबी मार्ग के जरिए ईपीसी ठेकेदार का चयन और राज्य सरकार द्वारा इसका अनुमोदन। सीईए ने नवम्बर, 2001 में स्कीम वापस कर दी है। केबीपीसीएल को सीईए के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों/स्वीकृतियों के साथ नया प्रस्ताव/संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।
5.	एलएनजी आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना मैसर्स वैस्को पावर जनरेशन लि., जिला - बेलगाम, कर्नाटक	483	जनवरी, 2001	एनएनजी सुनिश्चितता जल उपलब्धता - राज्य जल उपलब्धता - केन्द्र एमओई एण्ड एफ. स्वीकृति ईपीसी ठेकेदार का निर्णयन और राज्य सरकार का अनुमोदन सीईए द्वारा 27.4.2001 को स्कीम वापस की गई।
6.	जगरूपाडु सीसीजीटी विस्तार मैसर्स जीवीके इन्डस्ट्रीज लि., जिला-पूर्व गोदावरी, आ.प्र.	230	मार्च, 2001	लंबित निवेश/स्वीकृतियां आईसीबी मार्ग के जरिए ईपीसी ठेकेदार की पुष्टि और चयन। जल उपलब्धता केन्द्र सीईए द्वारा 14.5.2001 को स्कीम वापस कर दी गई।

1	2	3	4	5
7.	संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट कोनासीमा मैसर्स ईपीएस ओकवैल पावर लि. (केईओपीएल), जिला-पूर्व गोदावरी, आ.प्र.	445	दिसंबर, 2000	लंबित निवेश/स्वीकृतियां *पूर्ण क्षमता के लिए ईंधन संपर्क (360 मेगावाट के लिए गैस की पुष्टि) *जल उपलब्धता - राज्य तथा केन्द्र (सीडब्ल्यूसी) *एनएए स्वीकृति एसपीसीबी स्वीकृत, एमओई एण्ड एफ स्वीकृत आन्ध्र प्रदेश सरकार को नए सिरे से प्रतिस्पर्द्धी बोलियां आमंत्रित करनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ सीईए ने परियोजना वापस कर दी।
8.	कुट्टलम संयुक्त साईकिल-टरबाइन, पावर परियोजना मैसर्स टी. एण्ड ई.बी. जिला-नागापटिनम, तमिलनाडु	100	मई, 2001	लंबित निवेश/स्वीकृतियां *जल उपलब्धता (राज्य) *जल उपलब्धता (केन्द्र) *एमओई एण्ड एफ स्वीकृति गैस लिंकेज (वर्तमान लिंकेज फाल बैक आधार पर हैं) सीईए ने आवश्यक निवेश सुनिश्चित न हो पाने के कारण 18.7.2001 तथा 4.12.2001 को स्कीम वापस कर दी।

इरकॉन विमान का दुरुपयोग

1902. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 2001 के 'दि स्टेट्समेन' में 'रेलवेज मिसयूज्ड इरकॉन एअरक्राफ्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ठ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए इरकॉन का विमान अनेक बार किराए पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में विमान के ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मीडिया के लिए कानून बनाना

1903. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित मीडिया के सभी वर्गों को एक परिषद के अंतर्गत लाने के लिए कोई विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने इस संबंध में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या निजी टी.वी. चैनल ऐसे किसी कदम का विरोध कर रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों को कवर करने के लिए नवम्बर, 2000 में एक मीडिया परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया था।

(ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जोधपुर में सड़क उपरिपुल/सड़क अधोगामी पुलों का निर्माण

1904. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जोधपुर जिले में उपरिपुल और सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु राजस्थान सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1. समपार सं. 206 के बदले बसनी औद्योगिक क्षेत्र पर ऊपरी सड़क पुल – सामान्य आलेख प्रबंधन (जीएडी) को रेलवे द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकार से सार अनुमान की प्रतीक्षा है।

2. समपार सं. सी-11 के बदले ऊपरी सड़क पुल – राज्य सरकार से संशोधित सामान्य आलेख प्रबंधन की प्रतीक्षा है।

3. समपार सं. सी-1 के बदले रासल रोड पर ऊपरी सड़क पुल – राज्य सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रेल डकैतियां

1905. डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान हुई रेल डकैतियों का महीनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन राज्यों में सर्वाधिक रेल डकैतियां हुई हैं;

(ग) इस संबंध में बिहार और झारखण्ड की स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० राजगोपाल) : (क) "पुलिस व्यवस्था" राज्य का विषय होने के नाते चलती गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध भी शामिल है, की रोकथाम और पता लगाना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले वर्ष अर्थात 2001 के दौरान गाड़ियों में चोरियों की संख्या माहवार निम्नलिखित है :-

महीना	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
जनवरी	13
फरवरी	14
मार्च	12
अप्रैल	11
मई	14
जून	21
जुलाई	23
अगस्त	23
सितम्बर	17
अक्तूबर	19
नवम्बर	22
दिसम्बर	20

(ख) और (ग) वर्ष 2001 के दौरान गाड़ियों में सर्वाधिक चोरियां गुजरात राज्य में हुई और इस मामले में बिहार और झारखंड का क्रमशः 5वां एवं 6ठा स्थान था।

(घ) यद्यपि चलती गाड़ियां सहित रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है, फिर भी रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. रेल परिसरों तथा गाड़ियों में से समाज विरोधी तत्वों को हटाया जाता है।

2. कोच परिचर/चल गाड़ी परीक्षक सवारी डिब्बों में प्रवेश करते/उतरते हुए यात्रियों पर उचित निगरानी रखते हैं।

3. गाड़ी में यात्रियों द्वारा उन्हें तत्काल रपट दर्ज कराने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/रे.सु.ब. के पास प्राथमिकी सूचना रपट के फार्म उपलब्ध कराए गए हैं।

4. सभी स्तरों पर रे.सु.ब. तथा रा.रे.पु. के बीच विशेष आसूचना तथा अपराध आसूचना का आदान प्रदान किया जाता है।

5. यात्रियों को उनके सामान इत्यादि की चोरी के बारे में सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन तथा जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए उद्घोषणाएं की जाती हैं।

6. यात्रियों को राजकीय रेल पुलिस के पास प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रे.सु.ब. सहायता बूथ उपलब्ध कराए गए हैं।

7. उपयुक्त निवारक उपाय करने की दृष्टि से अपराध स्थिति के विश्लेषण हेतु राजकीय रेल पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बिचौलियों पर से प्रतिबंध हटाना

1906. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले साल के दौरान रक्षा क्षेत्र में बिचौलियों के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिचौलियों पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद उनका प्रत्युत्तर खराब रहा है जैसा कि 18 फरवरी, 2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या बिचौलियों के खराब प्रत्युत्तर के कारण रक्षा मंत्रालय विभिन्न प्रकार के मदों को हासिल करने में समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिचौलियों के माध्यम से तथा उनके बगैर ही विभिन्न मदों की खरीद हेतु अपनाए जाने वाली रणनीति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) विदेशी आपूर्तिकारों द्वारा अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए नियोजित प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों/अथवा बिक्री परामर्शदाताओं से कानूनी रूप से निभाई जाने वाली भूमिका, यदि कोइ हो, तय करने का मामला कुछ समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। हाल ही में ऐसे प्रतिनिधियों/एजेंटों को विदेशी आपूर्तिकर्त्ता या आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के अवसर, सीमा तथा शर्तों को तय करने के उद्देश्य से समग्र नीति की गहन समीक्षा की गई है।

इस समीक्षा के आधार पर तथा संपूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए और यह महसूस करते हुए प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों के होने से सुपुर्दगी करने और बाद की संविदागत बाध्याताओं की अनुवर्ती कार्रवाई करने में सुधार होगा, रक्षा मंत्रालय ने विदेशी आपूर्तिकारों के भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में 2 नवंबर, 2001 को अनुपूरक अनुदेश जारी किए हैं।

इस मामले पर 18 फरवरी, 2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है। यह सूचित किया गया है कि इस प्रकार की विनियामक व्यवस्था से एजेंट चिंतित हैं। रक्षा मंत्रालय को इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के लिए विभिन्न फर्मों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय को सेनाओं के लिए उपस्कर हासिल करने में कोई समस्या नहीं आ रही हैं क्योंकि एक विस्तृत खरीद प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान है। यह प्रक्रिया 1992 से सफलतापूर्वक लागू की जा रही है तथा इसकी सफलता प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति पर निर्भर नहीं होगी।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सूचना, तकनीकी ब्यौरे और साहित्य की उपलब्धता, परीक्षण मूल्यांकन तथा संविदा के बाद के ब्यौरे के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई में सहायता की जाएगी। फिलहाल, मूल उपस्कर निर्माताओं द्वारा सीधे ही विदेशों से ये कार्यकलाप किए जा रहे हैं। मूल उपस्कर निर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी इस प्रक्रिया को सुकर बनाएगी।

पाकिस्तानी मछुआरों की घुसपैठ

1907. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान पश्चिमी समुद्र तट में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा कराई गई पाकिस्तानी मछुआरों की घुसपैठ की कुल कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या घुसपैठिए देश में आतंकवादियों को हथियार, गोलाबारूद और स्वापकों आदि की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र को जोड़ने वाले पश्चिमी समुद्र तट की ऐसी घुसपैठ से रक्षा करने के लिए कुछ प्रभावकारी कदम उठाए हैं;

(घ) क्या भविष्य में पाकिस्तान राष्ट्रपति के साथ ऐसे मुद्दों पर चर्चा किए जाने का प्रस्ताव है, जब कभी उनके साथ बैठक का अवसर आएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) पाकिस्तानी नौसेना द्वारा पश्चिमी समुद्र तट में पाकिस्तान मछुआरों की घुसपैठ कराए जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, तटरक्षक बल द्वारा भारतीय समुद्र में पकड़ी गई पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं आदि का ब्यौरा नीचे किया गया है :-

वर्ष	नौका	कार्मिक दल
1999	06	68
2000	16	180
2001	02	25

(ख) तटरक्षक बल द्वारा पकड़ा गया कोई भी मत्स्य यान/नौका किसी तरह का शस्त्र/गोलाबारूद/मादक द्रव्य ले जाता हुआ नहीं पाया गया।

(ग) तटरक्षक बल, नौसेना के साथ सहयोग करके तटीय सुरक्षा के लिए सतत् चलनेवाली संक्रिया के हिस्से के रूप में पश्चिमी तट का गश्त लगाती है।

(घ) और (ङ) सरकार, पाकिस्तान के साथ बातचीत पुन: आरंभ होते ही सभी मामलों पर समुचित स्तर पर चर्चा करने के लिए वचनबद्ध है।

सैन्य वाहनों को ले जाना

1908. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए सैन्य वाहनों को ले जाने के लिए ठेका दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेके स्वीकृत करने पर कितनी राशि का व्यय हुआ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सेना के लिए वाहन तीन स्रोतों से अधिप्राप्त किए जा रहे हैं अर्थात् आयुध निर्माणी बोर्ड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा ट्रेड (निजी क्षेत्र) सभी स्रोतों से वाहनों को आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा परेषिति डिपुओं तक पहुंचाया जाना अपेक्षित है।

संविदाओं की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निजी विक्रेताओं द्वारा वाहनों को परेषिति डिपुओं तक अपनी व्यवस्था के तहत पंहुचाया जाता है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से वाहनों को परेषिति डिपुओं तक रेल द्वारा मिलिट्री क्रेडिट नोट पर भेजा जाता है। आयुध निर्माणी बोर्ड के मामलें में, अधिकतर वाहन रेल द्वारा मिलिट्री क्रेडिट नोट पर भेजे जाते हैं जबकि आयुध निर्माणी बोर्ड की अपनी व्यवस्था के अनुसार कुछ वाहन सड़क मार्ग से भी भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

चीनी सेना की गतिविधि

1909. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बढ़ते तनाव से भारतीय सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षित रिक्तियों को भरा जाना

1910. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित कमश: 15%, 7.5% एवं 27% के आरक्षण स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न संवर्गों में समूह 'क' के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(घ) डी०ओ०पी०टी० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या/कितना है; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों एवं सामान्य वर्गों के लोगों द्वारा भरी गई रिक्तियों/पदों की वर्षवार संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायालयों में अवकाश

1911. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश काल से ही न्यायालयों में ग्रीष्मावकाश की परंपरा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में केन्द्र सरकार सहित उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में कुल कितने दिनों का अवकाश होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाए मामलों के निपटान के लिए न्यायालयों में अवकाश की इस प्रथा को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्षभर में भारत के उच्चतम न्यायलय में 222 कार्य दिवस होते हैं। देश के सभी उच्च न्यायालयों में सामान्यतया वर्ष भर में 210 कार्य दिवस होते हैं और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य दिवसों का विनियमन संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हर सप्ताह पांच कार्य दिवस होते हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में एक वर्ष में सत्रह राजपत्रित तथा दो वैकल्पिक छुट्टियां होती हैं।

(ग) और (घ) न्यायालयों में छुट्टियों की कटौती/बंद करने के प्रश्न पर पूर्व में भी विचार किया गया था, किन्तु न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के लिए दूभर कार्य की प्रकृति के कारण इसे संभव या सलाह योग्य पाया गया।

जुलाई, 2001 में न्याय विभाग ने उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों की संख्या और उनकी छुट्टियों में कटौती करने के संबंध में उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए थे। अब तक दस उच्च न्यायालयों और पांच राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने एक वर्ष में अपने कार्य दिवस 210 से बढ़ाकर 224 कर दिए हैं जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 210 से बढ़ाकर 214 कार्य दिवस किए हैं। अन्य उच्च न्यायालय अपने कार्य दिवस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन पांच राज्य सरकारों में से, जिन्होंने अब तक उत्तर दिए हैं, मिजोरम सरकार ने एक वर्ष में उच्च न्यायालय में 210 कार्य दिवसों की वर्तमान सीमा का समर्थन किया है; महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान सरकार ने अपने-अपने उच्च न्यायालय में वार्षिक कार्य दिवस बढ़ाए जाने का पक्ष लिया है और मेघालय सरकार को उच्च न्यायालय के कार्य दिवस बढ़ाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परामर्श करने की यह प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

विभिन्न रेलवे जोनों में बुक किये गए सामानों की चोरी

1912. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद रेलवे जोनों में बुक किये गये सामानों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेल्फ लोडिंग राइफल की आपूर्ति नहीं किया जाना

1913. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 में अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा सितम्बर, 1993 में अग्रिम भुगतान किये जाने के बाद भी केन्द्रीय आयुध भंडार, जबलपुर ने 12.71 करोड़ रुपये की सेल्फ लोडेड राइफलों की आपूर्ति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या निरीक्षण संघ ने पाया है कि 60 प्रतिशत एस एच आर पुराने, मरम्मत किये गए और स्वीकार्य नहीं थे;

(ग) क्या निरीक्षण दल की विपरीत टिप्पणियों के बावजूद सितम्बर, 1993 में भी ओ डी, जबलपुर की स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह भुगतान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 5.56 मि मी इंसास (आई एन एस ए एस) राइफलों को सेना में शामिल किए पर 'सेल्फ लोडिंग राइफलें', जो सीमा सुरक्षा बल को जारी की जानी थीं, सेना से वापस ले ली गई थीं और वे इस्तेमाल हो चुकी होने के बावजूद मरम्मत योग्य थीं। सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधियों द्वारा ये राइफलें इस तर्क पर नामंजूर कर दी गई कि यद्यपि ये शस्त्रास्त्र मरम्मत योग्य तो हैं तथापि इस्तेमाल की हुई हैं। चूंकि सीमा सुरक्षा बल को दिए जाने के लिए मरम्मत योग्य नई राइफलें उपलब्ध नहीं थीं इसलिए उन्होंने जो पेशगी राशि अदा की हुई थी उसके तहत सीमा सुरक्षा बल को गोला-बारूद देने की पेशकश की गई जिस पर सीमा सुरक्षा बल सहमत हो गया।

(ग) जी, हां। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा इस राशि का आहरण किया गया था और पेशगी के रूप में इसे आयुध निर्माणी डिपो, जबलपुर को अदा किया गया था।

(घ) और (ङ) ऊपर (ख) और (ग) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए, इस संबंध में केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर में किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

एपीएम समाप्त होने के बाद ओआईडीबी की स्थिति

1914. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एपीएम समाप्त होने के बाद ओआईडीबी की प्रासंगिकता क्या है;

(ख) क्या ओआईडीबी के लाभ निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की स्थापना तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए अनुसार तेल उद्योग शब्द में खनिज तेल के पूर्वेक्षण अथवा खोज अथवा उत्पादन, परिशोधन, संसाधन परिवहन, भडारण, संभलाई और विपणन, सभी उत्पादों का उत्पादन और विपणन, तेल शोधन कारखाने के डाऊनस्ट्रीम और उर्वरकों और पेट्रो-रसायनों का उत्पादन और इनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सभी क्रियाकलाप शामिल हैं।

ओआईडीबी प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (एपीएम) की समाप्ति के बाद भी उपयुक्त प्रयोजना के लिए अपनी सहायता देना जारी रखेगा। तेल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का निर्णय ओआईडीबी द्वारा मामला दर मामला आधार पर किया जाता है जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं के अध्यधीन होता है।

[हिन्दी]

शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा

1915. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु शेयर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिये बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों के निवारण में तीन महीने छः महीने नौ महीने और एक वर्ष का समय लगा;

(ग) क्या सरकार निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतों के निवारण हेतु कोई नियम बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) लघु शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने एक निवेशक संरक्षण सैल की स्थापना की है जो मुख्य रूप से शेयर/ऋणपत्र/आवेदन राशि के आबंटन/अंतरण, वापसी के बाद शेयरों/ऋणपत्र प्रमाण पत्रों की गैर प्राप्ति, लाभांश/ब्याज वारंट की गैर प्राप्ति तथा गैर-दावाकृत लाभांश आदि की गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ऐसी सभी शिकायतों की पावती भेजी जाती है और निपटान के लिए संबंधित कम्पनियों के साथ सम्पर्क किया जाता है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 33912 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 14768 शिकायतों का निपटान किया गया। जहां शिकायतों का निवारण इस विभाग द्वारा किए जाने योग्य नहीं होता है, उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया जाता है। यदि कम्पनियों के द्वारा शिकायतों का निपटान एक उपयुक्त समय में नहीं किया जाता है तो कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस्पात उद्योग के विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1916. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के इस्पात उद्योगों में कार्यशील विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) इस समय सरकार इस्पात संयंत्रों के विद्युत संयंत्रों के विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित विद्युत संयंत्रों का स्वत्वहरण और संयुक्त उद्यम में परिवर्तित किया जा चुका है तथा भिलाई विद्युत संयंत्र के स्वत्वहरण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)

1917. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से तरलीकृत गैस (एलएनजी) उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ताकि वे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आधारित केन्द्रीय उत्पादक स्टेशन स्थापित कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित केन्द्रीय उत्पादक स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने वाली राज्य सरकारों को पर्याप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) प्रदान करना सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आता है। निजी अभिक्रमों सहित अनेक अभिक्रमों को भारत में एलएनजी का आयात करने और पुन: गैसीकरण संविधाओं वाले एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना करने और अन्त्य: ग्राहकों को सीधे पुनर्गैसीकृत एलएनजी का वितरण करने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन प्राप्त है। ऐसे अभिक्रमों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। गुजरात में और केरल में कोच्चि में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित कमश: 5.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता और 2.5 एमएमटीपीए क्षमता के टर्मिनलों से पुनर्गैसीकृत एलएनजी का अन्त्य: ग्राहकों को विपणन मुख्यत: गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।

विवरण

एलएनजी आयात

क्र. सं.	कंपनी का नाम	विदेशी सहयोजन का नाम	प्रस्तावित टर्मिनल का स्थान	टर्मिनल क्षमता प्रतिवर्ष मिलियन टन में	के लिए गैस आपूर्ति	वि.सा.नि.बो. स्वीकृति	सीसीएफ आई स्वीकृति	एफडी आई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एनरान इंटर-नेशनल इंक.	एनरान इंटर-नेशनल इंक.	ढाभोल (महाराष्ट्र)	आरंभिक 2.5 एमएमटीपीए 5 एवं 10 एमएमटीपीए तक विस्तार	महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में निजी विद्युत संयंत्र और अन्य को	हां	हां	500 मिलियन अमरीकी डालर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	(ब्रिटिश गैस) बीजी पीएलसी	(ब्रिटिश गैस) बीजी पीएलसी	पीपावव (गुजरात)	आरंभिक 2.5 एमएमटीपीए 5 एमएमटीपीए तक विस्तार	गुजरात	हां	हां	140 मिलियन अमरीकी डालर
3.	इस्पात उद्योग समूह	इस्पात एनर्जी लिमिटेड	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)	आरंभिक 2.5 एमएमटीपीए विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं	आंध्र प्रदेश	हां	हां	175 मिलियन अमरीकी डालर
4.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीडीआर/एएडी आर प्रा. प्लेसमेंट	जामनगर और हजीरा (गुजरात)	प्रत्येक टर्मिनल पर 5 एमएमटीपीए	गुजरात एवं अन्य राज्य	हां	हां	1150 करोड़ रुपए
5.	रॉयल डच शेल समूह की कंपनियां	रॉयल डच शेल समूह की कंपनियां	हजीरा (गुजरात)	2.7 एमएमटीपीए आरंभिक विस्तार विनिर्दिष्ट नहीं	एस्सार पावर लि. तथा एस्सार स्टील लि.	हां	हां	583 करोड़ रुपए
6.	(गैस डी फ्रांस तथा रास गैस के साथ)	जीडीएफ इंटरनेशनल, पैरिस	दहेज (गुजरात)	5 एमएमटीपीए	गुजरात एवं अन्य राज्य	हां	हां	55 मिलियन अमरीकी डालर
7.	पेट्रोनेट एलएनजी लि.		कोचीन, केरल	2.5 एमएमटीपीए	केरल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	बीएचपी आस्ट्रेलिया	बीएचपी आस्ट्रेलिया	सामान्य प्रस्ताव	विनिर्दिष्ट नहीं	विनिर्दिष्ट नहीं	हां	हां	–
9.	हार्डी आयल, यूके तथा नागार्जुन होल्डिंगन	हार्डी आयल तथा बीएचपी	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	1 एमएमटीपीए 5 एमएमटीपीए तक विस्तार	आंध्र प्रदेश	हां	हां	–
10.	ट्रेक्टाबेल बेल्जियम	ट्रेक्टाबेल बेल्जियम	सामान्य प्रस्ताव	विनिर्दिष्ट नहीं	विनिर्दिष्ट नहीं	हां	हां	–
11.	दक्षिण भारत एनर्जी कंसोर्टियम	यूनोकोल वुडसाइड सीमेन्स	एनरान, तमिलनाडु	2.5 एमएमटीपीए	एन्नोर में निजी विद्युत संयंत्र तथा तमिलनाडु में अन्यों के लिए	–	–	–
12.	गेल-टाटा टोटल	टोटलफिना फ्रांस	ट्राम्बे, महाराष्ट्र	आरंभिक 3 एमएमटीपीए 6 एमएमटीपीए तक के लिए वृद्धि की जानी है।	महाराष्ट्र तथा अन्य राज्य	आवेदन किया गया है	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	उर्वरक कंपनियों का परिसंघ	–	किशोरीप्रसाद उड़ीसा	3 एमएमटीपीए 6 एमएमटीपीए तक वृद्धि की जानी है।	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब	–	–	–
14.	अल-मनहल	अल-मनहल	गोपालपुर, उड़ीसा	3 एमएमटीपीए	उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश	–	–	–
15.	आईओसी/ पेट्रोनास	पेट्रोनास (मलेशिया)	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	3.5 एमएमटीपीए	आंध्र प्रदेश	–	–	–

पेट्रोलियम उत्पादों पर नियंत्रित मूल्य-प्रणाली

1918. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य प्रणाली को हटा लेने से भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकांश विकासशील देशों में प्रचलित मूल्य-समीक्षा की मासिक प्रणाली अपनाने को बाध्य न करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात विद्यमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार होगा।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण एपीएम के बाद बाजार निर्धारित हो जाएगा, पर सरकार सा.वि.प्र. मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों/ पदों का आरक्षित कोटा

1919. **डा० बलिराम :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के विरुद्ध दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है;

(ख) उनके मंत्रालय के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती किए गए/प्रोन्नत किए गए अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें अपने समुदायों के लिए रिक्तियों के आरक्षित कोटे के विरुद्ध नहीं दर्शाया गया; और

(ग) अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित उन उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्हें योग्यता के आधार पर चयनित किया गया परन्तु अपने समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के विरुद्ध दर्शाया/समायोजित किया गया और इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अदालतों में दायर जनहित याचिकायें

1920. **श्री जी०जे० जावीया :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2001 से आज तक गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य भागों के विभिन्न उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में कुल कितनी जनहित याचिकाएं दायर हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी जनहित याचिकाओं को निपटाया जा चुका है;

(घ) कितनी जनहित याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) जानकारी, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) चूंकि ये न्यायपालिका के सारवान कार्यकरण से संबंधित है इसलिए कोई समय सीमा नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

1921. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्तर पर वित्तपोषित परियोजनाओं को माल बेचकर कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क में की जा रही चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिप्त ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सिरसा एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

1922. **श्री किशन सिंह सांगवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिरसा एक्सप्रेस के दैनिक यात्रियों द्वारा सुबह में सामना की जा रही कठिनाइयों और परेशानियों की जानकारी है क्योंकि यह गाड़ी अपने संशोधित निर्धारित समय पर नई दिल्ली कभी नहीं पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे इसके पूर्व समय अर्थात् 8.45 पूर्वाह्न रोहतक से प्रस्थान और 9.40 पूर्वाह्न तक नई दिल्ली में आगमन पर ही पुन: निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि कार्यालय पहुंचने वाले हजारों यात्री लगभग दस बजे तक अपने कार्यालय पहुंच जाएं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) यह गाड़ी अप्रैल 2001-फरवरी 2002 के बीच मुख्यत: खराब मौसम होने जैसे धुंध (26 दिन) के कारणों जैसे के गाड़ी के नीचे पशुओं के कुचले जाने, सिगनल/इंजन खराब होने आदि के कारण, 334 दिनों में से केवल 40 दिन ही 15 मिनट से अधिक देरी से पहुंची थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ई०एम०ई० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1923. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई०एम०ई० के इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स कोर के विभिन्न संवर्गों में क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित 15%, 7.5% और 27% के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ई०एम०ई० के इलेक्ट्रानिक्स कोर के विभिन्न संवर्गों में संवर्ग-वार कितने स्वीकृत पद हैं;

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा समान्य श्रेणी के कितने व्यक्ति ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं और 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर उनका संबंधित प्रतिशत कितना है; और

(ङ) वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां सृजित हुईं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के लोगों द्वारा ऐसी कितनी रिक्तियां/पद भरे गए?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी के इलेक्ट्रानिक कोर में 2 जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार समूहवार और श्रेणीवार स्वीकृत पदों की स्थिति इस प्रकार है :-

समूह	स्वीकृत नफरी	भरे गए पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
क	64	17	01(5.9%)	02(11.8%)	02(11.8%)	12(70.6%)
ख	48	29	08(27.6%)	03(10.3%)	शून्य(0.0%)	18(62%)
ग	15125	12606	1843(14.6%)	916(7.2%)	3384(26.8%)	6463(51.3%)
घ	5086	4033	770(19.1%)	282(6.9%)	1019(25.3%)	1962(48.6%)

कतिपय श्रेणियों में कमी उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण है।

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान भिन्न-भिन्न समूहों और श्रेणियों में अब तक रिलीज की गई और भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है :-

श्रेणी समूह	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			सामान्य		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
समूह क रिक्तियां	01	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	02	01
समूह क भरी गई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समूह ख रिक्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	01
समूह ख भरी गई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समूह ग रिक्तियां	13	16	05	10	08	03	72	77	87	276	311	43
समूह ग भरी गई	07	02	शून्य	शून्य	04	शून्य	02	02	शून्य	18	09	शून्य
समूह घ रिक्तियां	12	09	03	07	04	01	35	38	44	222	198	176
समूह घ भरी गई	शून्य	शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य	13	शून्य	15	07	शून्य

कच्चे तेल की खोज

1924. डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल की खोज का कार्य निरंतर रूप से जारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य पर वार्षिक रूप से औसतन कितनी राशि व्यय की जा रही है; और

(ग) वर्तमान में देश में कच्चे तेल और गैस की कुल कितनी अनुमानित मात्रा उपलब्ध है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण कार्य पर औसतन लगभग 2097 करोड़ रुपये वार्षिक की राशि खर्च की गई।

(ग) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार क्रमश: 714.08 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 734.86 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) हैं।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम का संयुक्त उद्यम

1925. श्री विनय कुमार सोराके : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम अप्रैल, 2002 में नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति पर विपणन के लिए संयुक्त उद्यम गठित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने इस समझौते के अतंर्गत रिलायंस के जामनगर तेल शोधक कारखाने से 15.5 टन पेट्रो उत्पादों को उठाने की प्रतिबद्धता दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे इस तथ्य के बावजूद कि इन दिनों पेट्रो उत्पादों की मांग स्थिर है, भारतीय तेल निगम लिमिटेड अपने उत्पादन/तेल शोधन क्षमता में कमी लाने के लिए बाध्य होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आपात स्थिति में समझौते को पुनरीक्षित करने का विकल्प खुला रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) अप्रैल, 2002 में प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली की समाप्ति के बाद विपणन के लिए किसी संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए वर्तमान में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और रिलायंस पेट्रोलियम के बीच किसी संयुक्त उद्यम की परिकल्पना नहीं कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 2001 जो 29 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 873(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (भेददर्शी मतदान अधिकारों के साथ शेयर पूंजी का निर्गमन) (संशोधन) नियम, 2002 जो 12 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2002 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 77(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5148/2002]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 36(अ), जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची तेरह में कतिपय संशोधन किये गये हैं, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5149/2002]

(3) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी पैंतालीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5150/2002]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : महोदय, मैं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5151/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5152/2002]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहली संशोधन) विनियम, 2001 जो 24 सितम्बर के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(1)/ 2001-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5153/2002]

(2) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस की स्वीकृति की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(1)/2001-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5154/2002]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पूर्वोतर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोतर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5155/2002]

(ख) (एक) राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पिणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5156/2002]

(5) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेतन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5157/2002]

(6) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5158/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन

श्री रमाकांत आंग्ले (मारमागाओ) : महोदय, मे प्राथमिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाही समिति के 114वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) एक सौ पन्द्रहवां प्रतिवेदन

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, मै केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कार्यकरण से संबंधित 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 115वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मत्री जी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो नेतागण स्पष्टीकरण चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जा सकती है।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वे तालियां क्यों बजा रहें है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): वे राजग के सहयोगी दलों को घेरने के लिए तालियां बजा रहे हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :अपाध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कल दिए गए अंतरिम आदेश के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले, मै स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरकार न्यायालय कके आदेश को अक्षरश: अमल में लाएगी। मैने न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले ही 11 मार्च को लोक सभा में यही बात कही थी। उसे मै आज दोहरा रहा हूं।

मैंने संसद और संसद के बाहर अनेक अवसरों पर यह कहा है कि अयोध्या का मुद्दा या तो संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते से अथवा न्यायालय के फैसले से सुलझाया जा सकता है। यही बात 25 फरवरी, 2002 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी के सम्बोधन के जरिए भी सरकार द्वारा दोहराई गई थी।

सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ से यह अनुरोध किया है कि वह अयोध्या में विवादित स्थल के बारे में टाइटल स्यूट पर अपना फैसला शीघ्र दे। इसके साथ ही, पिछले कुछ हफ्तों में अयोध्या मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के अनेक संगठन और व्यक्ति मुझसे मिले हैं। सरकार को इस बात की खुशी है कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। कांची कामकोटि पीठम् के श्रद्धेय जगद्गुरू शंकराचार्य ने कतिपय मुस्लिम संगठनों के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों के साथ इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण तथा आपसी स्वीकार्य समाधान निकालने की संभावना पर विचार-विमर्श किया। यधपि उनके प्रयासों से अभी तक वांछित परिणाम नहीं निकले हैं, फिर भी सरकार का मानना है कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। यदि बातचीत से इस मुद्दे का कोई आपसी स्वीकार्य हल नहीं निकलता है तो दोनों पक्षों को न्यायालय के निर्णय का पालन करना चाहिए।

सरकार को राम जन्मभूमि न्यास से 08 मार्च, 2002 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अयोध्या में अधिग्रहीत गैर-विवादित भूमि पर 15 मार्च को सौ दिन के उसके पूर्णाहुति यज्ञ के भाग के रूप में, एक सांकेतिक पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। न्यास अयोध्या में विवादित स्थल से लगी इस 67 एकड़ अधिग्रहीत भूमि में से 42 एकड़ का स्थायी पट्टेदार है। न्यास इस अधिग्रहीत गैर-विवादित भूमि में से एक एकड़ अतिरिक्त जमीन का भी स्वामी है।

इससे पहले कि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेती, श्री मोहम्मद असलम भूरे द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुरोध/किया गया कि न्यायालय अधिग्रहीत भूमि पर पूजा करने की अनुमति देने से सरकार को रोके। न्यायालय ने याचिका और आवेदन पत्र की 13 मार्च को सुनवाई हेतु विभिन्न निर्देशों के लिए स्वीकार कर लिया।

सरकार ने तब यह रुख अपनाया कि पूजा करने अथवा न करने की अनुमति देने का निर्णय 13 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अनुसार लिया लाएगा। सरकार की ओर से कोई हलफनामा अथवा लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह तो केवल न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर महान्यायवादी ने, याचिकाकर्ता के वकील की बहस समाप्त होने के उपरांत ही, 1994 में फारूकी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की व्याख्या करते हुए, यह उल्लेख किया कि पूजा करने हेतु पास की गैर-विवादित भूमि का अस्थाई तौर पर इस्तेमाल करना वर्जित नहीं है और इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि यथा-स्थिति बनाये रखने का यह आदेश केवल विवादित स्थल से संबंधित है न कि गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि से।

सरकार ने 25 फरवरी, 2002 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन के जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया था। मैं संबंधित वाक्य को उद्धृत कर रहा हूं : "कानूनी रिसीवर होने के नाते भारत सरकार अयोध्या में इस विवादित स्थल पर यथा-स्थिति कायम रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है।"

महान्यायवादी का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि जब न्यायालय द्वारा कहा जाए तो वह किसी कानून अथवा न्यायालय के किसी फैसले की व्याख्या करे। जब उच्चतम न्यायालय ने कल उनसे पूछा कि क्या अयोध्या में गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर सांकेतिक पूजा अनुमेय है, तो महान्यायवादी ने यही किया।

महान्यायवादी ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय के किसी पिछले फैसले अथवा आदेश के कारण पूजा वर्जित न भी हो तो भी सुस्पष्ट शर्तों तथा कड़े प्रतिबंधों के तहत ही इसकी अनुमति दी जा सकती है जिसका उन्होंने उदाहरण देकर न्यायालय के विचारार्थ संकेत किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि किन्हीं अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जाए तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।

तथापि, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि रिट याचिका का निपटान होने तक, कोट रामचन्द्र गांव में 67 एकड़ भूमि जो केन्द्र सरकार के अधिकार में है, पर किसी प्रकार की पूजा या धार्मिक कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा लंबित रिट याचिका के मामले में आगे भी आदेश पारित किए जा सकते हैं।

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि सरकार 15 मार्च को अयोध्या में गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर सांकेतिक पूजा करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपनी वचनबद्धता पर कायम है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अयोध्या में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा उच्चतम न्यायालय के 13 मार्च के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं।

मैं देश के सभी राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक संगठनों से अपील करता हूं कि वे शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें।

[गंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5159/2002]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि इस सभा में वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगने की परंपरा नहीं है। आप इस पर चर्चा चाहते हैं अथवा नहीं, यह एक अलग मुद्दा है और इसके बारे में मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए एक विशेष मामले के रूप में कुछ दलों के नेताओं को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जयपाल रेड्डी जी की बात शांति से सुनते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी, कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, कृपया सिर्फ संक्षेप में स्पष्टीकरण मांगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य ने उनकी बातों को स्पष्ट करने की बजाय हमारी शंकाओं को और अधिक बढ़ा दिया है।. . .*(व्यवधान)* महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह आदेश बहाल रखा जाये. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यदि वे इस तरह व्यवहार करेंगे और हमें अपनी बात नहीं कहने देंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सभा में इस तरह का व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है. . .*(व्यवधान)* उनके अपने प्रधान मंत्री जी अन्य सदस्यों से सहयोग करने के लिए कह रहे हैं और उनके अपने दल के सदस्य दूसरे सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।. . .*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, 6 दिसंबर, 2000 को हमने प्रधान मंत्री जी का प्रसिद्ध मुखौटा उतरते हुए देखा।. . .*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने अपना लुभावना मुखौटा हमेशा के लिए उतारकर फैंक दिया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : महोदय, क्या यह स्पष्टीकरण है? वह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : वैसे तो मुझे प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी।. . .*(व्यवधान)* महोदय, अब हम अपने प्रधान मंत्री जी को उनके पुराने हिन्दुत्व के रंग में रंगा हुआ देख सकते हैं।. . .*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मंत्री जी बाधा डाल रहे हैं।. .*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप उन्हें भाषण देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?. .*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, उन्हें इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि वे सभा को चलने देंगे या नहीं। यहां यह सब क्या हो रहा है?. . .*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमारी सुविचारित राय में, कल प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र के साथ. .*. .।. . .*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, उन्हें वह शब्द वापस लेना चाहिए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, आप कृपया अपना स्पष्टीकरण मांगें।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, उन्हें वह शब्द वापस लेना चाहिए।. . . *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं?. . .*(व्यवधान)* वह ऐसा नहीं कह सकते। उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे।. .*(व्यवधान)* वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? . .*(व्यवधान)*

महोदय, उन्हें वे शब्द वापस लेने होंगे. . .*(व्यवधान)* वह ऐसा कैसे कह सकते हैं?. . .*(व्यवधान)*

श्री वैको : उन्हें वे शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए. . .*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में मैंने स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है लेकिन कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री वैको : उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : उन्हें वे शब्द वापस लेने चाहिए।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये। मैं उनसे कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डां. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश के साथ धोखा-धड़ी है। माफी प्रधान मंत्री मांगें. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : उन्हें वे शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात कही गई है तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वैको : उन्हें माफी मांगनी होगी. .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जायेंगे? मुझे कुछ कहना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : जयपाल रेड्डी जी माफी मांगे, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर वापस जायेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुये*]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जाइये। मैं कुछ कहूंगा। आप मुझे कुछ कहने दीजिए। अगर आप अपने स्थान पर जाएंगे तो ही मैं उनसे कहूंगा। आप बस अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वैको जी, यदि किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री है तो वह रिकार्ड से निकाला जा सकता है। जबर्दस्ती से कुछ नहीं होगा।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर जाएंगे, तभी मैं कुछ कहूंगा। मैं उनसे कहूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं उनसे कहूंगा। आप अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्डों की जांच करूंगा और यदि यह असंसदीय है, तो मैं तदनुसार इस पर कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। आप कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर वापस जायेंगे, तभी मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, कहूंगा। यदि आप अपने स्थान पर नहीं जाएंग तो मैं कैसे कुछ बोल सकता हूं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 15 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 मार्च, 2002/ 24 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।